



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-18032023-244486
CG-JK-E-18032023-244486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944

No. 169]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 8 मार्च, 2023

सं.जेईआरसी-जेकेएल/रजि/2023/06—धारा 181(2)(टी), धारा 181(2)(एक्स) सपठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) (जिसे यहां पर "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 43, धारा 44, धारा 45, धारा 48, धारा 50 और धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिनमें बिजली आपूर्ति से संबंधित अधिनियम के संबंध में सरकार द्वारा जारी अधीनस्थ कानून, नियम, संविधिक आदेश, प्रस्ताव शामिल हैं, का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश 'जम्मू और कश्मीर व लद्दाख' के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करता है।

केंद्र शासित प्रदेश 'जम्मू और कश्मीर व लद्दाख' के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बिजली आपूर्ति कोड) विनियम, 2023

अध्याय 1: संक्षिप्त नाम, क्षेत्र, विस्तार और प्रारंभ

- 1.1 इन विनियमों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ((बिजली आपूर्ति कोड) विनियम, 2023" कहा जाएगा।
- 1.2 यह आपूर्ति कोड, 2023 लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं के एक-दूसरे के दायित्वों का विवरण देता है और उपभोक्ताओं को कुशल, लागत प्रभावी और उपभोक्ता अनुकूल सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के एक समूह को निर्दिष्ट करता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित का विवरण देता है:

1. कनेक्शन लेना, कनेक्शन कटवाना, पुनः कनेक्शन लेना, लोड का आकलन, मौजूदा कनेक्शन में परिवर्तन (लोड में संशोधन, नाम में परिवर्तन, टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन, आदि) के लिए प्रक्रिया;
2. उपभोक्ता मीटरिंग, बिलिंग और भुगतान से संबंधित व्यवहार;
3. बिजली की चोरी या बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में उपयुक्त न्यायालय में लंबित प्रक्रिया के चलते देय बिजली शुल्क के निर्धारण की विधि है ;
4. बिजली की चोरी या अनधिकृत उपयोग और मीटर, बिजली लाइन, विद्युत संयंत्र और अन्य सभी उपकरणों को हटाने के मामले में आपूर्ति को बंद करना; तथा
5. बिजली के विपथन (डायवर्जन), चोरी या अनधिकृत उपयोग या छेड़छाड़, बिजली संयंत्र, बिजली लाइन या मीटर को नुकसान या क्षति को रोकने के उपाय।
- 1.3 आपूर्ति संहिता, 2023 के साथ सलग्न सभी प्रपत्र और प्रारूप इस आपूर्ति नियमावली 2023 के अभिन्न अंग हैं। यदि आवश्यक होता है तो लाइसेंसधारी इन प्रपत्रों/प्रारूपों में उचित संशोधन करवाने के लिए आयोग के पास जा सकता है और इस प्रकार के संशोधित प्रपत्र/प्रारूप उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए संबंधित लाइसेंसधारियों की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।
- 1.4 आपूर्ति संहिता, 2023 निम्न पर लागू होगी:
 - (1) केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में संभावित लाइसेंसधारियों सहित सभी वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता
 - (2) अन्य सभी व्यक्ति जिन्हें लाइसेंस प्राप्त करने से अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्राप्त है; तथा
 - (3) अनधिकृत आपूर्ति, अनधिकृत उपयोग, विपथन (डायवर्जन) और बिजली के अनधिकृत उपयोग/ चोरी के अन्य तरीके।
- 1.5 आपूर्ति संहिता, 2023 के प्रावधानों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख" के आयोग द्वारा बनाए गए समय-समय पर संशोधित वितरण लाइसेंसधारियों के लिए (कार्यप्रदर्शन मानदण्ड) विनियम, 2023 के साथ पढा जाएगा।
- 1.6 यह आपूर्ति संहिता, 2023 आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
- 1.7 आपूर्ति संहिता, 2023 में निम्नलिखित 10 अध्याय होंगे:
 - (1) अध्याय 1: संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र, विस्तार और प्रारंभ
 - (2) अध्याय 2: परिभाषाएँ
 - (3) अध्याय 3: आपूर्ति संहिता समीक्षा पैनल
 - (4) अध्याय 4: उपभोक्ताओं की आपूर्ति और वर्गीकरण की प्रणाली
 - (5) अध्याय 5: नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया और मौजूदा कनेक्शन के अनुसार संशोधन
 - (6) अध्याय 6: मीटरिंग
 - (7) अध्याय 7: बिलिंग
 - (8) अध्याय 8: प्रतिबंध-चोरी और बिजली का अनधिकृत उपयोग
 - (9) अध्याय 9: कनेक्शन काटना और पुनः जोड़ना
 - (10) अध्याय 10: सामान्य प्रावधान

अध्याय 2: परिभाषाएँ:

- 2.1 समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित और इस आपूर्ति संहिता, 2023 में प्रयुक्त शब्दों, अवधारणाओं और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में परिभाषित और निर्दिष्ट किया गया है। यहां प्रयुक्त अन्य सभी अभिव्यक्तियां, लेकिन जो विशेष रूप से अधिनियम या विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन एक सक्षम विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित हैं और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में बिजली उद्योग के लिए लागू हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि इस प्रकार के कानून में है। उपरोक्त के अधीन, यहां प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, लेकिन विशेष रूप से अधिनियम या किसी सक्षम विधायिका द्वारा पारित किसी कानून में परिभाषित नहीं है, का अर्थ वही होगा जैसा कि आमतौर पर बिजली उद्योग में प्रयोग किया जाता है।

2.2 इस आपूर्ति संहिता, 2023 की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (1) एकवचन या बहुवचन शब्द, जैसा भी मामला हो, में भी क्रमशः बहुवचन या एकवचन शब्द शामिल माना जाएगा;
- (2) किसी भी कानून, विनियम या दिशा-निर्देशों के संदर्भों के अर्थ में ऐसे कानूनों, विनियमों या दिशानिर्देशों, जैसा भी मामला हो, को समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों को शामिल माना जाएगा,
- (3) "शामिल करता है" या "शामिल करते हुए" शब्दों के बाद "असीमित रूप से" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" शब्द होंगे, चाहे इन शब्दों के बाद ये शब्द हों या इसी तरह के अन्य शब्द हों।

2.3 इस आपूर्ति संहिता, 2023 में, जब तक कि यह संदर्भ के प्रतिकूल न हो:

- (1) 'अधिनियम' का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके बाद के संशोधन;
- (2) 'समझौता' का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता द्वारा सेवाओं के लिए किया गया एक समझौता जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति शामिल है;
- (3) 'अपीलीय प्राधिकारी' का अर्थ अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकरण है;
- (4) 'आवेदक' का अर्थ है किसी भी परिसर का मालिक या काबिज, जो बिजली की आपूर्ति, स्वीकृत लोड या अनुबंध की मांग में वृद्धि या कमी, नाम में परिवर्तन या नाम के उत्परिवर्तन, उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन, बिजली के कनेक्शन को कटवाने या बहाल करवाने, या समझौते की समाप्ति, कनेक्शन या अन्य सेवाओं को स्थानांतरित करने, जैसा भी मामला हो, के लिए अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एक वितरण लाइसेंसधारी के पास आवेदन पत्र दाखिल करता है।
- (5) 'आवेदन' का अर्थ है दस्तावेजों और अन्य अनुपालनों के साथ इस आपूर्ति संहिता, 2023 में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रारूप में सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र;
- (6) 'आवेदन प्रपत्र' का अर्थ है उपयुक्त प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, जैसा कि इस आपूर्ति संहिता, 2023 के अंतर्गत आवश्यक;
- (7) 'उपकरण' का अर्थ है विद्युत उपकरण और इसमें विद्युत वितरण प्रणाली से जुड़ी सभी मशीनें, फिटिंग, सहायक उपकरण और यंत्र शामिल हैं;
- (8) 'आपूर्ति का क्षेत्र' का अर्थ है वह क्षेत्र जिसके अंदर वितरण लाइसेंसधारी को बिजली आपूर्ति करने के लिए उसके लाइसेंस द्वारा अधिकृत किया गया है;
- (9) 'मूल्यांकन अधिकारी' का अर्थ है अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित राज्य /केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी;
- (10) 'अधिकृत अधिकारी' का अर्थ है अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के रूप में नामित एक अधिकारी;
- (11) किसी व्यक्ति/संस्था के 'अधिकृत प्रतिनिधि' का अर्थ है सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि या संबंधित व्यक्ति/इकाई के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति;
- (12) 'बिलिंग साइकल या बिलिंग अवधि' का अर्थ है वह अवधि है जिसके लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियमित बिजली बिल जारी किए जाते हैं;
- (13) 'ब्रेकडाउन' का अर्थ है लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली के उपकरण से संबंधित घटना जिसमें उपभोक्ता मीटर तक विद्युत लाइन शामिल है जो जिससे इसका सामान्य कामकाज बंद हो जाता है;
- (14) 'कैलेंडर वर्ष' का अर्थ है एक वर्ष के अंदर जनवरी के पहले दिन से लेकर दिसंबर के इकतीसवें दिन तक की अवधि;
- (15) 'चेक मीटर' का अर्थ है करंट ट्रांसफॉर्मर (सीटी) और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (वीटी) के एक ही कोर से जुड़ा एक मीटर, जिससे मुख्य मीटर जुड़ा हुआ है और मुख्य मीटर की विफलता के मामले में बिजली के लेखांकन और बिलिंग के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा;
- (16) 'आयोग' का अर्थ है जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश वलहाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग;
- (17) 'कंडक्टर' का अर्थ है कोई तार, केबल, बार, ट्यूब, रेल या प्लेट जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के संचालन के लिए किया जाता है और इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह एक सिस्टम से विद्युतीय रूप से जुड़ा होता है;

- (18) "कनेक्टेड लोड" को किलो वाट (केडब्ल्यू), किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) या हॉर्स पावर (एचपी) में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है उपभोक्ता के परिसर में वितरण लाइसेंसधारी की सेवा लाइन से जुड़े निर्माता द्वारा रेटिड क्षमताओं के सभी ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों या यंत्रों की क्षमताओं का योग, जिनका एक साथ उपयोग किया जा सकता है और इस आपूर्ति संहिता, 2023 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसे केडब्ल्यू या केवीए में व्यक्त किया जाएगा। यदि रेटिंग केवीए में है, तो इसे केवीए को 0.9 के पावर फैक्टर से गुणा करके केडब्ल्यू में परिवर्तित किया जाएगा। यदि उसी या किसी अन्य उपकरण को एचपी में रेट किया गया है, तो एचपी को 0.746 से गुणा करके किलोवाट में परिवर्तित किया जाएगा;
- (19) "कनेक्शन पॉइंट" या "इंटरकनेक्शन" का अर्थ उस बिंदु से है जहां पर उपभोक्ता की स्थापना और / या उपकरण वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े होते हैं;
- (20) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे बिजली अधिनियम, 2003 या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा या जनता को बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर वितरण लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के कार्यों के साथ बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है।
- (21) "उपभोक्ता इंस्टालेशन" या "उपभोक्ता का इंस्टालेशन" का अर्थ है उपभोक्ता के परिसर में आपूर्ति के स्थान से शुरू होने वाले उपभोक्ता के परिसर में या उसकी ओर से बिजली के तार, फिटिंग, मोटर और उपकरण सहित कोई भी संयुक्त पोर्टेबल या स्थिर विद्युत इकाई। इसमें वह उपकरण शामिल है जो उसके परिसर में जोड़ने के लिए उपलब्ध है या इंस्टालेशन से जोड़ा जाना है लेकिन फिलहाल जुड़ा हुआ नहीं है;
- (22) "उपभोक्ता परिसर" का अर्थ है भूमि, भवन या संरचना या उसका भाग या संयोजन जिसके संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए एक अलग मीटर या मीटरिंग की व्यवस्था की गई है।
- (23) "उपभोग शुल्क" का अर्थ है किलोवाट घंटा या किलो वोल्ट अंपेयर घंटा में विद्युत ऊर्जा की खपत जिसे लागू ऊर्जा शुल्क और मांग शुल्क/ निश्चित शुल्क, ईंधन अधिलोड समायोजन (एफएसए), पीक लोड छूट शुल्क, जो भी लागू हो, से गुणा किया जाता है। इनमें सभी प्रकार के शुल्क और कर, सेवा शुल्क और किराया शामिल नहीं हैं;
- (24) "अनुबंधित लोड" या "अनुबंध मांग" का अर्थ है केडब्ल्यू, केवीए या एचपी में अधिकतम मांग, जिसकी आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारी सहमत हुआ है और जिसे लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच निष्पादित समझौते में इंगित किया गया है;
- (25) "कट-आउट" का अर्थ है जब करंट एक पूर्व-निर्धारित क्वॉंटम से ऊपर उठता है तो किसी भी कंडक्टर के माध्यम से बिजली के संचालन को स्वचालित रूप से बाधित करने के लिए लगाया गया उपकरण या यंत्र और इसमें फ्यूज़िबल डिवाइस भी शामिल हैं;
- (26) "आपूर्ति शुरू करने की तारीख" वह तारीख जिस पर लाइसेंसधारी मुख्य वितरण से जोड़ कर उपभोक्ता की स्थापना को सक्रिय करता है;
- (27) "दिन" का अर्थ है स्पष्ट कार्य दिवस;
- (28) विलिंग अवधि के लिए "मांग शुल्क" अर्थ है अनुबंधित/स्वीकृत लोड या अधिकतम मांग (इस आपूर्ति संहिता, के उप खंड 2.3 (50) के संदर्भ में) के आधार पर उपभोक्ता पर लगाया गया शुल्क, जो भी अधिक हो, और आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी गणना की जाती है;
- (29) "डेवलपर" का अर्थ है एक व्यक्ति या कंपनी या संगठन या प्राधिकरण जो आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए एक क्षेत्र का विकास करता है और इसमें विकास एजेंसियां, कॉलोनाइज़र, सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी, एसोसिएशन आदि शामिल हैं;
- (30) "डिस्कनेक्शन" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से उपयोगकर्ता या उपभोक्ता का भौतिक अलगाव या रिमोट डिस्कनेक्शन;
- (31) "डिस्ट्रीब्यूशन मेन" का अर्थ है किसी भी मेन लाइन का वह हिस्सा जिसके साथ एक सर्विस लाइन जुड़ी हुई है, या जोड़ा जाना है;
- (32) "वितरण प्रणाली" का अर्थ है ट्रांसमिशन लाइनों पर वितरण बिंदुओं या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन और उपभोक्ताओं की स्थापना के बीच तारों संबद्ध सुविधाओं की प्रणाली;

स्पष्टीकरण: कोई भी प्रणाली जिसमें मुख्य रूप से ओवरहेड लाइन, भूमिगत केबल, सर्विस लाइन, विद्युत संयंत्र, नियंत्रण स्विचगियर और 33 केवी और उससे कम वोल्टेज के डिज़ाइन किए गए मीटर शामिल हैं और इसमें उच्च वोल्टेज की कोई अन्य प्रणाली भी शामिल होगी जिसकी पहचान आयोग विशेष रूप से कर सकता है। वितरण प्रणाली में उपभोक्ता के छोर से जुड़े टर्मिनल उपकरण (मीटरिंग सिस्टम, सीटी और पीटी) और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (66 केवी और ऊपर) उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए उपयोग को छोड़कर ट्रांसमिशन सिस्टम का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होगा होगा;

- (33) "अर्थ" का अर्थ है पृथ्वी के सामान्य द्रव्यमान से इस तरह से जुड़ा हुआ होना कि हर समय बिना किसी खतरे के ऊर्जा का तत्काल निर्वहन सुनिश्चित हो सके;
- (34) "इलेक्ट्रिक लाइन" का अर्थ है कोई भी लाइन जो किसी भी उद्देश्य के लिए बिजली ले जाने के लिए उपयोग की जाती है और इसमें निम्न शामिल हैं
- क. किसी लाइन को दिया गया कोई भी सहारा, कोई संरचना, टावर, पोल या अन्य वस्तु जिसके अंदर, जिसके ऊपर, जिसके द्वारा या जिससे इस प्रकार की लाइन को सहारा दिया जाता है, ले जाया जाता है या लटकाया जाता है; और
- ख. बिजली ले जाने के उद्देश्य से ऐसी किसी भी लाइन से जुड़ा कोई उपकरण;
- (35) "विद्युत निरीक्षक" का अर्थ है अधिनियम की धारा 162 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से और इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी शामिल है;
- (36) "आपातकालीन रोस्ट्रिंग" का अर्थ है कर्मियों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए अल्प अवधि की सूचना या बिना किसी सूचना पर डिस्कनेक्ट करके किया गया लोड शेडिंग;
- (37) "ऊर्जा शुल्क" का अर्थ है उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली की मात्रा (टैरिफ के अनुसार केडबल्यूएच या केवीएच में इकाइयों) के आधार पर उपभोक्ता पर लगाए गए शुल्क;
- (38) "अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी)" या "अतिरिक्त उच्च तनाव (ईएचटी)" का अर्थ है 33000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज;
- (39) "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है एक अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में एक अप्रैल से शुरू होने वाली और अगले कैलेंडर वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली अवधि;
- (40) "फीडर" का अर्थ है एक सब-स्टेशन से निकलने वाली एलटी, एचटी या ईएचटी लाइन, जिससे वितरण सब-स्टेशन या एलटी, एचटी या ईएचटी उपभोक्ता जुड़े हुए हैं;
- (41) "स्थायी शुल्क" का वही अर्थ है जो आयोग द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के लिए जारी प्रचलित टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार दिया गया है;
- (42) "हाई वोल्टेज (एचवी)" या "हाई टेंशन (एचटी)" का अर्थ है 440 वोल्ट से ऊपर और 33000 वोल्ट तक का वोल्टेज स्तर;
- (43) "समझौते की प्रारंभिक अवधि" का अर्थ है एलटी आपूर्ति के मामले में छह महीने की अवधि, एचटी आपूर्ति के मामले में एक वर्ष और ईएचटी आपूर्ति के मामले में दो साल की अवधि जो समझौते के अनुसार आपूर्ति शुरू होने की तारीख से शुरू होती है। समझौते की प्रारंभिक अवधि उस बिलिंग साइकल के अंत तक जारी रहेगी, जिसमें छह महीने/एक/दो साल की अवधि की समाप्ति तिथि समाप्त हो जाती है।
- (44) "स्वतंत्र फीडर" का अर्थ है उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह की लागत पर निर्मित और केवल उस उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को बिजली की आपूर्ति करने वाला फीडर है;
- (45) "लाइसेंस" का अर्थ है अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दिया गया लाइसेंस;
- (46) "लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार (एलईसी)" का अर्थ है समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार है;
- (47) "लाइसेंसधारी" या "वितरण लाइसेंसधारी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए एक वितरण प्रणाली संचालित करने और बनाए रखने के लिए लाइसेंस दिया गया है और इसमें संभावित लाइसेंसधारी भी शामिल है;

- (48) "लोड फैक्टर" एक दी गई अवधि के दौरान खपत की गई इकाइयों की कुल संख्या का उस पूरी अवधि के लिए खपत होने वाली इकाइयों की कुल संख्या का अनुपात, यदि इसी लोड को पूरी अवधि के दौरान बनाए रखा जाता और इसे प्राय निम्न प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है: :
प्रतिशत में लोड फैक्टर = एक निश्चित अवधि में खपत की गई वास्तविक इकाइयाँ (केडबल्यूएच/केवीएएच) × 100 / (केडबल्यूएच/केवीए में अनुबंधित लोड x अवधि में घंटों की संख्या)
- (49) "लो टेंशन (एलटी)" का अर्थ है समय-समय पर अनुमति प्राप्त प्रतिशत भिन्नता के अधीन सामान्य परिस्थितियों में फेज और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट या किन्हीं दो फेजों के बीच 440 वोल्ट का वोल्टेज;
- (50) "अधिकतम मांग" का अर्थ है बिलिंग अवधि के दौरान लगातार 30 (तीस) मिनट या आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता की आपूर्ति के बिंदु पर औसत केवीए या केडबल्यू में मापा गया उच्चतम लोड;
- (51) "मीटर" का अर्थ है विद्युत मात्रा को मापने, इंगित करने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण जैसे केडबल्यूएच या केवीएएच में ऊर्जा, केडबल्यू या केवीए में अधिकतम मांग, केवीएआर घंटों में प्रतिक्रियाशील ऊर्जा, आदि जिसमें करंट ट्रांसफार्मर (सीटी), वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) / संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) / कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी), आदि, शामिल हैं जो ऐसे मीटर के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जाते हैं।
इसमें सीलिंग, विश्वसनीयता और बिजली की चोरी/अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई कोई सील या सीलिंग व्यवस्था और अन्य उपाय भी शामिल होंगे;
- (52) "काबिज" का अर्थ है उस परिसर का मालिक, किरायेदार या कोई व्यक्ति, जहाँ ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का प्रस्ताव है;
- (53) "ओवरहेड लाइन" का अर्थ है कोई भी विद्युत आपूर्ति-लाइन जो जमीन के ऊपर और खुली हवा में रखी जाती है, लेकिन इसमें ट्रेक्शन सिस्टम की लाइव रेल शामिल नहीं है;
- (54) "बकाया देय" का अर्थ है कनेक्शन काटने के समय पर उक्त परिसर में बिजली संबंधी सभी बकाया (अर्थात बिल की गई राशि लेकिन उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया) और अधिनियम की धारा 56 (2) के अधीन विलम्ब से भुगतान पर सरचार्ज;
- (55) "चरणबद्ध अनुबंध मांग" का अर्थ है अनुबंध की मांग चरणबद्ध तरीके से पूरी करने के लिए सहमति है;
- (56) "प्वाइंट ऑफ सप्लाई" का अर्थ है उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्विचगियर/कट-आउट के आने वाले टर्मिनलों पर स्थित बिंदु;
- (57) "पावर फैक्टर" का अर्थ है, औसत मासिक पावर फैक्टर और यह महीने के दौरान आपूर्ति किए गए कुल किलोवाट घंटे के कुल किलोवाट घंटे के प्रतिशत के रूप में व्यक्त अनुपात होगा; अनुपात को दो दशमलव अंकों में पूर्णांकित किया जाता है;
- (58) "प्रोज्यूर" का अर्थ है एक व्यक्ति जो ग्रिड से बिजली का उपभोग करता है और आपूर्ति के उसी बिंदु का उपयोग करके वितरण लाइसेंसधारी के लिए ग्रिड में बिजली भी भेज सकता सकता है;
- (59) "दूरस्थ क्षेत्रों" का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूर-दराज के ;
- (60) "ग्रामीण क्षेत्र" का अर्थ है शहरी क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी क्षेत्र;
- (61) "स्वीकृत लोड" का अर्थ है केडबल्यू, केवीए या एचपी में लोड, जिसे लाइसेंसधारी समय-समय पर वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच एक समझौते की अनुपस्थिति में शासी नियमों और शर्तों के अधीन आपूर्ति करने के लिए सहमत है;
- (62) "सर्विस लाइन" का अर्थ है किसी भी विद्युत आपूर्ति लाइन से जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति निम्न को की जाती है, या आपूर्ति की जानी है:
- क. वितरण मेन लाइन से या वितरण लाइसेंसधारी के परिसर से किसी एकल उपभोक्ता को;
- ख. एक वितरण मेन से एक एक ही परिसर में उपभोक्ताओं के एक समूह को या वितरण मेन के एक ही बिंदु से निकट परिसर में;
- (63) "आपूर्तिकर्ता" का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति के लिए अधिकृत कोई इकाई;

- (64) एक लाइसेंसधारी के संबंध में "टैरिफ आदेश" का अर्थ है उस लाइसेंसधारी के लिए आयोग द्वारा जारी किया गया नवीनतम आदेश जिसमें विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से लाइसेंसधारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरों को दर्शाया जाता है;
- (65) "अस्थायी कनेक्शन" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन जैसे-
- आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसरों के निर्माण के लिए जिसमें पानी निकालने के लिए पंप भी शामिल हैं;
 - त्योहारों और पारिवारिक समारोहों के दौरान रोशनी के लिए
 - श्रेणर या कृषि पंप सेट को छोड़कर ऐसी अन्य मशीनरी के लिए;
 - सिनेमाघरों, थिएटरों, सर्कसों, मेलों, प्रदर्शनियों, या सभाओं के लिए।
 - खानाबदोश लोगों के लिए जो विभिन्न मौसमों में केंद्र शासित प्रदेश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं।
 - पर्यटन के मौसम में पर्यटन स्थलों पर अस्थायी तंबू लगाना।
- (66) "अस्थायी आपूर्ति" का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध आपूर्ति जिसे बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो कि तीन महीने तक की अवधि के लिए अस्थायी प्रकृति के उद्देश्य के लिए बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 12 महीने से अधिक नहीं होती है; स्थायी कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति अस्थायी आपूर्ति पर कतार में है।
- (67) "टैरिफ अनुसूची" का अर्थ है टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा जारी बिजली और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शुल्कों की नवीनतम अनुसूची;
- (68) "चोरी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 135 में परिभाषित बिजली की चोरी;
- (69) "ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत एक लाइसेंस दिया गया है जो उसे ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने या संचालित करने के लिए अधिकृत करता है;
- (70) "ट्रांसमिशन सिस्टम" का अर्थ है एक सिस्टम जिसमें ईएचवी पर संचालित ईएचवी बिजली की लाइनें (जनरेटर इंटरकनेक्शन सुविधाओं को छोड़कर) जो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के स्वामित्व और/या उसके द्वारा एक एक पावर स्टेशन से एक सब स्टेशन या किसी अन्य पावर स्टेशन तक विद्युत के प्रसारण या सब स्टेशनों के बीच या किसी बाहरी इंटरकनेक्शन उपकरण तक/से विद्युत के प्रसारण के लिए संचालित किया जाता है और इसमें बिजली के प्रसारण के संबंध में प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण और मीटर शामिल हैं, लेकिन इसमें लाइसेंसधारी के वितरण सिस्टम का कोई भाग शामिल नहीं होगा।
- (71) "बिजली का अनाधिकृत उपयोग" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत परिभाषित है।
- (72) "शहरी क्षेत्र" का अर्थ है सभी नगर निगमों और अन्य नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, जिसमें विभिन्न उप-नगर विकास प्राधिकरण, छावनी प्राधिकरण और औद्योगिक सम्पदाओं या टाउनशिप के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।
- (73) "उपयोगकर्ता" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी के साथ विद्युत इंटरफेस रखने वाला या वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति है, जिसके लिए यह आपूर्ति संहिता, 2023 लागू है।

व्याख्या: कोई भी वितरण लाइसेंसधारी, प्रसारण लाइसेंसधारी और वितरण प्रणाली से जुड़ी उत्पादन इकाइयां और प्रसारण या वितरण प्रणाली में स्वतंत्र पहुंच का लाभ उठाने वाले व्यक्ति भी इस परिभाषा में शामिल हैं।

अध्याय 3: आपूर्ति संहिता समीक्षा पैनल

3.1 आयोग आपूर्ति संहिता, 2023 की आवधिक आधार पर समीक्षा करने के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता समीक्षा पैनल का गठन करेगा। समीक्षा पैनल में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से उतने सदस्य होंगे जितने आयोग आवश्यक समझे।

समीक्षा पैनल में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- आयोग के सचिव;
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारियों में से एक सदस्य;

3. राज्य ट्रांसमिसन उपयोगिता (एसटीयू) का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;
4. आयोग द्वारा नामित औद्योगिक उपभोक्ताओं के तीन प्रतिनिधि। वे विधिवत पंजीकृत संगठन या उद्योग संघ / वाणिज्य मंडलों से होंगे। इनमें से दो प्रतिनिधि एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं से और एक एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं से होगा;
5. आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रतिनिधि जो उपभोक्ताओं की घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों / निकायों से होंगे;
6. आयोग द्वारा समय-समय पर नामित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के तीन प्रतिनिधि बारी-बारी से; प्रत्येक सीजीआरएफ प्रतिनिधि क्रमशः शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा;
7. जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) के लोकपाल समीक्षा पैनल के स्थायी सदस्य होंगे;
8. आयोग द्वारा नामित एक सदस्य कृषि उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजीकृत निकायों से होगा;
9. आयोग किसी भी क्षेत्र/पेशे से समीक्षा पैनल में किसी अन्य सदस्य (सदस्यों) या विशेषज्ञों को अतिरिक्त शामिल किया सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- 3.2 जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) के सचिव समीक्षा पैनल के अध्यक्ष होंगे।
- 3.3 समीक्षा पैनल के सदस्य-सचिव आयोग के एक अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति पैनल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
- 3.4 समीक्षा पैनल के सभी सदस्यों को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते। प्रतिस्थापन में नया सदस्य उसी श्रेणी से और शेष अवधि के लिए होगा।
- 3.5 समीक्षा पैनल के मौजूदा सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति तक या नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक, जो भी बाद में हो, समीक्षा पैनल के सदस्य बने रहेंगे।
- 3.6 समीक्षा पैनल की प्रत्येक बारह (12) महीनों में कम से कम एक बार बैठक होगी। समीक्षा पैनल के सदस्य-सचिव आयोग के परामर्श से अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठकें आयोजित करेंगे। अध्यक्ष सभी सदस्यों को कार्यसूची के साथ बैठक की सूचना दस दिन पहले भेजेंगे।
- 3.7 अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और सभी सदस्य समीक्षा पैनल के अंशकालिक सदस्य होंगे। वे अपने वेतन, भत्ते और अनुलाभ अपने संबंधित मूल संगठनों से प्राप्त करेंगे।
- 3.8 अन्य उपयोगिताओं के सीजीआरएफ के साथ परामर्श करने और बैठकों में अपने मुद्दों को उठाने के लिए समीक्षा पैनल की बैठकों में भाग लेना सीजीआरएफ के सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा।
- 3.9 समीक्षा पैनल के सदस्य-सचिव बैठक की तिथि से 15 दिनों के अंदर सभी सदस्यों और आयोग को बैठकों की कार्यवाही भेजेंगे।
- 3.10 कोई भी लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, उपभोक्ता, उद्योग या कोई भी इच्छुक पक्ष या व्यावसायिक संगठन इस आपूर्ति संहिता के संशोधन के लिए अपने सुझाव लिखित रूप में समीक्षा पैनल के सदस्य-सचिव को भेज सकते हैं। इन सभी अभ्यावेदनों या सुझावों को दर्ज किया जाएगा और बैठकों में चर्चा की जाएगी। सदस्य-सचिव समीक्षा पैनल से संबंधित संपूर्ण पत्राचार करेंगे।
- 3.11 आयोग आपूर्ति संहिता में स्वतः या समीक्षा पैनल समिति की सिफारिशों पर संशोधन कर सकता है। हालांकि, किसी भी संशोधन को जारी करने से पहले, जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए आयोग द्वारा संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (व्यापार का संचालन) विनियम 2022 के अध्याय II में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- 3.12 आपूर्ति संहिता, 2023 में किए गए संशोधनों के सार का एक नोटिस लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति के क्षेत्रों में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि संशोधित विद्युत आपूर्ति संहिता की प्रतियां नीचे 3.13 में उल्लिखित कार्यालय में खरीद के लिए उपलब्ध हैं।
- 3.13 तय-समय पर यथासंशोधित इस आपूर्ति संहिता की प्रतियां क्षेत्र के कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, लाइसेंसधारियों के संभाग और उप-मंडल कार्यालयों और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में उपलब्ध होंगी। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2023 की प्रति अपनी संबंधित वेबसाइटों पर भी पोस्ट करेंगे।

अध्याय 4: उपभोक्ताओं की आपूर्ति और वर्गीकरण की प्रणाली

आपूर्ति की प्रणाली:

- 4.1 लाइसेंसधारी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (लोडतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010, जिसमें उसके संशोधन, यदि कोई हों शामिल हैं, और लागू ग्रिड कोड यदि उसके संशोधन, यदि कोई हों शामिल हैं में निर्दिष्ट आवृत्ति बैंड के अंदर बिजली की आपूर्ति करेगा। आपूर्ति शुरू होने के बिंदु पर उपभोक्ता की लिखित सहमति या आयोग की पूर्व मंजूरी को छोड़कर, एक आपूर्तिकर्ता वोल्टेज को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक वोल्टेज की अनुमति नहीं देगा।

आपूर्ति का वर्गीकरण

- 4.2 आपूर्ति का वर्गीकरण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नेटवर्क पर निर्भर करता है और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा वोल्टेज स्तरों के आधार पर अनुकूलित किया जाता है।
- 4.3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुबंधित लोड के आधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार आपूर्ति आम तौर पर निम्नलिखित वोल्टेज पर दी जाएगी:

श्रेणी	आपूर्ति की प्रणाली
निम्न वोल्ट	
5 किलोवाट तक एक अनुबंधित लोड के साथ सभी इंस्टालेशन(सिंचाई पंप और कृषि सेवाओं के अलावा)	220वोल्ट/230 वोल्ट पर सिंगल फेज
सिंचाई पंपिंग और कृषि सेवाएं और 5 किलोवाट से अधिक और अनुबंधित लोड के 100 केवीए सहित अनुबंधित लोड वाले सभी प्रतिष्ठान	3 फेज, 440 वोल्ट पर 4 तार
उच्च वोल्ट	
100 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक अनुबंधित लोड	6.6 किलोवाट/11 किलोवाट/22 किलोवाट/33किलोवाट

उपरोक्त के बावजूद, यदि उपभोक्ता (केवल अस्पताल) चाहे तो वह उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति का विकल्प चुन सकता है, भले ही अनुबंधित लोड निर्दिष्ट सीमा से कम हो:

बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाए जाने पर ही प्रदान की जाएगी;

बशर्ते कि उच्च वोल्टेज पर ऐसी आपूर्ति की लागत ऐसी आपूर्ति चाहने वाले उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

लाइसेंसधारी, वितरण प्रणाली की तकनीकी बाधाओं के आधार पर, ऊपर निर्दिष्ट की तुलना में अधिक वोल्टेज पर आपूर्ति की पेशकश कर सकता है, हालांकि, उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति के लिए अतिरिक्त लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

मौजूदा उपभोक्ताओं को ऊपर निर्दिष्ट सीमा से कम वोल्टेज पर आपूर्ति जारी रहेगी और यदि उनकी लोड आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा लागू होगी और उपभोक्ता को उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति का विकल्प चुनना होगा। इसके अलावा, विभिन्न अनुबंध भारों पर आपूर्ति के वोल्टेज के संबंध में लाइसेंसधारी के अनुसार विशिष्ट विवरण आपूर्ति की शर्तों के अनुसार होगा और आपूर्ति संहिता के प्रावधानों को आपूर्ति की शर्तों के संयोजन के साथ पढ़ा जाएगा।

- 4.4 इस आपूर्ति संहिता में निर्धारित वोल्टेज स्तर से अधिक वोल्टेज स्तर प्राप्त करने के लिए वोल्टेज ब्रूट आयोग द्वारा टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।
- 4.5 ऊर्जा गहन उपभोक्ताओं जैसे आर्क/इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल्स, री-रोलिंग मिल्स और मिनी स्टील प्लांट्स के लिए लोड जहां भी संभव हो केवल एक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से जारी किया जाएगा और सभी आवश्यक शुल्क उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे। उपभोक्ता के अनुरोध पर अन्य मामलों में स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति की जा सकती है यदि उपभोक्ता सभी लागू शुल्कों को वहन करने के लिए तैयार है।
- 4.6 वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थितियों के आधार पर लाइसेंसधारी आयोग के अनुमोदन के अधीन, इस आपूर्ति संहिता के विनियम 4.3 में आपूर्ति के वर्गीकरण के अलावा अतिरिक्त वोल्टेज और फेज में आपूर्ति दे सकता है।

उपभोक्ताओं/ प्रोज्यूमर्स का वर्गीकरण

4.7 आयोग उपभोक्ताओं/प्रोज्यूमर्स को समय-समय पर उप-श्रेणियों और स्लैबों सहित विभिन्न टैरिफ श्रेणियों में वर्गीकृत और पुनर्वर्गीकृत कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित उप-श्रेणी या स्लैब के अलावा कोई अतिरिक्त श्रेणी नहीं बनाई जाएगी।

आपूर्ति के लिए शुल्क

4.8 बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित टैरिफ अनुसूची के अनुसार होगा। शुल्क में निम्न शामिल हो सकते हैं:

- (1) लाइसेंसधारी के लिए नवीनतम टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा लाइसेंसधारी के लिए निर्धारित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए शुल्क (निश्चित शुल्क, ऊर्जा शुल्क, आदि);
- (2) व्हीलिंग शुल्क और/या क्रॉस-सब्सिडी अधिलोड और अतिरिक्त अधिलोड, यदि कोई हो, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो;
- (3) लाइसेंसधारी के मीटर और अन्य विद्युत संयंत्र और उपकरण के लिए किराया, यदि कोई हो, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित है;
- (4) विविध शुल्क जैसे अनुबंध की मांग से अधिक के लिए दंडात्मक शुल्क, देर से भुगतान अधिलोड, और समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य शुल्क

आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों के अतिरिक्त, लाइसेंसधारी संघ शासित प्रदेशों की संबंधित सरकार के कानून के अनुसार वैधानिक शुल्क जैसे बिजली शुल्क, कर या उपभोक्ता द्वारा देय कोई अन्य कर/शुल्क लगा सकता है;

आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों के अतिरिक्त, उपभोक्ता द्वारा इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.147 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी के पास सुरक्षा राशि जमा की जाएगी।

4.9 लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद टैरिफ अनुसूची को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर टैरिफ अनुसूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा।

स्वतंत्र फीडरों के माध्यम से आपूर्ति

4.10 व्यापक शहरीकरण के कारण, रास्ते के अधिकार की समस्या के कारण विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में वितरण/ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना मुश्किल हो गया है। अब एक आवेदक को स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति की अनुमति देने से पहले, लाइन बिछाने के अधिकार सहित तकनीकी व्यवहार्यता, नियंत्रण कक्ष/स्विचयार्ड में नियंत्रण ब्रेकर बनाने/खड़ा करने के लिए स्थान और अतिरिक्त लाइन बे के निर्माण की जांच की जाएगी। इसकी अनुमति केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां स्वतंत्र फीडर रखना तकनीकी रूप से संभव हो।

4.11 आपूर्ति में देरी के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार नहीं होगा यदि यह वैधानिक मंजूरी, रास्ते के अधिकार, भूमि के अधिग्रहण, या उच्च वोल्टेज के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के दायित्व में देरी से संबंधित समस्याओं के कारण होता है, जिन पर लाइसेंसधारी का कोई युक्तियुक्त नियंत्रण नहीं है।

4.12 सर्किट ब्रेकर, बे (यदि खड़ा किया जाना है), सीटी और पीटी, आइसोलेटर्स, लाइन और अर्थ स्विच, फीडिंग सब-स्टेशन पर आवश्यक मीटर, उपभोक्ता के पास इलेक्ट्रिक लाइन और मीटर सहित नियंत्रण उपकरण के शुल्क आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे।

4.13 ऐसे उपभोक्ता, जो स्वयं स्वतंत्र फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए अनुरोध करते हैं, सीईए (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के अनुसार स्थापित मीटर के उपभोक्ता और लाइसेंसधारक द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए मीटर रीडिंग के अनुसार बिल किया जाएगा। लाइसेंसधारी उपभोक्ता को फोन/एसएमएस के माध्यम से मीटर की संयुक्त रीडिंग के लिए उपस्थित होने की सूचना देगा। यदि उपभोक्ता उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे मीटर रीडिंग के लिए उपस्थित माना जाएगा। हालांकि, मीटर रीडिंग के लिए स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) मीटर स्थापित होने की स्थिति में लाइसेंसधारी द्वारा मीटर रीडिंग के अनुसार बिलिंग की जाएगी और संयुक्त मीटर रीडिंग लागू नहीं होगी।

4.14 यदि रास्ते के अधिकार या अन्य समान समस्याओं के कारण मौजूदा स्वतंत्र फीडर से एक से अधिक आवेदक/उपभोक्ताओं को फीड करने की आवश्यकता होती है, तो उपयोगिता ऐसे उपभोक्ता (ओं) को मौजूदा स्वतंत्र फीडर से जोड़ेगी और जो उस की सहमति के अधीन होगा जिसने लाइसेंसधारी द्वारा संचालित स्वतंत्र फीडर और

तकनीकी व्यवहार्यता के लिए भुगतान किया है। ऐसे मामलों में, उपभोक्ता के स्तर पर मीटरिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग विनियम 4.13 के अनुसार मीटर रीडिंग के आधार पर, सीईए (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम 2006 के अनुसार स्थापित मीटरों द्वारा दर्ज खपत के अनुपात में की जाएगी। दोनों सिरों पर मीटरिंग व्यवस्था (उप-स्टेशन के साथ-साथ उपभोक्ता के सिरे पर) सीईए मीटरिंग विनियमों के अनुरूप समान विनिर्देशों और शुद्धता वर्ग के समान होगी जो सीईए मीटरिंग विनियमों की अनुपलना में है।

- 4.15 स्वतंत्र फीडर को तब तक स्वतंत्र माना जाएगा जब तक कि एक स्वतंत्र फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या तकनीकी सीमाओं के अधीन पांच या उससे कम हो।

जहां एक स्वतंत्र फीडर पर पांच से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, उस फीडर को सामान्य फीडर माना जाएगा और उपभोक्ताओं को बिलिंग संबंधित उपभोक्ता के लिए लगाए गए मीटरों द्वारा दर्ज की गई खपत के आधार पर की जाएगी।

- 4.16 ऐसे सामान्य फीडर से कनेक्शन के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपभोक्ता, समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित सेवा कनेक्शन शुल्क जमा करेगा।

- 4.17 जब तक फीडर की स्थिति स्वतंत्र रहती है, लाइसेंसधारी द्वारा उप-स्टेशन और उपभोक्ता छोर पर स्थापित मीटरों को उसी दिन कम से कम समय में उपभोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पढ़ा जाएगा। स्वतंत्र फीडर पर उपभोक्ताओं के बीच फीडर हानियों का विभाजन उनकी खपत के अनुपात में उनके छोर पर स्थापित मीटर के अनुसार किया जाएगा, भले ही फीडर पर उपभोक्ता की दूरी कुछ भी हो। इस प्रकार, उपभोक्ता को विनियम 4.13 के अनुसार बिल किया जाएगा।

अत्यावश्यकता/अप्रत्याशित कारणों से, आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए विभिन्न श्रेणी के किसी अन्य उपभोक्ता को स्वतंत्र फीडर से कुछ अवधि के लिए जोड़ा जाना है, इसे केवल लाइसेंसधारी के उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति से जोड़ा जाएगा। यदि ऐसे उपभोक्ताओं को स्वतंत्र फीडर पर 7 दिनों से अधिक समय तक कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तो संबंधित निदेशक या उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी और ऐसी अवधि के दौरान स्वतंत्र फीडर को सामान्य फीडर माना जाएगा।

स्वतंत्र फीडर के उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) को स्वतंत्र फीडर पर अन्य श्रेणी के उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के कनेक्शन/डिस्कनेक्शन से पहले सूचित किया जाएगा और उपभोक्ता के छोर पर स्थापित मीटरों की रीडिंग ली जाएगी और सब-स्टेशन मीटर लिया जाएगा। एक साथ कम से कम संभव समय में उपभोक्ता (ओं) या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में। इस अवधि के दौरान नुकसान का कोई विभाजन नहीं किया जाएगा और इस अवधि के लिए बिलिंग उपभोक्ता (ओं) के छोर पर स्थापित मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत के अनुसार की जाएगी। दूसरे या बाद के उपभोक्ता को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने के लिए मूल उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) की सहमति आवश्यक होगी:

बशर्ते कि, बाद के उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के प्रस्तावित लोड के साथ, यदि स्वतंत्र फीडर पर कुल लोड उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक है, तो ऐसे उपभोक्ता को तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि फीडर की क्षमता में वृद्धि न हो जाए।

- 4.18 जब अतिरिक्त उपभोक्ता एक स्वतंत्र फीडर से जुड़े होते हैं, तो स्वतंत्र फीडर के सामान्य हिस्से की मूल लागत को नए उपभोक्ता द्वारा नए उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) और मूल उपभोक्ता के बीच सहमत तरीके से साझा किया जाएगा और इसका क्रेडिट मूल उपभोक्ता को दिया जाएगा।

- 4.19 यदि सामान्य खंभों/संरचनाओं पर या अन्यथा एक स्वतंत्र फीडर विद्युत दिया गया है और लाइन स्टाफ द्वारा किसी अन्य लोड को जोड़ने के लिए बिजली के दुरुपयोग या स्वतंत्र फीडर के अनधिकृत उपयोग के किसी भी मामले को नोट किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत दोषी कर्मचारी/व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए, किसी भी कार्रवाई के बावजूद, जो उचित प्राधिकारी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी/व्यक्ति के वीरुद्ध की जा सकती है:

बशर्ते कि उपभोक्ता की मिलीभगत साबित होने की स्थिति में बिजली अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत बेईमानी से बिजली का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए बिजली का उपयोग अधिकृत नहीं किया गया था।

- 4.20 33 केवी और उससे अधिक रेटिंग वाले सबस्टेशनों को आपूर्ति अधिमानतः स्वतंत्र रेडियल लाइनों के माध्यम से दी जाएगी, अर्थात् 33 केवी और उससे ऊपर की रेटिंग लाइनों की टेपिंग की अनुमति नहीं होगी।

- 4.21 वितरण प्रणाली के विस्तार या स्वतंत्र फीडर बिछाने के लिए अनुमानित लागत की गणना आयोग द्वारा अनुमोदित दरों की अनुसूची के अनुसार की जाएगी।
- 4.22 आवेदक द्वारा अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद, लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- 4.23 मीटर को छोड़कर सभी उपकरण (यदि आवेदक द्वारा आपूर्ति की जाती है), भले ही उपभोक्ता द्वारा पूरे या उसके एक हिस्से का भुगतान किया गया हो, सक्रिय होने पर, लाइसेंसधारी की संपत्ति बन जाएगी और लाइसेंसधारक किसी भी ऑपरेशन रखरखाव व्यय का दावा किए बिना इसका रखरखाव करेगा जिसमें उपभोक्ता से दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त सामग्री/उपकरण को बदलना शामिल है। ऐसे उपकरणों की वारंटी/गारंटी भी लाइसेंसधारी को हस्तांतरित मानी जाएगी। वितरण लाइसेंसधारी को किसी अन्य व्यक्ति को टैप करके या अन्यथा बिजली की आपूर्ति के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि अगर ऐसी आपूर्ति पहले से जुड़े उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए हानिकारक है और विनियमन 4.14 के अंतर्गत प्रावधान के अधीन है।
- 4.24 उपभोक्ताओं को 11 केवी और उससे अधिक वोल्टेज पर आपूर्ति की आवश्यकता के मामले में लाइसेंसधारक वितरण प्रणाली के विस्तार पर उपभोक्ता-वार खर्च का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। कार्य के निष्पादन के बाद, अधिक पाई जाने वाली राशि, यदि कोई हो, भविष्य के बिलों में समायोजन करके आवेदक को वापस कर दी जाएगी। लाइसेंसधारी कम पाई गई राशि, यदि कोई हो, को नोटिस देकर मांग करने का हकदार होगा और आवेदक को नोटिस भेजने की तिथि से 30 दिनों के अंदर इसका भुगतान करना होगा। आवेदक को 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। नोटिस के प्रेषण की तारीख से, कम पाई गई राशि पर, यदि आवेदक नोटिस अवधि के अंदर इसका भुगतान करने में विफल रहता है और आवेदक चूक के मामले में डिस्कनेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा:
- बशर्ते कि लाइसेंसधारी खातों को अंतिम रूप देने का काम पूरा करेगा और उपभोक्ता को व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा और आपूर्ति की तिथि से एक माह की अवधि के अंदर अतिरिक्त राशि, यदि कोई है, वापस लौटाएगा, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी आवेदक को अतिरिक्त राशि पर कार्य पूर्ण होने की तिथि से 12 % वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

यदि आवेदक स्वयं वितरण प्रणाली के विस्तार के निष्पादन का विकल्प देता है और आपूर्ति के एकल बिंदु के मामले में विशेष प्रावधान

- 4.25 यदि आवेदक स्वयं कार्य करने का विकल्प चुनता है, तो आवेदक उसे लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से करवाएगा।

शहरी सम्पदा/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता की कॉलोनियों के विद्युतीकरण से संबंधित कार्य लाइसेंसधारक द्वारा विद्युतीकरण योजना और ऐसी योजनाओं के एस्टिमेट को मंजूरी देने के बाद संबंधित विभाग/ कॉलोनाइजर/ सोसाइटी/ नियोक्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा और आवेदक पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करेगा श्रम लागत के 15% की दर से करेगा। पर्यवेक्षण शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), यदि कोई हो, उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा। सिस्टम के सक्रिय होने के समय, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित विद्युतीकरण योजना के अनुसार सिस्टम बिछाया गया है। ऐसे क्षेत्र में कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाला आवेदक लाइसेंसधारी को सेवा कनेक्शन शुल्क का भुगतान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका लोड स्वीकृत योजना के मानकों के अंदर नहीं है:

बशर्ते कि यदि सिस्टम के सक्रिय होने के समय यह नोट किया जाता है कि संबंधित विभाग/कॉलोनाइजर/सोसाइटी ने लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित विद्युतीकरण योजना के अनुसार पूर्ण विद्युतीकरण कार्य निष्पादित नहीं किया है, तो कॉलोनाइजर/डेवलपर को स्वीकृत योजना के अनुसार निष्पादित किए जाने वाले शेष कार्य की अनुमानित लागत के 1.5 गुना के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। लाइसेंसधारी अपेक्षित बैंक गारंटी लिए बिना ऐसे क्षेत्रों के निवासियों को एकल बिंदु कनेक्शन या व्यक्तिगत कनेक्शन जारी नहीं करेगा।

पावर फैक्टर की पर्याप्तता और शंट कैपेसिटर की स्थापना

- 4.26 जिन उपभोक्ताओं की अनुबंधित मांग 20 किलोवाट और उससे अधिक की है, उन्हें शंट कैपेसिटर जैसे पीएफ सुधार उपकरण स्थापित करने होंगे। उपभोक्ता सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उपकरण यदि पहले से स्थापित नहीं हैं तो इस आपूर्ति संहिता, 2023 की अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित समय के अनुसार स्थापित किए जाएंगे:

- क) घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर 50 किलोवाट और उससे अधिक की अनुबंध मांग: छह महीने (06) महीने की अवधि के अंदर पीएफ सुधार उपकरण स्थापित किया जाना है।

- ख) 20 किलोवाट से 50 किलोवाट की अनुबंध मांग और 25 किलोवाट से अधिक अनुबंध मांग वाले घरेलू उपभोक्ता: पीएफ सुधार उपकरण बारह (12) महीनों की अवधि के अंदर स्थापित किया जाना है।
- 4.27 उपरोक्त विनियम 4.26 में निर्दिष्ट सभी एलटी उपभोक्ताओं को 3 फेज आपूर्ति प्राप्त करने के संबंध में अपनी स्थापना के संबंध में कम से कम 0.85 के पावर फैक्टर (लैगिंग) को बनाए रखना होगा। सभी एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं को 0.95 और उससे अधिक का पावर फैक्टर (लैगिंग) बनाए रखना चाहिए। लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए मीटरों में पावर फैक्टर मापने की सुविधा होगी और उपभोक्ताओं के बिलों में वास्तविक पावर फैक्टर भी दर्शाया जाएगा।
- 4.28 25 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर यदि एलटी उपभोक्ताओं द्वारा पावर फैक्टर 0.85 (लैगिंग) पर और एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं द्वारा 0.95 (लैगिंग) पर बनाए नहीं रखा जाता है, तो टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। यदि घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर एलटी उपभोक्ताओं के मामले में पावर फैक्टर 0.80 (लैगिंग) से कम हो जाता है और एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं के मामले में 0.90 (लैगिंग) हो जाता है, तो बिजली के सुधार के लिए लाइसेंसधारी द्वारा 60 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। 60 दिनों की नोटिस अवधि के बाद भी, यदि पावर फैक्टर में सुधार नहीं होता है, तो लाइसेंसधारी यह उल्लेख करते हुए डिस्कनेक्शन नोटिस दे सकता है कि यदि 30 दिनों के अंदर पावर फैक्टर में सुधार नहीं होता है, तो लाइसेंसधारी आपूर्ति काट सकता है।
- 4.29 पावर फैक्टर जुर्माना और प्रोत्साहन आयोग द्वारा टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 4.30 पावर फैक्टर जुर्माना /प्रोत्साहन के साथ-साथ न्यूनतम निर्धारित पावर फैक्टर को बनाए नहीं रखने के कारण पावर फैक्टर में सुधार और आपूर्ति के विच्छेदन के लिए नोटिस केवल लाइसेंसधारी द्वारा मापे गए वास्तविक पावर फैक्टर के आधार पर लागू होगा और उपभोक्ता के बिल में दर्शाया जाएगा।
- 4.31 वितरण लाइसेंसधारी किसी ऐसे आवेदक को विद्युत आपूर्ति प्रारंभ नहीं करेगा जिसके लिए विनियम 4.26 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक विद्युत लोड की आवश्यकता है, जब तक कि उपभोक्ता संस्थापन को उपयुक्त और पर्याप्त पावर फैक्टर सुधारात्मक उपकरण प्रदान नहीं किया जाता है।
- 4.32 उपभोक्ता अपनी लागत पर पर्याप्त रेटिंग के वितरण लाइसेंसधारी (आईएस मानकों के अनुसार) द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं की सूची से किसी भी मेक का अपना शंट कैपेसिटर खरीदेगा। वितरण लाइसेंसधारी को निर्माता का परीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद उपभोक्ता इसे स्थापित करेगा। उपभोक्ता वैकल्पिक रूप से वितरण लाइसेंसधारी से अपनी स्थापना के लिए आवश्यक भुगतान के अधीन शंट कैपेसिटर स्थापित करने का अनुरोध कर सकता है और वितरण लाइसेंसधारी पर्याप्त रेटिंग के शंट कैपेसिटर को स्थापित करेगा यदि इसके साथ उपलब्ध हो। वितरण लाइसेंसधारी, उपभोक्ताओं के अनुरोध पर, शंट कैपेसिटर की उपयुक्त रेटिंग और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पैनल में सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के नामों का उल्लेख करेगा।
- 4.33 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आवेदक/उपभोक्ता की लागत पर स्थापित शंट कापेसिटर आवेदक/उपभोक्ता की संपत्ति होगी जिसके द्वारा उसका रख-रखाव किया जाएगा। यदि स्थापित कापेसिटर क्षतिग्रस्त है या गायब पाया जाता है, तो इसे उपभोक्ता द्वारा उसकी लागत पर बदला जाएगा या वितरण लाइसेंसधारी इसे उपभोक्ता की कीमत पर बदल सकता है यदि लाइसेंसधारी के पास पर्याप्त रेटिंग के कैपेसिटर उपलब्ध हैं।

अध्याय 5: नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया और मौजूदा कनेक्शन के अनुसार संशोधन

आपूर्ति करने के लिए लाइसेंसधारी का दायित्व

- 5.1 लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी या काबिज के आवेदन पर, इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 में निर्दिष्ट समय के अंदर ऐसे परिसरों को बिजली की आपूर्ति करेगा, बशर्ते कि:
- (1) बिजली की आपूर्ति तकनीकी रूप से संभव है। जहां यह व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, लाइसेंसधारी जल्द से जल्द व्यवहार्यता में सुधार करने का प्रयास करेगा और इस आपूर्ति कोड विनियम 2023 के अनुसार कनेक्शन जारी करेगा।
 - (2) आवेदक ने इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया है; तथा
 - (3) आवेदक इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 में निर्दिष्ट आपूर्ति और सेवाओं की लागत को वहन करने के लिए सहमत है।
- 5.2 आपूर्ति और वोल्टेज की व्यवस्था इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 के विनियम 4.6 के अधीन, विनियम 4.1 और 4.3 में दिए गए विवरण के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी और लोड पर निर्भर करेगी।
- 5.3 लाइसेंसधारी अपने वितरण नेटवर्क से आवेदित कनेक्शन की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगा और आवेदन प्राप्त होने के 5 कार्य दिवसों के अंदर निरीक्षण करेगा।

- 5.4 यदि कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के 10 (दस) दिनों के अंदर जो आपूर्ति संहिता विनियम 2023 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक नहीं होगा लिखित रूप में कारण बताते हुए और कनेक्शन प्रदान करने में लगने वाले अनुमानित समय के बारे में सूचित करेगा; बशर्ते कि मौजूदा नेटवर्क से 2 किलोवाट तक के किसी भी कनेक्शन को केवल घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए तकनीकी आधार पर विलंबित नहीं किया जा सकता है और ऐसे कनेक्शन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, 2 किलोवाट से अधिक लोड के लिए लाइसेंसधारी आपूर्ति कोड विनियम 2023 में निर्दिष्ट मौजूदा नेटवर्क के वृद्धि (यदि आवश्यक हो) के बाद कनेक्शन प्रदान करेगा।
- 5.5 यदि इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद कनेक्शन में देरी हो रही है, तो आवेदक लाइसेंसधारी के जोनल/जिला कार्यालयों में या टेलीफोन के माध्यम से या लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर या के माध्यम से केंद्रीकृत कॉल सेंटर/शिकायत केंद्र पर शिकायत दर्ज कर सकता है। इन केंद्रों का संपर्क विवरण बिजली बिल पर मुद्रित किया जाएगा, बिल संग्रह केंद्रों पर प्रदर्शित किया जाएगा और लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लाइसेंसधारी इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 महीने की अवधि के अंदर कॉल सेंटर/शिकायत केंद्र बनाएगा, यदि पहले से नहीं बनाया गया है।
- 5.6 उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान बनाने के लिए लाइसेंसधारी एक (1) वर्ष की अवधि के अंदर आवश्यक ऑनलाइन आधारभूत संरचना तैयार करेगा। एक बार लाइसेंसधारी द्वारा ऑनलाइन बुनियादी ढांचा तैयार करने के बाद, लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर नए कनेक्शन के लिए आवेदन की मासिक अपडेट स्थिति प्रदर्शित करेगा।
- 5.7 उपरोक्त अध्याय 4 के अंतर्गत निहित कोई भी प्रावधान वितरण लाइसेंसधारी को किसी भी परिसर में बिजली की आपूर्ति करने की आवश्यकता के रूप में नहीं लिया जाएगा यदि इसे भारी हिमपात, चक्रवात, बाढ़, तूफान और अन्य नियंत्रण से बाहर की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा बाधित किया जाता है।

वितरण प्रणाली का विस्तार करने के लिए लाइसेंसधारी का दायित्व और लागत में उपभोक्ता का हिस्सा

- 5.8 लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए इसकी वितरण प्रणाली को उन्नत, विस्तारित और मजबूत किया गया है। जहां कहीं सब-स्टेशन के सिरे पर मौजूदा क्षमता अपनी क्षमता के 70% तक लोड की हो जाती है, तो लाइसेंसधारी (एन -1) आकस्मिकता में फैक्टरिंग के बाद ऐसी परिवर्तन क्षमता के संवर्धन के लिए एक योजना तैयार करेगा। लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक सब-स्टेशन के लिए परिवर्तन क्षमता की मासिक अपडेट स्थिति प्रदर्शित करेगा।
- 5.9 लाइसेंसधारक मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण/उन्नयन के लिए लागत के साथ-साथ अपने वार्षिक राजस्व या लाइसेंसधारी द्वारा व्यवस्थित निधि के माध्यम से भविष्य की वृद्धि को पूरा करेगा और इस लागत की वसूली टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं से करने की अनुमति दी जाएगी जो विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगी।
- 5.10 नए कनेक्शन के सभी मामलों में, उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन शुल्क, अर्थात् वितरण मेन से आपूर्ति के बिंदु तक सेवा कनेक्शन की लागत, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, वहन करना होगा।
- 5.11 विस्तार की वास्तविक लागत की गणना में एकरूपता और सरलीकरण के लिए, लाइसेंसधारी एक रेडी रेकनर तैयार करेगा और एलटी लाइन, एचटी लाइन, विभिन्न क्षमताओं के सबस्टेशन आदि की प्रति यूनिट सामग्री लागत दिखाने के लिए आयोग द्वारा उसे अनुमोदित करवाएगा। इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 महीने के अंदर लाइसेंसधारी आयोग को सूचित करते हुए प्रत्येक वर्ष रेडी रेकनर को अपडेट करेगा।
- 5.12 यदि लागू प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए किसी नए कनेक्शन का कनेक्टेड/अनुबंधित 100 केवीए या अधिक है, तो उपभोक्ता की लागत पर पर्याप्त क्षमता का एक अलग ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन, स्विच गियर्स, मीटर और पैनल लगाने के लिए आवश्यक स्थान/कमरा उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जो लाइसेंसधारी के लिए आसानी से उपलब्ध हो:
- बशर्ते कि 100 केवीए से कम के कनेक्टेड/कॉन्ट्रैक्टेड लोड वाले किसी भी नए कनेक्शन के लिए भी, लाइसेंसधारक उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उपभोक्ता की लागत पर एक अलग ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर सकता है।
- 5.13 सेवा कनेक्शन/वितरण मेन का विस्तार, भले ही उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी। लाइसेंसधारी इसका रखरखाव अपनी लागत पर करेगा और किसी अन्य व्यक्ति को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उसी सेवा कनेक्शन / विस्तार का उपयोग करने का भी अधिकार होगा, लेकिन इस तरह के विस्तार या सेवा

कनेक्शन से उस उपभोक्ता को आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिसने विस्तार के लिए भुगतान किया था वितरण आपूर्ति नेटवर्क का और विनियम 4.14 के अनुसार मूल उपभोक्ता की सहमति के अधीन होगा।

- 5.14 जब लाइसेंसधारी वितरण मेनलाइन के विस्तार का कार्य पूर्ण करता है और आपूर्ति देने के लिए तैयार होता है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को एलटी के मामले में एक माह के अंदर तथा एचटी या ईएचटी के मामले में तीन माह के अंदर विद्युत आपूर्ति लेने के लिए नोटिस देगा। यदि उपभोक्ता नोटिस अवधि के अंदर आपूर्ति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो अनुबंध नोटिस अवधि की समाप्ति के अगले दिन से लागू होगा, और उसके बाद उपभोक्ता निर्धारित शुल्क और अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि समझौते के अनुसार लागू है।
- 5.15 आवेदक के पास उचित लाइसेंससुदा विद्युत ठेकेदार के माध्यम से लाइसेंसधारी की वितरण मेन से अपने परिसर तक एस्टीमेट के अनुसार और लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित सर्विस लाइन खिंचवाने का कार्य करवाने, और ईएचटी तथा एचटी लाइन, वितरण या एचटी स्टेशन और एलटी लाइन का कार्य लाइसेंस धारी द्वारा मंजूर लेआउट और एस्टीमेट के अनुसार उचित श्रेणी के विद्युत ठेकेदार से करवाने का विकल्प होगा। इस प्रकार के मामले में स्वयं उपभोक्ता लाइसेंसधारी द्वारा जारी निर्माताओं के पैनल में शामिल सूची में से किसी निर्माता से सामान खरीदेगा। लाइसेंसधारी प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की तसदीक करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण की मांग कर सकता है।
- 5.16 यदि उपभोक्ता स्वयं कार्य करवा रहा है, तो लाइसेंसधारी 15% की दर से सेवा कनेक्शन शुल्क को छोड़कर केवल कार्य के श्रम घटक पर पर्यवेक्षण प्रलोड ले सकता है। यदि उपभोक्ता ने सर्विस केबल/डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स उपलब्ध कराए हैं तो कोई सेवा कनेक्शन शुल्क नहीं दिया जाएगा। पर्यवेक्षण शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), यदि कोई हो, उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा।
- 5.17 उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 के अंतर्गत प्रदान की गई समय सीमा के अंदर काम करवाएगा और यदि उपभोक्ता को अधिक समय की आवश्यकता है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारी को समय के विस्तार के लिए उचित आधार के साथ प्रतिवेदन करेगा और लाइसेंसधारी उसको अपना अनुमोदन सूचित करेगा।

कनेक्शन प्रदान करने की शर्तें

- 5.18 लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर और जहां कहीं संभव हो, अपने कार्यालयों में, उस क्षेत्र/मंडल में नए कनेक्शन के लिए आवेदनों की अपडेट स्थिति, नए कनेक्शन प्रदान करने की विस्तृत प्रक्रिया, और साथ में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा। ऐसे आवेदनों के साथ आम तौर पर कोई दस्तावेज, जो इस प्रकार सूचीबद्ध नहीं किया गया है, नए कनेक्शन के लिए आवेदन प्रपत्रों को संसाधित करने के लिए आवश्यक नहीं होगा। इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 के **अनुलग्नक- XVIII** के अनुसार आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि और सर्विस लाइन की लागत को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- 5.19 अनधिकृत कॉलोनियों/क्षेत्रों या विवादित संपत्ति में रहने वाले किसी भी आवेदक को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, जहां किसी लोडतीय अदालत द्वारा प्रतिबंध/निषेध आदेश जारी किया गया है और/या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध/निषेध आदेश जारी किया गया है।

मौजूदा संपत्ति की खरीद

- 5.20 जहां आवेदक ने एक मौजूदा संपत्ति खरीदी है जिसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, यह सत्यापित करना आवेदक की ज़िम्मेदारी होगी कि पिछले मालिक ने लाइसेंसधारी को सभी देय राशि का भुगतान किया है और उससे "अदेयता प्रमाण पत्र" प्राप्त किया है। ऐसे मामले में जहां संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन से पहले पिछले मालिक द्वारा "अदेयता प्रमाण पत्र" प्राप्त नहीं किया गया है, नया मालिक ऐसे प्रमाण पत्र के लिए लाइसेंसधारी से संपर्क कर सकता है। लाइसेंसधारी ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की पावती देगा और परिसर में बकाया देय, यदि कोई हो, को लिखित रूप में सूचित करेगा, या ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर "अदेयता प्रमाणपत्र" जारी करेगा।
- 5.21 यदि लाइसेंसधारी इस समय के अंदर बकाया देय राशि की सूचना नहीं देता है या "अदेयता प्रमाणपत्र" जारी नहीं करता है, तो पिछले उपभोक्ता के बकाया देय के आधार पर परिसर के नए कनेक्शन से इनकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, लाइसेंसधारी को कानून के प्रावधानों के अनुसार पिछले उपभोक्ता से बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली करनी होगी।

उप-विभाजित संपत्ति

- 5.22 जहां एक संपत्ति को वैध रूप से उप-विभाजित किया गया है, ऐसी अविभाजित संपत्ति पर ऊर्जा की खपत के लिए बकाया देय राशि, यदि कोई हो, को ऐसी उप-विभाजित संपत्ति के क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक आधार पर

विभाजित किया जाएगा। ऐसे उप-विभाजित परिसर के किसी भी हिस्से के लिए एक नया कनेक्शन तभी दिया जाएगा जब वैध रूप से उप-विभाजित ऐसे परिसर के लिए बकाया बकाया राशि का हिस्सा आवेदक द्वारा विधिवत भुगतान किया जाएगा। एक लाइसेंसधारी आवेदक को केवल इस आधार पर कनेक्शन देने से इंकार नहीं करेगा कि ऐसे परिसर के दूसरे हिस्से पर बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, और न ही लाइसेंसधारक ऐसे आवेदकों से अन्य हिस्से (नों) के अंतिम भुगतान किए गए बिलों का रिकॉर्ड मांगेगा।

मौजूदा संपत्ति का पुनर्निर्माण

5.23 पूरे परिसर या भवन के विध्वंस और पुनर्निर्माण के मामले में, मौजूदा उपभोक्ता स्थापना को सरेंडर कर दिया जाएगा, मीटर और सर्विस लाइन को हटा दिया जाएगा और अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। उपभोक्ता की जमानत राशि लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत लौटा दी जाएगी। पुराने परिसर में सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद पुनर्निर्मित भवन के लिए एक नया कनेक्शन लिया जाएगा। ऐसे मामलों में निर्माण प्रयोजन के लिए मौजूदा कनेक्शन से अस्थायी बिजली आपूर्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। अस्थायी आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को इस आपूर्ति संहिता विनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से आवेदन करना होगा।

नया विद्युत सेवा कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया

5.24 वितरण लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर तथा अपने सभी कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निम्नलिखित को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा: -

- क) नया कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, मीटर या सर्विस लाइन की शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी में बदलाव, लोड में वृद्धि, लोड में कमी या नाम में परिवर्तन, स्वामित्व के हस्तांतरण और परिसर के स्थानांतरण आदि के लिए विस्तृत प्रक्रिया;
- ख) कार्यालयों का पता और टेलीफोन नंबर जहां भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं;
- ग) आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए वेबसाइट का पता;
- घ) आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों की पूरी सूची;
- ङ) आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले सभी लागू शुल्क।

आवेदन पत्र

5.25 आवेदक इस आपूर्ति संहिता के अनुबंध में दिए गए अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में नया कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदन करेगा:

1. नया कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदन पत्र (कम वोल्टेज) - अनुलग्नक- I
2. नया कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदन पत्र (उच्च वोल्टेज/अतिरिक्त उच्च वोल्टेज) - अनुलग्नक-II
3. बिजली आपूर्ति प्राप्त करते समय हस्ताक्षर किए जाने वाले घोषणा/शपथपत्र का प्रारूप - अनुलग्नक -III

5.26 आवेदन पत्र लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध होंगे। लाइसेंसधारी सभी आवेदन प्रपत्रों को अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क डाउनलोड के लिए भी डालेगा। आवेदक द्वारा रिक्त फॉर्म की सुपाठ्य फोटोकॉपी बनाई जा सकती है, जिसे लाइसेंसधारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। फॉर्म भरने में आवश्यक कोई भी सहायता या जानकारी लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय में आवेदकों को प्रदान की जाएगी।

5.27 लाइसेंसधारी वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, कॉल सेंटर आदि के माध्यम से नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए नए तरीके भी प्रदान करेगा, जो प्रक्रिया के दौरान उपयोगिता के साथ आवेदक के इंटरफेस को कम करता है।

5.28 नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटो, आवेदक का पहचान प्रमाण, आवेदक के स्वामित्व का प्रमाण या उस परिसर में रहने का प्रमाण होना चाहिए जिसके लिए नया कनेक्शन मांगा जा रहा है, आवेदक के वर्तमान पते का प्रमाण, और विशिष्ट मामलों में, इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.29- 5.35 में वर्णित कुछ अन्य दस्तावेज।

5.29 अप्रतिदेय पंजीकरण और प्रसंस्करण शुल्क रु. 20,000/- एचटी के लिए और रु. 1,00,000/- का शुल्क नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय ईएचटी के लिए लिया जाएगा। डिमांड नोट जारी करते समय लाइसेंसधारी द्वारा इन शुल्कों को समायोजित किया जाएगा।

5.30 निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज को पहचान के स्वीकार्य प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

यदि आवेदक एक व्यक्ति है:

1. चुनावी पहचान पत्र

2. सपोर्ट
 3. डाइविंग लाइसेंस
 4. सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
 5. पैन कार्ड
 6. ग्राम प्रधान या ग्राम स्तर के किसी सरकारी पदाधिकारी जैसे पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/प्राथमिक विद्यालय शिक्षक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी आदि से फोटो प्रमाण पत्र।
 7. आधार कार्ड।
- 5.31 निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज परिसर के स्वामित्व या कब्जे के स्वीकार्य प्रमाण के रूप में माना जाएगा:
1. पंजीकृत बिक्री विलेख या पट्टा विलेख या किराए के समझौते की प्रति और कृषि कनेक्शन के मामले में, खसरा / खतौनी / खाता नकल की एक प्रति;
 2. सामान्य पंजीकृत मुख्तारनामा;
 3. नगर पालिका/पंचायत कर की रसीद या डिमांड नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज;
 4. आवंटन पत्र;
 5. पंचायत द्वारा जारी मकान पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति/राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र;
 6. स्थानीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य स्वामित्व संबंधी दस्तावेज।
 7. एक आवेदक जो मालिक नहीं है बल्कि परिसर का कब्जाधारी है, ऊपर (1) से (6) में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक के साथ परिसर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा:
वशर्ते कि जहां एक आवेदक, जो परिसर का वैध कब्जाधारी है, एक किरायेदार या पट्टाधारक है और कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वितरण लाइसेंसधारी के पक्ष में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एक अलग क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किया जाएगा।
 8. बिना किसी विशिष्ट नगरपालिका पते वाले जेजे क्लस्टरों में या अन्य क्षेत्रों में रहने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए, लाइसेंसधारी केवल बिजली जारी करने के उद्देश्य से परिसर के कब्जाधारी के प्रमाण के रूप में एक ही पते वाले राशन कार्ड या चुनावी पहचान पत्र को स्वीकार कर सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं:
वशर्ते कि बिजली बिल केवल उपभोक्ता के कब्जे वाले परिसर में बिजली की आपूर्ति के लिए होगा और परिसर पर अधिकार या स्वामित्व के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 5.32 सभी संचार उस पते पर भेजे जाएंगे जहां कनेक्शन जारी किया गया है। हालांकि, कनेक्शन जारी होने तक, इस उद्देश्य के लिए आवेदक द्वारा दिए गए पते पर संचार भेजा जा सकता है।
- 5.33 साझेदारी फर्म के मामले में - आवेदक को आवश्यकता प्रपत्र और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आवेदक के नाम पर साझेदारी विलेख और एक प्राधिकरण प्रस्तुत करना होगा।
- 5.34 पब्लिक और/अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में - आवेदक को आवश्यकता प्रपत्र और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आवेदक के नाम पर इनकॉर्पोरेशन प्रमाण पत्र, समझौता ज्ञापन और अंतर्नियम और प्राधिकरण के लिए बोर्ड का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- 5.35 अन्य दस्तावेज जो केवल चुनिंदा उपभोक्ता श्रेणियों के लिए लागू हैं:
1. औद्योगिक उपभोक्ता: वैध औद्योगिक लाइसेंसधारी, यदि लागू हो, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग के अनुमोदन के साथ (अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक नहीं)।
 2. कृषि उपभोक्ता: सक्षम सरकारी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र;
 3. गैर-घरेलू खोखा और अस्थायी संरचना: नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/भूमि विकास प्राधिकरण/भूमि स्वामित्व एजेंसी से खोखा या अस्थायी संरचना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 4. जहां नए औद्योगिक कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन के लोड में वृद्धि के लिए प्रदूषण या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मंजूरी की आवश्यकता है, आवेदक को सक्षम प्राधिकारी से वितरण लाइसेंसधारी को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन पत्र को प्रोसेस करना

- 5.36 नए कनेक्शन की आपूर्ति जारी करने के संबंध में आवेदक द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र की सभी हार्ड कॉपी के लिए, लाइसेंसधारी संलग्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र का सत्यापन करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है, तो कमियों के संबंध में मौके पर एक लिखित नोट जारी करेगा। यदि आवेदन पत्र पूर्ण है, तो लाइसेंसधारी इसकी प्राप्ति की पावती देगा और आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर आवेदक को पंजीकरण संख्या प्रदान करेगा। यदि आवेदन वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाता है, तो लाइसेंसधारी आवेदन जमा करने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के अंदर आवेदन में कमियों के संबंध में एक लिखित नोट जारी करेगा। यदि ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो आवेदन जमा करने पर पंजीकरण संख्या के साथ पावती तैयार की जाएगी।
- 5.37 लाइसेंसधारी आवेदन रजिस्टर/डेटाबेस में प्राप्त सभी आवेदन प्रपत्रों का स्थायी रिकॉर्ड रखेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र को प्राप्त होने के क्रम में क्रमानुसार एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (पहचान के लिए) आवंटित की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग रजिस्टर/डेटाबेस बनाए रखा जा सकता है। लाइसेंसधारी प्रत्येक आवेदन पत्र के निपटान की चरण-वार स्थिति के साथ रजिस्ट्रो/डेटाबेस को अपडेट रखेगा। उपरोक्त जानकारी को लाइसेंसधारी वेबसाइट पर भी बनाए रखा जाना चाहिए और अपलोड किया जाना चाहिए जहां आवेदक आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है।
- 5.38 लाइसेंसधारी आवेदन रजिस्टर/डेटाबेस में क्रमानुसार प्राथमिकता के अनुसार "पहले आओ, पहले पाओ" के व्यापक सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक टैरिफ श्रेणी में आवेदन प्रपत्रों का निपटारा करेगा। लाइसेंसधारक नए कनेक्शन की मांग करने वाले आवेदकों की प्रतीक्षा सूची बनाए रखेगा, जारी किए गए नए कनेक्शन के बारे में क्षेत्रवार जानकारी, और प्रतीक्षा सूची की अपडेट स्थिति लाइसेंसधारी की वेबसाइट या लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर साप्ताहिक अपडेट के साथ प्रदर्शित की जाएगी।
- 5.39 एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संलग्न, पंजीकरण संख्या के साथ पावती उत्पन्न होने की तिथि पर प्राप्त माना जाएगा।
- 5.40 इस आपूर्ति संहिता के अनुबंध-XVIII के अनुसार सुरक्षा जमा सहित सभी लागू शुल्कों की प्राप्ति की तारीख को एक आवेदन प्राप्त माना जाएगा।
- 5.41 लाइसेंसधारी, आवेदन पत्र की प्राप्ति के समय, लिखित पावती के अंतर्गत आवेदक के साथ आपसी परामर्श से आवेदक के परिसर के निरीक्षण के लिए एक तिथि निर्दिष्ट करेगा। निरीक्षण की तिथि शहरी क्षेत्रों में 3 कार्य दिवसों और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 कार्य दिवसों के अंदर आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। यदि आवेदक चाहे तो 500 रुपए निरीक्षण शुल्क के भुगतान पर लाइसेंसधारी के लिए गैर-कार्य दिवस (अर्थात् रविवार, राजपत्रित अवकाश आदि) पर निरीक्षण निर्धारित किया जा सकता है।
- 5.42 यदि निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है, तो लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 31 के अंतर्गत आवेदक की उपभोक्ता स्थापना का निरीक्षण और परीक्षण आवेदक या उसके लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में करेगा। लाइसेंसधारी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 31 के अंतर्गत उसकी अपेक्षानुसार अनुलग्नक-IX में दिए गए प्रारूप में परीक्षण परिणामों का रिकॉर्ड रखेगा।
- 5.43 निरीक्षण के दौरान, लाइसेंसधारी:
1. आपूर्ति का स्थान और वह स्थान जहाँ मीटर और एमसीबी, आदि उपभोक्ता के परामर्श से स्थापित किए जाएंगे, को सुनिश्चित करेगा;
 2. वशर्ते कि सर्विस लाइन एक सुलभ स्थान पर बिछाई जाएगी और मीटर को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के अनुरूप स्थान पर इस तरह से लगाया जाएगा कि यह बारिश जैसे तत्वों से सुरक्षित रहे, और जहां इस उद्देश्य के लिए परिसर को अनलॉक या खोले बिना आसानी से पहुँचा जा सकता है;
 3. किसी भी मामले में, वितरण लाइसेंसधारी अपने उपकरण, मीटर या अपनी किसी भी संपत्ति को ऐसे स्थान पर ठीक नहीं करेगा, जिसके लिए उसके कर्मचारी द्वारा निजी परिसर में प्रवेश की आवश्यकता हो।
- परिसर का सही पूरा पता दर्ज करें, यदि आवेदन पत्र में प्रदान नहीं किया गया है, और संपत्ति के पास के स्थलों और पोल नंबर को नोट करें जहां से सर्विस कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है; तथा
- आवश्यकतानुसार आवेदन पत्र में उल्लिखित अन्य सभी विवरणों को सत्यापित करें;
- यदि निरीक्षण करने पर, लाइसेंसधारी को कोई दोष (जैसे, उपभोक्ता की स्थापना पूरी नहीं हुई, कंडक्टर/जोड़ों के नंगे सिरों को इन्सुलेट टेप से ठीक से कवर नहीं किया गया है, ऐसी प्रकृति की वायरिंग कि यह जीवन/संपत्ति के लिए खतरनाक है, आदि) पाता

है, तो लाइसेंसधारक को सूचित करना होगा। अनुलग्नक-IX में दिए गए प्रारूप में उचित रसीद के अंतर्गत आवेदक को मौके पर ही इसकी सूचना देगा।

- 5.44 आवेदक इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.43 में निर्दिष्ट दोषों की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के अंदर सभी दोषों को दूर करवाएगा और पावती के अंतर्गत लाइसेंसधारी को लिखित रूप में सूचित करेगा। यदि आवेदक ऐसे दोषों को दूर करने में विफल रहता है या लाइसेंसधारी को दोषों को दूर करने के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा। यदि आवेदक दोषों की सूचना प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के अंदर इसके लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है, तो लाइसेंसधारी आवेदक को कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकता है।
- 5.45 आवेदक से दोषों को दूर करने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी लिखित पावती के अंतर्गत आवेदक के साथ पारस्परिक परामर्श से आवेदक के परिसर के पुनः निरीक्षण के लिए एक तिथि निर्धारित करेगा। पुनर्निरीक्षण की तिथि शहरी क्षेत्रों में 3 कार्य दिवसों और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 कार्य दिवसों के अंदर ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए।
- 5.46 यदि पुनः निरीक्षण करने पर पूर्व में बताई गई कमियां बनी रहती हैं, तो लाइसेंसधारी उसे इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक-IX में दिए गए प्रारूप में पुनः दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति आवेदक या साइट पर उपलब्ध उसके अधिकृत व्यक्ति या प्रतिनिधि को सौंप देगा। आवेदन पत्र व्यपगत हो जाएगा और आवेदक को तदनुसार लिखित रूप में पावती के अंतर्गत सूचित किया जाएगा: बशर्ते कि यदि आवेदक लाइसेंसधारी की कार्रवाई या चूक से व्यथित महसूस करता है, तो आवेदक शिकायत के निवारण के लिए संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) को एक अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है:
- 5.47 यदि निरीक्षण पर कोई दोष नहीं पाया जाता है, या पुनः निरीक्षण करने पर पूर्व में देखी गई त्रुटियों को दूर कर दिया गया पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी इस आपूर्ति कोड के अनुलग्नक VIII के अनुसार निर्धारित लोड या आवेदित लोड को स्वीकृत करेगा, जो भी अधिक हो, और नीचे निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर, पावती के अंतर्गत लिखित रूप में एक मांग नोट जारी करेगा:

तालिका 2: मांग नोट जारी करने की समय-सीमा:

विवरण	आवेदन प्राप्त प्राप्त करने के बाद कार्यदिवसों की संख्या		
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	दूरस्थ क्षेत्र
वितरण मेंस का विस्तार आवश्यक नहीं है	7 कार्य दिवसों के अंदर	10 कार्य दिवसों के अंदर	10 कार्य दिवसों के अंदर
वितरण मेंस/सिस्टम का विस्तार आवश्यक है			
1. एलटी सर्विस कनेक्शन के मामले में	7 कार्य दिवसों के अंदर	10 कार्य दिवसों के अंदर	15 कार्य दिवसों के अंदर
2. एचटी सर्विस कनेक्शन के मामले में	15 कार्य दिवसों के अंदर	20 कार्य दिवसों के अंदर	30 कार्य दिवसों के अंदर
3. ईएचटी सर्विस कनेक्शन के मामले में	30 कार्य दिवसों के अंदर	45 कार्य दिवसों के अंदर	50 कार्य दिवसों के अंदर

बशर्ते कि आवेदक द्वारा आवेदक के परिसर में पाई गई कमियों/दोषों को दूर करने में लगने वाले समय को ऊपर निर्दिष्ट समय-सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां कहीं समय और लागत अनुमान के लिए प्रक्रिया में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की भागीदारी की आवश्यकता होती है, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा लिया गया समय ऊपर निर्दिष्ट समयरेखा में शामिल नहीं किया जाएगा।

5.48 मांग नोट में निम्नलिखित विवरण होंगे:

- (1) बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए किए जाने वाले कार्यों (सर्विस लाइन सहित) का विवरण;
- (2) उपर्युक्त कार्यों के लिए शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट शुल्क की अनुसूची के अनुसार किया जाना है:

बशर्ते कि यदि आवेदक स्वयं कार्य करना चाहता है, तो उसे लाइसेंसधारी के अधिकारी की देखरेख में अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित एस्टिमेट एवं लेआउट का पालन करते हुए, आवेदक लाइसेंसधारी के वितरण मेन से अपने परिसर तक 'सी' अथवा उच्चतर श्रेणी के लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार (एलईसी) के माध्यम से सर्विस लाइन खींचने का कार्य करवा सकता है और एचटी/ईएचटी लाइन, वितरण या एचटी सबस्टेशन और एलटी लाइन का विस्तारकार्य केवल 'ए' श्रेणी एलईसी के माध्यम से करवा सकता है। ऐसे मामले में उपभोक्ता सामग्री की खरीद करेगा। लाइसेंसधारी उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की खरीद के लिए पैनल में शामिल निर्माताओं की एक सूची जारी करेगा। उपभोक्ता पैनल में शामिल निर्माताओं की सूची से किसी भी मेक की सामग्री खरीद सकते हैं। उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए लाइसेंसधारी दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकता है:

बशर्ते यह कि यदि आवेदक स्वयं कार्य करवा रहा है तो लाइसेंसधारी कार्य के श्रम घटक पर 15% की दर से पर्यवेक्षण प्रभार वसूल कर सकता है। पर्यवेक्षक शुल्क पर माल और सेवा कर (जीएसटी), यदि कोई हो, आवेदक से वसूल किया जाएगा: परन्तु यदि आवेदक विस्तार कार्य स्वयं करवाना चाहता है तो आवेदक इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.53 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर कार्य करवाएगा, ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी 15 दिन का नोटिस देकर, आपूर्ति के लिए आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा

(3) सुरक्षा जमा की राशि इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक -XVIII में निर्दिष्ट के अनुसार होगी ।

5.49 आवेदक को डिमांड नोट प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर आवेदन पत्र व्यपगत हो जाएगा और आवेदक को तदनुसार लिखित रूप में पावती के अंतर्गत सूचित किया जाएगा। कनेक्शन को सक्रिय करने के लिए लाइसेंसधारक का दायित्व पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद ही उत्पन्न होगा। लाइसेंसधारी आवेदक को शुल्क के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दे सकता है, यदि आवेदक 15 दिनों की भुगतान अवधि के अंदर इसके लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

5.50 मांग पत्र इस आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर आयोग के पूर्व अनुमोदन से लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के आधार पर तैयार किया जाएगा। लाइसेंसधारी द्वारा मांग नोटों में लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों के अनुमोदन के लिए लाइसेंसधारी प्रशुल्क याचिका के साथ आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। एक बार आवेदक के लिए जारी किया गया डिमांड नोट दो महीने के लिए वैध होगा। दो महीने की अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन रद्द कर दिया गया माना जाएगा। रद्द किए गए आवेदन के लिए निर्धारित रिवाइवल शुल्क (केवल एक बार) के अनुसार मांग नोटिस विस्तार शुल्क का दोगुना होगा और लोड स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा केवल दो महीने के लिए ऐसा किया जाएगा।

5.51 उपभोक्ता द्वारा किए गए किसी भी अधिक/कम भुगतान को बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।

5.52 यदि इस आपूर्ति संहिता के अनुसार आपूर्ति के प्रावधान के लिए आवेदक के परिसर के अंदर वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना की आवश्यकता है, तो आवेदक लाइसेंसधारी को वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए आपूर्ति की अवधि के लिए अपने परिसर के अंदर एक उपयुक्त कमरा या भूमि का हिस्सा उपलब्ध कराएगा। .

5.53 आवेदन प्राप्त होने की तिथि से नया विद्युत कनेक्शन जारी करने की समग्र समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

तालिका 3: नया बिजली कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा (ऊर्जाकरण):

गतिविधि	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	दूरस्थ क्षेत्र
नया कनेक्शन/अतिरिक्त लोड जहां मौजूदा नेटवर्क से आपूर्ति प्रदान की जा सकती है	7 दिन	30 दिन	40 दिन
वृद्धि कार्य या ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है।	क) एलटी- 30 दिन	क) एलटी- 45 दिन	क) एलटी- 55 दिन
	ख) एचटी- 90 दिन	ख) एचटी- 90 दिन	ख) एचटी- 120 दिन
	ग) ईएचटी- 180 दिन	ग) ईएचटी- 180 दिन	ग) ईएचटी- 210 दिन
आपूर्ति बढ़ाने के लिए सबस्टेशन का निर्माण	मामलों के आधार पर आयोग के अनुमोदन के अनुसार		

बशर्ते कि विशिष्ट मामलों में जहां वितरण मुख्य के विस्तार के साथ विवरण के साथ अधिक समय की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारी ऊपर निर्दिष्ट समय के विस्तार के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है, ऐसे मामलों में लाइसेंसधारी उपभोक्ता को कार्यों के पूरा होने के संभावित समय के बारे में सूचित करेगा।

5.54 जहां आपूर्ति के विस्तार के लिए नए सबस्टेशन के निर्माण और कमीशन की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारी साइट निरीक्षण के 15 दिनों के अंदर आयोग को ऐसे सबस्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक समय के साथ-साथ उसके निर्माण और कमीशन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, और आयोग की स्वीकृति प्राप्त करेगा। लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अनुमोदित समयावधि के अंदर आवेदक को बिजली की आपूर्ति शुरू करेगा:

बशर्ते कि जहां ऐसा सबस्टेशन आयोग द्वारा अनुमोदित निवेश योजना में शामिल है, लाइसेंसधारी को आयोग से कोई और अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसी निवेश योजना में निर्दिष्ट समय अवधि के अंदर ऐसे सबस्टेशन का निर्माण पूरा करेगा:

परन्तु बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां सब-स्टेशन को किसी उपभोक्ता को आपूर्ति प्रदान करना है , लाइसेंसधारी आवेदक से मांग पत्र के एवज में आवश्यक भुगतान प्राप्त होने के बाद ही सबस्टेशन का निर्माण प्रारंभ करेगा।

- 5.55 लाइसेंसधारी को आपूर्ति के विस्तार में देरी, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, यदि वह रास्ते के अधिकार, भूमि के अधिग्रहण, या उपभोक्ता के दायित्व में देरी से संबंधित समस्याओं के कारण है, जिस पर लाइसेंसधारी का कोई उचित नियंत्रण नहीं है।
- 5.56 यदि आवेदक ने विस्तार कार्य स्वयं करने का विकल्प चुना है, तो आवेदक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार स्व-प्रमाणन या परीक्षण की प्रक्रिया का पालन करना होगा।
बशर्ते कि यदि विद्युत अधिष्ठापन 11 केवी से अधिक है, तो आपूर्ति शुरू होने से पहले विद्युत निरीक्षक द्वारा इसका निरीक्षण करना आवश्यक होगा।
- 5.57 वितरण लाइसेंसधारी अद्वितीय पंजीकरण संख्या के आधार पर एक एप्लिकेशन ट्रेकिंग तंत्र विकसित करेगा जिसे वेब-आधारित एप्लिकेशन या मोबाइल ऐप या एसएमएस के माध्यम से या किसी अन्य मोड द्वारा आवेदन की प्राप्ति और आवेदन की प्रक्रिया की स्थिति, साइट निरीक्षण, मांग पत्र जारी करना, बाहरी कनेक्शन, मीटर स्थापना और बिजली प्रवाह आदि की निगरानी के लिए ट्रैक किया जा सकता है।
- 5.58 यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी उपरोक्त तालिका 3 में निर्दिष्ट अवधि के अंदर बिजली की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो वह डिफॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये (पांच सौ रुपये केवल) के दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

बहु-उपभोक्ता परिसर को आपूर्ति की प्रक्रिया

- 5.59 बहु-उपभोक्ता परिसरों के मामले में, जैसे समूह आवास, शोरूम (दुकान और कार्यालय एससीओ), आदि, मांगा गया नया कनेक्शन अधिमानतः एकल बिंदु पर एलटी पर एकल मीटर के साथ प्रदान किया जाएगा यदि लोड 100 केवीए तक है और यदि एचटी पर लोड 100 केवीए से अधिक है। नया कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पूरा विद्युत ढांचा पूरा नहीं हो जाता। लाइसेंसधारी समस्त आंतरिक विद्युत अवसंरचना के भौतिक स्थापन तथा विनियम 5.36 की शर्तों को पूरा करने के बाद ही नए कनेक्शन का विद्युतीकरण सुनिश्चित करेगा। हालांकि, यह व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी परिसर के मालिक या कब्जाधारी को प्रतिबंधित नहीं करेगा और लाइसेंसधारी ऐसे व्यक्तिगत कनेक्शन को मंजूरी देगा। एकल एलटी/एचटी कनेक्शन या व्यक्तिगत कनेक्शन रखने का विकल्प, जो एक बार कनेक्शन जारी करने से पहले प्रयोग किया जाता है, परिचालन समस्या के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है।

यदि लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित किसी कनेक्शन का कनेक्टेड/अनुबंधित लोड 100 केवीए से अधिक होने का अनुमान है, तो उपभोक्ता की लागत पर पर्याप्त क्षमता का एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, स्विच गियर, मीटर और पैनल रखने के लिए आवश्यक स्थान/कमरा उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जो लाइसेंसधारी के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।

100 केवीए से कम कनेक्टेड/कॉन्ट्रैक्टेड लोड के साथ किसी भी नए कनेक्शन के लिए, लाइसेंस उपभोक्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उपभोक्ता की लागत पर एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकता है।

यदि बहु-उपभोक्ता परिसर में उपभोक्ताओं ने व्यक्तिगत कनेक्शन का लाभ उठाया है, तो सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, पानी के पंप आदि के लिए ऊर्जा की खपत के लिए अलग कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, और ऐसे कनेक्शन की खपत को संबंधित टैरिफ श्रेणी के उच्चतम स्लैब पर बिल किया जाएगा

पन्द्रह मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बहुमंजिला भवन के लिए 11 केवी से अधिक के सभी कनेक्शनों के लिए, समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कनेक्शन जारी किया जाएगा।

- 5.60 ऐसे मल्टी कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स के लिए बिल्डर/डेवलपर/सोसाइटी/ओनर्स एसोसिएशन। समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के मौजूदा नेटवर्क से सेवा कनेक्शन शुल्क, अर्थात् सेवा कनेक्शन की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

नोट: डेवलपर/बिल्डर/सोसाइटी/ओनर्स एसोसिएशन में सरकारी, स्थानीय निकाय या निजी एजेंसी शामिल है जो बहु-उपभोक्ता परिसर का निर्माण करती है।

- 5.61 उपभोक्ता के परामर्श से मीटर की स्थापना के लिए स्थान इस आपूर्ति संहिता के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार तय किया जाना चाहिए।
- 5.62 सामान्य सुविधाओं जैसे लिफ्ट, पानी के पंप आदि के लिए कनेक्शन बिल्डर/डेवलपर/सोसाइटी/ओनर्स एसोसिएशन के नाम दिया जाएगा।

- 5.63 यदि मूल अनुमोदित योजना बहु-उपभोक्ता परिसर के लिए है, लेकिन बिल्डर/डेवलपर/सोसाइटी/उपभोक्ता इसके एक हिस्से के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो कनेक्शन इसे बहु-उपभोक्ता परिसर के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- 5.64 यदि कोई भवन बहु-उपभोक्ता परिसर की श्रेणी में आता है और यदि ऐसे भवन को आपूर्ति देने के लिए पर्याप्त क्षमता का पृथक वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक है, जो पहले प्रदान नहीं किया गया था, तो यह बिल्डर/डेवलपर की कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। /समाज उपभोक्ता। वैकल्पिक रूप से, यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवश्यक पाया जाता है, तो मौजूदा 11/0.4 केवी सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए बिल्डर/डेवलपर/सोसाइटी/उपभोक्ता अतिरिक्त लागत वहन करेंगे।
- 5.65 बहु-उपभोक्ता परिसरों को बिजली की आपूर्ति के लिए बिल्डर/डेवलपर/सोसाइटी उपभोक्ता से मांग प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी इस आपूर्ति कोड के अनुसार आपूर्ति का विस्तार करेगा।

कृषि/सिंचाई पंप सेटों की आपूर्ति की प्रक्रिया

- 5.66 कृषि/सिंचाई पंप सेटों को आपूर्ति देने के लिए, जहां वितरण मेन के विस्तार और/या वितरण ट्रांसफार्मर के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, खंड 5.24 से 5.58 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- 5.67 कृषि/सिंचाई पंप सेट की आपूर्ति एक समय पर किसी पंजीकृत सहकारी समिति या लाइसेंसधारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसानों के समूह को भी दी जा सकती है।
- 5.68 यदि परिसर के निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि वितरण मेन का विस्तार या वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि या अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर आदि प्रदान करना आवश्यक है, तो लागत के अनुसार आवश्यक अनुमान- डेटा तैयार किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वितरण लाइसेंसधारी अपनी लागत पर 33/11 केवी सहित वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक संपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण, वृद्धि और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। पंप सेटों के विद्युतीकरण का कार्य इस आपूर्ति संहिता में निर्धारित अवधि के अंदर उपभोक्ता द्वारा सूचित राशि जमा करने के बाद शुरू किया जाएगा और पूरा किया जाएगा। नया कनेक्शन पहले आओ पहले पाओ के व्यापक सिद्धांत पर दिया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के 7 कार्य दिवसों के अंदर, लाइसेंसधारी उपभोक्ता के संस्थापन के परीक्षण की तिथि की सूचना देगा तथा उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग का निरीक्षण करेगा। यदि लाइसेंसधारी संतुष्ट है, तो निरीक्षण के 3 कार्य दिवसों के अंदर कनेक्शन दिया जाएगा।
- 5.69 एक कृषि उपभोक्ता, यदि ऐसा चाहता है, तो अपने परिसर के अंदर अपने कनेक्शन के स्थान को लाइसेंसधारी के अनुमोदन से, शुल्क के भुगतान के बाद, यदि कोई हो, स्थानांतरित कर सकता है।

सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति के लिए प्रक्रिया

- 5.70 नई या अतिरिक्त सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटों (सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट के संदर्भ में जिसे यहाँ पर 'स्थानीय निकाय' कहा गया है) के बिजली आपूर्ति के लिए नगर निगम या नगर पालिका या नगर बोर्ड या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या सरकारी विभाग या रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी अन्य संगठन द्वारा अनुरोध को लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5.71 सार्वजनिक रोशनी की मांग के साथ स्थानीय निकाय का प्रस्ताव और जहाँ स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, मौजूदा या नए खंभों की संख्या को दर्शाने वाला स्केच होना चाहिए।
- 5.72 फिटिंग, ब्रैकेट या कोई विशेष फिटिंग प्रासंगिक बीआईएस विनिर्देशों या इसके समकक्ष के अनुसार होगी, और प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक मंजूरी ली जाएगी। स्थानीय निकाय सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटों में पूर्ण फिटिंग और ब्रैकेट सहित बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की पूरी लागत वहन करेगा। यदि कोई विशेष फिटिंग प्रदान की जानी है, तो स्थानीय निकाय इसकी व्यवस्था करेगा।
- 5.73 लाइसेंसधारी आवेदन की तारीख से 20 दिनों के अंदर विस्तार की लागत को लिखित रूप में सूचित करेगा। स्थानीय निकाय द्वारा राशि जमा करने एवं अनुबंध के निष्पादन के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- 5.74 लाइसेंसधारी द्वारा ऊर्जा मीटर और स्ट्रीटलाइट स्विच/एमसीबी/टाइमर रखने के लिए एक उपयुक्त डबल कम्पार्टमेंट वेदर प्रूफ मेटल बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.75 स्ट्रीट लाइट फिटिंग के रखरखाव और बदलने और स्ट्रीट लाइट को चालू और बंद करने की जिम्मेदारी नगर निकाय/स्थानीय निकाय की होगी। तथापि, लाइसेंसधारी भुगतान के आधार पर स्ट्रीट लाइट फिक्स्चर का अनुरक्षण कर सकता है। ऐसे अनुरक्षण शुल्कों को विविध प्रभागों की अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
- 5.76 सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सभी नए इंस्टॉलेशन, जो इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के बाद स्थापित किए जाएंगे, अनिवार्य रूप से ऊर्जा कुशल लैंप होंगे।

अस्थायी आपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया

- 5.77 अस्थायी कनेक्शन एक बार में अधिकतम तीन (3) महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है:
- बशर्ते कि भवनों (आवासीय और गैर-आवासीय दोनों) के निर्माण के मामले में, जहां समान या अन्य ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, अस्थायी आपूर्ति कनेक्शन दो साल की अवधि के लिए दिया जाएगा, जो आवश्यक हो तो आगे बढ़ाया जाएगा:
- बशर्ते कि जब भवन/परियोजना का कोई भाग प्रभावी रूप से पूर्ण हो गया हो और संभावित कबजाधारी को कब्जा देने की पेशकश की गई हो, तो ऐसे भवन/भाग का विकासकर्ता/कबजाधारी लाइसेंसधारी को स्थायी कनेक्शन के लिए प्रभावी समापन/कब्जे की तारीख से एक महीने के अंदर आवेदन करेगा। इस तरह के प्रभावी समापन/कब्जे के प्रस्ताव की तारीख के तीन महीने के अंदर अस्थायी कनेक्शन को हटा दिया जाएगा।
- 5.78 एलटी कनेक्शनों के लिए जहां कहीं तकनीकी रूप से संभव हो, प्रीपेड मीटर के माध्यम से अस्थायी कनेक्शन दिया जा सकता है।
- 5.79 लाइसेंसधारी 24 घंटे की अवधि के अंदर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी आपूर्ति दे सकता है:
- (1) यदि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है;
- (2) लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित और आयोग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर।
- 5.80 आवेदक इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.25 से 5.35 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ साथ अनुबंध I या II (जैसा लागू हो) में निर्धारित प्रारूप में अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन करेगा और यदि आपूर्ति की आवश्यकता स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले स्थान है तो स्थानीय प्राधिकार से अज्ञापनी प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करेगा और विविध शुल्कों के रूप में आयोग द्वारा अनुमोदित अग्रिम राशि जमा करवाएगा। इस अग्रिम को कार्यों की अनुमानित लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा:
- बशर्ते कि उस परिसर/स्थान में जहां 100 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना है, अस्थायी आपूर्ति की आवश्यकता होने पर, आवेदक अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों का पालन करेगा:
- बशर्ते यह भी कि यदि कनेक्शन को चालू करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई परमिट/एनओसी वापस ले लिया जाता है, तो आपूर्ति को तुरंत काट दिया जाएगा और परमिट/एनओसी बहाल होने के बाद ही फिर से जोड़ा जाएगा।
- 5.81 लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.36 से 5.58 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा।
- 5.82 निरीक्षण के दौरान लाइसेंसधारी आवेदित कनेक्शन की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगा। यदि कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद एलटी के लिए 7 कार्य दिवसों और एचटी/ईएचटी कनेक्शन के लिए 15 कार्य दिवसों के अंदर लिखित रूप में आवेदक को इसके लिए कारण बताते हुए सूचित करेगा। हालांकि, तकनीकी आधार पर 20 किलोवाट तक के किसी भी कनेक्शन में देरी नहीं की जाएगी।
- 5.83 यदि निरीक्षण/पुनर्निरीक्षण पर, कनेक्शन व्यवहार्य पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.48 के अनुसार, बिजली के लिए अग्रिम शुल्क के अनुमान सहित, इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.47 में विनिर्दिष्ट है। समय-सीमा के अंदर आवेदित लोड को मंजूरी देगा और एक डिमांड नोट जारी करेगा।
- 5.84 आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि लाइसेंसशुदा विद्युत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ परीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा जिसने स्थापना की थी। यदि लाइसेंसधारी संतुष्ट है, तो लाइसेंसधारी मौके पर ही लिखित पावती जारी करेगा।
- 5.85 यदि लाइसेंसधारी संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक को उपभोक्ता संस्थापन में त्रुटियों/कमी की पावती के अंतर्गत मौके पर ही लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। आवेदक, दोषों के सुधार के बाद, लाइसेंसधारी को लिखित रूप में सूचित करेगा जिसके बाद लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.84 में निर्धारित प्रक्रिया का फिर से पालन करेगा।
- 5.86 उपभोक्ता स्थापना के पुनः परीक्षण के बाद और निर्धारित शुल्क का भुगतान (लाइसेंसधारी द्वारा पहले परीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षण में पाए गए दोषों/कमियों के कारण बाद के परीक्षणों से शुल्क लिया जाएगा), यदि उपभोक्ता स्थापना है लाइसेंसधारी द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर लाइसेंसधारी मौके पर ही लिखित पावती जारी करेगा।

- 5.87 आवेदक द्वारा अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए अनुमानित लागत और अग्रिम शुल्क जमा करने और उपभोक्ता स्थापना के संतोषजनक परीक्षण के बाद, आवेदन पत्र में इंगित आवश्यकता की तारीख तक या नीचे दी गई समय सीमा जो भी बाद में है, के अनुसार अस्थायी कनेक्शन जारी किया जाएगा।

तालिका 4: अस्थायी कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा:

गतिविधि	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	दूरस्थ क्षेत्र
जहां वर्तमान नेटवर्क से सप्लाई प्रदान की जा सकती है	5 दिन	10 दिन	15 दिन
जहां नेटवर्क के विस्तार/संशोधन के बाद सप्लाई प्रदान की जा सकती है	क) एलटी-30 दिन ख) एचटी- 90 दिन ग) ईएचटी- 120 दिन	क) एलटी-45 दिन ख) एचटी-120 दिन ग) ईएचटी-150 दिन	क) एलटी-60 दिन ख) एचटी- 145 दिन ग) ईएचटी- 180 दिन

- 5.88 यदि परिसर में बकाया देय है, तब तक अस्थायी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा जब तक कि उपभोक्ता द्वारा ऐसी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
- 5.89 अस्थायी आपूर्ति की अवधि समाप्त होने और आपूर्ति काट दिए जाने के बाद, लाइसेंसधारी वास्तविक खपत के आधार पर अंतिम बिल तैयार करेगा। उपभोग जमानत राशि, अदत्त देय राशियों को समायोजित करने के बाद, लाइसेंसधारी द्वारा वापस की जाएगी। सामग्री (मीटर, ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेटर, आदि) को किसी भी तरह की क्षति और निराकरण शुल्क, जो सामग्री सुरक्षा के 10% से अधिक नहीं होगा, की कटौती के बाद सामग्री के लिए जमानत राशि भी वापस की जाएगी। इन प्रतिभूतियों की वापसी विच्छेदन की तारीख से 15 दिनों के अंदर की जाएगी, ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी आयोग द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार विलंबित भुगतान सरचार्ज के बराबर दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 5.90 अस्थायी आपूर्ति की अवधि के विस्तार के लिए, उपभोक्ता अस्थायी आपूर्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम 7 कार्य दिवस पहले लाइसेंसधारी को लिखित रूप में आवेदन करेगा। लाइसेंसधारी विस्तार प्रदान कर सकता है और लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के अंदर उपभोक्ता को विस्तार की अवधि के लिए अग्रिम बिजली शुल्क का डिमांड नोट भेज सकता है। उस लोड के लिए अस्थायी आपूर्ति की अवधि बढ़ाने के लिए किसी नई व्यवहार्यता रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.91 आवेदक शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति शुरू होने की मूल रूप से स्वीकृत तिथि से कम से कम 4 दिन पहले लाइसेंसधारी को आवेदन करके, मंजूरी की तारीख से 90 दिनों तक अस्थायी आपूर्ति का लाभ उठाने की तारीख बढ़वा सकता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 8 दिन पहले आवेदन करके बढ़वा सकता है। यदि कोई व्यक्ति, कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद, अपना आवेदन वापस लेता है या आपूर्ति लेने से इनकार करता है, तो आवेदन प्रसंस्करण शुल्क, यदि कोई हो, को जब्त कर लिया जाएगा।
- 5.92 अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने से आवेदक के पक्ष में स्थायी कनेक्शन का दावा करने का अधिकार नहीं बनता है, जो अधिनियम और इस आपूर्ति संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

मौजूदा कनेक्शनों में संशोधन की प्रक्रिया

आवेदन पत्र

- 5.93 आवेदक इस आपूर्ति संहिता के अनुबंध में दिए गए प्रारूप में मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए आवेदन करेगा:

- (1) स्वामित्व/कब्जाधारी में परिवर्तन के कारण पंजीकृत ग्राहक के नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक IV
- (2) कानूनी उत्तराधिकारी को स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक V
- (3) सेवाओं के परिवर्तन/उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन/परिसर के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक VI
- (4) लोड बढ़ाने/घटाने के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक VII

- 5.94 आवेदन पत्र अंग्रेजी और हिंदी में लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। लाइसेंसधारी सभी आवेदन प्रपत्रों को अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क डाउनलोड के लिए भी डालेगा। एक खाली फॉर्म की सुपाठ्य फोटोकॉपी उपभोक्ता द्वारा बनाई जा सकती है और लाइसेंसधारी द्वारा स्वीकार की जाएगी। लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर उन कार्यालयों का पता और टेलीफोन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा जहां भरा हुआ आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है।

लाइसेंसधारी प्रत्येक कार्यालय में आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र में कार्यालयों के पते और टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित करेगा जहां उस विशेष क्षेत्र से संबंधित भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म भरने में आवश्यक कोई भी सहायता या जानकारी लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय में आवेदकों को प्रदान की जाएगी।

- 5.95 लाइसेंसधारी वेबसाइट, कॉल सेंटर आदि के माध्यम से नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए ऐसे अवसर प्रदान करेगा या प्रदान करेगा, जो प्रक्रिया के दौरान उपयोगिता के साथ आवेदक के इंटरफेस को कम करता है।
- 5.96 इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.30 के अनुसार मौजूदा कनेक्शन में परिवर्तन के लिए सभी आवेदन पत्रों के साथ आवेदक का पहचान पत्र होना चाहिए, यदि कनेक्शन आवेदक के नाम पर पंजीकृत है; या उस व्यक्ति से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) (कानूनी उत्तराधिकारी और संपत्ति के खरीदार द्वारा नाम परिवर्तन के लिए आवेदक के अलावा) जिसके नाम पर कनेक्शन पंजीकृत है, यदि आवेदक के नाम पर कनेक्शन पंजीकृत नहीं है।

आवेदन पत्र प्रसंस्करण

- 5.97 लाइसेंसधारी संलग्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र का सत्यापन करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है तो आवेदन पत्र में कमियों के संबंध में मौके पर ही एक लिखित नोट जारी करेगा। यदि आवेदन पत्र पूर्ण है, तो लाइसेंसधारी इसकी प्राप्ति की सूचना मौके पर ही देगा।
- 5.98 लाइसेंसधारी आवेदन रजिस्टर/डेटाबेस में प्राप्त सभी आवेदन प्रपत्रों का स्थायी रिकॉर्ड रखेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र को प्राप्त होने के क्रम में एक स्थायी आवेदन संख्या (पहचान के लिए) क्रमानुसार आवंटित की जाएगी। लाइसेंसधारी प्रत्येक आवेदन पत्र के निपटान की चरण-वार स्थिति के साथ रजिस्ट्रों/डेटाबेस को अपडेट रखेगा। लाइसेंसधारी आवेदन रजिस्टर/डेटाबेस में क्रमानुसार प्राथमिकता के अनुसार "पहले आओ, पहले पाओ" के व्यापक सिद्धांत के आधार पर आवेदन पत्रों का निपटारा करेगा।
- 5.99 एक आवेदन पत्र उपभोक्ता से सप्लाई की मांग प्राप्त होने की तिथि को प्राप्त हुआ माना जाएगा, जो सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए।
- 5.100 इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक XVIII के अनुसार सुरक्षा जमा सहित सभी लागू शुल्कों की प्राप्ति की तारीख को एक आवेदन प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 5.101 लाइसेंसधारी मौजूदा कनेक्शन में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रपत्रों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संसाधित करेगा।

कनेक्शन का स्थानांतरण

- 5.102 उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना वितरण लाइसेंसधारी के साथ निष्पादित समझौते के लाभों को असाइन, ट्रांसफर या विभाजित नहीं करेगा और न ही किसी भी तरह से आंशिक या अलग हित आबंटित या सर्जित नहीं करेगा।
- 5.103 उपभोक्ता की मृत्यु या परिसर के स्वामित्व या कब्जे में परिवर्तन होने पर, अनुलग्नक IV या V (जैसा लागू हो) में दिए गए निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र दाखिल करने पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन स्थानांतरित किया जा सकता है।
बशर्ते कि नाम के इस तरह के परिवर्तन से आवेदक को वर्तमान स्थान से कनेक्शन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.104 लाइसेंसधारी संपत्ति के स्वामित्व/अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन से संबंधित आवेदनों पर नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(1) इस आपूर्ति संहिता, 2023 के अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता के नाम के परिवर्तन के लिए नवीनतम बिल के भुगतान की एक प्रति के साथ विधिवत आवेदन करेगा। कनेक्शन के हस्तांतरण के अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित कनेक्शन के वीरुद्ध वसूली योग्य सभी देय राशि का निपटान नहीं किया जाता है। संपत्ति के स्वामित्व/अधिभोग का प्रमाण दिखाने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।

(2) पूर्ववर्ती उपभोक्ता के नाम की जमानत राशि आवेदक के नाम पर हस्तांतरित मानी जाएगी और यदि उपभोक्ता समान लोड के साथ जारी रहता है तो कोई अतिरिक्त सुरक्षा जमा नहीं लिया जाएगा।

बशर्ते यह कि ऐसे मामलों में, यदि संपत्ति कई मालिकों के नाम पर स्थानांतरित की जा रही है, तो कनेक्शन पहले मालिक के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा:

वशर्ते यदि कनेक्शन को दूसरे सह-मालिक के नाम पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जाता है, तो अन्य सह-मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसे स्वीकार किया जाएगा:

वशर्ते यह भी कि यदि संपत्ति के अन्य सह-मालिक, दो तक, बिजली कनेक्शन के लिए अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वे नाम परिवर्तन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।

(3) उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन आवेदन पत्र की स्वीकृति के बाद दो बिलिंग साइकलों के अंदर किया जाएगा।

5.105 लाइसेंसधारी उपभोक्ता के नाम को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने से संबंधित आवेदनों पर नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा:

(1) आवेदक इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन के लिए नवीनतम बिल के भुगतान की एक प्रति के साथ विधिवत आवेदन करेगा। आवेदन पत्र पंजीकृत वसीयत/विलेख, उत्तराधिकार/कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, नगरपालिका/भूमि अभिलेखों में उत्परिवर्तन या कानूनी उत्तराधिकार का कोई अन्य प्रमाण दिखाने पर स्वीकार किया जाएगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.93 से 5.101 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा।

वशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में, यदि संपत्ति कई मालिकों के नाम पर स्थानांतरित की गई है, तो कनेक्शन पहले मालिक के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा:

वशर्ते यह भी कि यदि संपत्ति के अन्य सह-मालिक, दो तक, बिजली कनेक्शन के लिए अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वे नाम परिवर्तन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।

(2) मूल उपभोक्ता के नाम पर लाइसेंसधारी के पास सुरक्षा जमा उसके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित की जाएगी, जिसे कनेक्शन स्थानांतरित किया जाना है और यदि उपभोक्ता समान लोड के साथ जारी रहता है तो कोई अतिरिक्त सुरक्षा जमा नहीं लिया जाएगा।

वशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में, यदि संपत्ति कई मालिकों के नाम पर स्थानांतरित की गई है, तो कनेक्शन पहले मालिक के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा:

वशर्ते यह भी कि यदि संपत्ति के अन्य सह-मालिक, दो तक, बिजली कनेक्शन के लिए अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वे नाम परिवर्तन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।

(3) आवेदन की स्वीकृति के बाद दो बिलिंग साइकलों के अंदर उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन प्रभावित होगा।

(4) बिजली के लिए कोई शुल्क या लाइसेंसधारी को देय और बिजली के लिए शुल्क के अलावा कोई भी राशि, जिसका भुगतान किसी मृत उपभोक्ता या किसी भूमि/परिसर के पूर्व मालिक/अधिभोगी द्वारा नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो, उसके कानूनी प्रतिनिधि / उत्तराधिकारियों को प्रेषित या परिसर के नए मालिक को हस्तांतरित हो जाएगा, और लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी से यहा राशि वसूली योग्य होगी या परिसर का नया मालिक/अधिभोगी, जैसा भी मामला हो, से वसूल की जाएगी।

सेवाओं का परिवर्तन

5.106 आवेदक इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक VI में दिए गए प्रारूप में अपने मौजूदा कनेक्शन की प्रकृति के परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.93 से 5.101 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। साइट निरीक्षण और कार्यों की अनुमानित लागत के लिए डिमांड नोट जारी करने और भुगतान के लिए, लाइसेंसधारी और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.36 से 5.58 में निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करेंगे। आवेदक द्वारा अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद, लाइसेंसधारी मौजूदा सेवाओं को निम्न वोल्टेज से अधिक या इसके विपरीत, और एक फेज से तीन-फेज या इसके विपरीत रूपांतरित करने के आवेदनों पर निम्नलिखित समय के अंदर प्रभावी करने के लिए विचार करेगा:

तालिका 5: सेवाओं के परिवर्तन के लिए समयरेखा:

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	दूरस्थ क्षेत्र
एलटी सिंगल फेज से एलटी 3- फेज में या इसके विपरीत परिवर्तन	30 कार्य दिवसों के भीतर	40 कार्य दिवसों के भीतर	50 कार्य दिवसों के भीतर
एलटी से एचटी में या इसके विपरीत परिवर्तन	90 कार्य दिवसों के भीतर	120 कार्य दिवसों के भीतर	145 कार्य दिवसों के भीतर
एचटी से ईएचटी या इसके विपरीत में परिवर्तन	120 कार्य दिवसों के भीतर	150 कार्य दिवसों के भीतर	180 कार्य दिवसों के भीतर

बशर्ते कि यदि सेवाओं को एचटी से एलटी में बदलने के लिए मौजूदा उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, तो उपभोक्ता इस कोड के अनुसार आवश्यक शुल्क का भुगतान करेगा और कम लोड के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा और पहले से जमा के बीच के अंतर को अगले 3 बिलिंग चक्रों के अंदर बिल समायोजित किया जाएगा।

5.107 लाइसेंसधारी, निर्दिष्ट अवधि के अंदर, जब भी उपरोक्त अनुसूची को पूरा नहीं किया जा सकता है, समय सीमा के विस्तार के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

मीटर/मौजूदा कनेक्शन का स्थानांतरण

5.108 आवेदक इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में मौजूदा परिसर में सेवा कनेक्शन को स्थानांतरित करने या मौजूदा लाइनों के विचलन के लिए आवेदन करेगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.93 से 5.101 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। साइट निरीक्षण और कार्यों की अनुमानित लागत के लिए डिमांड नोट जारी करने और भुगतान के लिए, लाइसेंसधारी और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.36 से 5.58 में निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करेंगे।

5.109 लाइसेंसधारी द्वारा अनुमानित राशि देने तथा कार्यों को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित समय सारिणी का पालन किया जाएगा:

(1) मीटर/सर्विस लाइन/एलटी/एचटी लाइन/ट्रांसफॉर्मर का स्थानांतरण : उपभोक्ता को शिफ्टिंग के लिए अनुमानित राशि लिए 30 दिनों की के अंदर और उपभोक्ता द्वारा राशि जमा करने के 30 दिनों के अंदर

5.110 उपभोक्ता द्वारा किए गए किसी भी अधिक/कम भुगतान को बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।

उपभोक्ता श्रेणी का पुनर्वर्गीकरण

5.111 यदि यह पाया जाता है कि किसी उपभोक्ता को किसी विशेष श्रेणी में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है, या अनुबंध में उल्लिखित आपूर्ति का उद्देश्य अन्य टैरिफ श्रेणी में बदल गया है, या बिजली की खपत आयोग के आदेश के अनुसार उस श्रेणी की सीमा से अधिक हो गई है, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत करने पर विचार कर सकता है। उपभोक्ता को एक नोटिस के माध्यम से प्रस्तावित पुनर्वर्गीकरण के बारे में सूचित किया जाएगा और आपत्तियां, यदि कोई हो, दर्ज करने के लिए विधिवत 30 दिन की नोटिस अवधि दी जाएगी। लाइसेंसधारी, उपभोक्ता के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, उत्तर प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर वर्गीकरण में परिवर्तन कर सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जा सकता है।

5.112 इस आपूर्ति संहिता के अनुबंध VI में दिए गए प्रारूप में लाइसेंसधारी को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.93 से 5.101 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। साइट निरीक्षण और कार्यों की अनुमानित लागत के लिए डिमांड नोट जारी करने और भुगतान के लिए, लाइसेंसधारी और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.36 से 5.58 में निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करेंगे। निरीक्षण के समय लाइसेंसधारी मीटर रीडिंग को भी नोट करेगा। यदि निरीक्षण पर, उपभोक्ता के पुनर्वर्गीकरण के अनुरोध को वैध पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर श्रेणी को बदल देगा।

5.113 यदि लाइसेंसधारी पुनर्वर्गीकरण के अनुरोध को वैध नहीं पाता है, तो वह निरीक्षण की तारीख से 10 दिनों के अंदर आवेदक को इसके लिए कारण बताते हुए लिखित रूप में सूचित करेगा।

5.114 जिस अवधि के लिए उपभोक्ता के पुनर्वर्गीकरण के लिए आवेदन लंबित है, बिजली के अनधिकृत उपयोग के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा।

लोड को बढ़ाना

5.115 आवेदक इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारी को लोड वृद्धि के लिए आवेदन करेंगे। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.93 से 5.101 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। कार्य की अनुमानित लागत के लिए साइट निरीक्षण, जारी करने और डिमांड नोट के भुगतान के लिए, लाइसेंसधारी और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.36 से 5.58 में निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करेंगे। यदि उपभोक्ता को किसी भी समय लोड बढ़ाना/घटाना है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारी की वेबसाइट से स्व-घोषणा प्रपत्र प्राप्त कर सकता है या लाइसेंसधारी के कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकता है।

5.116 यदि निरीक्षण करने पर कोई दोष नहीं पाया जाता है, या पुनः निरीक्षण करने पर, पहले देखी गई त्रुटियों को दूर कर दिया जाता है, तो लाइसेंसधारी अतिरिक्त लोड के लिए आवेदन को मंजूर करता है, और पावती के अंतर्गत लिखित रूप में नीचे निर्दिष्ट समयसीमा के अंतर्गत एक डिमांड नोट जारी करेगा:

तालिका 6: अतिरिक्त लोड के लिए डिमांड नोट जारी करने की समय-सीमा

क्रम संख्या	मद	समय सीमा (अंदर)
1	100 केवीए तक समुचित लोड	आवेदन प्राप्ति के 10 दिन के अंदर
2	100 केवीए से अधिक और 4000 केवीए तक समुचित लोड	आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के अंदर
3	4000 केवीए से ऊपर समुचित लोड	आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर

वशर्ते कि आवेदक द्वारा आवेदक के परिसर में पाई गई कमियों/कमियों को दूर करने में लगने वाले समय को ऊपर निर्दिष्ट समय-सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। समय-सीमा में इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.53 में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अधीन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लिया गया समय शामिल नहीं होगा।

5.117 उपभोक्ता को डिमांड नोट के साथ भेजी गई लाइसेंसधारी की लिखित सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) क्या मौजूदा वोल्टेज पर या उच्च वोल्टेज पर अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जा सकती है;
- (2) सिस्टम में कुछ जोड़ना या परिवर्तन, यदि कोई हो, और उपभोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली लागत;
- (3) अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की लागत और सिस्टम सुदृढीकरण शुल्क या क्षमता निर्माण शुल्क, यदि कोई हो, जमा किया जाना है; तथा
- (4) यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ता के वर्गीकरण और टैरिफ की प्रयोज्यता में परिवर्तन।

5.118 यदि उपभोक्ता पर लाइसेंसधारी को देय भुगतान बकाया है तो लोड वृद्धि के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। हालाँकि, आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकता है यदि बकाया के ऐसे भुगतान पर किसी न्यायालय, या आयोग या आयोग द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई हो।

5.119 यदि बढ़े हुए लोड की आपूर्ति संभव है, तो उपभोक्ता को:

- (1) मांग नोट प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के अंदर अतिरिक्त सुरक्षा जमा, सिस्टम में किए जाने वाले अतिरिक्त योजन या परिवर्तन की लागत, यदि कोई हो, और सिस्टम सुदृढीकरण शुल्क/क्षमता निर्माण शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा, और;
- (2) एक पूरक समझौता निष्पादित करना होगा।

5.120 बढ़े हुए लोड की आपूर्ति इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.53 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुपालन में प्रदान की जाएगी।

5.121 यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी की कार्रवाई या चूक से व्यथित महसूस करता है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में अपना अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है।

5.122 यदि उपरोक्त तालिका 6 में उल्लिखित अवधि के अंदर लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदक लाइसेंसधारी को लिखित नोटिस द्वारा मामले पर ध्यान आकर्षित कर सकता है और फिर भी यदि कोई निर्णय उसे आगे की 15 दिनों की अवधि के अंदर सूचित नहीं किया जाता है, अनुबंध की मांग को बढ़ाने की अनुमति दी गई मानी जाएगी।

5.123 लोड में वृद्धि उस तारीख से प्रभावी होगी जब लाइसेंसधारी द्वारा बढ़ा हुआ लोड जारी किया जाता है या अनुमति दी जाती है।

लोड को कम करवाना

5.124 लोड में कमी के लिए आवेदन एलटी कनेक्शन के लिए मूल कनेक्शन के छह महीने बाद, एचटी उपभोक्ताओं के लिए 1 (एक) वर्ष और ईएचटी कनेक्शन के लिए मूल कनेक्शन से 2 (दो) वर्ष के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।

5.125 अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लोड में कमी के लिए आवेदन करेगा:

- (1) एक लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट के साथ विद्युत स्थापना के परिवर्तन/ संशोधन / हटाने का विवरण जहाँ स्थापना में परिवर्तन शामिल है;
- (2) अनुबंध की मांग में कमी के लिए कोई अन्य कारण।

5.126 लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.93 से 5.101 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। साइट निरीक्षण के लिए, लाइसेंसधारी और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.36 से 5.58 में निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा का पालन करेंगे।

5.127 लाइसेंसधारी आवेदन में बताए गए लोड में कमी के आधारों पर विचार करेगा, निरीक्षण के दौरान उसका सत्यापन करेगा और निरीक्षण से 10 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर आवेदन का निर्णय करेगा। यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी की कार्रवाई या

चूक से व्यथित महसूस करता है, तो उपभोक्ता संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में अपना अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है।

- 5.128 लाइसेंसधारी उपभोक्ता को लिखित रूप में, पावती के अंतर्गत, विनियम 5.47 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार एक डिमांड नोट जारी करेगा, और उसके बाद, लाइसेंसधारी और आवेदक दोनों को इस सप्लाई कोड के विनियम 5.48 से 5.58 में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा का पालन करना होगा।
- 5.129 यदि निरीक्षण से 10 दिनों की उपर्युक्त अवधि के अंदर लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन का निर्णय नहीं किया जाता है, तो आवेदक लाइसेंसधारी को लिखित नोटिस द्वारा मामले पर ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि उपभोक्ता को 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के अंदर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो अनुबंधित मांग में कमी के लिए अनुमति दी गई मानी जाएगी।
- 5.130 लोड में कमी से उत्पन्न होने वाली जमानत राशि में किसी भी अंतर को उपभोक्ता के बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।
- 5.131 लोड में कमी उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगी, जिस महीने में मंजूरी दी गई है या अनुमति दी गई है।

अनुबंधित मांग की वार्षिक समीक्षा

- 5.132 एचटी और ईएचटी कनेक्शन के मामले में, यदि अधिकतम मांग पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम चार बार अनुबंध की मांग से 5% या उससे अधिक दर्ज की गई थी, तो लोड बढ़ाने के लिए एक आवेदन पत्र जमा करने के लिए लाइसेंसधारी उपभोक्ता को 30 दिन का नोटिस जारी करेगा। यदि नोटिस अवधि के अंत तक उपभोक्ता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता की अनुबंध मांग को उपभोक्ता के पिछले वित्तीय वर्ष में अधिकतम मांग संकेतक (एमडीआई) मीटर द्वारा प्रदर्शित अधिकतम मांग की चार रिकॉर्डिंग के औसत तक बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। एलटी कनेक्शन के मामले में, एमडीआई मीटर से लैस कनेक्शन के लिए भी इसी तरह की समीक्षा की जाएगी।
- 5.133 सभी नए एचटी और ईएचटी कनेक्शनों के लिए सभी वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा एमडीआई सुविधा के साथ ऊर्जा मीटर स्थापित किए जाने हैं। यदि उपभोक्ता के मीटर का अधिकतम मांग संकेतक दोषपूर्ण पाया जाता है या बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है (जब तक कि छेड़छाड़ नहीं की जाती है), मांग शुल्क की गणना पिछले वर्ष के संबंधित महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी, जब मीटर काम कर रहा था और सही ढंग से रिकॉर्डिंग कर रहा था। यदि पिछले वर्ष के संबंधित महीने/बिलिंग चक्र की दर्ज की गई अधिकतम मांग भी उपलब्ध नहीं है, तो आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक XVIII के अनुसार लोड फैक्टर को लागू करके अधिकतम मांग की गणना की जानी चाहिए।
- 5.134 लाइसेंसधारी और आवेदक इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.36 से 5.58 के अनुसार आवेदन पत्र की स्वीकृति, साइट निरीक्षण और कार्यों की अनुमानित लागत के लिए मांग पत्र जारी करने के संबंध में प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करेंगे। बढी हुई आपूर्ति इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.53 के अनुसार जारी की जाएगी।
- 5.135 यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी की कार्रवाई या चूक से व्यथित महसूस करता है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में अपना अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है।

समझौते का निष्पादन

- 5.136 लाइसेंसधारी आवेदक से नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, नाम बदलने के लिए, और आपूर्ति शुरू होने से पहले स्वीकृत लोड को बढ़ाने या घटाने के लिए एक समझौते को निष्पादित करने के लिए कह सकता है।
- 5.137 लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ अनुबंध प्रपत्र की आपूर्ति की जाएगी और यह डाउनलोड के लिए लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

समझौते में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) उपभोक्ता/आवेदक का नाम और पता;
- (2) उस परिसर का पता जिसके लिए बिजली की आपूर्ति की मांग की गई है और जिसके लिए समझौता किया जा रहा है;
- (3) स्वीकृत लोड / अनुबंध की मांग;
- (4) बिजली के उपयोग का उद्देश्य;
- (5) आवेदक / उपभोक्ता द्वारा निम्न की घोषणा:
 - (क) अधिनियम और इस आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का पालन करना;
 - (ख) मौजूदा टैरिफ दरों के आधार पर बिजली की आपूर्ति के लिए भुगतान करना;

- (ग) इस आपूर्ति संहिता और समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित लाइसेंसधारी के विविध शुल्कों की अनुसूची के अनुसार देय अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करना;
- (घ) ऐसी जमानत राशि जमा करना जैसा की लाइसेंसधारी अधिनियम और इस आपूर्ति कोड के अंतर्गत उससे वसूलने का हकदार हो सकता है;

5.138 यदि बिजली की आपूर्ति शुरू होने के बाद वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच कोई अलग लिखित समझौता नहीं है, तो उपभोक्ता को आपूर्ति संहिता के नियमों और शर्तों से बाध्य माना जाएगा। यदि आपूर्ति शुरू होने के तीस दिनों के अंदर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो तो उपभोक्ता किसी समझौते को प्रस्तुत करने से इंकार नहीं करेगा। उपभोक्ता के समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल होने पर, वितरण लाइसेंसधारी के लिए यह उचित नोटिस देने के बाद और ऐसे परिसर में आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रतिनिधित्व का अवसर देने के लिए खुला होगा। हालांकि, वितरण लाइसेंसधारी ऐसे उपभोक्ता द्वारा अनुबंध के निष्पादन के तुरंत बाद आपूर्ति बहाल करेगा।

5.139 यदि कोई उपभोक्ता एलटी कनेक्शन के लिए मूल कनेक्शन से छह महीने के अंदर, एचटी उपभोक्ताओं के लिए एक वर्ष के बाद और नई या अतिरिक्त आपूर्ति शुरू होने के ईएचटी कनेक्शन के लिए 2 साल के अंदर अपना अनुबंध समाप्त करता है (या जहां कोई औपचारिक समझौता नहीं किया जाता है, यदि आपूर्ति उपरोक्त अवधि के लिए उपयोग नहीं की जाती है, जो एक अनुबंध प्रस्तुत करने पर लागू होता), उपभोक्ता उक्त अवधि से कम अवधि के लिए प्रत्येक माह के लिए निश्चित/न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5.140 निष्पादित करार की एक प्रति उपभोक्ता/आवेदक को दी जाएगी।

अनुबंधित लोड के निर्धारण के लिए आपूर्ति की सामान्य शर्तें

5.141 कनेक्टेड लोड के निर्धारण की विधि इस आपूर्ति संहिता के अनुलग्नक VIII के अनुसार होगी।

आपूर्ति का बिंदु

5.142 उपभोक्ता के परिसर में एक ही स्थान पर आपूर्ति की जाएगी। आपूर्ति का बिंदु लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा ताकि उपभोक्ता की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना मीटर और अन्य उपकरण हमेशा निरीक्षण के लिए लाइसेंसधारी के लिए सुलभ हों। सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ता मीटर या मीटरिंग क्यूबिकल में स्वतंत्र प्रवेश प्रदान करेंगे। हालांकि, विशेष मामलों में, लाइसेंसधारी उपभोक्ता की स्थापना के अलग-अलग भौतिक लेआउट और वायरिंग और उपभोक्ता की आवश्यकताओं के कारण उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिंदुओं पर आपूर्ति देने के लिए सहमत हो सकता है।

5.143 आपूर्ति शुरू होने के समय उपभोक्ता को एक मेन स्विच/सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा, एचटी और ईएचटी उपभोक्ता समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण भी प्रदान करेंगे। आपूर्ति शुरू करने से पहले सुरक्षा प्रणाली को लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित करना होगा। मीटर, एमसीबी/सीबी और संबंधित उपकरण आपूर्ति के बिंदु पर लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित किए जाएंगे।

5.144 एचटी और ईएचटी उपभोक्ता उच्च वोल्टेज की तरफ डेल्टा वाइंडिंग के साथ एक वेक्टर ग्रुप के साथ स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर और कम वोल्टेज की तरफ स्टार वाइंडिंग स्थापित करेंगे, जिसमें न्यूट्रल टर्मिनल लाया जाएगा और समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति) विनियम, 2010 के अनुसार ठोस रूप से अर्थ किया जाएगा।

5.145 मीटर, मीटर बोर्ड, सर्विस मेन, एमसीबी/सीबी, लोड लिमिटर्स आदि को किसी भी कारण से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हैंडल या हटाया नहीं जाना चाहिए जो लाइसेंसधारी का अधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि नहीं है। सील, जो मीटर/मीटरिंग उपकरण, लोड लिमिटर्स और लाइसेंसधारी के उपकरण पर लगाई गई हैं, किसी भी कारण से छेड़छाड़, क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के परिसर के भीतर मीटर/मीटरिंग उपकरण पर लाइसेंसधारी के उपकरण और सील को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की है।

5.146 उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों के किसी कृत्य, उपेक्षा या चूक के कारण उपभोक्ता के परिसर के अंदर लाइसेंसधारी के उपकरण को हुए नुकसान की स्थिति में, लाइसेंसधारी द्वारा दावा की गई उसकी लागत उपभोक्ता द्वारा देय होगी। यदि उपभोक्ता मांग के बाद भी ऐसा करने में विफल रहता है, तो इसे आपूर्ति समझौते और बिजली के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

जमानत राशि

5.147 सभी उपभोक्ताओं द्वारा निम्नलिखित को कवर करने के लिए एक सुरक्षा जमा राशि जमा की जाएगी:

- (1) बिलिंग चक्र अवधि और एक महीने के अनुरूप बिल की अनुमानित राशि; तथा

- (2) किसी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर के लिए लाइसेंसधारी को देय भुगतान जो उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदान किया जाना है।

नए कनेक्शन जारी करते समय विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमानित सुरक्षा जमा राशि की गणना इस आपूर्ति संहिता के अनुलघक XVIII में दी गई पद्धति के अनुसार की जाएगी। लोड में वृद्धि के मामले में, अतिरिक्त खपत को कवर करने के लिए केवल अतिरिक्त सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता होगी, जो दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार अनुमानित है:

वशर्ते कि जिन उपभोक्ताओं ने चरणबद्ध अनुबंध मांग का लाभ उठाने का विकल्प चुना है, मौजूदा लोड के लिए सुरक्षा जमा का संशोधन पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक खपत पर आधारित होगा, जबकि वर्ष के दौरान जारी किए गए अतिरिक्त लोड के लिए सुरक्षा जमा का अनुमान इस आपूर्ति संहिता के अनुलघक XVIII में दी गई विधि के आधार पर लगाया जाएगा।

- 5.148 इसके बाद, इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.151 में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा जमा को सालाना संशोधित किया जाएगा। सुरक्षा जमा की कम राशि के लिए लाइसेंसधारी उपभोक्ता को 30 दिनों के अंदर अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि जमा करने के लिए उपभोक्ता को नोटिस देगा। यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी द्वारा नोटिस के 30 दिनों के अंदर अतिरिक्त सुरक्षा जमा जमा नहीं करता है, तो अतिरिक्त सुरक्षा जमा उपभोक्ता के दो बाद के बिलों में शामिल किया जाएगा। सुरक्षा जमा की कोई भी अतिरिक्त राशि उपभोक्ता के बाद के दो बिलों में समायोजित की जाएगी।
- 5.149 यदि बकाया राशि के समायोजन के कारण जमानत राशि कम हो जाती है, तो उसे उपभोक्ता के बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।
- 5.150 सभी देय राशियों के समायोजन के 30 दिनों के अंदर अनुबंध समाप्त होने पर उपभोक्ता को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। विलंब की स्थिति में, उस वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर के समतुल्य ब्याज उपभोक्ता को देय होगा।
- 5.151 एलटी उपभोक्ता सुरक्षा जमा नकद (10,000 रुपये तक जमा के लिए लागू), चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रदान कर सकते हैं। एचटी/ईएचटी और औद्योगिक उपभोक्ता अनुलघक XXI में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी के माध्यम से या सावधि जमा के विरुद्ध ग्रहणाधिकार प्रदान करके सुरक्षा जमा प्रदान कर सकते हैं। यदि सुरक्षा जमा बैंक गारंटी के रूप में या सावधि जमा के विरुद्ध ग्रहणाधिकार प्रदान करके जमा किया जाता है, तो उपभोक्ता को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

सुरक्षा जमा पर ब्याज

- 5.152 लाइसेंसधारी वर्ष के लिए 1 अप्रैल को लागू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित बैंक दर पर उपभोक्ता को ब्याज का भुगतान करेगा, जो कि इन अधिसूचना की तिथि के बाद नए कनेक्शन के मामले में इस प्रकार के जमा की तिथि को वार्षिक रूप से देय होगा और अन्य मामलों में इस आपूर्ति संहिता की अधिसूचना की तिथि के बाद से लागू होगा। वर्ष के दौरान ब्याज को अगले वित्तीय वर्ष के बिलिंग साइकल के लिए उपभोक्ता के बिज में समायोजित किया जाएगा। यदि सुरक्षा जमा बैंक गारंटी से प्रदान की गई है या सावधि जमा खाते के ग्रहणाधिकार द्वारा प्रदान की गई तो उपभोक्ता को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

सुरक्षा जमा की समीक्षा

- 5.153 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, लाइसेंसधारी पिछले वर्ष के अप्रैल से मार्च तक सुरक्षा जमा की पर्याप्तता के लिए उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न की समीक्षा करेगा। उपभोक्ता को एक बिलिंग चक्र और एक महीने की अवधि के लिए अपने औसत भुगतान के बराबर राशि बनाए रखना आवश्यक है, जहां 'औसत भुगतान' पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के औसत के बराबर होगा:

वशर्ते कि जिस उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन 1 वर्ष से कम पुराना है, उसके लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सुरक्षा जमा को संशोधित नहीं किया जाएगा।

- 5.154 लाइसेंसधारी के पास प्रत्येक उपभोक्ता के संबंध में उपलब्ध सुरक्षा जमा उपभोक्ता को जारी किए गए बिल में दिखाया जाएगा। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को सुरक्षा की वापसी, जब भी उत्पन्न होगी, अधिकतम दो बिजली बिलों के माध्यम से की जाएगी।

नए कनेक्शन की सर्विसिंग / लोड में वृद्धि की लागत

- 5.155 उपभोक्ता को सर्विस लाइन की लागत आदि और अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करना होगा। ये शुल्क या तो आयोग द्वारा अनुमोदित मानक प्रभारों की अनुसूची के आधार पर होंगे।

सर्विस लाइन और उपकरण के संबंध में सामान्य प्रावधान

- 5.156 उपभोक्ता उसके और लाइसेंसधारी की आपसी सहमति से अपने परिसर में आने वाले क्षेत्र में पड़ने वाली सर्विस लाइन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर और आपूर्ति के बिन्दु तक अन्य सभी उपकरणों की स्थापना/इन्स्टालेशन के लिए आवश्यक आकार का स्थान प्रदान करेगा। संपूर्ण सर्विस लाइन और अन्य उपकरण लाइसेंसधारी की संपत्ति के रूप में माने जाएंगे और उसके नियंत्रण में रहेंगे।
- 5.157 लाइसेंसधारी अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति देने के लिए सर्विस लाइन और अन्य उपकरण का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि जिस उपभोक्ता ने इसके लिए भुगतान किया है, उसकी आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, भले ही उपभोक्ता को आपूर्ति, जिसने लाइन / उपकरण के लिए भुगतान किया है, किसी भी कारण से काट दिया जाता है, उपभोक्ता लाइसेंसधारी को सर्विस लाइन और अन्य उपकरणों तक निरंतर पहुंच की अनुमति देगा यदि उन्हें अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति देने की आवश्यकता होती है, और वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक उपभोक्ता को ऐसी पहुंच/सुविधा के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि लाइसेंसधारी 6 महीने के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस प्रयोजन के लिए, लाइसेंसधारी मौजूदा स्थान पर स्थापना को जारी रखने के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य व्यवस्था का पता लगा सकता है।

ऊर्जा का पुनर्विक्रय

- 5.158 उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति या अन्य परिसर में लाइसेंसधारी द्वारा उसे आपूर्ति की गई किसी भी ऊर्जा की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उपभोक्ता के पास आयोग द्वारा दी गई ऊर्जा के वितरण और बिक्री के लिए उपयुक्त मंजूरी या लाइसेंस न हो या लाइसेंस प्राप्त करने से छूट न दी गई हो या वितरण लाइसेंसधारी के फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्त न किया गया हो।

उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच

- 5.159 वितरण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच प्राप्त होगी।

फ्यूज फेल होने के कारण आपूर्ति बंद होना

- 5.160 यदि किसी भी समय लाइसेंसधारी की सेवा फ्यूज या फ्यूज विफल होने पर बंद हो जाती है, तो लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय या कॉल सेंटर या निकटतम सबस्टेशन पर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। केवल लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधियों को लाइसेंसधारी के कट-आउट में इन फ्यूज को बदलने की अनुमति है। उपभोक्ताओं को इन फ्यूज को बदलने की अनुमति नहीं है और यदि लाइसेंसधारी के उपकरण की सुरक्षा के लिए लाइसेंसधारी के फ्यूज को बदल दिया जाता है, तो वे खुद को दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्याय 6: मीटरिंग

- 6.1 बिना मीटर के कोई इन्स्टालेशन नहीं किया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट प्रीपेमेंट/पोस्टपेड/स्टेटिक मीटर या प्री-पेमेंट मीटर होगा। सभी मीटर और मीटर की स्थापना अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत समय समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। इसके बावजूद, लाइसेंसधारक उन्नत प्रौद्योगिकी मीटर को बाजार में उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है यदि यह सीईए की आवश्यकताओं के अलावा आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्मार्ट मीटर या पूर्व भुगतान मीटर के किसी भी अपवाद को आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित करना होगा। ऐसा करते समय आयोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेमेंट मीटर की स्थापना से अलग स्थापना की अनुमति देने के लिए उचित कारण दर्ज करेगा।
- 6.2 एलटी लोड के लिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) और एचटी/ईएचटी लोड के लिए, मीटर के साथ उपयुक्त रेटिंग और विशिष्टताओं के मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीसीबी) लगाए जाएंगे।
- 6.3 नया कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता के पास इनमें से कोई एक का विकल्प होगा:
- (1) लाइसेंसधारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनिर्देशों के अनुसार मीटर, एमसीबी/सीबी और संबद्ध उपकरण स्वयं खरीदें; या
- (2) लागू शुल्क के भुगतान पर लाइसेंसधारी द्वारा मीटर, एमसीबी/सीबी और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति करना आवश्यक है। उपभोक्ता इस विकल्प को आवेदन पत्र में इंगित करेगा और लाइसेंसधारी उसे मीटर के लिए निर्देश जारी करेगा। एक बार जब उपभोक्ता ने निर्देशों के अनुसार मीटर प्राप्त कर लिया जाता है, तो लाइसेंसधारी मीटर का परीक्षण, स्थापना और सील करेगा। लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित मीटर विनिर्माताओं के परीक्षित तथा सीलबंद मीटर उपभोक्ताओं को क्रय के लिए उपलब्ध हैं तथा उन स्थानों की जानकारी जहां से उपभोक्ता उन्हें खरीद सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है।

- 6.4 लाइसेंसधारी को उन्नत तकनीक के उपलब्ध होने और उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगाने वाले स्थान की उपयुक्तता के संदर्भ में पहले से स्थापित मीटरों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 6.5 यदि लाइसेंसधारी द्वारा एक ही परिसर में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को आपूर्ति प्रदान की जाती है, तो ऐसी प्रत्येक श्रेणी के लिए ऊर्जा के मापन के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित किए जाएंगे।
- 6.6 वितरण लाइसेंसधारी उपयुक्त संचार प्रणाली के माध्यम से स्वचालित मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, दिन का समय (टीओडी)/फ्रीक्वेंसी-आधारित टैरिफ (एफबीटी) मीटर, स्वचालित रिमोट मीटर रीडिंग (एएमआर) जैसी नई तकनीकों को शुरू करने और अपनाने के लिए एक योजना बनाएगा।
- 6.7 इन विनियमों की अधिसूचना के बाद स्थापित किए जाने वाले सभी मीटर, जिनमें मीटरों को बदलना भी शामिल है, एमडीआई सुविधा वाले मीटर होंगे और प्रीपेड मीटर होंगे। पर्याप्त अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करते हुए स्थापित प्रीपेड मीटरों को सुरक्षा जमा से छूट दी जाएगी।
- 6.8 यदि किसी एचटी/ईएचटी उपभोक्ता को उसके अनन्य उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर पर आपूर्ति की जाती है, तो लाइसेंसधारी के सब-स्टेशन पर मीटरिंग व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त करने वाले सभी नए कनेक्शनों के लिए, मुख्य मीटर की विफलता के मामले में लेखांकन करने के लिए उपभोक्ता के परिसर में उपभोक्ता लागत पर स्टैंड-बाय मीटर स्थापित किया जाएगा।
- 6.9 अस्थाई कनेक्शन जहां भी संभव हो प्रीपेड मीटरों पर जारी किए जाएंगे।

मीटर और एमसीबी/सीबी की आपूर्ति और स्थापना

- 6.10 एलटी, एचटी और ईएचटी उपभोक्ता, यदि वे मीटर और संबंधित उपकरण की खरीद का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें सीटी और पीटी सहित मीटरिंग उपकरण रखने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित डिज़ाइन का एक लॉक और वेदरप्रूफ बॉक्स प्रदान करना होगा। अन्य मामलों में, इन्हें अनुमान में शामिल किया जाएगा और लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- 6.11 यदि लाइसेंसधारी द्वारा मीटर की आपूर्ति की जाती है, तो लाइसेंसधारी मांग सूचना के भाग के रूप में मीटर और संबद्ध उपकरणों की लागत वसूल करने का हकदार होगा। अन्यथा, लाइसेंसधारी आयोग द्वारा यथा अनुमोदित मीटर किराया वसूल करेगा। कनेक्शन के मामले में जहां उपभोक्ता द्वारा मीटर खरीदा गया है, उपभोक्ता से कोई मीटर किराया और मीटर की लागत नहीं ली जाएगी।
- 6.12 मीटर लगाने का निर्णय उपभोक्ता के परामर्श से लिया जाएगा। उपभोक्ता मीटर की स्थापना के लिए उपयुक्त और पर्याप्त स्थान इस प्रकार प्रदान करेगा कि यह हमेशा लाइसेंसधारी या उसके प्रतिनिधियों के लिए सुलभ हो। बहुमंजिला इमारतों के मामले में, सभी मीटरों को निर्दिष्ट मानकों और नियमों के अनुसार अधिमानतः भूतल/राइजिंग मेन्स पर उचित वेंटीलेशन और प्रकाश के साथ और तय किया जाएगा।
- 6.13 मीटर का प्रारंभिक संस्थापन या प्रतिस्थापन लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि द्वारा उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में 3 दिन का नोटिस देकर किया जाएगा।
- 6.14 लाइसेंसधारी प्रारंभिक स्थापना या प्रतिस्थापन के समय मीटर के विवरण दर्ज करने के लिए मीटर विवरण पत्रक का एक प्रारूप विकसित करेगा। लाइसेंसधारी एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति, लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, उपभोक्ता को उचित पावती के तहत दी जाएगी। उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि भी मीटर विवरण पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद, मीटर, मरम्मत, प्रतिस्थापन आदि में किसी भी दोष का विवरण लाइसेंसधारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मीटर विवरण पत्र में दर्ज किया जाएगा।
- 6.15 जब भी कोई नया मीटर लगाया जाता है (नए कनेक्शन के लिए या प्रतिस्थापन के रूप में) तो उसे उपभोक्ता की उपस्थिति में सील कर दिया जाएगा। उक्त उपकरण या उपकरण पर लगाई गई सील, नेम प्लेट और विशिष्ट संख्या या चिह्न किसी भी तरह से उपभोक्ता द्वारा तोड़े, मिटाए या बदले नहीं जाएंगे। मीटर सील का उपचार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 और बाद के सभी संशोधनों के अनुसार होगा।
- 6.16 मीटर (मीटरों), एमसीबी/सीबी आदि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा, यदि वह उपभोक्ता के परिसर में स्थापित है। उपभोक्ता को मीटर में किसी प्रकार की खराबी, दुर्घटना या समस्या के बारे में तुरंत लाइसेंसधारी को सूचित करना होगा।
- 6.17 इस आपूर्ति संहिता, के जारी होने से छह (6) महीने की अवधि के अंदर लाइसेंसधारी द्वारा कृषि और स्ट्रीट लाइट सहित सभी बिना मीटर वाले कनेक्शनों को मीटर किया जाना चाहिए।
- 6.18 लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह मीटर का अनुरक्षण करे और उसे हर समय चालू स्थिति में रखे। लाइसेंसधारी के पास ऐसी मीटरिंग प्रणाली का प्रावधान भी हो सकता है जहां डिस्प्ले यूनिट उपभोक्ता परिसर में हो और मीटरिंग यूनिट

परिसर के बाहर जैसे पोल आदि पर हो। ऐसे मामलों में, मीटरिंग यूनिट की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी।

- 6.19 लाइसेंसधारी उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न की निगरानी करेगा और जहां कहीं आवश्यक समझा जाएगा, मीटर की जांच करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मीटर ठीक से काम कर रहा है।
- 6.20 उपभोक्ता समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के अनुसार और निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप और उपयुक्त मेक का एक चेक मीटर स्थापित कर सकता है। इन चेक मीटरों को लाइसेंसधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन से लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अंशांकित किया जा सकता है। तथापि, लाइसेंसधारी द्वारा बिलिंग के लिए चेक मीटर रीडिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा। कैलिब्रेटेड चेक मीटर / स्टैंड-बाय मीटर रीडिंग का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा बिलिंग के लिए तभी किया जाएगा जब मुख्य मीटर खराब/जला हुआ हो।

मीटर की रीडिंग

- 6.21 मीटर की रीडिंग शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रत्येक बिलिंग चक्र में एक बार ली जाएगी और उपभोक्ता लाइसेंसधारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को मीटर रीडिंग के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।
- 6.22 स्मार्ट मीटरों के मामले में, मीटर को हर महीने कम से कम एक बार दूर से पढ़ा जाएगा और अन्य पूर्व भुगतान मीटरों के मामले में, मीटरों की रीडिंग को वितरण लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हर तीन महीने में कम से कम एक बार दर्ज किया जाएगा। उपभोक्ता को ऊर्जा खपत के संबंध में डाटा वेबसाइट या मोबाइल एप या एसएमएस आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी वास्तविक समय के आधार पर उनकी खपत की जांच के लिए डेटा एक्सेस दिया जा सकता है।
- बशर्ते कि भुगतान के बाद मीटर के लिए, यदि मीटर लगातार दो मीटर रीडिंग तिथियों पर मीटर रीडर के लिए पहुंच योग्य नहीं है, तो उपभोक्ता के पास पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से मीटर रीडिंग और मीटर रीडिंग की तारीख दर्शाने वाले मीटर की तस्वीर ईमेल के माध्यम से भेजने का विकल्प होगा। ऐसे मामले में, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को कोई नोटिस या अनंतिम बिल नहीं भेज सकता है।
- 6.23 मीटर को लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पढ़ा जाएगा। लाइसेंसधारी सभी मीटर रीडरों को उचित फोटो पहचान पत्र जारी करेगा और मीटर रीडिंग के दौरान मीटर रीडर फोटो पहचान पत्र साथ रखेगा।
- 6.24 मीटर रीडिंग दर्ज करने के लिए और मौके पर ही बिल बनाने के लिए मीटर रीडर हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (एमआरआई) या वायरलेस उपकरण का उपयोग कर सकता है। यदि बिल एमआरआई डाउनलोड के आधार पर तैयार किए जाते हैं या रिमोट मीटर रीडिंग के आधार पर मीटर रीडिंग ली जाती है और उपभोक्ता रीडिंग का रिकॉर्ड रखना चाहता है, तो उसे मीटर रीडिंग लेने वाले अधिकारी / कर्मियों द्वारा इसकी अनुमति दी जाएगी।
- 6.25 इलेक्ट्रॉनिक मीटरों पर एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक उपकरण) की स्थिति की जांच करना मीटर रीडर की जिम्मेदारी होगी। यदि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों पर प्रदान किया गया ई/एल एलईडी इंडिकेटर 'चालू' पाया जाता है, तो मीटर रीडर उपभोक्ता को सूचित करेगा कि परिसर में रिसाव है और उपभोक्ता को वायरिंग की जांच करने और रिसाव को हटाने की सलाह देगा। मीटर रीडर लाइसेंसधारी के संबंधित अधिकारियों को रिसाव के बारे में भी सूचित करेगा।
- 6.26 प्रत्येक उपभोक्ता के पिछले छह बिलिंग चक्रों के मीटर रीडिंग विवरण के साथ मीटर और/या उसकी मुहर की स्थिति लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर और साथ ही लाइसेंसधारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक बिल में उपलब्ध कराई जाएगी।
- 6.27 यदि साइकल के अनुसार लगातार दो मीटर रीडिंग तिथियों पर मीटर पहुंच योग्य नहीं है, तो उपभोक्ता को नोटिस में निर्दिष्ट तिथि (सूचना की तारीख के कम से कम 7 दिन बाद) और समय पर पढ़ने के लिए मीटर को सुलभ रखने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
- 6.28 यदि निर्दिष्ट तिथि पर भी मीटर को सुलभ नहीं बनाया जाता है, तो उपभोक्ता को नोटिस दिया जाएगा, यदि उपलब्ध हो, या परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास चिपका दिया जाएगा, तो अगले 7 दिनों के अंदर लाइसेंसधारी को मीटर रीडिंग की सूचना दी जाएगी। ऐसा नहीं करने पर सप्लाई काट दी जाएगी।
- 6.29 इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 6.27 और 6.28 के प्रावधान घरेलू उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं होंगे, जिन्होंने उपभोक्ता के स्टेशन से बाहर होने के कारण रीडिंग के लिए अपने मीटर की पहुंच के लिए लाइसेंसधारी को अग्रिम सूचना दी है और इस आपूर्ति संहिता 2023 के विनियम 7.26 के अनुसार राशि भी जमा की है।

6.30 जब कोई घरेलू उपभोक्ता निवास से लगातार अनुपस्थिति के कारण लाइसेंसधारी को मीटर की पहुंच के बारे में लिखित रूप में पूर्व सूचना देता है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को कोई नोटिस/अंतिम बिल नहीं भेजेगा बशर्ते कि उपभोक्ता ऐसी अवधि के लिए निर्धारित अग्रिम शुल्क का भुगतान करता है। जब भी उपभोक्ता द्वारा मीटर रीडिंग लेने के लिए सुलभ हो जाता है, तो पूरी खपत को इस तरह लिया जाएगा जैसे कि खपत उस अवधि के लिए थी, जिसमें अनुपलब्धता की सूचित अवधि शामिल नहीं होगी। यह सुविधा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होगी यदि बकाया अप टू डेट रहा हो।

6.31 यदि उपभोक्ता एक विशेष रीडिंग लेना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी और आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभार उपभोक्ता के अगले बिल में शामिल किया जाएगा।

मीटर का आवधिक परीक्षण

6.32 मीटर स्थापित करने से पहले मीटर की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने करना लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी होगी और लाइसेंसधारी इस उद्देश्य के लिए उनका परीक्षण कर सकता है। लाइसेंसधारक समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार मीटरों का आवधिक निरीक्षण/परीक्षण और अंशांकन करेगा।

6.33 लाइसेंसधारी निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार मीटरों का आवधिक निरीक्षण/परीक्षण करेगा:

- (1) सिंगल फेज मीटर: 5 साल में एक बार
- (2) एलटी 3-फेज मीटर: 3 साल में एक बार
- (3) एमडीआई सहित एचटी/ईएचटी मीटर: वार्षिक

जहां कहीं लागू हो, मीटर के साथ सीटी और पीटी का भी परीक्षण किया जाएगा।

6.34 जांच के परिणामों का रखरखाव इस आपूर्ति संहिता, 2023 के **अनुलग्नक IX** में दिए गए प्रारूप के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

मीटर की शुद्धता का परीक्षण

6.35 मीटर की सटीकता के बारे में उचित संदेह होने पर लाइसेंसधारी को किसी भी मीटर और संबंधित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा। उपभोक्ता परीक्षण के संचालन में लाइसेंसधारी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

6.36 इस आपूर्ति संहिता, 2023 के **अनुलग्नक X** में दिए गए प्रारूप में लाइसेंसधारी को अपेक्षित परीक्षण शुल्क के साथ आवेदन करके, यदि उपभोक्ता को इसकी सटीकता पर संदेह है, तो उपभोक्ता अपने परिसर में मीटर का परीक्षण करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 6.37 से 6.40 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करेगा।

6.37 मीटर की सटीकता के लिए किसी तीसरे पक्ष के स्थान पर परीक्षण किया जा सकता है, यदि उपभोक्ता ऐसा चाहता है। तृतीय-पक्ष एजेंसियों की सूची, जो एनएवीएल (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी:

बशर्ते कि उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण के मामले में, उपभोक्ता को आयोग के अनुमोदन से लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट लागत के अनुसार परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा:

बशर्ते यह भी कि यदि लाइसेंसधारी के कारण तकनीकी कारणों से मीटर खराब/जला हुआ पाया जाता है, जैसे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, संक्रमण, आदि, तो लाइसेंसधारी बाद के बिल में समायोजन करके उपभोक्ता को परीक्षण शुल्क वापस करेगा।

6.38 उपभोक्ता के मीटर का परीक्षण करने से पहले, लाइसेंसधारी शहरी क्षेत्रों में 7 दिन की अग्रिम सूचना, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिन की अग्रिम सूचना और दूरदराज के क्षेत्रों में 15 दिन की अग्रिम सूचना परीक्षण की तारीख, समय और स्थान के संबंध में देगा ताकि उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि परीक्षण के समय उपस्थित हो सकते हैं। शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर लाइसेंसधारी मीटर की शुद्धता का निरीक्षण और जांच करेगा। लाइसेंसधारी, परीक्षण के बाद, यदि आवश्यक हो, 15 दिनों के अंदर मीटर को बदल देगा।

6.39 परीक्षण के दौरान उपस्थित उपभोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि गवाह के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि उपभोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, तो लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि और परीक्षण प्रयोगशाला अधिकारी परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।

6.40 लाइसेंसधारी परीक्षण की तारीख से 7 कार्य दिवसों के अंदर, पावती के तहत प्राप्त होने वाली परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को भेजेगा। जब मीटर अनुमोदित सीमा से अधिक धीमा पाया जाता है, जैसा कि निर्दिष्ट है और उपभोक्ता परीक्षण की सटीकता पर विवाद नहीं करता है, तो लाइसेंसधारी/उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर दोषपूर्ण मीटर को प्रतिस्थापित/मरम्मत किया जाएगा। उपभोक्ता परीक्षण रिपोर्ट के आधार दोषपूर्ण मीटर के कारण उत्पन्न

अंतर का भुगतान करेगा, जो त्रुटि के प्रतिशत के आधार पर होगा, और जो अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए या अंतिम जांच की तिथि से, जो भी बाद में हो।

- 6.41 यदि कोई उपभोक्ता परीक्षण के परिणामों पर विवाद करता है, तो उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में प्रतिनिधित्व कर सकता है।

खराब/जले/चोरी मीटरों को बदलने की लागत

- 6.42 यदि, परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित हो जाता है कि मीटर तकनीकी कारणों से खराब/जला हुआ है, जैसे, बोल्टेज में उतार-चढ़ाव, परिवहन आदि के कारण, तो मीटर की लागत, लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

- 6.43 यदि परीक्षण के परिणाम के रूप में यह सुनिश्चित हो जाता है कि उपभोक्ता के लिए जिम्मेदार कारणों जैसे उपभोक्ता स्थापना में दोष, उपभोक्ता द्वारा अनधिकृत लोड का कनेक्शन, आदि के कारण मीटर खराब / जला दिया गया है, तो रिपोर्टिंग के समय उपभोक्ता से कोई परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा और उपभोक्ता नए मीटर की लागत वहन करेगा और परीक्षण शुल्क उपभोक्ता से बाद के बिलों के माध्यम से लिया जाएगा जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

- (1) यदि मीटर उपभोक्ता के स्वामित्व में था, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 6.3 से 6.4 के प्रावधानों के अनुसार मीटर और संबंधित उपकरणों को बदलने के लिए 7 दिनों के अंदर सूचित करेगा, जिसके बाद लाइसेंसधारी को एक नया मीटर स्थापित करने और अतिरिक्त सुरक्षा जमा की मांग करने के लिए और यदि लागू हो तो मीटर किराया चार्ज करना शुरू करने का अधिकार दिया जा सकता है;

- (2) यदि मीटर लाइसेंसधारी के स्वामित्व में था, तो लाइसेंसधारी अपने स्वयं के खर्च पर एक नया मीटर स्थापित करेगा और मीटर के शेष उपयोगी जीवन के अनुपात में उपभोक्ता से जले हुए मीटर की लागत को वसूल करेगा (आयोग की मूल्यहास अनुसूची के अनुसार मीटर का उपयोगी जीवन - उक्त मीटर की पहली किस्त की तारीख के बाद के वर्षों की संख्या)।

परन्तु बशर्ते कि यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित हो जाता है कि मीटर में गड़बड़ी या किसी अन्य जानबूझकर उपभोक्ता द्वारा मीटर के साथ हस्तक्षेप करने के कारण मीटर खराब/जला दिया गया था, तो उपभोक्ता का मूल्यांकन आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.50 के अनुसार किया जाएगा और कानून के तहत उपभोक्ता के खिलाफ चोरी और छेड़छाड़ के लिए अनुमत कार्रवाई की जाएगी।

- 6.44 मीटर का परीक्षण किसी तीसरे पक्ष की सुविधा पर किया जा सकता है, यदि उपभोक्ता ऐसा चाहता है। तृतीय-पक्ष एजेंसियों की सूची, जो एनएवीएल (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।

बशर्ते कि उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण के मामले में, उपभोक्ता को आयोग के अनुमोदन से लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट लागत के अनुसार परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा:

- 6.45 वितरण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों और उपभोक्ता दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपभोक्ता को मीटर परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति देगा और ऐसी एक प्रति पावती के रूप में अपने पास रखेगा। वितरण लाइसेंसधारी ऐसे परीक्षण की तिथि एवं समय उपभोक्ता को सूचित करेगा तथा उक्त उपभोक्ता को परीक्षण हेतु स्थल पर उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा। तथापि, यदि उपभोक्ता परीक्षण के लिए स्थल पर उपस्थित नहीं होना चाहता है, तो वितरण लाइसेंसधारी ऐसा परीक्षण करेगा और उपभोक्ता को मीटर परीक्षण रिपोर्ट की प्रति हस्ताक्षर करने के लिए देगा।

- 6.46 यदि परीक्षण के दौरान मीटर गलत पाया जाता है, तो अतिरिक्त या कम शुल्क को आयोग द्वारा निर्दिष्ट बाद के बिलों में समायोजित किया जाएगा।

- 6.47 यदि कोई उपभोक्ता परीक्षण के परिणामों पर विवाद करता है, तो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनुमोदित तृतीय-पक्ष परीक्षण एजेंसियों की सूची से उपभोक्ता द्वारा चयनित किसी तृतीय-पक्ष परीक्षण सुविधा में मीटर का परीक्षण किया जाएगा। यदि यह सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है कि इस परीक्षण के परिणाम वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए परीक्षण के परिणामों के विपरीत हैं, तो ऐसे परीक्षण करने की लागत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी। हालाँकि, यदि यह स्थापित हो जाता है कि इस परीक्षण के परिणाम वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विनियम 6.36 के अनुसार किए गए परीक्षण के परिणामों के समान हैं, तो इस तरह के परीक्षण की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह के परीक्षण के पूरा होने के बाद उपभोक्ता को मीटर परीक्षण के परिणाम और मीटर डेटा जारी किए जाएंगे और उक्त परिणाम उपभोक्ता और वितरण लाइसेंसधारी दोनों के लिए अंतिम और बाध्यकारी हैं।

6.48 मीटर खराब होने की स्थिति में नए मीटर और अन्य उपकरणों की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी जब तक कि मीटर उपभोक्ता परिसर के बाहर स्थापित नहीं किया गया हो। लाइसेंसधारी खोए हुए मीटर के शेष उपयोगी जीवन काल के अनुपात में उपभोक्ता से मीटर की लागत वसूल करेगा।

लाइसेंसधारी शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर खराब/बंद मीटर के लिए उपभोक्ताओं की शिकायत पर उपस्थित होगा और परीक्षण के बाद, यदि आवश्यक हो, उसके बाद 15 दिनों के भीतर मीटर को बदल देगा।

खराब या जले या चोरी हुए मीटरों को बदलना

6.49 यदि उपभोक्ता की शिकायत पर या लाइसेंसधारी द्वारा निरीक्षण पर कोई मीटर खराब या जला हुआ पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी शिकायत प्राप्त होने के 6 घंटे के भीतर या लाइसेंसधारी द्वारा निरीक्षण के बाद, जले हुए मीटर को बाइपास करते हुए यह सुनिश्चित करने के बाद आपूर्ति बहाल करेगा कि भविष्य में नुकसान से बचने के लिए साइट पर आवश्यक निवारक कार्रवाई की जाएगी।

बशर्ते कि चोरी हुए मीटरों के संबंध में शिकायतों पर लाइसेंसधारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब उनके साथ उपभोक्ता द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी की एक प्रति हो। ऐसे सभी मामलों में लाइसेंसधारी जांच भी करेगा।

6.50 यदि प्रथम दृष्टया मीटर खराब या जला हुआ या चोरी हो गया पाया जाता है, जो उपभोक्ता के कारण नहीं हुआ है, तो लाइसेंसधारी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के अंदर और दूरस्थ क्षेत्रों में 120 घंटे अपनी लागत पर नए मीटर के माध्यम से आपूर्ति बहाल करेगा।

6.51 यदि जांच के बाद यह पाया जाता है कि मीटर में गड़बड़ी, उपभोक्ता की स्थापना में खराबी, अनधिकृत अतिरिक्त लोड को जोड़ने आदि जैसे उपभोक्ता के कारणों से जल गया है, तो मीटर बदलने के संबंध में विनियम 6.42 से 6.48 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लाइसेंसधारी मीटर की कीमत की वसूली के लिए उपभोक्ता को नोटिस देने के 7 कार्य दिवसों के अंदर नोटिस देगा और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे और दूरदराज के क्षेत्रों में 120 घंटे के भीतर मीटर को बदला जाएगा।

बशर्ते कि उपभोक्ता भुगतान करेगा और मीटर को भविष्य में नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। यदि उपभोक्ता मीटर नहीं बदलता है या मीटर बदलने के लिए निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो उपभोक्ता के कनेक्शन को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के 7 दिनों के अंदर काटने के लिए नोटिस दिया जाएगा। इसका पालन नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से कनेक्शन काट दिया जाएगा।

उपभोक्ता मीटर के डेटा कि सुरक्षा के मानदंड

6.52 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं और संबंधित निवेश योजनाओं में उपभोक्ता की गोपनीयता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह डेटा संग्रह, भंडारण और हस्तांतरण सहित सभी कार्यों के लिए लागू होगा।

6.53 उपभोक्ता डेटा को एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल के उचित स्तरों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा, और बाहरी एजेंसियों के साथ आयोग के स्पष्ट प्राधिकरण के बिना साझा नहीं किया जाएगा या जब तक वैधानिक प्राधिकरणों या कानून की अदालतों द्वारा आवश्यक न हो। यदि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझा जाता है, तो आयोग वितरण लाइसेंसधारियों को उपयुक्त उपभोक्ता सहमति प्रक्रियाओं के साथ तीसरे पक्ष को उपभोग डेटा का खुलासा करने की अनुमति देगा, जैसा लागू हो। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

क) डेटा को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:

- (i) व्यक्तिव पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई): जिसमें ग्राहक के नाम, पते, पहचान संख्या और अन्य जानकारी शामिल होती है जो विशेष रूप से उस व्यक्ति या इकाई की पहचान करती है जिस पर यह लागू होता है।
- (ii) ग्राहक-विशिष्ट ऊर्जा उपयोग डेटा (सीईयूडी): जो उच्च जियोल्यूशन पर, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में विवरण प्रकट करता है और इसलिए इसे व्यक्तिगत डेटा माना जाना चाहिए।

ख) सेवाएं प्रदान करने वाली पार्टियों द्वारा डेटा एक्सेस की अनुमति केवल वितरण लाइसेंसधारी के नामित वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट सत्यापन के साथ दी जाएगी, जो आवश्यक गोपनीयता, गैर-प्रकटीकरण और गैर-असंबंधित उपयोग के तहत ऐसा डेटा प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत हैं। समझौते ऐसे तृतीय पक्षों को सभी समेकित और अज्ञात सीईयूडी तक पहुंच की अनुमति होगी। किसी भी पीआईआई डेटा को तीसरे पक्ष को प्रदान नहीं किया जाएगा।

ग) आयोग, वितरण लाइसेंसधारी के अनुरोध पर, आयोग द्वारा अनुमोदित स्मार्ट ग्रिड परियोजना या कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उपभोक्ताओं और उनके उपभोग डेटा तक सीधे पहुंच के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को भी मंजूरी दे सकता है। लाइसेंसधारी ऐसे तृतीय पक्षों के साथ उपयुक्त गोपनीयता व्यवस्था के माध्यम से ऐसी पहुंच की अनुमति देगा।

- घ) यह स्पष्ट किया जाता है कि न तो संबंधित वितरण लाइसेंसधारी और न ही तीसरे पक्ष को किसी अन्य पार्टी, जिनके पास डेटा उपलब्ध होता है, को बेचने या प्रसारित करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ङ) उपभोक्ताओं के पास अपने स्वयं के उपभोग डेटा तक पहुंच होगी, जिसे उपभोक्ता के मीटर डिस्प्ले पर और अधिकृत वेबसाइटों पर उचित स्तर पर पहुंच नियंत्रण और सुरक्षा के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है।
- 6.54 उपभोक्ता की गोपनीयता और डेटा संरक्षण संबंधी विवादों का समाधान उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल के माध्यम से किया जाएगा।
- 6.55 वितरण लाइसेंसधारी डेटा गोपनीयता के संबंध में शिकायतों को संभालने के लिए एक डेटा अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा, और सभी डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए आयोग, उपभोक्ताओं, तीसरे पक्ष और अन्य हितधारकों के लिए संपर्क के एकल बिंदु (एसपीओसी) के रूप में कार्य करेगा।
- 6.56 आयोग अपने विवेक पर ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए नियमों को निर्दिष्ट कर सकता है जिनका पालन करने के लिए लाइसेंसधारी बाध्य होगा। इसके अलावा, आयोग नियमों में संशोधन कर सकता है ताकि उन्हें प्रचलित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनों के अनुरूप बनाया जा सके।

अध्याय 7: बिलिंग

सामान्य

- 7.1 बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए टैरिफ वितरण लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और उपभोक्ताओं को वितरण लाइसेंसधारी की वेबसाइट के साथ-साथ ऊर्जा बिलों के माध्यम से ईंधन सरचार्ज और अन्य शुल्कों सहित टैरिफ में बदलाव के बारे में सूचित किया जाएगा, समय से पहले एक पूर्ण बिलिंग चक्र लाइसेंसधारी उपभोक्ता को निम्नलिखित के बारे में भी सूचित करेगा:
- (1) बिलिंग चक्र, जो कृषि उपभोक्ताओं अर्थात्, पंप सेट कनेक्शन को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मासिक होगा, जिस मामले में, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, लाइसेंसधारी आयोग के अनुमोदन से बिलिंग चक्र को अलग से निर्दिष्ट करेगा।
- एलटी सिंगल फेज आपूर्ति वाले उपभोक्ताओं के मामले में, यदि लाइसेंसधारी इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की मासिक बिलिंग में कठिनाई का अनुभव करता है, तो वह बिल को द्वि-मासिक आधार पर (अर्थात्, दो महीने में एक बार) आयोग के अनुमोदन से भेज सकता है। आयोग लाइसेंसधारी की कठिनाइयों पर विचार कर सकता है और एक सीमित समय अवधि के लिए द्विमासिक आधार पर बिलिंग को मंजूरी दे सकता है, जिसके बाद बिलिंग चक्र मासिक आधार पर होगा।
- (2) संभावित सप्ताह जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक बिलिंग चक्र में बिल जारी किया जाएगा;
- (3) बिल के भुगतान की संभावित देय तिथियां; तथा
- (4) उपभोक्ताओं पर लागू छूट, यदि कोई हो।
- 7.2 बशर्ते कि चेक के माध्यम से बिल भुगतान की देय तिथि नकद भुगतान के लिए सामान्य देय तिथि से 3 कार्य दिवस पहले होगी। यदि उपभोक्ता ने अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से बिल प्रेषण की सूचना भी देगा। सभी उपभोक्ताओं के लिए पिछले बारह (12) बिलों (नवीनतम बिल सहित) का बिलिंग विवरण भुगतान रसीद विवरण के साथ लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7.3 लाइसेंसधारी वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए बिल तैयार करेगा, सिवाय जहां पूर्व भुगतान मीटर स्थापित हैं को छोड़कर, और बिल उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से या डाक या कूरियर या ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान की नियत तारीख से कम से कम दस दिन पहले वितरित किया जाएगा।
- 7.4 वितरण लाइसेंसधारी बिल जनरेट करने वाले दिन बिल को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा। बशर्ते कि सभी उपभोक्ताओं के लिए पिछले एक वर्ष का बिलिंग विवरण भी लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7.5 पूर्व भुगतान मीटरिंग के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर बिल जारी करेगा।
- 7.6 वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को तुरंत एसएमएस या ईमेल, या दोनों के माध्यम से बिल भेजने के बारे में सूचित करेगा और सूचना में बिल राशि और भुगतान की नियत तारीख का विवरण शामिल होगा।
- 7.7 लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए स्पॉट बिलिंग शुरू करने का विकल्प तलाश सकता है।

- 7.8 लाइसेंसधारी एक नए कनेक्शन को सक्रिय करने के दो बिलिंग चक्रों के अंदर पहला बिल जारी करेगा जहां पोस्ट पेमेंट मीटर लगाए गए हैं। यदि उपभोक्ता को कनेक्शन के सक्रिय होने की तारीख से दो बिलिंग चक्रों के अंदर पहला बिल प्राप्त नहीं होता है, तो उपभोक्ता लिखित रूप में लाइसेंसधारी के कार्यालय में शिकायत करेगा और लाइसेंसधारी अगले सात (7) कार्य दिवस के अंदर बिल जारी करेगा।
- 7.9 स्पॉट बिलिंग के मामले में उपभोक्ता द्वारा पावती के तहत बिल तुरंत उपभोक्ता को दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विनियम 7.3 में निर्दिष्ट अनुसार बिल उपभोक्ता को हाथ/डाक/कूरियर द्वारा वितरित किया गया है।
- 7.10 यदि किसी उपभोक्ता को बिल जारी होने की संभावित तिथि के 7 दिनों के अंदर बिल प्राप्त नहीं होता है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारी के संबंधित बिलिंग कार्यालय से डुप्लीकेट बिल प्राप्त कर सकता है या लाइसेंसधारी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकता है। हालांकि, उपभोक्ता को बिल पहुंचाने की जिम्मेदारी केवल लाइसेंसधारी की होती है। यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर संपर्क करता है, या डाक द्वारा प्राप्त होता है, तो लाइसेंसधारी तुरंत एक डुप्लीकेट बिल जारी करेगा।

वर्षों के 60 दिनों से अधिक समय तक बिल की सेवा में देरी के मामले में, उपभोक्ता को आयोग द्वारा निर्दिष्ट 2 प्रतिशत की छूट के साथ बिना किसी विलंब भुगतान के लिए सरचार्ज या जुर्माना के मासिक किश्तों में बिल का भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

7.11 निम्नलिखित जानकारी को बिल में शामिल किया जाएगा:

- (1) बिलिंग कार्यालय/वितरण केंद्र का पता और टेलीफोन नंबर;
- (2) सर्विस कनेक्शन संख्या;
- (3) बिल संख्या और बिल की अवधि;
- (4) उपभोक्ता संख्या, नाम और पता;
- (5) जिस पोल नंबर से कनेक्शन दिया गया है / उप-मंडल या केंद्र का नाम;
- (6) बिल जारी करने की तिथि;
- (7) उपभोक्ता की टैरिफ श्रेणी (अर्थात् घरेलू, वाणिज्यिक, आदि);
- (8) टैरिफ, बिजली शुल्क की दर और लागू उपकर;
- (9) मीटर की स्थिति (ठीक/दोषपूर्ण/उपलब्ध नहीं);
- (10) बिलिंग स्थिति (नियमित/आकलित/कारण सहित अनंतिम बिल)
- (11) आपूर्ति विवरण:

क. आपूर्ति का प्रकार (अर्थात् सिंगल फेज, थ्री फेज एलटी या एचटी)

ख. अनुबंधित लोड / कनेक्टेड लोड

- (12) मीटर संख्या और मीटर की पहचान का विवरण (यदि बिलिंग अवधि के दौरान मीटर को बदल दिया गया था, तो बिल में नए और साथ ही पुराने मीटर की मीटर संख्या, बदलने की तारीख, पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग और मीटर बदलने के समय नए मीटर प्रारंभिक रीडिंग का विवरण होना चाहिए।);
- (13) तारीख के साथ प्रारंभिक मीटर रीडिंग;
- (14) तारीख के साथ अंतिम मीटर रीडिंग;
- (15) मीटर का गुणन कारक, यदि कोई हो;
- (16) खपत की गई इकाइयाँ;
- (17) अधिकतम मांग;
- (18) पावर फैक्टर, यदि लागू हो;
- (19) भुगतान की देय तिथि (यदि आवश्यक हो तो नकद, चेक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, आदि द्वारा भुगतान के लिए अलग से निर्दिष्ट) और त्वरित छूट के साथ भुगतान की तिथि;
- (20) उपभोक्ता द्वारा जमा सुरक्षा जमा;

- (21) बिलिंग विवरण: बिल में चालू माह के साथ-साथ पिछले बकाया के लिए मद-वार विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। एक प्रतिनिधि सूची नीचे दी गई है:
- क) ऊर्जा प्रभार;
 - ख) निर्धारित शुल्क;
 - ग) मीटर किराया, यदि कोई हो;
 - घ) कैपेसिटर सरचार्ज;
 - ङ) अन्य शुल्क, यदि कोई हो;
 - च) विद्युत शुल्क;
 - छ) ईंधन मूल्य खरीद समायोजन शुल्क;
 - ज) पावर फैक्टर समायोजन शुल्क, यदि कोई हो;
 - झ) प्रतिक्रिया ऊर्जा शुल्क, यदि कोई हो;
 - ञ) विलंब के लिए सरचार्ज, यदि कोई हो;
 - ट) देय किश्तों पर व्याज;
 - ठ) चालू माह की कुल मांग;
 - ड) बकाया (विवरण के साथ);
 - ढ) अधिनियम की धारा 65 के तहत सन्डि का विवरण, यदि कोई हो;
 - ण) अन्य (विवरण के साथ);
 - त) कुल देय राशि;
 - थ) समायोजन;
 - द) भुगतान की जाने वाली शुद्ध राशि;
 - ध) भुगतान के तरीके स्वीकार किए जाते हैं;
 - न) चेक और बैंक ड्राफ्ट के मामले में, प्राप्तकर्ता प्राधिकारी जिसके पक्ष में राशि आहरित की जानी चाहिए;
 - न) धारित और आवश्यक सुरक्षा जमा की राशि;
 - प) पिछले छह रीडिंग का उपभोग विवरण।
- 7.12 बिल के पीछे निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी, यदि सामने प्रदान नहीं की जाती है या बिल पर मुहर नहीं लगाई जाती है या वर्ष में कम से कम दो बार बिल के साथ संलग्न करके भेजी जाती है:
- (1) बिल भुगतान के संग्रहण के लिए विभिन्न स्थानों पर मोबाइल वैन, यदि कोई हो, की उपस्थिति की तिथि और समय सहित बिल भुगतानों के संग्रहण के लिए संग्रहण केंद्र (केंद्रों) का पता और कार्य घंटे;
 - (2) उस प्राधिकारी का पदनाम और पता जिसके पास बिलों से संबंधित शिकायत/शिकायत दर्ज की जा सकती है;
 - (3) शिकायत केंद्रों के टेलीफोन नंबरों के साथ पूरा पता, यदि कोई हो;
 - (4) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 6 के तहत गठित सीजीआरएफ के साथ-साथ लोकपाल के पते और टेलीफोन नंबर;
 - (5) उपभोक्ता के लिए लागू टैरिफ अनुसूची; तथा
 - (6) सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, चोरी की रोकथाम आदि से संबंधित जानकारी।
- 7.13 बिल में लाइसेंसधारी द्वारा वांछित अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, हो सकती है।
- 7.14 लाइसेंसधारी उन बैंकों सहित संग्रहण केंद्रों के पतों/स्थानों और कार्य घंटों का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा जहां उपभोक्ता भुगतान कर सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों में बिलिंग की प्रक्रिया/जब मीटर पहुंच योग्य न हो तब बिलिंग

- 7.15 स्पॉट बिलिंग सिस्टम द्वारा कवर नहीं किए गए सभी मामलों में, यदि लाइसेंसधारक मीटर की रीडिंग में सक्षम नहीं है, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए खपत के आधार पर एक अनंतिम बिल जारी किया जा सकता है जिसमें मीटर काम कर रहा था। हालांकि, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा अनंतिम बिल एक बार में दो से अधिक बिलिंग चक्रों तक विस्तारित नहीं होता है, और एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता के लिए दो से अधिक अनंतिम बिल उत्पन्न नहीं होते हैं।

उस स्थिति में, यदि अस्थायी बिलिंग दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए जारी रहता है, जब तक कि अप्रत्याशित स्थिति के कारण असाधारण स्थिति को छोड़कर, उपभोक्ता देय राशि का भुगतान करने से इनकार कर सकता है जब तक कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार बिल नहीं दिया जाता है। यदि उपभोक्ता का परिसर लगातार दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए दुर्गम है, तो उपभोक्ता के परिसर में अस्थायी वियोग के लिए एक नोटिस चिपकाया जाना है। यदि इस प्रकार का नोटिस चिपकाए जाने के 30 दिनों के अंदर उपभोक्ता मीटर रीडिंग की व्यवस्था करने में विफल रहता है तो एक माह का नोटिस देकर आपूर्ति अस्थायी रूप से काट दी जाएगी। अनंतिम बिलों का समायोजन बाद की वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त के बावजूद, यदि मीटर रीडिंग की लगातार दो तिथि पर मीटर रीडर के लिए मीटर पहुंच योग्य नहीं है, तो उपभोक्ता के पास पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से मीटर रीडिंग और मीटर रीडिंग की तिथि को इंगित करते हुए मीटर की तस्वीर भेजने का विकल्प होगा। ऐसे मामले में, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को कोई नोटिस या अनंतिम बिल नहीं भेज सकता है।

नए कनेक्शन के मामले में, जिसके लिए एक साल का डेटा उपलब्ध नहीं है, अनंतिम बिलिंग के उद्देश्य के लिए खपत की गणना इन विनियमों के अनुलग्नक XVIII में उस श्रेणी के लिए निर्दिष्ट लोड फैक्टर पर विचार करके की जाएगी।

खराब/बंद/जले हुए मीटर के मामले में बिलिंग

7.16 खराब/फटे/बंद/जले हुए मीटर के मामले में, उपभोक्ता को पिछले वर्ष के इसी महीने की मासिक खपत के उच्च और ठीक पिछले तीन महीनों की औसत मासिक खपत के आधार पर बिल किया जाएगा। हालांकि, यदि न तो पिछले वर्ष की इसी अवधि की खपत और न ही पिछले तीन बिलिंग चक्रों की खपत उपलब्ध है, तो उपभोक्ता के खाते में परिवर्तन के लिए पिछले 6 महीनों के दौरान मीटर के सही ढंग से काम करने की अवधि का औसत लिया जाएगा। ये शुल्क केवल तीन बिलिंग चक्रों की अधिकतम अवधि के लिए उद्ग्राह्य होंगे, जिस अवधि के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा दोषपूर्ण मीटर को बदलने की उम्मीद की जाती है और तीन महीने की अवधि के बाद कोई बिल नहीं दिया जा सकता है।

7.17 यदि उपभोक्ता की स्थापना पर मीटर का अधिकतम मांग संकेतक दोषपूर्ण पाया जाता है या बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है (जब तक कि छेड़छाड़ नहीं की जाती है), मांग शुल्क की गणना पिछले वर्ष के संबंधित महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी, जब मीटर काम कर रहा था और सही ढंग से रिकॉर्डिंग कर रहा था।

यदि पिछले वर्ष के संबंधित महीने/बिलिंग चक्र की दर्ज की गई अधिकतम मांग भी उपलब्ध नहीं है, तो अधिकतम मांग की गणना आपूर्ति कोड, 2023 के अनुलग्नक XIX में निर्दिष्ट किए गए अनुसार लोड फैक्टर के आधार पर की जाएगी।

चोरी हुए मीटरों के मामले में बिलिंग

7.18 मीटर चोरी होने की सूचना के मामले में, जिस अवधि के लिए मीटर उपलब्ध नहीं था, उस अवधि के लिए बिजली शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(1) इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.50 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी की पूछताछ में यह स्थापित होता है कि मीटर की हानि उपभोक्ता के जानबूझकर किए गए कार्य और/या उसकी मिलीभगत के कारण हुई थी;

(2) अन्य मामलों में इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 7.16 और 7.17 के अनुसार।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिभोग में परिवर्तन या परिसर को खाली करने के मामलों में मीटर की विशेष रीडिंग और बिलिंग

7.19 यह उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होगा कि वह अधिभोग के परिवर्तन के समय या खाली होने वाले परिसर में लाइसेंसधारी द्वारा विशेष रीडिंग करवाए और लाइसेंसधारी से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

7.20 उपभोक्ता लाइसेंसधारी से लिखित रूप में अनुरोध करेगा कि उक्त परिसर की उक्त रिकॉर्डिंग या अधिभोग में परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, से कम से कम 15 दिन पहले विशेष पठन किया जाए। हालांकि, लाइसेंसधारी कम अवधि के नोटिस को स्वीकार कर सकता है।

7.21 लाइसेंसधारी उपभोक्ता का लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर मीटर की विशेष रीडिंग लेने की व्यवस्था करेगा और परिसर के अधिभोग/कब्जे के परिवर्तन से कम से कम 5 दिन पहले बिलिंग की तिथि तक के सभी बकाया सहित अंतिम बिल जारी करेगा। इस प्रकार जारी किए गए अंतिम बिल में यह उल्लेख होगा कि परिसर में कोई अन्य बकाया नहीं है और बिल अंतिम है। अंतिम बिल में आनुपातिक आधार पर विशेष रीडिंग की तारीख और परिसर को खाली करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए शुल्क भी शामिल होंगे।

7.22 एक बार अंतिम बिल के उठने के बाद, लाइसेंसधारी को ऐसे बिल की तारीख से पहले की किसी भी अवधि के लिए अंतिम बिल के अलावा किसी भी शुल्क को वसूल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लाइसेंसधारी खाली होने पर परिसर की आपूर्ति काट देगा। परिसर को खाली करने पर अंतिम भुगतान करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी और लाइसेंसधारी

तदनुसार ऐसा भुगतान प्राप्त करने पर एक अदेयता प्रमाण पत्र जारी करेगा। तथापि, कब्जे के परिवर्तन के मामले में, कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और नाम बदलने के लिए वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, यह प्रभावित होगा।

उपभोक्ता द्वारा स्व-मूल्यांकन पर भुगतान

- 7.23 बिल प्राप्त न होने की स्थिति में, उपभोक्ता स्व-मूल्यांकन बिल को इस आपूर्ति संहिता, 2022 के अनुलग्नक XII में निर्धारित प्रारूप में उस अवधि के लिए जमा कर सकता है, जिसके लिए बिल प्राप्त नहीं हुआ है, बशर्ते कि यह पिछले छह महीनों में बिलिंग चक्र के दौरान खपत के औसत से कम न हो। उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार किया गया अधिक/कम भुगतान अगले बिल या बिलों में, जैसा भी मामला हो, में समायोजित किया जाएगा।
- 7.24 सरचार्ज लगाने के संबंध में विवाद की स्थिति में, लाइसेंसधारी उपभोक्ता द्वारा विरोध की तिथि से एक बिलिंग चक्र के अंदर उसे सुनवाई का अवसर देकर विवाद का निपटारा करेगा।

बिलों का अग्रिम भुगतान

- 7.25 यदि परिसर में भुगतान के बाद मीटर वाला कोई उपभोक्ता कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और उपभोक्ता अग्रिम एकमुश्त भुगतान करना चाहता है, जिससे बिल की राशि समय-समय पर काटी जा सकती है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारी को इस आपूर्ति संहिता, 2022 के अनुलग्नक XIII में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है।
- 7.26 ऐसे मामलों में, उपभोक्ता प्रस्तावित अनुपस्थिति की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क को कवर करने वाली राशि जमा करेगा। इस तरह के अंतिम भुगतान को तब समायोजित किया जाएगा जब वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बाद के बिल जारी किए जाएंगे।
- 7.27 इस व्यवस्था को चुनने वाले उपभोक्ताओं के बिलों में उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि, प्रत्येक बिलिंग चक्र के बाद बिजली के बकाया के विरुद्ध समायोजित राशि और शेष राशि को दर्शाया जाएगा। ऐसी अग्रिम जमाराशियों से बकाया राशि पर, बचत बैंक खाते के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यह ब्याज गणना त्रैमासिक रूप से की जाएगी।

विवादित बिलों के मामले में बिलिंग

- 7.28 व्यक्तिगत रूप से विवादित बिलों के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी लिखित/इलेक्ट्रॉनिक पावती मौके पर या प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर जारी करेगा, यदि डाक द्वारा प्राप्त होता है और संदर्भ के लिए एक शिकायत संख्या देता है।
- 7.29 यदि उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता की शिकायत का समाधान करेगा और शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर उपभोक्ता को परिणाम की सूचना देगा। यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो उसे प्राप्त किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर उपभोक्ता को परिणाम की सूचना दी जाएगी। तथापि, यदि उपभोक्ता समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो विलंब के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी नहीं होगा। जब तक बिल पर शिकायत का समाधान नहीं हो जाता, उपभोक्ता को पिछले वर्ष की इसी अवधि की औसत खपत के आधार पर राशि का भुगतान करना होगा जब मीटर काम कर रहा था। इस प्रकार वसूल की गई राशि शिकायत के समाधान पर अंतिम समायोजन के अधीन होगी।
- 7.30 यदि लाइसेंसधारी द्वारा शिकायत सही पाई जाती है, तो उपभोक्ता को इसकी सूचना देने के 5 कार्य दिवसों के अंदर एक संशोधित बिल जारी किया जाएगा। उपभोक्ता को संशोधित बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। यदि संशोधित देय तिथि तक भुगतान किया जाता है, तो उपभोक्ता से कोई विलंबित भुगतान पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
- 7.31 यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा और मूल बिल के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा और यदि मूल बिल की देय तिथि के बाद भुगतान किया जाता है तो उपभोक्ता को विलंबित भुगतान पर सरचार्ज का भुगतान करना होगा।
- 7.32 जो उपभोक्ता विशेष मीटर रीडिंग करना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनुमोदित आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।

अधिक लोड के मामले में बिलिंग

- 7.33 अधिक लोड की बिलिंग आयोग द्वारा अनुमोदन के अनुसार की जाएगी।

बिलों का भुगतान

- 7.34 उपभोक्ता बिल का भुगतान नकद (5000 रुपये तक), चेक, डिमांड ड्राफ्ट या डेबिट / क्रेडिट कार्ड, बैंकर चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, नेट बैंकिंग, ड्रॉप बॉक्स आदि द्वारा कर सकते हैं। चेक और डिमांड ड्राफ्ट किसी भी समय देय होंगे। एक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा जो उस क्षेत्र के समाशोधन गृह का सदस्य है जहां संबंधित उप मंडल कार्यालय स्थित है। उपभोक्ता द्वारा चेक जमा करने की तिथि, लाइसेंसधारी के खाते में भुगतान प्राप्त होने की तिथि मानी जाएगी।

7.35 भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है:

- (1) निर्दिष्ट समय के दौरान लाइसेंसधारी के नामित संग्रह कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से; या
- (2) डाक या कूरियर द्वारा; या
- (3) निर्दिष्ट स्थानों पर लाइसेंसधारी द्वारा बनाए गए ड्रॉप-बॉक्स में जमा करके; या
- (4) इंटरनेट, मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक हस्तांतरण द्वारा; या
- (5) बिल भुगतान की स्वीकृति के लिए लाइसेंसधारी द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य योजना द्वारा।

7.36 लाइसेंसधारी आवश्यक सुविधाओं के साथ उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में संग्रहण केन्द्र स्थापित करेगा जहाँ उपभोक्ता बिल राशि को आसानी से और बिना किसी अनावश्यक भीड़ के जमा कर सकता है। जहाँ आवश्यक हो, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए, अधिमानतः भूतल पर अलग संग्रह काउंटर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7.37 लाइसेंसधारी, अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता को, जो देय राशि के भुगतान में चूक करता है, उसे बकाया भुगतान करने के लिए 15 स्पष्ट दिनों की नोटिस अवधि देने के बाद, लिखित रूप में कनेक्शन काटने का नोटिस जारी कर सकता है।

यदि चेक अनादरित हो जाता है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को सूचित करेगा और उसे 7 दिनों के अंदर नकद में बिल का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता को विलंबित भुगतान सरचार्ज, जो लागू हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही चेक के अनादर/ड्राफ्ट की वसूली न होने के कारण शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी उपभोक्ता के चेक/ड्राफ्ट के अनादर के दो मामले हैं, तो उपभोक्ता को अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से करने होंगे। इसके अलावा, लाइसेंसधारी के पास परक्राम्य लिखत अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का विकल्प हो सकता है।

7.38 इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 7.34 में निर्दिष्ट भुगतान के तरीके के अलावा, लाइसेंसधारी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या बैंक के नामित काउंटरो पर या क्रेडिट/डेबिट कार्ड या एक निर्दिष्ट क्षेत्र में और/या उपभोक्ताओं की एक निर्दिष्ट श्रेणी के लिए किसी अन्य के माध्यम से बिल भुगतान की स्वीकृति के लिए उपभोक्ताओं को उचित नोटिस दिए जाने के बाद योजनाओं को अधिसूचित कर सकता है। हालांकि, भुगतान के तरीके में कोई भी बदलाव उपभोक्ता के अनुकूल होगा।

7.39 जहां बिल पर भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि रविवार या सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती है, भुगतान अगले कार्य दिवस पर देय होगा।

बिल भुगतान की रसीद

7.40 उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए बिलों के भुगतान की रसीद दी जाएगी। सभी मामलों में, भुगतान अगले बिल में स्वीकार किया जाएगा।

प्राप्त राशि का उपयोग

7.41 उपभोक्ता द्वारा किए गए सभी भुगतानों को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में समायोजित किया जाएगा:

- (1) देर से भुगतान के लिए सरचार्ज;
- (2) बिजली शुल्क का बकाया और बिजली शुल्क / कर का तदनुसूची बकाया;
- (3) वर्तमान बिजली शुल्क और संबंधित वर्तमान बिजली शुल्क / कर;
- (4) विविध शुल्क।

देर से भुगतान अधिभार

7.42 विलंबित भुगतान के लिए प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार सरचार्ज लगाया जाएगा।

किस्त की सुविधा

7.43 लाइसेंसधारी उन उपभोक्ताओं के लिए किस्तों में बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर सकता है जो इस समय बिजली की आपूर्ति जारी रखने के लिए वित्तीय संकट में हैं। हालांकि, देय तिथि के बाद भुगतान की गई राशि पर विलंबित भुगतान अधिभार लगाया जाएगा।

बकाया की वसूली

7.44 भुगतान में चूक के कारण किसी भी उपभोक्ता से देय कोई राशि उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी राशि पहली बार देय नहीं हो जाती है, जब तक कि ऐसी राशि को आपूर्ति की गई बिजली के शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया हो।

इसके अलावा, 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए लंबित किसी भी उपभोक्ता (यदि कोई हो) की बकाया राशि को लाइसेंसधारी द्वारा पूरी तरह से सत्यापन के बाद उसी उपभोक्ता की दूसरी स्थापना में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी दोनों उपभोक्ता समान हैं।

इसके अलावा, अनुपूरक मांग को बिल में अलग से दिखाया जाएगा।

अध्याय 8: प्रतिबंध-चोरी और बिजली का अनधिकृत उपयोग**बिजली की चोरी**

8.1 जब भी ऊर्जा की चोरी के मामले का पता चलता है, तो प्राधिकृत अधिकारी नीचे दिए गए खंड में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन करेगा:

बिजली चोरी का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया

8.2 लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता अधिकृत अधिकारियों की सूची को सभी कार्यालयों और अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकाशित करेगा और ऐसे अधिकारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और ये अधिकारी अधिनियम की धारा 135(2) के अनुसार किसी भी स्थान या परिसर के निरीक्षण करेंगे।

8.3 एक प्राधिकृत अधिकारी, स्वप्रेरणा से या बिजली की चोरी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर, उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता (जेई) / उप-मंडल अधिकारी को पूर्व सूचना देने के बाद ऐसे परिसर का तुरंत निरीक्षण करेगा:

बशर्ते कि उन मामलों में जहां जेई की नियुक्ति नहीं हुई है; संबंधित कार्यकारी अभियंता को पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी:

परन्तु बशर्ते कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी आवासीय परिसर का निरीक्षण, तलाशी और जब्ती नहीं की जाएगी, सिवाय ऐसे परिसर में रहने वाले एक वयस्क पुरुष सदस्य की उपस्थिति के।

8.4 ऐसे अधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता की निरीक्षण टीम उनके साथ उनके फोटो पहचान पत्र ले जाएगी। परिसर में प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि को फोटो पहचान पत्र दिखाया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी का फोटो पहचान पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि उसे अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

8.5 निरीक्षण करते समय, प्राधिकृत अधिकारी और उनकी टीम अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा 2, 3 और 4 के प्रावधानों का पालन करेगी।

8.6 जहां तक संभव हो निरीक्षण की घटनाओं की फोटो/वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ऐसे मामलों में, जहां महत्वपूर्ण कानून और व्यवस्था की समस्या का अनुमान है, परिसर का निरीक्षण करने वाला अधिकृत अधिकारी तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) से सहायता मांगेगा और पुलिस सहायता भी मांगेगा। ऐसे मामलों में सभी घटनाओं को वीडियो कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

8.7 यदि इस तरह के प्रवेश या निरीक्षण से व्यक्ति/उपभोक्ता द्वारा बिजली चोरी के किसी भी कार्य में शामिल होने या संलग्न होने का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो अधिकृत अधिकारी, उसके साथ आने वाले कर्मचारी और लाइसेंसधारी ऐसे प्रवेश, निरीक्षण और तलाशी के कारण व्यक्ति/उपभोक्ता को किसी भी कथित नुकसान या असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

8.8 प्राधिकृत अधिकारी कनेक्टेड लोड, मीटर सील की स्थिति, मीटर की कार्यप्रणाली जैसे विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और किसी भी अनियमितता का उल्लेख करेगा (जैसे कि मीटर के साथ छेड़छाड़, ऊर्जा की चोरी के लिए अपनाए गए कृत्रिम साधन)।

8.9 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताएगी कि ऊर्जा की चोरी को प्रमाणित करने वाले पर्याप्त सबूत मिले या नहीं। ऐसे सबूतों का विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

8.10 चोरी के लिए कोई भी मामला केवल मीटर पर सील के गायब होने या छेड़छाड़ या कांच की खिड़की के टूटने के कारण दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न और ऐसे अन्य सबूत उपलब्ध नहीं हो जाते हैं।

8.11 यदि बिजली की प्रत्यक्ष चोरी की पूष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए जाते हैं, तो अधिनियम की धारा 135 उपधारा (1क) के अनुसार लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता आपूर्ति काट देगा और परिसर से तार/केबल, मीटर, सर्विस लाइन, आदि सहित सभी

भौतिक साक्ष्य को जब्त कर लेगा और इस तरह के अपराध के होने के संबंध में लिखित रूप में इस तरह से कनैक्शन काट देने के समय से 24 घंटे के अंदर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करेगा।

8.12 चोरी की आशंका के मामले में, अधिकृत अधिकारी पुराने मीटर को जब्ती ज्ञापन के तहत हटा देगा और इसे उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में सील कर देगा और उपभोक्ता को मीटर पर लगी मुहर पर हस्ताक्षर करना होगा।

8.13 लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता को नए मीटर के साथ आपूर्ति जारी रखेगा। पुराने मीटर का परीक्षण उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और लाइसेंसधारी की परीक्षण प्रयोगशाला में अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा, जो लिखित रूप में एक परीक्षण रिपोर्ट देगा, जो तस्वीरों / वीडियो के साथ इसका सबूत होगा। प्राधिकृत अधिकारी अपनी रिपोर्ट में परिसर में चोरी के संदेह के कारणों को दर्ज करेगा:

बशर्ते कि यदि उपभोक्ता अनुरोध करता है, तो मीटर का परीक्षण उपभोक्ताओं की कीमत पर एनएबीएल (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष के परीक्षण स्थल पर किया जाएगा।

8.14 रिपोर्ट पर अधिकृत अधिकारी और निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को तुरंत उचित रसीद के तहत साइट पर सौंप दिया जाना चाहिए। उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रसीद लेने या देने से इनकार करने की स्थिति में निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर के अंदर/बाहर एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए और उसकी फोटो खिंची जानी चाहिए। साथ ही, निरीक्षण के दिन या अगले दिन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपभोक्ता को रिपोर्ट भेजी जाएगी:

बशर्ते कि संदिग्ध चोरी के मामले में, यदि पिछले एक वर्ष के लिए खपत पैटर्न उचित रूप से एक समान है और निर्धारित खपत के 75% से कम नहीं है, तो आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उपभोक्ता को उचित रसीद के तहत तीन दिन के अंदर निर्णय की सूचना दी जाएगी।

8.15 उपभोक्ता के साक्ष्य और खपत पैटर्न की विस्तृत जांच के बाद, यदि लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि उपभोक्ता के विरुद्ध बेईमानी से बिजली की निकासी, खपत या उपयोग के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता, निरीक्षण के 7 दिनों के अंदर, इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.25 के अनुसार उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस भेजेगा जिसमें कारण बताया जाएगा कि ऐसे उपभोक्ता के विरुद्ध चोरी का मामला क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए पूर्ण विवरण दिए जाएंगे और ऐसे बिंदुओं को भेजा जाएगा जिन पर उत्तर प्रस्तुत किए जाने हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से उस समय, तिथि और स्थान का उल्लेख होना चाहिए जिस पर उत्तर प्रस्तुत किया जाना है और उस व्यक्ति का पदनाम जिसे इसे संबोधित किया जाना चाहिए।

8.16 यदि लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा निरीक्षण की तारीख से 30 दिनों के बाद भी कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाता है, तो संदिग्ध चोरी के मामले को रद्द हुआ माना जाएगा और उपभोक्ता के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।

8.17 चोरी भौतिक निरीक्षण के दौरान पाए गए मीटर के साथ भौतिक हस्तक्षेप तक सीमित नहीं होगी। इसमें बाहरी तरीकों जैसे रिमोट कंट्रोल, उच्च वोल्टेज इंजेक्शन, आदि का सहारा लेकर की गई चोरी भी शामिल होगी, जो खपत की गई ऊर्जा की सटीक रिकॉर्डिंग में हस्तक्षेप करती है। लाइसेंसधारी द्वारा डाउनलोड किए गए मीटरिंग डेटा के विश्लेषण से बिजली की चोरी स्थापित की जा सकती है। यदि उपभोक्ता मीटर के परीक्षण के लिए अनुरोध करता है या एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष सुविधा द्वारा डाउन-लोडेड मीटरिंग डेटा के विश्लेषण का अनुरोध करता है, तो तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के परीक्षण / विश्लेषण की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। यदि बिजली की चोरी मीटर डाउन लोड के रूप में निर्धारित की जाती है, तो इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.25 के अनुसार मूल्यांकन किया गया अनंतिम मूल्यांकन आदेश उपभोक्ता / उपयोगकर्ता को कारण बताओ नोटिस के साथ भेजा जाएगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उस समय, तिथि और स्थान का उल्लेख होना चाहिए जिस पर उत्तर प्रस्तुत किया जाना है और उस व्यक्ति का पदनाम जिसे इसे संबोधित किया जाना चाहिए।

8.18 जिस व्यक्ति को इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.15 और 8.17 के तहत आदेश दिया गया है, वह मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष अनंतिम मूल्यांकन के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हो, दर्ज करने का हकदार होगा, जो उचित अवसर प्रदान करने के बाद ऐसे व्यक्ति की सुनवाई के लिए, मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित करेगा।

उपभोक्ता का जवाब प्रस्तुत करना

8.19 उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.15 में उल्लिखित संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।

8.20 ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता अनंतिम निर्धारण आदेश के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज करता है, सुनवाई की प्रक्रिया इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.21 और 8.22 के अनुसार होगी।

संदिग्ध चोरी के मामले में सुनवाई

- 8.21 उपभोक्ता के उत्तर प्रस्तुत करने की तिथि से 5 कार्य दिवसों के अंदर, लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता के साथ सुनवाई की व्यवस्था करेगा। यदि उपभोक्ता सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उपभोक्ता को एक और अवसर दिया जा सकता है। यदि उपभोक्ता दूसरी बार उपस्थित होने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।
- 8.22 सुनवाई के दौरान, निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर उचित विचार करेगा और 5 कार्य दिवसों के अंदर आदेश पारित करेगा कि चोरी का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण, उपभोक्ता द्वारा अपने लिखित उत्तर में किए गए निवेदन और सुनवाई के दौरान मौखिक निवेदन और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण शामिल होंगे।
- 8.23 उन सभी मामलों में जहां बिजली की चोरी का पता चला है, लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता अधिनियम की धारा 153 के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में मामला दर्ज करेंगे।
- 8.24 उपभोक्ता के जवाब/सुनवाई पर आधारित निर्णय के मामले में जहां चोरी का मामला स्थापित नहीं होता है, आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

मूल्यांकन

- 8.25 लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता का निर्धारण अधिकारी, जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के तहत परिभाषित किया गया है, बिजली की चोरी के लिए अधिनियम की धारा 135 के तहत की गई आपराधिक कार्रवाई के बावजूद, आपूर्ति संहिता, 2023 के अनुलग्नक XIX में दिए गए मूल्यांकन सूत्र के अनुसार ऊर्जा खपत का आकलन उस पूरी अवधि के लिए करेगा। जिसके दौरान बिजली की ऐसी चोरी हुई है और यदि, हालांकि, जिस अवधि के दौरान बिजली की चोरी हुई है, उसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी अवधि निरीक्षण की तारीख से ठीक पिछले 12 महीने तक सीमित होगी और लागू टैरिफ पर एक निर्धारण आदेश तैयार करेगा। इन विनियमों के अनुलग्नक-XIX में दिए गए निर्धारण सूत्र के अनुसार ऊर्जा खपत का आकलन करने के बाद, लाइसेंसधारक लागू टैरिफ के दो गुना के बराबर एक अंतिम मूल्यांकन बिल तैयार करेगा और उपभोक्ता को नोटिस में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:
- (1) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण से संबंधित विवरण जिसमें दिनांक और समय, जब्त की गई सामग्री की सूची और कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य शामिल हैं;
 - (2) बिजली की चोरी के कारण निर्धारित ऊर्जा खपत का विवरण, जिस अवधि के लिए मूल्यांकन किया गया है और उपभोक्ता / व्यक्ति द्वारा जमा की जाने वाली राशि (इन विनियमों के अनुबंध-XIX में दिये गए सूत्र से राशि की गणना की जाती है)।
- 8.26 नियमित मीटर कनेक्शन के मामले में, जहां बिजली की चोरी के मामले का पता चलता है, मीटर में दर्ज यूनिट जिसके लिए लाइसेंसधारी द्वारा उस व्यक्ति को बिल जमा किया गया है, जिसके लिए मूल्यांकन किया गया है, विधिवत उपभोक्ता के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
- 8.27 उपभोक्ता को इसकी प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा।
- 8.28 लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि या बिजली शुल्क के जमा या भुगतान पर, दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट शिकायत दर्ज करने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 135 के खंड (1क) के अनुसार, ऐसी जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटे के अंदर बिजली की आपूर्ति लाइन बहाल करेगा।
- 8.29 यदि व्यक्ति निर्धारित समय के अंदर भुगतान नहीं करता है, तो लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपने बकाया की वसूली करेगा।
- 8.30 निर्धारित राशि के भुगतान में व्यक्ति द्वारा चूक के मामले में, व्यक्ति, निर्धारित राशि के अलावा, मूल्यांकन के आदेश की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर, 16% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना 6 माह में कि जाएगी, जो कि उपयुक्त न्यायालय में लंबित निर्णय के अधीन होगा।

निर्धारित राशि या उसकी किश्तों के भुगतान में चूक

- 8.31 निर्धारित राशि के भुगतान में चूक के मामले में, लाइसेंसधारी, 15 दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार नामित विशेष न्यायालय में उपभोक्ता के विरुद्ध मामला दर्ज करेगा।

छेड़छाड़ किए गए मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा

8.32 यदि कोई उपभोक्ता आगे आता है और स्वेच्छा से मीटर और/या सील से छेड़छाड़ की घोषणा करता है:

- (1) छेड़छाड़ किए गए मीटर को लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता की कीमत पर या उपभोक्ता द्वारा, जैसा भी मामला हो, तुरंत एक नए मीटर के साथ बदल दिया जाएगा और लाइसेंसधारक इस घोषणा की तारीख से गणना किए गए पिछले छह महीने के सामान्य टैरिफ के दो गुना बिल भेजेगा;
- (2) जिस अवधि के लिए मीटर को बदला नहीं गया है, उस अवधि के लिए ऊर्जा बिल दोषपूर्ण मीटरों के लिए प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाएगा;
- (3) यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से मीटर से छेड़छाड़ की घोषणा करता है और समय पर आवश्यक शुल्क का भुगतान करता है, तो लाइसेंसधारी विशेष न्यायालय में नहीं जाएगा;
- (4) भुगतान में चूक के मामले में, चोरी के मामले को दर्ज करने की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

बिजली का अनधिकृत उपयोग (यूयूई)**बिजली के अनधिकृत उपयोग के रूप में माने जाने वाले मामले**

8.33 अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से उपभोक्ता की ओर से निम्नलिखित कृत्यों को बिजली के अनधिकृत उपयोग के रूप में माना जाना चाहिए;

- (1) किसी भी कृत्रिम माध्यम से; या
- (2) ऐसे माध्यम से जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण या लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत नहीं है; या
- (3) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; या
- (4) उस उद्देश्य के अलावा जिसके लिए बिजली का उपयोग अधिकृत किया गया था; या
- (5) उन परिसरों या क्षेत्रों के अलावा जिनके लिए बिजली की आपूर्ति प्राधिकृत की गई थी।

8.34 मामलों को बिजली के अनधिकृत उपयोग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए:

- (1) यदि किसी उपभोक्ता (घरेलू उपभोक्ता सहित) का कनेक्टेड लोड लोड बढ़ने के परिणामस्वरूप या लैंप, पंखे, फ्रिज, स्विच, कम वोल्टेज के घरेलू उपकरण, फिटिंग आदि के बदलने के कारण स्वीकृत / अनुबंधित लोड से भिन्न पाया जाता है। यह न तो बिजली के अनधिकृत उपयोग (अधिनियम 2003 की धारा 126) और न ही बिजली की चोरी (अधिनियम 2003 की धारा 135) के अंतर्गत नहीं आएगा;
- (2) मुख्य गतिविधि के लिए आकस्मिक गतिविधियों की आपूर्ति, उदाहरण के लिए नर्सिंग होम और अस्पतालों में केमिस्ट की दुकान, चाय की दुकानों, कैंटीन, कर्मचारी सहकारी स्टोर, औषधालयों, पेट्रोल पंपों में पंचर की दुकानों आदि की आपूर्ति, बशर्ते कि ऐसे के लिए कनेक्टेड लोड गतिविधियाँ स्वीकृत लोड का 5% या 5 किलोवाट, जो भी कम हो, के अंदर रहती हैं;
- (3) आवासीय क्षेत्रों में घरेलू / गैर-घरेलू कनेक्शन(नों) के मामले में, कनेक्शन से भवन / भूखंड के अन्य हिस्से में आपूर्ति का विस्तार, जिसमें नौकर का क्वार्टर, स्वयं के पार्किंग गैरेज या व्यक्तिगत धार्मिक कार्यों, खेल से संबंधित सामाजिक आवश्यकताओं के लिए कनेक्शन शामिल हैं, जब तक कि आपूर्ति को किसी ऐसे हिस्से तक विस्तारित नहीं किया जाता है, जिसका कनेक्शन देय राशि का भुगतान न करने के कारण काट दिया गया है और उपयोग की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं हुआ है;
- (4) अपने निवास स्थान से अभ्यास कर रहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, पत्रकार और सलाहकार जैसे पेशेवर, बशर्ते कि ऐसा उपयोग परिसर के क्षेत्र के 25% से अधिक न हो या जैसा कि उनके संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों / विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) आवासों में संचालित कुटीर और व्यावसायिक गतिविधियों जैसे मोची द्वारा जूते की मरम्मत, धोबी, कपड़े की इस्त्री, सिलाई / बुनाई, पान-दुकान और बेकरी उत्पाद, छोटी दुकानें, चाय की दुकान आदि के लिए कुल लोड के साथ (अधिकतम एमडीआई मीटर की स्थापना के अधीन, 5 किलोवाट की मांग) घरेलू टैरिफ लागू होगा। ऐसे मामलों में जहां कुल लोड 5 किलोवाट से अधिक है, वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए अलग-अलग मीटरिंग की जाएगी, और खपत लागू टैरिफ के अनुसार चार्ज की जाएगी;
- (6) औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसर में जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति का उपयोग किया जाता है जहां व्यापार में विभाजन होता है या परिवार में विभाजन होता है या जहां उत्तराधिकार के कारण कनेक्शन का उपयोगकर्ता बदलता है।

बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए मामला दर्ज करने की प्रक्रिया

8.35 लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता निर्धारण अधिकारियों की सूची को सभी कार्यालयों और अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकाशित करेगा और ऐसे अधिकारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करेगा।

- 8.36 एक निर्धारण अधिकारी, स्व-प्रेरणा या बिजली के अनधिकृत उपयोग के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर, ऐसे परिसर का तुरंत निरीक्षण करेगा और ऐसे परिसर का निरीक्षण करते समय उपस्थित रहेगा।
- 8.37 ऐसे निर्धारण अधिकारी के नेतृत्व में लाइसेन्सधारी का निरीक्षण दल अपने साथ अपने विजिटिंग कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ रखेगा। फोटो पहचान पत्र दिखाया जाना चाहिए और परिसर में प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता को विजिटिंग कार्ड सौंप जाना चाहिए।
- 8.38 निर्धारण अधिकारी कनेक्टेड लोड, सील की स्थिति, मीटर की कार्यप्रणाली जैसे विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और किसी भी अनियमितता (जैसे, बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए अपनाए गए कृत्रिम साधन) का उल्लेख करेगा।
- 8.39 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि बिजली के अनधिकृत उपयोग को प्रमाणित करने वाले पर्याप्त सबूत पाए गए या नहीं। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए उपयोग की गई सामग्री को साक्ष्य के रूप में रखा जाना चाहिए।
- 8.40 रिपोर्ट पर मूल्यांकन अधिकारी, निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य और उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, यदि उपभोक्ता रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए और रिपोर्ट को उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि को तुरंत उचित रसीद के साथ साइट पर सौंप दिया जाना चाहिए। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा रसीद लेने या देने से इनकार करने की स्थिति में निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर के अंदर/बाहर एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी और उसकी फोटो खींची जाएगी। साथ ही निरीक्षण के दिन या अगले दिन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के तहत उपभोक्ता को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- 8.41 निरीक्षण की तारीख से तीन कार्य दिवसों के अंदर, निर्धारण अधिकारी उपभोग पैटर्न सहित सभी साक्ष्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, जहां कहीं भी उपलब्ध हो, मामले का विश्लेषण करेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बिजली का कोई अनधिकृत उपयोग नहीं हुआ है, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उपभोक्ता को नोटिस

- 8.42 यदि निर्धारण अधिकारी को संदेह है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो वह उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस के साथ आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.49 और 8.50 के अनुसार मूल्यांकन किए गए एक अनंतिम मूल्यांकन आदेश भेजेगा, जिसमें कारण बताया जाएगा कि ऐसे उपभोक्ता के विरुद्ध बिजली के अनधिकृत उपयोग का मामला दर्ज क्यों किया जाना चाहिए।
- कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से उस समय, तिथि और स्थान का उल्लेख होना चाहिए जिस पर उत्तर प्रस्तुत किया जाना है और उस व्यक्ति का पदनाम इंगित किया जाएगा जिसे इसे संबोधित किया जाना चाहिए।
- 8.43 जिस व्यक्ति को इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.42 के तहत आदेश दिया गया है, वह मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष अनंतिम मूल्यांकन के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हो, दर्ज करने का हकदार होगा, जिन पर सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे व्यक्ति को मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।
- 8.44 यदि उपभोक्ता ऐसे अनंतिम निर्धारण आदेश तामील करने के 7 दिनों के अंदर अनंतिम निर्धारण राशि जमा कर देता है, तो नोटिस का उत्तर आवश्यक नहीं होगा।

उपभोक्ता का जवाब प्रस्तुत करना

- 8.45 उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.42 में उल्लिखित संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।
- 8.46 ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता अनंतिम निर्धारण आदेश के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज करता है, सुनवाई की प्रक्रिया इस आपूर्ति संहिता, 2023 के विनियम 8.47 और 8.48 के अनुसार होगी।

बिजली के संदिग्ध अनधिकृत उपयोग के मामले में सुनवाई

- 8.47 उपभोक्ता के उत्तर प्रस्तुत करने की तिथि से 5 दिनों के अंदर, लाइसेन्सधारी उपभोक्ता के साथ सुनवाई की व्यवस्था करेगा।
- 8.48 सुनवाई के दौरान, निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर उचित विचार करेगा और दस (10) कार्य दिवसों के अंदर आदेश पारित करेगा कि बिजली के अनधिकृत उपयोग का मामला स्थापित है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण, उपभोक्ता द्वारा अपने लिखित उत्तर में किए गए निवेदन और सुनवाई के दौरान मौखिक निवेदन और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण शामिल होंगे।

मूल्यांकन

- 8.49 जहां यह स्थापित हो जाता है कि उपभोक्ता के उत्तर प्रस्तुत करने/सुनने के आधार पर बिजली के अनधिकृत उपयोग का मामला बनाता है, निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा खपत का आकलन करेगा:
- (1) **मूल्यांकन की अवधि** : यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो उस पूरी अवधि के लिए मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है और यदि, हालांकि, यदि उस अवधि जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनाधिकृत उपयोग हुआ है, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, ऐसी अवधि निरीक्षण की तारीख से ठीक पिछले 12 महीने की अवधि तक सीमित होगी;
- (2) **निर्धारण प्रभार** : जिस अवधि के दौरान अनाधिकृत उपयोग किया गया है, निर्धारण उस अवधि के लिए लाइसेंसधारी को हुई वित्तीय हानि के दोगुने तक सीमित होगा, अर्थात् उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित विद्युत प्रभारों के अंतर का दो गुना अवधि के दौरान वास्तव में भुगतान किए गए टैरिफ और बिजली शुल्क की प्रासंगिक श्रेणी के अनुसार, अधिकतम 12 महीने की अवधि के अधीन;
- (3) यदि कोई उपभोक्ता बिजली के अनधिकृत उपयोग के एक से अधिक कार्यों में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक अनधिकृत उपयोग के संबंध में उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क का अलग से मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार बिल किया जाएगा।
- (4) यदि कोई उपभोक्ता उन परिसरों में आपूर्ति के विस्तार में लिप्त पाया जाता है, जिसके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत नहीं थी, तो उपभोक्ता उस श्रेणी के टैरिफ के दोगुने अनुपात के लोड के लिए उत्तरदायी होगा।
- 8.50 विद्युत चोरी के लिए अधिनियम की धारा 135 के तहत की गई आपराधिक कार्रवाई के बावजूद, लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता का निर्धारण अधिकारी, जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के तहत परिभाषित किया गया है, इस आपूर्ति संहिता, 2023 के अनुलग्नक XIX में दिए गए निर्धारण सूत्र के अनुसार ऊर्जा खपत का आकलन करेगा।
- 8.51 अंतिम निर्धारण आदेश उपभोक्ता को उचित रसीद पर तामील किया जाएगा। उपभोक्ता को इसकी उचित प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। आदेश की एक प्रति उपभोक्ता को उचित रसीद के साथ भी सौंपी जाएगी।
- 8.52 अंतिम मूल्यांकन का आदेश स्थान या परिसर के कबजाधारी या मालिक या प्रभारी को उस तरीके से दिया जाएगा जैसा कि अधिनियम की धारा 126(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 8.53 वहा व्यक्ति जिसे अंतिम आदेश सौंपा गया है वह इस तरह के मूल्यांकन को स्वीकार कर सकता है और लाइसेंसधारी के पास मूल्यांकन आदेश के 7 दिनों के अंदर निर्धारित राशि जमा कर सकता है।
- 8.54 अंतिम निर्धारण आदेश की तामील के 7 दिनों के अंदर बिल राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, 15 दिनों का नोटिस देकर कनेक्शन काट दिया जाएगा, जो निर्धारित राशि जमा होने तक फिर से जोड़ा नहीं जाएगा। भुगतान न करने की स्थिति में नियमित बिल में राशि को बकाया के रूप में दर्शाया जाएगा।
- 8.55 जब कोई उपभोक्ता निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो मूल्यांकन के आदेश की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर उपभोक्ता को निर्धारित राशि के अलावा, 16 % वार्षिक की दर से ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे 6 महीने में जोड़ा जाएगा।

अपीलीय प्राधिकारी से अपील

- 8.56 निर्धारण अधिकारी द्वारा तामील किए गए अंतिम आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उक्त आदेश के 30 दिनों के अंदर, ऐसे प्रपत्र में अपील कर सकता है, इस तरह से सत्यापित करवा सकता है और उस शुल्क के साथ अपीलीय प्राधिकारी को भेजा जा सकता है जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- 8.57 उपरोक्त विनियम 8.56 के तहत मूल्यांकन के आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित राशि के आधे के बराबर राशि लाइसेंसधारी के पास जमा नहीं की जाती है और ऐसी जमा राशि का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
- 8.58 अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटारा करेगा और पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करेगा और आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को भेजेगा। अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।
- 8.59 अपीलीय प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार उपभोक्ता को संशोधित बिल भेजा जाएगा जिसका भुगतान 7 दिनों में करना है।
- 8.60 यदि कोई उपभोक्ता अपीलीय प्राधिकारी के अंतिम आदेश की तामील के 7 दिनों के अंदर भुगतान करने में चूक करता है, तो 15 दिनों का नोटिस देने के बाद कनेक्शन काट दिया जाएगा, जो कि बिल की राशि का भुगतान होने तक फिर से नहीं जोड़ा

जाएगा। भुगतान न होने की स्थिति में नियमित बिल में राशि बकाया के रूप में दर्शायी जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

- 8.61 अधिनियम की धारा 127(6) के अनुसार, अंतिम आदेश की तिथि से तीस दिनों के बाद, प्रत्येक 6 महीने में योजित, अपीलीय प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार राशि पर 16% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।
- 8.62 यदि अपील प्राधिकारी यह मानता है कि बिजली के अनधिकृत उपयोग का कोई मामला स्थापित नहीं होता है, तो लाइसेंसधारी द्वारा आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को 16 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए वसूली की गई राशि को तत्काल बाद के महीनों के बिजली बिलों में समायोजन के माध्यम से समायोजित किया जाता है। अपीलकर्ता भारतीय स्टेट बैंक के प्रचलित बचत बैंक दर ब्याज के साथ अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि की नकद वापसी का विकल्प भी चुन सकता है, जब तक कि लाइसेंसधारी द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
- 8.63 यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित देय राशि व्यक्ति द्वारा पहले से जमा की गई राशि से कम है, तो अतिरिक्त राशि तत्काल बाद के महीनों के बिलों में समायोजन करके राशि जमा करने कि तिथि से समायोजन कि तिथि तक कि अवधि कि राशि को भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा।
- 8.64 यदि व्यक्ति अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील नहीं करता है और निर्धारित राशि का भुगतान करने में भी चूक करता है, तो 15 दिनों का नोटिस देकर कनेक्शन काट दिया जाएगा, जो निर्धारित राशि जमा होने तक फिर से नहीं जोड़ा जाएगा। भुगतान न करने की स्थिति में नियमित बिल में राशि को बकाया के रूप में दर्शाया जाएगा।
- 8.65 जब कोई व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह निर्धारित राशि के अलावा, मूल्यांकन के आदेश की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर, 16% वार्षिक की दर से ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ब्याज को 6 महीने में जोड़ा जाएगा।

अध्याय 9: कनेक्शन काटना और पुनः जोड़ना

- 9.1 आपूर्ति को नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी रूप से या स्थायी आधार पर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। लाइसेंसधारी स्थायी रूप से कनेक्शन काटने के बाद सर्विस लाइन, मीटर आदि को हटा देगा। तथापि, अस्थायी कनेक्शन काटने के मामले में लाइसेंसधारी सर्विस लाइन, मीटर आदि को नहीं हटा सकता है।
- 9.2 कनेक्शन, पुनः जोड़ने और कनेक्शन काटने के शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार होंगे।
- 9.3 जमा की गई राशि समाप्त होने पर प्री-पेमेंट मीटर स्वचालित रूप से आपूर्ति में कटौती करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। तथापि इसे कनेक्शन काटने के रूप में नहीं माना जाएगा और जब भी मीटर को रिचार्ज किया जाएगा तो आपूर्ति फिर से शुरू कर दी जाएगी।

अस्थायी रूप से कनेक्शन को काटना

9.4 निम्नलिखित मामलों में आपूर्ति अस्थायी रूप से काट दी जा सकती है:

- (1) लाइसेंसधारी की देय राशि का भुगतान न करने पर : लाइसेंसधारी, अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता को, जो अपने देय राशि के भुगतान में चूक करता है, उसे बकाया भुगतान के लिए न्यूनतम 15 कार्य दिवस की नोटिस अवधि देने के बाद, लिखित रूप में डिस्कनेक्शन नोटिस जारी कर सकता है। इसके बाद, लाइसेंसधारी, जैसा कि लाइसेंसधारी उचित समझे, सर्विस लाइन/मीटर को हटाकर उक्त नोटिस अवधि की समाप्ति पर उपभोक्ता की स्थापना को डिस्कनेक्ट कर सकता है;
- (2) यदि किसी परिसर में किए जा रहे किसी व्यवसाय/उद्योग/गतिविधि का संचालन/निरंतरता आवश्यक अनुमति की कमी या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति वापस लेने के कारण गैरकानूनी हो जाता है;
- (3) यदि उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग, उपकरण, यंत्र या स्थापना दोषपूर्ण पाई जाती है या बिजली का रिसाव होता है या यदि उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरण की स्थिति में परिवर्तन पाया जाता है या यदि उपभोक्ता किसी उपकरण या यंत्र या ऊर्जा का उपयोग इस तरह से करता है कि लाइसेंसधारी की सर्विस लाइनों, उपकरणों, बिजली आपूर्ति मेन और अन्य कार्यों को खतरे में डालता है, या किसी भी तरीके से इसका उपयोग करता पाया जाता है जो ऊर्जा की कुशल आपूर्ति में अनुचित या किसी अन्य उपभोक्ता को की गई आपूर्ति में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है;
- (4) यदि किसी भी समय, उपभोक्ता ऊर्जा का उपयोग किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए करता हुआ पाया जाता है, जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था या उसके परिसर में लाइसेंसधारी के मीटर और / या अन्य उपकरण के साथ छेड़छाड़ करता है या उसके कनेक्शन से किसी अन्य परिसर में ऊर्जा प्रदान करता है;

- (5) यदि उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार अनुपस्थिति की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान में फैक्टरिंग के बाद दो या अधिक बिलिंग चक्र के लिए मीटर रीडिंग के लिए अनुपलब्ध रहता है।
- 9.5 कम से कम 15 दिनों की नोटिस अवधि देने के बाद आपूर्ति काट दी जाएगी। यदि नोटिस अवधि के अंदर कनेक्शन काटने का कारण नहीं हटाया जाता है तो ही आपूर्ति काट दी जाएगी।
- 9.6 विनियम 9.4(2), 9.4(3) और 9.4(4) के अनुसार कनेक्शन अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट होने के बाद, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को घरेलू उपभोक्ता के लिए 45 दिनों और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता के लिए 15 दिनों के अंदर डिस्कनेक्ट करने के कारण को हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा, ऐसा न करने पर आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी जाएगी।
- 9.7 लाइसेंसधारी ऊपर वर्णित तरीके से डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं के अनधिकृत पुनः कनेक्शन को रोकने के लिए कदम उठा सकता है। जहां कहीं भी लाइसेंसधारी को पता चलता है कि कनेक्शन को अनधिकृत तरीके से फिर से जोड़ा गया है, लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा, यदि लाइसेंसधारी को पता चलता है कि ऐसे परिसर में आपूर्ति किसी अन्य लाइव कनेक्शन के माध्यम से बहाल कर दी गई है, तो उसे भी काट दिया जाएगा।

स्थायी रूप से कनेक्शन काटना

- 9.8 निम्नलिखित मामलों में आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी जाएगी:

(1) समझौते की समाप्ति पर;

(2) यदि जिस कारण से आपूर्ति अस्थायी रूप से काट दी गई थी, उसे नोटिस अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है:

बशर्ते कि यदि उपभोक्ता के द्वारा अस्थायी कनेक्शन काटने के अनुरोध के बिना उपभोक्ता की सेवा 180 दिनों तक लगातार

विच्छेदित रहती है, तो अनुबंध को 15 दिनों की समाप्ति पर या समझौते की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद समझौते के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी या उपभोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त माना जाएगा, जो भी बाद में हो।

उपभोक्ता के अनुरोध पर डिस्कनेक्शन

- 9.9 यदि कोई उपभोक्ता चाहता है कि उसका मीटर स्थायी रूप से काट दिया जाए, तो उपभोक्ता इसके लिए इस आपूर्ति संहिता, 2023 के अनुलग्नक XV में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा। लाइसेंसधारी ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की लिखित पावती मौके पर ही देगा।

- 9.10 लाइसेंसधारी अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर एक विशेष रीडिंग करेगा और ऐसी बिलिंग की तारीख तक सभी बकाया सहित एक अंतिम बिल तैयार करेगा। भुगतान करने पर, लाइसेंसधारी एक रसीद जारी करेगा जिस पर 'अंतिम बिल' की मुहर लगी होगी। इस रसीद को नो ज्यूज सर्टिफिकेट माना जाएगा। अंतिम बिल के भुगतान के तुरंत बाद डिस्कनेक्शन किया जाएगा। अंतिम रीडिंग और स्थायी डिस्कनेक्शन के बीच किसी भी खपत के कारण शेष राशि, यदि कोई हो, वितरण लाइसेंसधारी के साथ सुरक्षा राशि के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है। शेष जमानत राशि उपभोक्ता को 7 (सात) दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी।

बशर्ते कि जब भी उपभोक्ता द्वारा दिए गए नोटिस पर एक समझौते को समाप्त किया जाता है, तो लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2023 के अनुलग्नक XVI में दिए गए प्रारूप में समाप्ति के बाद 2 कार्य दिवसों के भीतर एक लिखित सूचना देगा, जिसमें विफल होने पर ऐसी सूचना को उपभोक्ता को दिया गया माना जाएगा।

- 9.11 उन उपभोक्ताओं के मामले में जिन्हें चरणबद्ध तरीके से अनुबंध की मांग को मंजूरी दी गई थी और प्रारंभिक या मध्यवर्ती चरणबद्ध मांगों के लिए आपूर्ति जारी की गई थी, उपभोक्ता ऐसी चरणबद्ध मांगों को स्थगित या रद्द करने की मांग कर सकता है, जो कि अनुबंध की न्यूनतम अवधि के बाद निर्धारित हैं, जिसके लिए 3 महीने का अग्रिम नोटिस या उसके एवज में ऐसी चरणबद्ध मांगों को स्थगित करने या रद्द करने के लिए 3 महीने के शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

- 9.12 एचटी/ईएचटी उपभोक्ता जो डिस्कनेक्शन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें उपकरण और सर्विस लाइन को हटाने पर होने वाला अनुमानित खर्च भी वहन करना होगा। लाइसेंसधारी, अनुरोध प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के अंदर, पावती के तहत उपभोक्ता को लिखित रूप में एक डिमांड नोट जारी करेगा।

पुनः कनेक्शन जोड़ना

- 9.13 यदि उपभोक्ता कनेक्शन काटने के बाद 6 महीने की अवधि के अंदर पुनः कनेक्शन जोड़ने के लिए अनुरोध करता है, तो लाइसेंसधारक पिछले बकाया और पुनः कनेक्शन जोड़ने के लिए शुल्क के भुगतान के 5 दिनों के अंदर उपभोक्ता की स्थापना को फिर से जोड़ देगा।

बशर्ते कि यदि पिछले बकाया का भुगतान न करने के कारण डिस्कनेक्शन किया गया है, तो लाइसेंसधारक पिछले बकाया और अन्य शुल्कों की प्राप्ति के 6 (छह) घंटों के अंदर उपभोक्ता की स्थापना को फिर से जोड़ देगा।

- 9.14 यदि उपभोक्ता कनेक्शन काटने के 6 महीने के बाद पुनः जोड़ने के लिए अनुरोध करता है, तो उपभोक्ता द्वारा नए कनेक्शन के मामले में आवश्यक सभी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद ही कनेक्शन को फिर से जोड़ा जाएगा, जिसमें लंबित बकाया राशि, सेवा लाइन शुल्क, सुरक्षा जमा आदि, जैसा कि उपभोक्ता की उस श्रेणी के लिए लागू है, का भुगतान शामिल है।

अध्याय 10: सामान्य प्रावधान

सामान्य

- 10.1 लाइसेंसधारी मासिक आधार पर नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, डिस्कनेक्शन, रीकनेक्शन और चोरी की निगरानी करेगा और प्रत्येक तिमाही में एमआईएस रिपोर्ट आयोग को भेजेगा, जिसमें प्राप्त प्रदर्शन मानकों, उद् ग्रहणीय, शास्ति समायोजित, आदि प्रत्येक श्रेणी में आपूर्ति संहिता, 2023 का उल्लंघन, दंड का उल्लेख होगा।
- 10.2 वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को अपनी वेबसाइट, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और इसके विभिन्न नामित कार्यालयों के माध्यम से क्षेत्रवार विभिन्न सर्विसों जैसे आवेदन जमा करने, आवेदन की निगरानी स्थिति, बिलों का भुगतान, शिकायतों की स्थिति आदि तक पहुंच प्रदान करेगा।
बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी वरिष्ठ नागरिकों को उनके दरवाजे पर सभी सर्विसएं जैसे आवेदन जमा करना, बिलों का भुगतान आदि प्रदान करेगा।
- 10.3 लाइसेंसधारी क्षेत्रवार सूची और नए कनेक्शन की वर्तमान स्थिति, बिलिंग, मीटरिंग, डिस्कनेक्शन, फीडर वार आउटेज डेटा, आउटेज को कम करने के लिए किए गए प्रयास, पुनः कनेक्शन, चोरी की रोकथाम या बिजली के अनधिकृत उपयोग या छेड़छाड़ की संख्या, चोरी के मामले, विद्युत संयंत्र, बिजली की लाइनों या मीटर को नुकसान या क्षति और वर्ष के दौरान प्राप्त परिणाम इसकी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2023 के अनुसार आयोग को भेजी गई सभी रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा।
- 10.4 जब कभी मौजूदा मीटरों को किसी नई प्रौद्योगिकी मीटर से बदला जाना हो, तो वितरण लाइसेंसधारी ऐसे प्रतिस्थापन के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा। वितरण लाइसेंसधारी कम से कम चार दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। ऐसी सूचना वितरण लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर भी सुस्पष्ट रूप में प्रदर्शित की जाएगी और वितरण लाइसेंसधारी ऐसे मीटर को बदलने के लिए क्षेत्रवार तारीखों की अनुसूची का उल्लेख करेगा।

लोड शेडिंग का प्रावधान

- 10.5 किसी उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारी के साथ निष्पादित किसी भी समझौते या उपक्रम में या उसके लिए लागू टैरिफ में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, उपभोक्ता अपनी अधिकतम मांग और/या ऊर्जा की खपत को इस तरह से और अवधि के लिए बिजली के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा, जैसा कि राज्य लोड डिस्पैच सेंटर या राज्य सरकार या लाइसेंसधारी द्वारा व्यवस्थित ग्रिड संचालन को बनाए रखने के लिए किए गए किसी भी आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। लाइसेंसधारी वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था के लिए किसी भी सुविधाजनक संचार माध्यम द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों के बारे में अग्रिम रूप से थोक/एचटी उपभोक्ताओं को सूचित करेगा।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली

- 10.6 कोई भी पीड़ित व्यक्ति, बिजली उपभोक्ता, उपभोक्ता संघ या कानूनी उत्तराधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि (उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में) लाइसेंसधारी को केंद्रीकृत कॉल सेंटर/शिकायत केंद्र/वेबसाइट पर या टेलीफोन या पोस्ट के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि उपभोक्ता की शिकायतों को लाइसेंसधारी द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारी स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) के पास पहुंच सकता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत लोकपाल एवं उपभोक्ता वकालत) विनियमावली, 2023 के द्वारा स्थापित किया गया है।

नोटिस भेजना

- 10.7 लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत नोटिस सहित किसी भी आदेश/नोटिस को विधिवत भेजा हुआ माना जाएगा यदि इसे पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा डाक पते पर भेजा जाता है या उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारी को अधिसूचित पते पर रहने वाले व्यक्ति को हाथ से दिया जाता है:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति के मामले में, उपभोक्ता के पति या पत्नी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस की तामील की जाएगी, और फर्म, कंपनी या निगम के मामले में, प्रबंध निदेशक, निदेशक या प्रधान अधिकारी या किसी अधिकृत व्यक्ति को नोटिस की तामील इस आपूर्ति संहिता, 2023 के उद्देश्य के लिए उचित और पूर्ण मानी जाएगी।

10.8 यदि कोई उपभोक्ता नोटिस प्राप्त करने से इनकार करता है या उससे बचता है, तो सर्विस इससे प्रभावित हो सकती है:

- (1) दो गवाहों की उपस्थिति में उपभोक्ता के परिसर में एक विशिष्ट स्थान पर नोटिस चिपकाना और नोटिस का फोटो खींचना; या
- (2) लाइसेंसधारी द्वारा रिकॉर्ड में रखे जाने के लिए संबंधित इलाके में आमतौर पर पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन।

उपरोक्त में से किसी एक को नोटिस की उचित और पूर्ण तामील के रूप में समझा जाएगा।

बिजली गुणवत्ता लेखा परीक्षा

10.9 सभी एचटी/ईएचटी उपभोक्ता बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्ष में कम से कम एक बार संबंधित लाइसेंसधारी को बिजली की गुणवत्ता ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

आपूर्ति सुरक्षा दिशानिर्देश

10.10 लाइसेंसधारी और उपभोक्ता, समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों का हर तरह से अनुपालन करेंगे।

मांग पक्ष का प्रबंधन

10.11 प्रत्येक उपभोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह बिजली की बर्बादी और अकुशल उपयोग को रोकें और लाइसेंसधारी द्वारा शुरू किए जा सकने वाले डिमांड साइड मैनेजमेंट के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लाइसेंसधारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

आपूर्ति के नियम और शर्तें

10.12 प्रत्येक लाइसेंसधारी, उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति से संबंधित सभी परिपत्रों, आदेशों और किसी भी अन्य दस्तावेज या संचार के नियमों और शर्तों को आयोग को सूचित करते हुए इन विनियमों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित और अपडेट करेगा।

छूट

10.13 इन विनियमों में निर्दिष्ट समय-सीमा और प्रक्रियाएं अप्रत्याशित घटना की स्थिति जैसे युद्ध, विद्रोह, नागरिक आंदोलन, दंगा, बाढ़, चक्रवात, बिजली, भूकंप, तालाबंदी, आग, हड़ताल, आदि के दौरान निलंबित रहेंगी, जिससे लाइसेंसधारी की स्थापना और गतिविधियां प्रभावित होंगी।

निरसन और बचत

10.14 इस आपूर्ति संहिता में अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, समय-समय पर संशोधित जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

10.15 इस तरह के निरसन के बावजूद, कोई भी गतिविधि या कार्रवाई या, या इस तरह के निरसित विनियमों के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही को इस आपूर्ति संहिता, 2023 के अंतर्गत इस हद तक किया गया माना जाएगा कि वे अधिनियम के साथ असंगत नहीं थे।

असंगतता

10.16 आपूर्ति संहिता, 2023 के प्रावधानों और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए कार्यप्रदर्शन का मानक) विनियम, 2023 के प्रावधानों में किसी भी असंगतता के मामले में, समय-सीमा और अन्य शर्तें जैसा कि इस आपूर्ति संहिता, 2023 में निर्दिष्ट किया गया है, प्रभावी होगी और ऐसी समय-सीमा और अन्य शर्तों को प्रदर्शन विनियमों के मौजूदा मानकों में प्रतिस्थापित माना जाएगा।

बाधाओं को दूर करने की शक्ति

10.17 यदि इस आपूर्ति संहिता, 2023 के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, लाइसेंसधारियों को ऐसे काम करने का निर्देश दे सकता है, जो आयोग की राय में कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हैं।

संशोधन करने की शक्तियाँ

10.18 आयोग, किसी भी समय और ऐसे समय पर, जो वह उचित समझे, आपूर्ति संहिता, 2023 के किसी प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन या संशोधन कर सकता है या इस आपूर्ति संहिता, 2023 में किसी त्रुटि या दोष को दूर कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा

वी. के धर, (जेकेएस) सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./695/2022-23]

अनुलग्नक

अनुलग्नक -1 आवेदन पत्र - नया कनेक्शन (कम वोल्टेज की सर्विस)

1	आवेदक/संगठन का नाम	
2	पिता/पति/निदेशक/पार्टनर/ट्रस्टी का नाम	
3	पता	
क)	संपर्क के लिए	मकान / प्लॉट/ परिसर संख्या
		गली
		एरिया / कॉलोनी
		ज़िला
		टेलीफोन नंबर :
ख)	जहां मौजूदा कनेक्शन के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है, उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है	मकान / प्लॉट/ परिसर संख्या
		गली
		एरिया / कॉलोनी
		ज़िला
		टेलीफोन नंबर :
	(स्थान की पहचान करने के लिए स्थलों को इंगित करें)	
4	प्लॉट का आकार: _____ वर्ग फुट (वैकल्पिक)	आच्छादित क्षेत्र: _____ वर्ग फुट (वैकल्पिक)
5	आपूर्ति की श्रेणी: (श्रेणियों की सूची संलग्न)	
6	आपूर्ति का उद्देश्य:	
7	आवेदन किया गया कुल लोड(किलोवाट में):	
8	आपूर्ति का प्रकार (स्थायी / अस्थायी):	
क)	यदि अस्थायी आपूर्ति है तो अवधि निर्दिष्ट करें	तिथि से):
		तिथि तक):
9	कृपया बताएं कि क्या आप अपेक्षित बिजली आपूर्ति के लिए सर्विस लाइन और/या समर्पित वितरण सुविधा का काम करना चाहते हैं (हां/नहीं)	
10	कृपया बताएं कि क्या आप अपना खुद का सीईए स्वीकृत मीटर स्थापित करना चाहते हैं (हां/नहीं)	
11	संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
क)	आवेदन पत्र पर चिपका हुआ फोटोग्राफ (हां/नहीं)	
ख)	इस आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया पहचान प्रमाण:	
	यदि आवेदक एक व्यक्ति है (किसी एक को चिह्नंकित करें)	1. मतदाता पहचान पत्र; 2. पासपोर्ट; 3. ड्राइविंग लाइसेंस;

		<p>4. सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र;</p> <p>5. पैन कार्ड;</p> <p>6. ग्राम प्रधान/पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/प्राथमिक विद्यालय शिक्षक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी आदि से प्रमाण पत्र।</p> <p>7. आधार कार्ड</p>
	यदि आवेदक एक संगठन है (किसी एक पर निशान लगाएं)	संबंधित संस्थान के संबंधित संकल्प/प्राधिकार पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी (जैसे, शाखा प्रबंधक, प्रधानाचार्य, कार्यकारी अभियंता आदि) के हस्ताक्षर
ग)	उस परिसर के स्वामित्व या अधिभोग का प्रमाण जिसके लिए बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है (किसी एक पर निशान लगाएं)	<p>1. बिक्री विलेख या पट्टा विलेख की प्रति या कृषि कनेक्शन के मामले में खसरा / खतौनी / खाता नकल की एक प्रति</p> <p>2. पंजीकृत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी;</p> <p>3. नगरपालिका कर रसीद या डिमांड नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज;</p> <p>4. आवंटन पत्र;</p> <p>5. पंचायत द्वारा जारी मकान पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति/राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र</p> <p>6. स्थानीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य स्वामित्व संबंधी दस्तावेज</p> <p>7. एक आवेदक जो मालिक नहीं है बल्कि परिसर का कब्जाधारी है, ऊपर (1) से (6) में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक के साथ परिसर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा;</p> <p>बशर्ते कि जहां एक आवेदक, जो परिसर का वैध अधिभोगी है, एक किरायेदार या पट्टाधारक है और कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वितरण लाइसेंसधारी के पक्ष में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एक अलग क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किया जाएगा।</p> <p>8. बिना किसी विशिष्ट नगरपालिका पते वाले जेजे क्लस्टरों में या अन्य क्षेत्रों में रहने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए, लाइसेंसधारी केवल बिजली जारी करने के उद्देश्य से परिसर के अधिभोग के प्रमाण के रूप में एक ही पते वाले राशन कार्ड या चुनावी पहचान पत्र को स्वीकार कर सकता है। कनेक्शन;</p> <p>बशर्ते कि यदि आवेदक एक व्यक्ति है, तो नए विद्युत सर्विस कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए आवेदक को लोडतीय नागरिक होना चाहिए</p> <p>9. आधार कार्ड/पासपोर्ट।</p>
घ)	वर्तमान पते का प्रमाण (किसी एक पर निशान लगाएं)	<p>1. मतदाता पहचान पत्र;</p> <p>2. पासपोर्ट;</p> <p>3. ड्राइविंग लाइसेंस;</p>

		4. राशन कार्ड; 5. किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र; 6. चालू बैंक खाते का विवरण; 7. पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल; 8. आयकर निर्धारण आदेश/आधार कार्ड
ड)	कोई अन्य दस्तावेज जो लागू हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	
12	लाइसेंसधारी के परिचालन क्षेत्र में उपभोक्ता के नाम पर कोई विद्युत बकाया: (हां/नहीं)	
13	जिस परिसर के लिए कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है, उसके लिए बकाया बिजली बिल : (हां/नहीं)	
14	किसी भी फर्म, जिसके साथ उपभोक्ता एक मालिक, भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़ा हुआ है, के विरुद्ध लाइसेंसधारक के पास बकाया कोई बिजली बकाया: (हां / नहीं)	
(प्रश्नों 12, 13 और 14 के लिए यदि किसी भी स्थिति में उत्तर 'हां' है तो कृपया एक अलग शीट पर विवरण प्रदान करें)		

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि

क) इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी में सत्य है।

ख) मैंने/हमने आपूर्ति संहिता विनियम 2023 को पढ़ लिया है और उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ

ग) मैं/हम लागू बिजली शुल्क और अन्य शुल्कों के अनुसार हर महीने बिजली की बकाया राशि जमा करूंगा/करेंगे।

घ) मैं/हम मीटर की सुरक्षा और सुरक्षा, कट-आउट और उसके बाद स्थापना की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे।

ड) मैं/हम आगे सहमत हैं कि मुझे/हमें दिया गया कनेक्शन केवल मेरे अधिभोग के दौरान बिजली प्राप्त करने के लिए है और परिसर के स्वामित्व के लिए किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा।

दिनांक:

स्थान:

नाम:

संपर्क नंबर:

उपभोक्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

ईमेल आईडी:

नोट: पहचान प्रमाण, परिसर के स्वामित्व/कब्जे के प्रमाण और वर्तमान पते के प्रमाण के लिए दस्तावेजों के अलावा, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए:

- 1) साझेदारी फर्म के मामले में - आवेदक को आवश्यकता प्रपत्र और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आवेदक के नाम पर साझेदारी विलेख और एक प्राधिकरण प्रस्तुत करना होगा;
 - 2) पब्लिक और/या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में-आवेदक मांग प्रपत्र और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आवेदक के नाम पर प्राधिकरण के लिए बोर्ड के संकल्प के साथ एक ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और निगमन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
 - 3) अन्य दस्तावेज केवल चुनिंदा उपभोक्ता श्रेणियों के लिए लागू होते हैं:
- (क) औद्योगिक उपभोक्ता: वैध औद्योगिक लाइसेंस, यदि लागू हो
- (ख) कृषि उपभोक्ता: नलकूपों के लिए सक्षम सरकारी प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो

(ग) गैर-घरेलू खोखा और अस्थायी संरचना: नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत / ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / भूमि विकास प्राधिकरण / भूमि स्वामित्व एजेंसी से खोखा या अस्थायी संरचना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

पावती

..... (आवेदक का नाम) के नाम पर वर्तमान में पर स्थित सर्विस कनेक्शन संख्या..... से दिनांक को के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उपभोक्ता को संदर्भ संख्या प्रदान की गई है जिसे भविष्य के पत्राचार में प्रयोग करना है।

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मुहर

नाम और पदनाम

अनुलग्नक-II: आवेदन पत्र - नया कनेक्शन (उच्च तनाव/अतिरिक्त उच्च-तनाव सर्विस)

1	आवेदक/संगठन का नाम:				
2	पिता/पति/निदेशक/साझेदार/न्यासी का नाम:				
3	संचार के लिए पता				
4	पता जहां मौजूदा कनेक्शन के लिए नया कनेक्शन लागू किया गया है, उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है				
	<i>(स्थान की पहचान करने के लिए स्थलों को इंगित करें)</i>				
5	वोल्टेज जिस पर आपूर्ति की आवश्यकता है (केवी) (कृपया लागू श्रेणी पर निशान लगाएं)	11 केवी	33 केवी	132 केवी	220 केवी
6	आपूर्ति का प्रकार (स्थायी / अस्थायी):				
क)	यदि अस्थायी आपूर्ति, आवश्यकता की अवधि निर्दिष्ट करें:	की तिथि से :			
		तारीख तक :			
7	कुल अनुबंध मांग के लिए आवेदन किया गया (किलोवाट / केवीए में):				
8	अनुबंध मांग के प्रक्षेपण का आधार				
9	अनुबंध की मांग को फेजबद्ध करना आवश्यक (हां/नहीं):				
	यदि 'हाँ' है, तो दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:				
	सीडी की आवश्यकता (केवीए) टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो	संभावित तिथि जिससे अपेक्षित है			
	(क)				
	(ख)				
	(ग)				
10	स्थापना का संभावित उद्देश्य:				
11	चुने गए टैरिफ की श्रेणी:				
12	प्रदान किए गए टैरिफ की श्रेणी (लाइसेंसधारी द्वारा दायर की जाने वाली):				
13	उत्पादन क्षमता:				
14	उद्योग की श्रेणी: (लागू एक पर निशान लगाएं)	एसएसआई	एमएसआई	एलएसआई	
	इकाई का प्रकार: <i>(अर्थात् स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/सोसाइटी/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम)</i>				
15	परिसर विकसित करने वाले संस्थान का नाम:				

16	कब्जा पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र	संख्या: तिथि:
17	क्या एक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति की आवश्यकता है	
18	क्या उपरोक्त इकाई कभी किसी अन्य स्थान पर संचालित हुई है या कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है? (अगर हां तो कृपया विवरण दें)	(क) स्वीकृत लोड: (ख) सर्विस कनेक्शन संख्या: (ग) भुगतान की बकाया राशि (यदि कोई हो):
19	यदि पूर्व में परिसर के लिए बिजली कनेक्शन का अनुरोध किया गया था? (अगर हां तो कृपया विवरण दें)	(क) इकाई का नाम: (ख) सर्विस कनेक्शन संख्या: (ग) भुगतान की बकाया राशि (यदि कोई हो):
20	भूमि अधिग्रहण की स्थिति:	
21	अपेक्षित तिथि जिस तक वित्त उपलब्ध होगा:	
22	क्या अपेक्षित सहमति/एनओसी (यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूची के अनुसार लागू हो) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त की गई है (यदि हां, तो एक प्रति संलग्न करें):	
23	लाइसेंसधारी के क्षेत्र में उपभोक्ता के नाम पर कोई विद्युत बकाया: हां/नहीं	
24	जिस परिसर के लिए कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है, उसके लिए बकाया बिजली बकाया: हां/नहीं	
25	जिस परिसर के लिए कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है, उसके लिए कोई बिजली बकाया: हां/नहीं किसी भी फर्म के विरुद्ध लाइसेंसधारक के पास बकाया बिजली बकाया है जिसके साथ उपभोक्ता मालिक, भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़ा हुआ है: हां/नहीं	
(प्रश्न 22, 23 और 24 के लिए यदि किसी भी स्थिति में उत्तर 'हां' है तो कृपया एक अलग शीट पर विवरण प्रदान करें)		

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि

क) इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी में सत्य है।

ख) मैंने/हमने आपूर्ति संहिता विनियम 2023 को पढ़ लिया है और उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ

ग) मैं/हम लागू बिजली शुल्क और अन्य शुल्कों के अनुसार हर महीने बिजली की बकाया राशि जमा करूंगा/करेंगे।

घ) मैं/हम मीटर की सुरक्षा और सुरक्षा, कट-आउट और उसके बाद स्थापना की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे।

दिनांक:

स्थान:

नाम:

संपर्क नंबर:

उपभोक्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

ईमेल आईडी:

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए:

- (1) परिसर के स्वामित्व का प्रमाण
- (2) संयंत्र/कार्यालय के प्रस्तावित स्थान और आपूर्ति की आवश्यकता वाले स्थान को दर्शाने वाला नक्शा। नक्शा सामान्य रूप से 1 सेमी= 1200 सेमी के पैमाने का होना चाहिए।
- (3) वैधानिक प्राधिकरण से लाइसेंसधारी / एनओसी, यदि आवश्यक हो या आवेदक द्वारा एक घोषणा कि उसका कनेक्शन किसी भी कानून के अंतर्गत एनओसी की आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता है।
- (4) एक स्वामित्व फर्म के मामले में, एक हलफनामा प्रस्तुत किया जाना है जिसमें कहा गया है कि आवेदक फर्म का एकमात्र मालिक है।
- (5) साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख।
- (6) लिमिटेड कंपनी के मामले में, मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
- (7) उपभोक्ता के स्थायी आवासीय पते का प्रमाण और पैन नंबर, यदि कोई हो। यदि बाद की तारीख में कोई परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता द्वारा तुरंत लाइसेंसधारी को इसकी सूचना दी जाएगी।
- (8) उत्पादन/निर्माण में वृद्धि के लिए आशय पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (9) अपेक्षित लोड के साथ स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की सूची।
- (10) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए बोर्ड का संकल्प।
- (11) उद्योग विभाग से पंजीकरण।
- (12) बिजली और प्रक्रिया आवश्यकताओं (उद्योगों के मामले में) के लिए प्रासंगिक परियोजना रिपोर्ट का उद्धरण।
- (13) वर्तमान टैरिफ आदेश के प्रासंगिक खंड की प्रति जो उपभोक्ता द्वारा चुनी गई और उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित टैरिफ श्रेणी का विवरण प्रदान करता है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे अनुबंध के साथ जोड़ा जाएगा।

पावती

..... (आवेदक का नाम) के नाम पर वर्तमान में पर स्थित सर्विस कनेक्शन संख्या..... से दिनांक को के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उपभोक्ता को संदर्भ संख्या प्रदान की गई है जिसे भविष्य के पत्राचार में प्रयोग करना है।

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मुहर

नाम और पदनाम

अनुलग्नक -III: घोषणा/शपथपत्र

मैं, _____ पुत्र/पुत्री के निवासी (बाद में "आवेदक" के रूप में संदर्भित, जिसका अर्थ होगा और इसमें निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल हैं), एतद्वारा शपथ लेते हैं और निम्नानुसार घोषित करते हैं:

या

कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित (यहाँ पर "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल हैं), एतद द्वारा शपथ लेते हैं और निम्नानुसार घोषणा करते हैं:

कि आवेदक के परिसर का वैध अधिभोगी है जिसके समर्थन में आवेदक ने अधिभोग का प्रमाण संलग्न किया है।

कि आवेदक ने लाइसेंसधारी से आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवेदक के नाम पर उपर्युक्त परिसर में सर्विस कनेक्शन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

कि घोषणा प्रस्तुत करने में, आवेदक स्पष्ट रूप से समझ गया है कि यदि उपरोक्त कथन किसी भी बाद के चरण में गलत साबित होते हैं, तो लाइसेंसधारी को बिना किसी नोटिस के आवेदक को आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने का पूरा अधिकार होगा और उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया राशि को सुरक्षा जमा राशि में समायोजित करने का अधिकार होगा।

कि आवेदक एतद्वारा सहमत है और वचन देता है:

- 1) आवेदक को दिए गए नए सर्विस कनेक्शन के कारण लाइसेंसधारी को सभी कार्यवाही, दावों, मांगों, लागतों, क्षतियों, खर्चों के लिए लाइसेंसधारी की क्षतिपूर्ति करना।

- 2) यह कि परिसर के भीतर किए गए सभी विद्युत कार्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हैं और एक लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा किए गए हैं (यदि आवेदक मालिक है और परिसर में वायरिंग नई है)

या

कि परिसर के भीतर किए गए सभी विद्युत कार्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हैं (जहां आवेदन दोबारा कनेक्शन के लिए है या आवेदक का परिसर पर कब्जा है)

- 3) इस खाते में आवेदक को होने वाली किसी भी हानि के लिए लाइसेंसधारी को क्षतिपूर्ति दी जाती है। इसके अलावा, आवेदक इस बात से सहमत है कि यदि आवेदक के परिसर में विद्युत कार्य में खराबी के कारण लाइसेंसधारी की संपत्ति को कोई नुकसान / हानि होती है, तो सभी देनदारियां आवेदक द्वारा वहन की जाएंगी।
- 4) बिजली की खपत के बिलों और अन्य सभी शुल्कों का भुगतान लाइसेंसधारक की टैरिफ अनुसूची में निर्धारित दरों पर और आपूर्ति के लिए विविध शुल्क, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, नियमित रूप से और जब भी भुगतान के लिए देय हो जाता है।
- 5) पूर्ववर्ती वर्ष में आवेदक की खपत के आधार पर समय-समय पर लाइसेंसधारी द्वारा संशोधित अतिरिक्त खपत जमा जमा करना।
- 6) विद्युत अधिनियम, 2003, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2023, टैरिफ आदेश और आयोग द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य नियम या विनियम, जो समय-समय पर लागू हो, के प्रावधानों का पालन करना।
- 7) अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले या किसी संविदात्मक चूक के मामले में, आवेदक द्वारा भुगतान किए गए उपभोक्ता सुरक्षा जमा के विरुद्ध किसी भी अन्य शुल्क के साथ लाइसेंसधारी बिजली खपत शुल्क को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 8) लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए गए मीटर, सीटी, केबल आदि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और यदि आवेदक के कारण उपकरण को कोई नुकसान होता है तो वह आवेदक से वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, मीटर आदि की सीलों के टूटने या ऊर्जा के प्रत्यक्ष/वैद्यमान अपव्यय के कारण सभी परिणाम मौजूदा कानूनों के अनुसार आवेदक की जिम्मेदारी होंगे।
- 9) मीटर रीडिंग और इसकी जाँच आदि के उद्देश्य से मीटर तक स्पष्ट और अबाधित पहुँच की अनुमति देना।
- 10) आवेदक द्वारा सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने और इस तरह के आदेश को प्रभावी करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण(यों) द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश की अनुपलना न करने की स्थिति में, आवेदक लाइसेंसधारी को संदर्भ के अंतर्गत सर्विस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने देगा। यह लाइसेंसधारी के किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसमें कनेक्शन काटने की तारीख को उसका भुगतान प्राप्त करना भी शामिल है।
- 11) कि बिजली की आपूर्ति में किसी भी रुकावट या कमी के लिए लाइसेंसधारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- 12) आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त सभी घोषणाओं को लाइसेंसधारी और आवेदक के बीच एक समझौते के रूप में माना जाएगा।
- 13) किसी स्थापना के लिए प्राप्त विद्युत कनेक्शन को ऐसे संस्थापन के संपत्ति अधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा और इसे न्यायालय में किसी भी अधिकार को प्राप्त करने के लिए कानूनी दस्तावेज़ के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक की संपर्क संख्या

हस्ताक्षरित और वितरित

गवाह की उपस्थिति में

गवाह का नाम

अनुलग्नक -IV: आवेदन पत्र: पंजीकृत उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन

1	सर्विस कनेक्शन संख्या	
2	पंजीकृत उपभोक्ता का नाम (वर्तमान में)	
3	उपभोक्ता श्रेणी	
4	अनुबंधित लोड	
5	पता:	टेलीफोन: मोबाइल:

		ईमेल आईडी:
6	उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम का संबंध से है बदला जा सकता है (बड़े अक्षरों में)	

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं:

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

1. विधिवत भुगतान किए गए नवीनतम बिल की प्रति
2. परिसर के स्वामित्व/कानूनी कब्जे का नवीनतम प्रमाण
3. यदि उपलब्ध/संभव हो तो मौजूदा उपभोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. पंजीकृत विलेख / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / (यदि कोई अन्य दस्तावेज, कृपया निर्दिष्ट करें)

दिनांक:

उपभोक्ता के हस्ताक्षर:

स्थान :

नाम:

संपर्क नंबर:

ईमेल-आईडी:

पावती

..... (आवेदक का नाम) के नाम पर वर्तमान में पर स्थित सर्विस कनेक्शन संख्या..... से दिनांक को के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उपभोक्ता को संदर्भ संख्या प्रदान की गई है जिसे भविष्य के पत्राचार में प्रयोग करना है।

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मुहर

नाम और पदनाम

अनुलग्नक -V: आवेदन पत्र: कानूनी उत्तराधिकारी को स्वामित्व का हस्तांतरण

1	सर्विस कनेक्शन संख्या	
2	पंजीकृत उपभोक्ता का नाम (वर्तमान में)	
3	उपभोक्ता श्रेणी	
4	अनुबंधित लोड	
5	पता:	टेलीफोन: मोबाइल: ईमेल आईडी :
6	उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर कनेक्शन बदला जाना है (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं:

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

1. विधिवत भुगतान किए गए नवीनतम बिल की प्रति
2. परिसर के स्वामित्व/कानूनी कब्जे का प्रमाण
3. पंजीकृत वसीयत/उत्तराधिकार या कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र/म्यूटेशन डीड/(यदि कोई अन्य दस्तावेज, कृपया निर्दिष्ट करें)
4. उपरोक्त 3 की अनुपस्थिति में कानूनी वारिसों में से किसी एक के नाम पर कनेक्शन बदलने के मामले में अन्य कानूनी उत्तराधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

दिनांक:

उपभोक्ता के हस्ताक्षर:

स्थान:

नाम:

संपर्क नंबर:

ईमेल-आईडी:

पावती

..... (आवेदक का नाम) के नाम पर वर्तमान में पर स्थित सर्विस कनेक्शन संख्या..... से दिनांक को के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उपभोक्ता को संधर्भ संख्या प्रदान की गई है जिसे भविष्य के पत्राचार में प्रयोग करना है।

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मुहर

नाम और पदनाम

**अनुलग्नक-VI: सर्विसों का रूपांतरण/उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन/कनेक्शन को नए परिसर में स्थानांतरित करना
(जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)**

1	सर्विस कनेक्शन नंबर	
2	उपभोक्ता का नाम	
3	उपभोक्ता की श्रेणी	
4	अनुबंधित लोड	
5	पता	
6	टेलीफोन नंबर	
7	सर्विस में परिवर्तन के लिए अनुरोध	
i)	यदि अनुरोध सर्विस के रूपांतरण के लिए है: (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)	एलटी एक फेज से एलटी 3-फेज में रूपांतरण एलटी 3-फेज से एलटी एक फेज में रूपांतरण एलटी से एचटी में रूपांतरण एचटी से एलटी में रूपांतरण एचटी से ईएचटी में रूपांतरण ईएचटी से एचटी में रूपांतरण अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
ii)	यदि अनुरोध उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन के लिए है, तो उस टैरिफ श्रेणी का उल्लेख करें जिसमें उपभोक्ता शिफ्ट होना चाहता है:	(इस फॉर्म के साथ संलग्न सभी टैरिफ श्रेणियों की सूची देखें)
iii)	यदि अनुरोध नए परिसर से कनेक्शन बदलने के लिए है:	क) नया पता जिस पर मौजूदा सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित किया जाना है: ख) स्थानांतरित किए जाने वाले उपकरणों का विवरण (मीटर/सर्विस लाइन, एलटी/एचटी लाइन, ट्रांसफार्मर, आदि):
8	सर्विस में परिवर्तन के लिए कारण	

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं: (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

1. स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट
2. परिसर के स्थानांतरण के लिए अनुरोध होने पर परिसर के स्वामित्व/कानूनी कब्जे का प्रमाण
3. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया निर्दिष्ट करें)

दिनांक:

उपभोक्ता के हस्ताक्षर:

स्थान :

नाम:

संपर्क नंबर:

ईमेल-आईडी:

पावती

..... (आवेदक का नाम) के नाम पर वर्तमान में पर स्थित सर्विस कनेक्शन संख्या..... से दिनांक को के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उपभोक्ता को संधर्भ संख्या प्रदान की गई है जिसे भविष्य के पत्राचार में प्रयोग करना है।

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मुहर

नाम और पदनाम

**अनुलग्नक -VII: आवेदन पत्र: लोड वृद्धि / लोड में कमी
(जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)**

1	आवेदक/संगठन का नाम:	
2	सर्विस कनेक्शन नंबर	
3	परिसर का नाम जहां बिजली सप्लाई की जा रही है;	
4	टेलीफोन नंबर	
5	लोड बढ़वाने के मामले में:	
	वर्तमान मंजूर लोड (किवा/किलो वॉल्ट अपेयर)	लोड जिसके लिए अनुरोध किया गया है (किवा/किलो वॉल्ट अपेयर)
6	लोड बढ़वाने के मामले में:	
	वर्तमान मंजूर लोड (किवा/किलो वॉल्ट अपेयर)	लोड जिसके लिए अनुरोध किया गया है (किवा/किलो वॉल्ट अपेयर)
7.	लोड बढ़वाने/घटवाने के लिए कारण	
7	<p>आपूर्ति से जोड़े गए / हटाए गए लोड का विवरण, यदि लागू हो तो। (कृपया श्रेणीवार उपकरणों की सूची संलग्न करें)</p> <p>क. प्रकाश ख. मोटिव पावर ग. कृषि घ. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)</p>	

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने हैं: (यदि लागू हो)

1. लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से एक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट, यदि उपभोक्ता की स्थापना बदल दी गई है।

2. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्रस्ताव

दिनांक:

उपभोक्ता के हस्ताक्षर:

स्थान

नाम:

संपर्क नंबर:

ईमेल-आईडी:

पावती

..... (आवेदक का नाम) के नाम पर वर्तमान में पर स्थित सर्विस कनेक्शन संख्या..... से दिनांक को के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उपभोक्ता को संधर्भ संख्या प्रदान की गई है जिसे भविष्य के पत्राचार में प्रयोग करना है।

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मुहर

नाम और पदनाम

अनुलग्नक- VIII: जोड़े गए लोड के निर्धारण के लिए खरीद

आवेदक का नाम:

सर्विस कनेक्शन संख्या (मौजूदा कनेक्शन के लिए):

आवेदक का पता:

आवेदक की संपर्क संख्या:

आवेदक की ईमेल-आईडी:

उपयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत उपकरण:

(कृपया कनेक्टेड लोड के निर्धारण को सक्षम करने के लिए निम्न तालिका भरें। आम तौर पर परिसर में कनेक्टेड लोड निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मद के वास्तविक लोड पर विचार किया जाएगा। किसी भी मद की रेटेड क्षमता की अनुपलब्धता के मामले में, नीचे दिखाए गए लोड पर विचार किया जाएगा। हालांकि, घरेलू कनेक्शन के लिए केवल कूलिंग लोड (एयर कंडीशनर, कूलर आदि) या हीटिंग लोड में से उच्चतर लोड को ; खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण (गीजर, हीटिंग रॉड आदि) को छोड़कर, कुल लोड के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

मद	प्रति मद लोड (वाट में) (संकेतात्मक)	संख्या	कुल लोड (वाट)
	2	3	4 = 2x3
सीएफएल/एलईडी	15		
बल्ब	60		
ट्यूब लाइट	50		
पंखा	60		
म्यूजिक सिस्टम	100		
टेलीविज़न	90		
मिक्सर	375		
बिजली का आयरन	750		
फ्रिज	150		
कूलर	250		
हीटर (खाना पकाने और पानी गरम करने के लिए)	1000		
वाशिंग मशीन	750		
गीजर	2000		
माइक्रोवेव ओवेन	2000		
एयर कंडीशनर (1 टन)	1500		
एयर कंडीशनर (1.5 टन)	2250		
कम्प्युटर	100		
प्रिंटर	150		
पम्प-सेट	375		
अन्य (निर्दिष्ट करें)			
कुल			

अनुलग्नक-IX: आवेदक की स्थापना की परीक्षा परिणाम रिपोर्ट

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 का विनियम 31)

(लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाना है)

संदर्भ संख्या

दिनांक

1. उपभोक्ता का नाम और पता:
2. आवेदक की संपर्क संख्या:
3. आवेदक की ईमेल-आईडी:
4. स्थापना का विवरण:
5. इंस्टॉलेशन का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लेवल:
6. संस्थापन के चालू होने की तिथि (अतिरिक्त आपूर्ति या पुनः संयोजन के मामले में): आयोजित परीक्षणों के परिणाम

अनु क्र	उपकरण	परीक्षण किया गया	परीक्षा के परिणाम	टिप्पणियां
1	स्विच फ्यूज के साथ जुड़ा हुआ	i. यांत्रिक संचालन ii. फ्यूज की रेटिंग iii. ब्लेड का संपर्क	चिकना/परेशानी..... एएमपी पूर्ण / आंशिक	
2	आइसोलेटर	i. यांत्रिक संचालन ii. रिमोट ऑपरेशन iii. स्थानीय संचालन iv. सतह प्रतिरोध का मापन v. अर्थ स्विच के साथ इंटरलॉकिंग vi. सीबी के साथ इंटरलॉकिंग vii. आईआर वैल्यू खुली स्थिति बंद स्थिति	i) ठीक/ठीक नहीं ii) ठीक/ठीक नहीं iii) ठीक/ठीक नहीं iv) _____ माइक्रो-ओहम v) ठीक/ठीक नहीं vi) ठीक/ठीक नहीं vii) _____ माइक्रो-ओहम पीएच-पीएच पीएच-ई	
3	सर्किट ब्रेकर (क्रमांक)	1. सर्किट ब्रेकर की रेटिंग (i) प्रकार (ii) वोल्टेज (iii) सामान्य धारा (iv) बाधा की क्षमता 2. आईआर वैल्यू खुली स्थिति बंद स्थिति सतही प्रतिरोध 3. यांत्रिक संचालन 4. रिमोट ऑपरेशन 5. स्थानीय ऑपरेशन 6. आइसोलेटर के साथ इंटरलॉकिंग 7. अर्थ स्विच के साथ इंटरलॉकिंग 8. ओटीआई / डबल्यूटीआई / बुखोल्लज / किलोवोल्ट एम्प किलो-एम्पीयर पीएच-पीएच पीएच-ई माइक्रो-ओहम इंस्टेंट स्मूथ Time Gap (sec) ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं	

		<p>पीआरवी के लिए अलार्म और ट्रिप</p> <p>9. अर्थ फॉल्ट रिले</p> <p>10. वर्तमान रिले से अधिक</p> <p>11. वोल्टेज रिले के अंतर्गत</p> <p>12. एसएफ़ 6 प्रेसर अलार्म और</p> <p>13. ट्रिप ऑपरेशन टेस्ट</p>	<p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p>	
4	ट्रांसफार्मर (क्रमांक)	<p>क) इन्सुलेशन प्रतिरोध वैल्यू</p> <p>1. एचटी से एलटी</p> <p>2. एचटी से अर्थ</p> <p>3. एलटी से अर्थ</p> <p>ख) ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट</p> <p>1. तेल का नमूना- I (शीर्ष)</p> <p>2. तेल का नमूना-II (नीचे)</p> <p>ग) वेक्टर समूह परीक्षण</p> <p>घ) ध्रुवीयता परीक्षण</p> <p>ङ) चुंबकीय संतुलन</p> <p>च) टैन डेल्टा टेस्ट (क्षमता के अनुसार)</p> <p>छ) संरक्षक टैंक में तेल का स्तर</p> <p>ज) ब्रेथ कप में तेल का स्तर</p> <p>झ) ओटीआई/डब्ल्यूटीआई सेटिंग्स</p> <p>ट) ओटीआई / डब्ल्यूटीआई अलार्म और ट्रिप ऑपरेशन</p> <p>ठ) बुकहोलज़ रिले का संचालन</p> <p>ड) पीआरवी का संचालन</p> <p>ण) तेल रिसाव</p> <p>त) ड्राई ट्रांसफॉर्मर के लिए डोर स्विच का इंटरलॉक</p> <p>थ) साइड क्लीयरेंस के लिए क्लीयरेंस: दो ट्रांसफॉर्मर के बीच:</p> <p>द) बाँडी अर्थ रेजिस्टेंस</p> <p>ध) तटस्थ अर्थ प्रतिरोध</p>	<p>..... माइक्रो-ओहम</p> <p>..... माइक्रो-ओहम</p> <p>..... माइक्रो-ओहम</p> <p>..... किलोवोल्ट</p> <p>..... किलोवोल्ट</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>A/T °C A/T °C</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>..... सेमी</p> <p>..... मीटर</p> <p>एन 1: ओहम</p> <p>एन 2: ओहम</p>	
5	अल्टरनेटर इंजन के लिए डीजी सेट क्रमांक	<p>क) अन्य आपूर्ति स्रोतों के साथ इंटरलॉकिंग</p> <p>ख) बाँडी अर्थ प्रतिरोध</p> <p>ग) तटस्थ अर्थ प्रतिरोध</p>	<p>ठीक/ठीक नहीं</p> <p>एन 1: ओहम</p> <p>एन 2: ओहम</p>	

6	केवल साइज: वर्ग मिमी	क) इन्सुलेशन प्रतिरोध वैल्यू 1. पीएच-पीएच 2. पीएच-अर्थ 3. पीएच-अर्थ + अन्य पीएच ख) बेडिंग त्रिज्या माइक्रो-ओहम माइक्रो-ओहम माइक्रो-ओहम ठीक/ठीक नहीं	
7	अर्थिंग	क) अर्थ की पत्तियों का आकार और धातु ख) अर्थिंग के प्रकार 1. प्लेट अर्थिंग 2. पाइप अर्थिंग 3) काउंटर पॉइज़ अर्थिंग घ) पृथ्वी इलेक्ट्रोड के पृथ्वी प्रतिरोध का मूल्य 1) रिएक्टर तटस्थ: 2) एलए एस 3) संरचना: 4) उपकरण के फ्रेम / निकाय 5) मोटर्स	Cu/Al/GI..... Sq mm हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं एन1 ओहम ... एन2 ओहम (आर) ओहम (वाई) ओहम (बी)..... ओहम ओहम ओहम ओहम	
8	पोटेन्शियल ट्रांसफार्मर	(i) अनुपात परीक्षण (ii) ध्रुवीयता परीक्षण (iii) तेल का बीडीवी (iv) आईआर टेस्ट	ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं किलोवोल्ट (आर) पी-ई माइक्रो-ओहम (वाई) पी-ई माइक्रो-ओहम (बी) पी-ई ... माइक्रो-ओहम	
9	धारा ट्रांसफ़ोर्मर	(i) अनुपात परीक्षण (ii) ध्रुवीयता परीक्षण (iii) तेल का बीडीवी (iv) आईआर टेस्ट	ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं किलोवोल्ट (आर) पी-ई माइक्रो-ओहम (वाई) पी-ई माइक्रो-ओहम (बी) पी-ई ... माइक्रो-ओहम	
10	संचरण लाइन	(i) कंडक्टर / टावर की शारीरिक स्थिति (ii) टावर एक्सेसरीज की जांच (iii) टावर फुटिंग प्रतिरोध (iv) कंडक्टर निरंतरता परीक्षण (v) ग्राउंड क्लियरेंस की जांच (vi) मार्ग के साथ विद्युत निकासी की जांच	ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं ओहम ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं ठीक/ठीक नहीं	

सामान्य अवलोकन

अनु क्र	वस्तु	अवलोकन
1	आवश्यक चरण से चरण, चरण से जमीन और अनुभागीय निकासी की जांच	
2	उपकरण लेआउट और समग्र स्थापना विवरण की जांच करें	
3	लागू होने पर पृथ्वी की चटाई या पृथ्वी इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का परीक्षण	
4	व्यक्तिगत उपकरणों की उपभोक्ता की प्री-कमीशनिंग परीक्षण रिपोर्ट की जांच	
5	अलग-अलग उपकरणों की निर्माता की दिनचर्या / प्रकार की परीक्षण रिपोर्ट की जांच करें	
6	क्या लागू होने पर निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है	
7	क्या विनियमों के अनुपालन के बारे में स्वामी का स्व-प्रमाणन प्राप्त किया गया है?	
8	सामान्य अवलोकन और विचार (विनियमों की आवश्यकताओं से विशिष्ट विचलन स्पष्ट रूप से सामने लाया जाएगा)	

प्राधिकरण का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक-X: मीटर संबंधी शिकायतें / मीटर के परीक्षण के लिए अनुरोध

(जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

शिकायत संदर्भ संख्या _____ (लाइसेंसधारी द्वारा दिया जाना है)

- सर्विस कनेक्शन संख्या:
- उपभोक्ता का नाम:
- उपभोक्ता का पता और संपर्क नंबर:
- उपभोक्ता की ईमेल-आईडी
- शिकायत का संक्षिप्त विवरण - जल गया / पूरी तरह से बंद / फास्ट मीटर / सील टूटा हुआ / मीटर का परीक्षण
- मीटर की प्रारंभिक लागत किस के द्वारा वहन की गई (एक पर टिक करें): उपभोक्ता / लाइसेंसधारी
- शिकायतकर्ता प्रतिस्थापन के लिए एक नया मीटर प्रदान करना चाहता है/प्रदान किया है (हां/नहीं):
- कोई अन्य जानकारी:

दिनांक:

(कार्यालय उपयोगार्थ)

(उपभोक्ता के हस्ताक्षर)

1. साइट सत्यापन रिपोर्ट

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

2. संबंधित अधिकारी की टिप्पणियां

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

पावती

शिकायत संदर्भ संख्या: _____ (लाइसेंसधारी द्वारा दिया जाना है)

शिकायतकर्ता: _____ (नाम और पदनाम)

शिकायत प्राप्त करने की तिथि: _____

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर / मुहर

नाम और पदनाम

अनुलग्नक -XI: मीटर जांच परिणाम रिपोर्ट**1. उपभोक्ता विवरण**

सर्विस कनेक्शन संख्या.....

उपभोक्ता का नाम.....

उपभोक्ता श्रेणी

उपभोक्ता का पता

उपभोक्ता की संपर्क संख्या.....

उपभोक्ता की ईमेल-आईडी

2. मीटर का विवरण

मीटर संख्या

साइज़

प्रकार

सी टी अनुपात

ई / एल-एलईडी स्थिति रेव एलईडी स्थिति

3. गति/ पल्स जांच

मीटर स्थिरांक.....

लोड

परीक्षण से पहले रीडिंग

परीक्षण के बाद रीडिंग

ली गई गति/पल्स की संख्या.....

परीक्षण के लिए लिया गया वास्तविक समय.....

मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई ऊर्जा

एक मानकीकृत मीटर द्वारा दर्ज ऊर्जा

त्रुटि.....

परिणाम

उपभोक्ता मीटर ने.....% कम / अधिक खपत

प्रतिस्थापन की आवश्यकता है या परिणाम के अंदर हैं।

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।किलोवाट का एक बाहरी लोड1 किलोवाट के परीक्षण के लिए उपयोग किया गया था और कुल समय मिनट था। परीक्षण पल्स/चक्रों की गणना के लिए ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग करके किया गया था।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

नाम:

कंपनी के अधिकारी के हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

नोट: विभिन्न बाहरी लोड के परीक्षण के लिए लिया गया अनुमानित समय निम्नानुसार है:

किलोवाट में लोड**अनुमानित समय मिनटों में**

1 किलोवाट

60

2 किलोवाट

30

4 किलोवाट

15

5 किलोवाट

12

अनुलग्नक-XII: स्व-मूल्यांकन बिल के लिए आवेदन

1	पंजीकृत उपभोक्ता का नाम	
2	सर्विस कनेक्शन संख्या	
3	पता:	टेलीफोन: मोबाइल: ईमेल आईडी:
4	पिछले 6 महीनों की औसत खपत	
5	रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि (स्व-मूल्यांकन) (पिछले 6 महीनों में औसत खपत से कम नहीं होना चाहिए)	पिछली रीडिंग
		वर्तमान रीडिंग
		शुद्ध खपत
6	भुगतान का प्रकार	जांच
		डीडी/मनी ऑर्डर
		नकद
		ऑनलाइन भुगतान

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

उपभोक्ता की संपर्क संख्या:

उपभोक्ता का नाम:

उपभोक्ता की ईमेल-आईडी:

अनुलग्नक-XIII: अग्रिम भुगतान के आवेदन का प्रारूप

सर्विस कनेक्शन संख्या.....

उपभोक्ता का नाम.....

उपभोक्ता श्रेणी

अनुबंधित लोड

उपभोक्ता का पता.....

उपभोक्ता की संपर्क संख्या.....

उपभोक्ता की ईमेल-आईडी

श्रीमान,

मैं उपरोक्त संदर्भित कनेक्शन के विरुद्ध से लेकर..... तक की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करना चाहता हूँ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे उपरोक्त अवधि की मेरी बिजली खपत के लिए एक अनंतिम अग्रिम बिल भेजें, ताकि मैं भुगतान कर सकूँ।

धन्यवाद।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

उपभोक्ता का नाम:

अनुलग्नक-XIV: यूयूई/चोरी के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

निरीक्षण की तिथि:

क्रम संख्या:

निरीक्षण एजेंसी:

सर्विस कनेक्शन संख्या		
उपभोक्ता का नाम		
उपभोक्ता श्रेणी		
पता		
लोड विवरण		
क) स्वीकृत/अनुबंधित लोड		
ख) केडब्ल्यू या केवीए में अधिकतम मांग या स्वीकृत अनुबंध मांग, जो भी अधिक हो		
ग) चोरी के मामले में प्रत्येक उपकरण के विवरण के साथ कुल कनेक्टेड लोड		
अनियमितता का प्रकार: (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)		
विजली का अनधिकृत उपयोग	चोरी	अन्य (विस्तार से निर्दिष्ट करें)
जाँच के परिणाम:		
मीटर संख्या (पेंट की गई):	सीटी बॉक्स सील नंबर:	मिल गया:
मीटर संख्या (डायल):	मीटर बॉक्स सील नं.:	मिल गया:
रीडिंग (किलोवाट):	मीटर टर्मिनल सील नं.:	मिल गया:
रीडिंग (केवीएएच):	हाफ सील नं.:	मिल गया:
रीडिंग (केवीएआरएच):	कार्यशील मीटर:	
एमडीआई:	केवल स्थिति:	
ऊर्जा घटक:	सीटी अनुपात:	
साइज़	प्रकार:	
शंट कैपेसिटर (एक पर टिक करें)	शंट कैपेसिटर _____ रेटिंग और _____ मेक _____ पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए क्रम में स्थापित पाया गया; या कोई शंट कैपेसिटर स्थापित नहीं पाया गया। पावर फैक्टर मापा गया	

जेनरेटर: केवीए बिना अनुमति के स्थापित पाया गया

सील का विवरण

निरीक्षण दल द्वारा अन्य अवलोकन:

उपभोक्ता के लिए नोट: आपसे अनुरोध है कि कृपया निरीक्षण दल के सदस्य/पुलिस अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में लिखित समय और तारीख को के समक्ष पर उपस्थित हों।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर:

उपभोक्ता का नाम:

उपभोक्ता की संपर्क संख्या:

उपभोक्ता की ईमेल-आईडी:

निर्धारण/अधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
 नाम: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
 पद: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
 कर्मचारी संख्या: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

अनुलग्नक -XV: स्थायी कनेक्शन काटने और समझौते की समाप्ति के लिए अनुरोध

सर्विस कनेक्शन संख्या.....

उपभोक्ता का नाम.....

उपभोक्ता श्रेणी

अनुबंधित लोड

उपभोक्ता का पता.....

उपभोक्ता की संपर्क संख्या.....

उपभोक्ता की ईमेल-आईडी

यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त कनेक्शन को स्थायी रूप से काटा जा सकता है और लाइसेंसधारी के साथ संबंधित अनुबंध को तत्काल समाप्त किया जा सकता है।

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं:

1. अंतिम बिल की प्रति
2. पिछले बिल की भुगतान रसीद की प्रति

धन्यवाद

दिनांक:

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

पावती

..... (आवेदक का नाम) के नाम पर वर्तमान में पर स्थित सर्विस कनेक्शन संख्या..... से दिनांक को के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में उपभोक्ता को संधर्भ संख्या प्रदान की गई है जिसे भविष्य के पत्राचार में प्रयोग करना है।

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मुहर

नाम और पदनाम

अनुलग्नक -XVI: अनुबंध की समाप्ति के बाद उपभोक्ता को सूचना के लिए प्रारूप

लाइसेंसधारी के कार्यालय का पता

दिनांक:

सर्विस कनेक्शन संख्या.....

..... (उपभोक्ता का नाम)

..... (उपभोक्ता का पता)

..... (उपभोक्ता की संपर्क संख्या)

..... (उपभोक्ता की ईमेल-आईडी)

आपको सूचित किया जाता है कि एक समझौता दिनांक सर्विस कनेक्शन संख्या के विरुद्ध उपभोक्ता श्रेणी में किलोवाट/मेगावाट (अनुबंधित लोड) की आपूर्ति के संबंध में आपके और (लाइसेंसधारी का नाम) के बीच (दिनांक) से के कारण (कारण) समाप्त कर दिया गया है।

आपकी आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई है।

सभी शुल्कों और ऊर्जा बिलों के अंतिम समायोजन के बाद की राशि:

1. रुपये आपको देय है जिसके लिए चेक नंबर संलग्न है।

2. रुपये आप के द्वारा देय है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर राशि का भुगतान करें, ऐसा नहीं करने पर राशि की वसूली के लिए कानून के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

धन्यवाद

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर / मुहर

नाम और पदनाम:

अनुलग्नक -XVII: अस्थायी रूप से बिजली का कनेक्शन काटने के बाद उपभोक्ता को सूचना के लिए प्रारूप

लाइसेंसधारी का कार्यालय

तिथि.....

सर्विस कनेक्शन संख्या.....

उपभोक्ता का नाम.....

उपभोक्ता श्रेणी

उपभोक्ता की

उपभोक्ता की संपर्क संख्या.....

उपभोक्ता की ईमेल-आईडी

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी आपूर्ति (तारीख) से निम्नलिखित कारणों से अस्थायी रूप से काट दी गई है:

आपसे अनुरोध है कि कनेक्शन काटने के कारण को दूर कर जल्द से जल्द इस कार्यालय को सूचित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि कनेक्शन काटने और पुनः संयोजन शुल्क और के लिए की राशि का भुगतान करें। (विस्तृत विवरण के साथ उल्लेख करें कि क्या कोई अन्य देय राशि जमा की जानी है)।

यदि इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार कनेक्शन को काटने का कारण नहीं हटाया जाता है और उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस नोटिस के 45 दिनों के अंदर आपकी आपूर्ति बिना किसी और सूचना के स्थायी रूप से काट दी जाएगी।

धन्यवाद

लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर / मुहर

नाम और पदनाम:

अनुलग्नक -XVIII: सुरक्षा जमा राशि का परिसीमन

उपभोक्ता के लिए सुरक्षा जमा राशि = लोड (अनुलग्नक VIII के अनुसार गणना के अनुसार) x उस श्रेणी का लोड फैक्टर जिसमें उपभोक्ता आता है x (30 दिन (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) + 30 दिन) x घंटे x टैरिफ आदेश के अनुसार प्रासंगिक टैरिफ श्रेणी का ऊर्जा शुल्क

क्रमांक	विवरण	लोड फैक्टर	घंटे (H)
1.	घरेलू	30%	12
2	व्यावसायिक	50%	12
3	एलटी औद्योगिक	50%	10
	एचटी/ईएचटी औद्योगिक:		
	एकल शिफ्ट उद्योग	50%	10
	डबल शिफ्ट उद्योग	75%	18
	सतत उद्योग	100%	24

5	कृषि / जल आपूर्ति	33%	4
6	सड़क की बत्तियाँ	40%	8
7	सिग्नल और ब्लिंकर	75%	12
8	रेलवे ट्रैक्शन	50%	24

नोट: कृषि उपभोक्ताओं के लिए समयावधि 60 दिन होगी।

अनुलग्नक-XIX: चोरी के मामलों में ऊर्जा का आकलन

1. बिजली की चोरी के कारण खपत की गणना के लिए निर्धारण सूत्र निम्नानुसार होगा:

मूल्यांकन की गई इकाइयाँ = एल × डी × एच × एफ

जहाँ,

एल = लोड (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसर में पाया गया कनेक्टेड लोड) किलोवाट में;

डी = दिनों में मूल्यांकन की अवधि, जिसके दौरान अनधिकृत उपयोग / चोरी का संदेह है और नीचे निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपयोग के लिए लिया जाएगा:

क) सतत उद्योग	30 दिन
बी) अनिरंतर उद्योग	25 दिन
ग) घरेलू उपयोग	30 दिन
घ) कृषि	30 दिन
ङ) गैर-आवासीय (निरंतर) अर्थात् अस्पताल, होटल रेस्तरां, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप और दूरसंचार टावर	30 दिन
च) गैर-आवासीय (सामान्य) अर्थात् (ङ) के अलावा अन्य	25 दिन
छ) वाटर वर्क्स और स्ट्रीट लाइट	30 दिन
ज) अन्य श्रेणियाँ (अस्थायी आपूर्ति सहित)	30दिन

एच = उपभोक्ता को वितरण मेन में उपलब्ध कराई गई बिजली आपूर्ति के प्रति दिन औसत घंटे जो नीचे निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के लिए लिया जाएगा:

(क) सिंगल शिफ्ट उद्योग (केवल दिन/रात)	08 घंटे
(ख) गैर सतत प्रक्रिया उद्योग (दिन और रात)	20 घंटे
(ग) सतत प्रक्रिया उद्योग	24 घंटे
(घ) (i) गैर-आवासीय (सामान्य) रेस्तरां सहित	12 घंटे
(ii) होटल, अस्पताल, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप और दूरसंचार टावर	20 घंटे
(ङ) घरेलू	08 घंटे
(च) कृषि	04 घंटे
(छ) पानी	08 घंटे
(ज) स्ट्रीट लाइट	08 घंटे
(झ) अन्य श्रेणियाँ (अस्थायी आपूर्ति सहित)	12 घंटे

एफ = लोड फैक्टर, जिसे नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपयोग के लिए लिया जाएगा:

क्रमांक	विवरण	लोड फक्टर
1.	एचटी (गैर-घरेलू के लिए 75 किलोवाट से ऊपर और 107 एचपी से ऊपर के लोड सहित)	100%

	या 100 केवीए के लिए	
2.	एलटी इंडस्ट्रियल (107 एचपी या 100 केवीए)	75%
3.	गैर-घरेलू (75kW तक)	50%
4.	घरेलू (75 किलोवाट तक)	40%
5.	कृषि	50%
6.	जलापूर्ति	50%
7.	गली की बत्ती	50%
8.	प्रत्यक्ष चोरी - सभी श्रेणियां	100%

2. अस्थायी कनेक्शन के मामले में ऊर्जा का आकलन

अस्थायी कनेक्शन के मामले में बिजली चोरी के लिए खपत की गई इकाइयों का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा:

मूल्यांकन की गई इकाइयां = एल x डी x एच

जहाँ

एल = लोड (निरीक्षण के समय जुड़ा हुआ पाया गया) किलोवाट में;

डी = दिनों में मूल्यांकन की अवधि; तथा

एच = कृषि कनेक्शन के लिए 6 घंटे और अन्य के लिए 12 घंटे

अनुलग्नक -XX: आपूर्ति की सामान्य शर्तें

उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग

1. उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग का कार्य एक लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होगा। वायरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन या उनसे बेहतर होगा। जमीनी स्तर से 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली सभी इमारतों को भी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के नियम 50-ए का पालन करना होगा। तारों का परीक्षण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 31 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

एसी मोटर्स की स्थापना

2. कोई भी एसी मोटर लाइसेंसधारी के निम्न या मध्यम वोल्टेज सिस्टम से तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि मोटर और उसके इंस्टॉलेशन में नीचे बताई गई आवश्यकता के अनुसार स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए उपयुक्त उपकरण न हो।

(1) किसी भी आवेदक को कम या मध्यम वोल्टेज पर 3 एचपी क्षमता या उससे अधिक के इंडक्शन मोटर्स या 1 केवीए क्षमता या उससे अधिक के वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इस आपूर्ति संहिता 2023 में निर्दिष्ट औसत मासिक पावर फैक्टर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता द्वारा ऐसे मोटर्स और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पर उपयुक्त रेटिंग के शंट कैपेसिटर स्थापित नहीं किए जाते हैं।

(2) निम्न या मध्यम वोल्टेज के मोटर्स को सभी संभावित परिस्थितियों में निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक उपभोक्ता की स्थापना से अधिकतम वर्तमान मांग को संतोषजनक ढंग से रोकने के लिए नियंत्रण गियर के साथ प्रदान किया जाएगा।

आपूर्ति की प्रकृति	स्थापना का आकार	अधिकतम वर्तमान मांग
एकल फेज / तीन फेज	(क) 1 बीएचपी तक	छह गुना फुल लोड करंट
	(ख) 1 बीएचपी से ऊपर और 10 बीएचपी तक	तीन गुना फुल लोड करंट
	(ग) 10 बीएचपी से ऊपर और 15 बीएचपी तक	पूर्ण लोड का डेढ़ गुना लोड करंट
	(घ) 15 बीएचपी से ऊपर	पूर्ण लोड का डेढ़ गुना लोड करंट

इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा। लाइसेंसधारी, स्थान और काम करने की स्थिति के आधार पर, प्रारंभिक वर्तमान सीमा में छूट दे सकता है।

(3) नो-वोल्ट रिलीज द्वारा संरक्षित ट्रिपल पोल लिंकड स्विच मोटर सर्किट और ट्रिपल पोल फ्यूज (या ओवरलोड रिलीज) को नियंत्रित करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि रिलीज को अच्छी तरह क्रियाशील बनाए रखा जाए। मोटरों के लिए तारों को एक धातु नाली में सभी तीन-फेज तार बंच के साथ चलाया जाएगा, जो प्रभावी रूप से पूरी तरह से अर्थ किया जाएगा और मोटर के फ्रेम से जुड़ा होगा जिससे दो अलग-अलग अर्थ के तार चलेंगे। अर्थ वायर का न्यूनतम अनुमेय आकार 14 एसडब्ल्यूजी होगा। समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 का हर तरह से अनुपालन किया जाएगा।

(4) कुल हार्मोनिक वोल्टेज विरूपण नीचे उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगा:

ईएचटी = 4%

एचटी = 10%

एलटी = 15%

(5) इसके अलावा, सिंक्रोनस मोटर्स को वाटलेस करंट को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण भी प्रदान किया जाएगा

सिंचाई/कृषि पंप सेट की स्थापना

सभी नए पम्पिंग सेट कनेक्शन/पुनः कनेक्शन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) घर्षण रहित फुट वाल्व
- (2) एचडीपीई पाइपिंग सकशन और वितरण
- (3) आईएसआई चिह्नित ऊर्जा कुशल मोनोब्लॉक पंप सेट।
- (4) पंप सेट के लिए पर्याप्त रेटिंग का कैपेसिटर।

लाइसेंसधारी की आपूर्ति प्रणाली के साथ समानांतर संचालन

3. उपभोक्ता 50 किलोवाट से अधिक क्षमता के लिए वितरण लाइसेंसधारी की सहमति से, एक अलग मोड में संचालित करने के लिए, उसकी उत्पादन इकाइयों के संयंत्र, मशीनरी और उपकरण की व्यवस्था करेगा, जिसमें उसका विस्तार या जोड़ शामिल है। जहां समानांतर संचालन के लिए सहमति दी गई है, उपभोक्ता इसे लाइसेंसधारक प्रणाली में गड़बड़ी से बचाने के लिए अपनी स्थापना की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी इस तरह के समानांतर संचालन के कारण उपभोक्ता के संयंत्र, मशीनरी और उपकरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए या उसके उत्पन्न होने वाले सी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्रिड के साथ समानांतर संचालन के लिए, उपभोक्ता को समय-समय पर संशोधित लागू ग्रिड कोड विनियमों और अन्य प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा और आयोग द्वारा अनुमोदित सिंक्रनाइजेशन शुल्क का भुगतान करना होगा। वास्तविक संचालन एसटीयू और लाइसेंसधारी के समन्वय से किया जाएगा।

4. यदि यह एसएलडीसी/लाइसेंसधारक के ध्यान में लाया जाता है कि कोई विशेष उपभोक्ता अनधिकृत या अनियमित माध्यमों से आपातकालीन रोस्ट्रिंग के दौरान बिजली का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे उपभोक्ता को खिलाने वाले फीडर को स्रोत ग्रिड सबस्टेशन से सक्रिय करने के लिए खोला जाएगा, SLDC से निर्देश, जिसके लिए उपभोक्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

अनुलग्नक -XXI: निष्पादन गारंटी/बैंक गारंटी बांड का प्रपत्र

लाइसेंसधारी के नाम पर विचार करते हुए (यहां "वितरण लाइसेंसधारी का नाम " है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक की विषय या अनुबंध के प्रतिकूल नहीं है, उसके उत्तराधिकारी और नामित व्यक्ति शामिल हैं), प्लॉट न.सर्वे न.पर स्थित मेसर्सको छूट देने के लिए सहमत है जिसका पंजीकृत कार्यालय (जिसे यहाँ पर "उपभोक्ता (ओं)" कहा गया है) विद्युत आपूर्ति कोड विनियम 2023 ((जिसे यहाँ पर _____केवीए बिजली की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कोड, 2023 कहा गया है) के अंतर्गत सुरक्षा जमा के भुगतान से रुपये..... (केवलरुपये) के लिए बैंक गारंटी देता है।

1. हम..... (जिसे यहाँ पर "बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है) मैसर्स..... के अनुरोध पर एतद्वारा लाइसेंसधारी के नाम का भुगतान करने का वचन देते हैं जो किसी भी नुकसान या क्षति के लिए या होने वाली क्षति के लिए रुपये (केवल रुपये) से अधिक नहीं होगा, जो (लाइसेंसधारी का नाम) को उक्त उपभोक्ता(ओं) द्वारा आपूर्ति संहिता विनियम, 2023 और विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अन्य समझौते/नियमों में निहित किसी भी नियम और शर्तों के उलंघन के कारण हो सकता है।
2. हम..... एतद द्वारा..... (लाइसेंसधारी का नाम) की यह कथन करते हुए की गई मांग कि (लाइसेंसधारी का नाम) को उक्त उपभोक्ताओं द्वारा उक्त आपूर्ति संहिता 2023 के किसी नियम और शर्तों, या बिजली सप्लाई के लिए अन्य नियमों/समझौतों के उलंघन के कारण हुई या होने वाली क्षति या नुकसान के कारण देय है, बिना किसी आपत्ति के इस गारंटी के अंतर्गत देय राशि या देय होने वाली राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं। बैंक को की गई इस प्रकार की मांग इस गारंटी के अंतर्गत बकाया और बैंक दावरा देय के संबंध में अंतिम होगी। लेकिन इस गारंटी के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व केवल रुपए तक ही सीमित होगी।
3. हम, उक्त बैंक आगे किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उपभोक्ता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद (लाइसेंसधारी के नाम) का भुगतान करने का वचन देते हैं, इस वर्तमान गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता निरपेक्ष और असंदिग्ध है।
4. हम (बैंक का नाम) आगे सहमत हैं कि यहां दी गई गारंटी बिजली आपूर्ति की पूरी अवधि या उक्त आपूर्ति संहिता विनियम 2023 के अंतर्गत कवर की गई किसी अन्य अवधि, या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए लागू किसी अन्य नियम / समझौते के दौरान पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगी, लेकिन (तिथि) से आगे नहीं होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक लाइसेंसधारी के नाम के सभी बकाया का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है, बशर्ते कि इस गारंटी के अंतर्गत दावा या मांग हमें इस गारंटी के अंतर्गत (तिथि+6 महीने) को या इससे पहले लिखित रूप में कि जाती है, जिसके बाद सभी देनदारियों से मुक्ति मिल जाएगी।
5. हम आगे (लाइसेंसधारी का नाम) से सहमत हैं कि (लाइसेंसधारी के नाम) को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरीके से हमारे दायित्व को प्रभावित किए बिना उक्त आपूर्ति कोड विनियम 2023 के किसी भी नियम और शर्तों, या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोई अन्य नियम/समझौते को बदलने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम इस तरह के किसी भी बदलाव के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।
6. बैंक या उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के संविधान में बदलाव के कारण यह गारंटी समाप्त नहीं होगी।
7. हम, (बैंक का नाम इंगित करें) अंतिम रूप से लाइसेंसधारी के नाम की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को उसकी अवधि के दौरान रद्द न करने का वचन देते हैं।
8. यह गारंटी तक वैध नहीं होगी जब तक कि (लाइसेंसधारी का नाम) कि मांग पर विस्तारित नहीं किया जाता है। ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के प्रति हमारी देयता रु..... (रुपये.....) तक सीमित है और बशर्ते कि समाप्ति की तारीख से छह महीने के अंदर हमारे पास लिखित में दावा दर्ज नहीं किया जाता है या इसे बढ़ाया नहीं जाता है। इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से गारंटी के अंतर्गत हमारी सभी देनदारियां समाप्त हो जाएंगी।
..... (बैंक का नाम) के लिए दिनांक: को निष्पादित

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**For the ut of Jammu & Kashmir and the ut of Ladakh****NOTIFICATION**

Jammu, the 8th March, 2023

No. JERC-JKL/Reg/2023/ 06.—In exercise of the powers conferred under Section 181(2)(t), Section 181(2)(x) read with Section 43, Section 44, Section 45, Section 48, Section 50 and Section 56 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as ‘the Act’), and all other powers enabling it in this behalf including sub-ordinate legislation, rules, statutory orders, resolutions, clarifications issued by the Government in terms of the Act relating to supply of electricity, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations, namely:

**Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of
Ladakh (Electricity Supply Code) Regulations, 2023**

Chapter 1: Short Title, Scope, Extent, and Commencement

- 1.1 This Supply Code shall be called “Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Electricity Supply Code) Regulations, 2023” (hereinafter referred to as ‘the Supply Code, 2023’).
- 1.2 This Supply Code, 2023 details the obligations of the Licensee and consumers vis-à-vis each other and specifies the set of practices that shall be adopted by the Licensee to provide efficient, cost-effective, and consumer-friendly services to the consumers. It specifically details the following:
 1. The procedure for connection, disconnection, reconnection, assessment of load, and changes in existing connections (load modifications, change of name, change of tariff category, etc.);
 2. Practices relating to consumer metering, billing, and payment.
 3. Method of assessment of electricity charges payable in case of theft of electricity pending adjudication by the appropriate court or in case of unauthorized use of electricity;
 4. Disconnection of supply in case of theft or unauthorized use of electricity and removal of meter, electric line, electrical plant and all other apparatus; and
 5. Measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use or tampering, distress or damage to electrical plant, electric line or meter.
- 1.3 All the forms and formats annexed to the Supply Code, 2023 are integral parts of this Supply Code, 2023. The Licensee, if it feels imperative, may approach the Commission to seek suitable amendments in the forms/formats and such amended forms/ formats would be posted on the website of the respective Licensees for use by consumers.
- 1.4 This Supply Code, 2023 shall be applicable to:
 - (1) All Distribution Licensees including Deemed Licensees and all Consumers in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.
 - (2) All other persons who are exempted under Section 13 of the Act from obtaining the Licensee; and
 - (3) Unauthorized supply, unauthorized use, diversion and other means of unauthorized use/ abstraction of electricity.
- 1.5 The provisions of the Supply Code, 2023 shall be read in conjunction with the “Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulations, 2023” framed by the Commission for the UT of Jammu & Kashmir and Ladakh as amended from time to time.
- 1.6 This Supply Code, 2023 shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- 1.7 The Supply Code, 2023 shall consist of 10 Chapters, as follows:
 - (1) Chapter 1: Short Title, Scope, Extent and Commencement
 - (2) Chapter 2: Definitions
 - (3) Chapter 3: Supply Code Review Panel
 - (4) Chapter 4: System of Supply and classification of Consumers
 - (5) Chapter 5: Procedure for release of new connections and modifications as per existing connection
 - (6) Chapter 6: Metering

- (7) Chapter 7: Billing
- (8) Chapter 8: Restrictions-Theft and Unauthorized use of electricity
- (9) Chapter 9: Disconnection and Reconnection
- (10) Chapter 10: General Provisions

Chapter 2: Definitions

2.1 *Words, terms, and expressions defined in the Electricity Act, 2003, as amended from time to time and used in this Supply Code, 2023 shall have and carry the same meaning as defined and assigned in the said Act.*

All other expressions used herein but not specifically defined in the Act or Regulations but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh shall have the meaning assigned to them in such law. Subject to the above, expressions used herein but not specifically defined in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

2.2 *In the interpretation of this Supply Code, 2023, unless the context otherwise requires:*

- (1) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
- (2) References to any statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending, or replacing such statutes, Regulations, or guidelines, as the case may be, referred to;
- (3) Terms "include" or "including" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import.

2.3 *In this Supply Code, 2023, unless it is repugnant to the context:*

- (1) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 and subsequent amendments thereof;
- (2) “**Agreement**” means an agreement entered into by the Distribution Licensee and the consumer for the services including the supply of electricity by the Licensee to the consumer;
- (3) “**Appellate Authority**” means the authority prescribed under sub-section (1) of Section 127 of the Act;
- (4) “**Applicant**” means an owner or occupier of any premises who files an application form with a Distribution Licensee for the supply of electricity, increase or decrease in sanctioned load or contract demand, change in title or mutation of name, changes in the consumer category, disconnection or restoration of supply, or termination of the agreement, shifting of connection or other services as the case may be in accordance with the provisions of the Act, Rules and Regulations made thereunder;
- (5) “**Application**” means an application form complete in all respects in the appropriate format, as specified in this Supply Code, 2023 along with documents and other compliances;
- (6) “**Application form**” means an application form complete in all respects in the appropriate format, as required under this Supply Code, 2023;
- (7) “**Apparatus**” means electrical apparatus and includes all machines, fittings, accessories and appliances connected to the electrical distribution system;
- (8) “**Area of supply**” means the area within which a Distribution Licensee is authorized by his license to supply electricity;
- (9) “**Assessing Officer**” means an officer designated as Assessing Officer by the concerned State / UTs Government under provisions of Section 126 of the Act;
- (10) “**Authorized Officer**” means an officer designated as Authorized Officer by the Appropriate Authority, under provisions of Section 135 of the Act;
- (11) “**Authorized representative**” of any person/entity means all officers, staff, representatives or persons discharging functions under the general or specific authority of the concerned person/entity;
- (12) “**Billing cycle or Billing period**” means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are issued for different categories of consumers by the Distribution Licensee;

- (13) “**Breakdown**” means an occurrence relating to equipment of the distribution system of the Licensee including electric line up to the consumer meter that prevents its normal functioning;
- (14) “**Calendar year**” means the period from the first day of January of a year to the thirty first day of December, of the same year;
- (15) “**Check meter**” means a meter connected to the same core of the Current Transformer (CT) and Voltage Transformer (VT) to which the main meter is connected and shall be used for accounting and billing of electricity in case of failure of main the meter;
- (16) “**Commission**” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh;
- (17) “**Conductor**” means any wire, cable, bar, tube, rail or plate used for conducting electrical energy and so arranged as to be electrically connected to a system;
- (18) “**Connected load**” expressed in kilo Watt (kW), kilo Volt Ampere (kVA), or Horse Power (HP), means the aggregate of the manufacturer’s rated capacities of all energy-consuming devices or apparatus connected with the Distribution Licensee’s service line on the consumer’s premises, which can be simultaneously used and shall be determined as per the procedure laid down in this Supply Code, 2023. This shall be expressed in kW or kVA. If the rating is in kVA, the same shall be converted to kW by multiplying the kVA with a Power Factor of 0.9. If the same or any other apparatus is rated in H.P, the H.P shall be converted to kW by multiplying it by 0.746;
- (19) “**Connection point**” or “**Interconnection**” means a point at which the consumer’s installation and/or apparatus are connected to Distribution Licensee’s distribution system;
- (20) “**Consumer**” means any person who is supplied with electricity for his own use by a distribution licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a distribution licensee, the Government or such other person, as the case may be.
- (21) “**Consumer installation**” or “**Consumer’s installation**” means any composite portable or stationary electrical unit including electric wires, fittings, motors and apparatus erected and wired by or on behalf of the consumer at the consumer’s premises starting from the point of supply and includes apparatus that is available on his premises for being connected or envisaged to be connected to the installation but is for the time being not connected;
- (22) “**Consumer’s premises**” means land, building or structure, or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the Licensee for the supply of electricity.
- (23) “**Consumption Charges**” means the consumption of electrical energy in kWh or kVAh multiplied by applicable energy charges and demand charges/fixed charges, fuel surcharge adjustment (FSA), and peak load exemption charges, whichever is applicable. These exclude all types of duties and taxes, service charges, and rentals;
- (24) “**Contracted load**” or “**Contract demand**” means the maximum demand in kW, kVA or HP, agreed to be supplied by the Licensee and indicated in the agreement executed between the Licensee and the consumer;
- (25) “**Cut-out**” means any appliance or device for automatically interrupts the conduction of electricity through any conductor when the current rises above a pre-determined quantum and shall also include fusible devices;
- (26) “**Date of commencement of supply**” is the date when the Licensee energizes the installation of the consumer by connecting it to the Distribution main;
- (27) “**Days**” means clear working days;
- (28) “**Demand charge**” for a billing period refers to a charge levied on the consumer based on the contracted/sanctioned load or maximum demand (a reference to sub-clause 2.3(50) of this Supply Code) whichever is higher, and shall be calculated as per the procedure laid down in the Tariff Order approved by the Commission;
- (29) “**Developer**” means a person or company or organization or authority that undertakes the development of an area for residential, commercial or industrial use and includes development

agencies, colonizers, co-operative group housing societies, associations, etc.;

- (30) “**Disconnection**” means the physical separation or remote disconnection of user or consumer from the distribution system of the distribution licensee;
- (31) “**Distribution mains**” means the portion of any main with which a service line is, or is intended to be, immediately connected;
- (32) “**Distribution system**” means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;
- Explanation:** Any system consisting mainly of overhead lines, underground cables, service lines, electrical plant, control switchgear and meters having design voltage of 33 kV and below and shall also include any other system of higher voltage as the Commission may specifically recognize. The Distribution System shall not include any part of the Transmission System except the terminal equipment (metering system, CT and PT) connected at consumer end and used for the supply of electricity to extra high voltage (66 kV and above) consumers;
- (33) “**Earthed**” means connected with the general mass of earth in such manner as to ensure at all times an immediate discharge of energy without danger;
- (34) “**Electric line**” means any line which is used for carrying electricity for any purpose and includes
- a. any support for any such line, that is to say, any structure, tower, pole or another thing in, on, by, or from which any such line is, or may be, supported, carried or suspended; and
 - b. any apparatus connected to any such line for the purpose of carrying electricity;
- (35) “**Electrical Inspector**” means a person appointed as such by the appropriate Government under Sub-section (1) of Section 162 of the Act and also includes the Chief Electrical Inspector;
- (36) “**Emergency Rostering**” means load shedding carried out by disconnecting at short notice or no notice for the safety of personnel and equipment;
- (37) “**Energy Charge**” refers to a charge levied on the consumer based on the quantity of electricity (units in kWh or kVAh as per tariff) consumed by the consumer;
- (38) “**Extra High Voltage (EHV)**” or “**Extra High Tension (EHT)**” means a voltage exceeding 33000 Volts;
- (39) “**Financial Year**” means the period beginning from the first of April in an English calendar year and ending with the thirty-first of the March of the next calendar year;
- (40) “**Feeder**” means an LT, HT or EHT line, emanating from a sub-station, to which a distribution sub-station or LT, HT or EHT consumers are connected;
- (41) “**Fixed Charges**” has the same meaning as per the provisions of the prevailing Tariff Order issued for the distribution licensee by the Commission;
- (42) “**High Voltage (HV)**” or “**High Tension (HT)**” means a voltage level above 440 Volts and up to and including 33000 Volts;
- (43) “**Initial period of agreement**” means the period of six months in case of LT supply, one year in case of HT supply, and two years in case of EHT supply starting from the date of commencement of supply as per agreement. The initial period of the agreement shall continue till the end of the Billing cycle, in which the end date of the six months/one/two-year’s period expires.
- (44) “**Independent feeder**” means a feeder constructed at the cost of a consumer or a group of consumers and supplying electricity to only that consumer or group of consumers;
- (45) “**Licence**” means a licence granted under Section 14 of the Act;
- (46) “**Licensed Electrical Contractor (LEC)**” means a contractor licensed under Regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended time to time;
- (47) “**Licensee**” or “**Distribution Licensee**” means a person who has been granted a licence under Section 14 of the Act, to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply and includes Deemed Licensee;

- (48) “**Load factor**” is the ratio of the total number of units consumed during a given period to the total number of units that would have been consumed had the load been maintained throughout the same period and shall usually be expressed as the following percentage:
- Load factor in percentage = Actual units consumed in a given period (kWh/kVAh) *100/
(Contracted load in kW/kVA x No. of hours in the period)**
- (49) “**Low Tension (LT)**” means the voltage of 230 volts between the phase and neutral or 440 volts between any two phases under normal conditions subject to the percentage variation permissible from time to time;
- (50) “**Maximum Demand**” means the highest load measured in average kVA or kW at the point of supply of a consumer during any consecutive period of 30 (thirty) minutes or as specified by the Commission, during the billing period;
- (51) “**Meter**” means an equipment used for measuring, indicating, and recording electrical quantities like energy in kWh or kVAh, maximum demand in kW or kVA, reactive energy in kVAR hours, etc., including accessories like Current Transformer (CT), Voltage Transformer (VT)/Potential Transformer (PT) / Capacitor Voltage Transformer (CVT), etc., where used in conjunction with such meter.
- It shall also include any seal or sealing arrangement and other measures provided by the Licensee for sealing, reliability, and for preventing theft/unauthorized use of electricity;
- (52) “**Occupier**” means the owner, tenant, or person in occupation of the premises where energy is used or proposed to be used;
- (53) “**Overhead line**” means any electric supply-line, which is placed above ground and in the open air but excluding live rails of traction system;
- (54) “**Outstanding Dues**” means all electricity dues pending on said premises (i.e., amount billed but not paid by the consumer) at the time of disconnection plus late payment surcharge subject to Section 56 (2) of the Act;
- (55) “**Phased contract demand**” means contract demand agreed to be availed in a phased manner;
- (56) “**Point of supply**” means the point at the incoming terminals of switchgear/cut-outs installed by the consumer;
- (57) “**Power factor**” means, the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month; the ratio being rounded off to two decimal figures;
- (58) “**Prosumer**” means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using the same point of supply;
- (59) “**Remote Areas**” means the far-flung areas of the UT of J&K and UT of Ladakh;
- (60) “**Rural areas**” means all areas other than urban areas;
- (61) “**Sanctioned Load**” means the load in kW, kVA, or HP, which the Licensee has agreed to supply from time to time subject to the governing terms and conditions in the absence of an Agreement between the Distribution Licensee and the consumer;
- (62) “**Service Line**” means any electric supply line through which electricity is, or is intended to be, supplied:
- a. to a single consumer either from a distributing main or immediately from the Distribution Licensee’s premises; or
 - b. from a distributing main to a group of consumers on the same premises or on contiguous premises supplied from the same point of the distributing main;
- (63) “**Supplier**” means any entity authorized to supply electricity to the consumer under the provisions of the Act;
- (64) “**Tariff Order**” in respect of a Licensee means the most recent order in force issued by the Commission for that Licensee indicating the rates to be charged by the Licensee from various categories of consumers for the supply of electrical energy and services;
- (65) “**Temporary connection**” means an electricity connection required by a person for meeting his temporary needs such as-
- (i) for construction of residential, commercial, and industrial complexes including pumps

- for dewatering;
- (ii) for illumination during festivals and family functions
- (iii) for threshers or other such machinery excluding agriculture pump sets;
- (iv) for touring cinemas, theatres, circuses, fairs, exhibitions, melas, or congregations.
- (v) Nomads who move from one region of UT to another region in different seasons.
- (vi) Temporary tents erected at tourist places during tourist seasons.
- (66) **“Temporary Supply”** shall mean the supply available to any person requiring power supply for a purpose temporary in nature for a period up to three months not extending to more than 12 months after completion of formalities; Priority will be given to Permanent Connection if it is in the queue over Temporary Supply.
- (67) **“Tariff Schedule”** means the latest schedule of charges for the supply of electricity and services issued by the Licensee as per the provisions of the Tariff order for that Licensee;
- (68) **“Theft”** shall mean theft of electricity as defined in Section 135 of the Act;
- (69) **“Transmission Licensee”** means a person who has been granted a licence under Section 14 of the Act authorizing him to establish or operate transmission lines;
- (70) **“Transmission System”** means the system consisting of EHV electric lines being operated at EHV (excluding generator interconnection facilities) owned and/or operated by the Transmission Licensee for the purposes of transmission of electricity from one power station to a sub-station or to another power station or between sub-stations or to or from any external interconnection equipment up to the interconnection with the distribution system and includes the plant and apparatus and meters owned or used by the Transmission Licensee in connection with the transmission of electricity, but shall not include any part of any Licensee’s distribution system;
- (71) **“Unauthorized use of electricity”** has the meaning as assigned to it under section 126 of the Act.
- (72) **“Urban Areas”** means the areas covered by all Municipal Corporations and other Municipalities including the areas falling under the various other Town Development Authorities, Cantonment Authorities, and industrial estates or townships.;
- (73) **“User”** means any person having an electrical interface with, or using the distribution system of the Distribution Licensee to whom this Supply Code, 2023 is applicable.

Explanation: Any Distribution Licensee, Transmission Licensee, and generating Units connected to the distribution system and the person availing open access to transmission or distribution system are also included in this term.

Chapter 3: Supply Code Review Panel

- 3.1 The Commission shall constitute an Electricity Supply Code Review Panel to review this Supply Code, 2023 on a periodic basis. The Review Panel shall consist of a such number of members from the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh, as the Commission may consider necessary.

The Review Panel shall consist of the following: -

1. Secretary of the Commission;
2. One member from each of the Distribution Licensees of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh;
3. One member to represent State Transmission Utility (STU);
4. Three representatives of Industrial consumers to be nominated by the Commission. They shall be from a duly registered organizations or Associations of Industries / Chambers of Commerce. Of these, two representatives shall be from HT / EHT consumers and one from LT industrial consumers;
5. Two representatives, to be nominated by the Commission. They shall be from registered consumer organizations / bodies to represent domestic and commercial categories of consumers;
6. Three representatives from the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) on a rotational basis as nominated by the Commission from time to time; each of the CGRF representatives shall represent the urban area, and rural area and remote areas respectively;
7. Ombudsman of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Jammu & Kashmir and Ladakh shall be a permanent member of the Review Panel;

8. One member, to be nominated by the Commission, shall be from registered bodies representing the interest of agricultural consumers;
9. The Commission may further add any other member(s) or experts to the Review Panel from any sector / profession as it may deem necessary.
- 3.2 The Secretary of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Jammu & Kashmir and Ladakh shall be the Chairperson of the Review Panel.
- 3.3 The Member-Secretary of the Review Panel shall be an Officer of the Commission to be appointed by the Chairperson of the Panel.
- 3.4 All members of the Review Panel shall be appointed for a period of three years unless they cease to hold their office. The new member in replacement shall be from the same category and for the unexpired period of the term.
- 3.5 The existing members of the Review Panel shall continue to be members of the Review Panel till the expiry of their term or till the new members are appointed, whichever is later.
- 3.6 The Review Panel shall meet at least once in every twelve (12) months. The Member-Secretary of Review panel shall convene meetings with the approval of the Chairperson in consultation with the Commission. The Chairperson shall send meeting notice along with the agenda to all the members ten days in advance.
- 3.7 The Chairperson, Member-Secretary, and all members shall be part-time members of the Review Panel. They shall draw their salaries, allowances and perquisites from their respective parent organizations.
- 3.8 It will be incumbent upon the members of the CGRF attending the meetings of the Review panel to consult with CGRF's of other utilities and raise their issues in the meetings.
- 3.9 The Member-Secretary of the Review Panel shall send the proceedings of the meetings to all the members and to the Commission within 15 days from the date of the meetings.
- 3.10 Any Licensee, generating company, consumer, industry or any interested parties or business organization may send their suggestions in writing for revision of this Supply Code to the Member-Secretary of the Review Panel. All these representations or suggestions shall be recorded and discussed in the meetings. The Member-Secretary shall maintain the entire correspondence relating to the Review Panel.
- 3.11 The Commission may amend the Supply Code, suo-moto, or on the recommendations of the Review Panel committee. However, before any amendment is issued, procedure, as specified in chapter II of the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J&K and UT of Ladakh (Conduct of Business) Regulations 2022 framed by the Commission shall be followed.
- 3.12 A notice of the gist of amendments made in the Supply Code, 2023 shall be published by the Licensees in at least two newspapers having wide circulation in the areas/ regions of supply stating that copies of the amended Electricity Supply Code are available for purchase in the offices as mentioned at 3.13 below.
- 3.13 Copies of this Supply Code, as duly amended from time to time, shall be kept at areas offices, regional offices, circle offices, division and sub-division offices of the Licensees, and such other offices as may be specified by the Commission. The Licensees shall also post a copy of this Supply Code, 2023 on their respective websites.

Chapter 4: System of Supply and classification of Consumers System of Supply:

- 4.1 The Licensee shall supply power within the frequency band specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 including amendments thereof, if any, and applicable Grid Code including amendments thereof if any. At the point of commencement of supply, except with the written consent of the consumer or with the previous sanction of the Commission, a supplier shall not permit the voltage to vary from the declared voltage more than the limit specified by Central Electricity Authority from time to time.

Classification of Supply:

- 4.2 The classification of supply depends upon the network in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh and has been customized based on the prevailing voltage levels in the Union Territories.
- 4.3 The supply shall generally be given at the following voltages on the basis of the contracted load for the Union Territories as per the tables given below:

Category	System of Supply
Low Tension	
All installations (other than irrigation pumping and agricultural services) with a contracted load up to and including 5 kW	Single phase at 220 V/ 230 V
Irrigation pumping and agricultural services and all installations with a contracted load exceeding 5 kW and up to and including 100 kVA of contracted load	3 Phase, 4 wire at 440 V
High Tension	
Contracted load exceeding 100 kVA and up to and including 1000 kVA	6.6 kV/11kV/22kV/33kV

Not with-standing above, the consumer (hospital only) may opt for supply at higher voltage even though the contracted load is less than the specified limit, if the consumer so desires:

Provided that such supply shall be provided only in case it is found technically feasible:

Provided further that the cost of such supply at higher voltage shall be borne by the consumer seeking such supply.

The Licensee may, depending upon the technical constraints of the distribution system, offer supply at a higher voltage than that specified above, however, the differential cost for supplying at higher voltage shall be borne by the Consumer.

Supply to existing consumers at a voltage lower than the limit specified above, shall continue and in case their load requirement increases, the above-specified limit will be applicable and the consumer has to opt for supply at a higher voltage.

Further, the Licensee-wise specific details regarding the voltage of supply at various Contract Loads shall be as per the Conditions of Supply, and the provisions of the Supply Code, in this regard shall be read in conjunction with the Conditions of Supply.

- 4.4 The Voltage Rebate for availing the supply at a higher voltage level than the voltage level prescribed in this Supply- Code, shall be as specified by the Commission in the Tariff Orders.
- 4.5 Load for energy-intensive consumers such as arc/induction furnaces, rolling mills, re-rolling mills, and mini steel plants shall be released only through an independent feeder wherever feasible and all necessary charges shall be paid by the consumer. Supply may be given through an independent feeder in other cases at the request of the consumer if the consumer is willing to bear all applicable charges.
- 4.6 The Licensee may, depending upon the technical conditions of the distribution system, give supply at a voltage and phase other than the classification of supply in Regulation 4.3 of this Supply Code, subject to the Commission's approval.

Classification of Consumers/Prosumers

- 4.7 The Commission may classify and reclassify consumers/prosumers into various tariff categories including sub-categories and slabs from time to time. No additional category including sub-category or slab other than those approved by the Commission shall be created by the Licensee.

Charges for Supply

- 4.8 The Charges for the supply of electricity shall be as per the tariff schedule approved by the Commission from time to time. The charges may include:
- (1) Charges for the supply of energy (fixed charges, energy charges, etc.) as determined for the Licensee by the Commission in the latest tariff order for the Licensee;
 - (2) Wheeling charges and/or cross-subsidy surcharge and additional surcharge, if any, as determined by the Commission;
 - (3) Rental, if any, towards meters and other electric plant and equipment of the Licensee, as approved by the Commission;
 - (4) Miscellaneous charges such as penal charges for exceeding contract demand, late payment surcharge, and any other charges applicable as approved by the Commission from time to time.

In addition to the Charges, as approved by the Commission, Licensee can charge the statutory levies such as electricity duty, taxes, or any other taxes/duties payable by the consumer as per the law of the relevant Government of the UTs;

In addition to the Charges as approved by the Commission, Security Deposit shall be deposited by the consumer with the Distribution Licensee as per Regulation 5.147 of this Supply Code.

- 4.9 The Licensee shall publish the tariff schedule on its website immediately after the Commission has approved it. The Licensee shall also make available copies of the tariff schedule to consumers at a reasonable price.

Supply through Independent feeders

- 4.10 Due to extensive urbanization, it has become difficult to lay distribution/transmission lines, especially in urban areas, because of right of way problem. Henceforth, before allowing supply to an applicant through the independent feeder, technical feasibility including the right of way to lay the line, space for placing/erecting the controlling breaker in the control room/switchyard, and creation of additional line bay shall be examined. The same shall be allowed only in cases where it is technically feasible to lay an independent feeder.
- 4.11 The Licensee shall not be held responsible for the delay in giving supply if the same is on account of problems relating to statutory clearances, right of way, acquisition of land, or the delay in the consumer's obligation to obtain approval of the Chief Electrical Inspector for High Tension installations, over which the Licensee has no reasonable control.
- 4.12 The charges of controlling equipment including Circuit Breaker, Bay (if to be erected), CTs & PTs, Isolators, Line and Earth switch, Meter required at the feeding sub-station, Electric Line up to the consumer end, and the meter at consumer end shall be borne by the applicant.
- 4.13 Such consumer, who on his own, requests for supply of electricity through an independent feeder, will be billed as per the meter reading taken jointly by the consumer and the Licensee, of the meter installed as per the CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006. The Licensee will inform the consumer through phone/ SMS to be present for the joint reading of the meter. In case the consumer fails to be present, it will be treated as deemed to be present for the meter reading. However, in case the Automatic Meter Reading (AMR) meters are installed for meter-reading, the billing shall be done as per the meter reading by the Licensee and joint meter reading will not be applicable.
- 4.14 If more than one applicant/consumer(s) are required to be fed from the existing independent feeder due to right of way or other similar problems, the utility shall connect such consumer(s) to an existing independent feeder and subject to the concurrence of the original consumer who has paid for the independent feeder and technical feasibility conducted by the licensee. In such cases, metering arrangements at the consumer end would be mandatory.

The billing of such consumers shall be done as per Regulation 4.13 on the basis of the meter reading, in proportion of the consumption recorded by the meters installed as per CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations 2006. The metering arrangement at both ends (sub-station as well as the consumer end) would be of the same specifications and accuracy class conforming to CEA Metering Regulations.

- 4.15 Independent feeder shall be considered independent as long as the number of consumers connected on an independent feeder are five or less subject to technical limitations.

Where more than five consumers are connected on an independent feeder, that feeder shall be considered as general feeder and the billing to the consumers shall be done based on the consumption recorded by the meters installed for the respective consumer.

- 4.16 The additional consumer required to be connected on the such general feeder, shall deposit the service connection charges as approved by the Commission from time to time.
- 4.17 As long as the status of the feeder remains independent, the meters installed at the sub-station and at the consumer end shall be read by the Licensee on the same day in the shortest possible time in the presence of the consumer's representative. The apportionment of the feeder losses among the consumers on the independent feeder shall be done in the proportion of their consumption as per the meters installed at their end irrespective of the distance of the consumer on the feeder. The consumer shall thus, be billed as per Regulation 4.13.

In case due to exigencies/unforeseen reasons, any other consumer(s) of the different categories are to be connected to the independent feeder for some period to maintain the continuity of supply, the same will be connected only with the permission of the appropriate authority of the Licensee. If such consumers are required to be connected on an independent feeder for more than 7 days, the permission of the Director or appropriate authority concerned shall be required and during such period the independent feeder will be deemed to be a general feeder.

The consumer(s) of the independent feeder shall be informed prior to the connection/disconnection of consumer(s) of other category on the independent feeder and the reading of the meters installed at the consumer end and the sub-station meter shall be taken simultaneously in a shortest possible time in the presence of the consumer(s) or their representative. No apportionment of losses shall be carried out during this period and the billing for this period shall be done as per the consumption recorded by the meters installed at the consumer(s) end. For connecting second or subsequent consumer on an independent feeder, the consent of the original consumer(s) shall be required:

Provided that, with the proposed addition of load of the subsequent consumer(s), if the total load on the independent feeder exceeds its rated capacity, such consumer(s) shall not be connected until the capacity of the feeder is augmented.

4.18 When additional consumer(s) are connected on an independent feeder, the original cost of the common portion of the independent feeder shall be shared by the new consumer(s) and the credit of the same will be given to the original consumer in the manner agreed between new consumer(s) and original consumer.

4.19 In case an independent feeder has been laid on common poles/structures or otherwise and any case of misuse for abstraction of power or unauthorized use of the independent feeder for connecting any other load by the line staff is noted, the same shall be dealt under Section 142 of the Electricity Act for action against the defaulting employee/person not withstanding any actions that may be taken against such employee/person under Section 138 of the Electricity Act by the appropriate authority:

Provided that in case the connivance of the consumer is proved, the issue will be dealt under Section 135 of the Electricity Act for dishonestly using electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized.

4.20 Supply to 33 kV and above rating substations would be given preferably through independent radial lines, i.e., no tapping of 33 kV and above rating lines would be allowed.

4.21 The estimated cost involved for extension of distribution system or laying an independent feeder shall be calculated as per the Schedule of Rates approved by the Commission.

4.22 After deposit of requisite charges by the applicant, the Licensee shall take necessary steps for extension of distribution system for supply of electricity within the time limits as specified in this Supply Code.

4.23 All equipment except the meter (if supplied by the applicant), notwithstanding that whole or a portion thereof has been paid by the consumer, upon energization, shall become the property of the Licensee and the Licensee shall maintain the same without claiming any operation and maintenance expenses, including replacement of defective/damaged material/equipment from the consumer. Warranty/Guarantee of such equipment shall also stand transferred to the Licensee. The Distribution Licensee shall have the right to use it for the supply of electricity to any other person by tapping or otherwise except if such supply is detrimental to the supply to the consumer already connected therewith and subject to the provision under Regulation 4.14.

4.24 The Licensee shall maintain a record of expenditure incurred on extension of distribution system consumer-wise in case of consumers requiring supply on 11 kV and above voltage. After execution of work, the amount found excess, if any, shall be refunded to the applicant by adjustment in future bills. The Licensee shall be entitled to demand the amount found short, if any, by giving a notice and the applicant shall pay the same within 30 days from the date of dispatch of the notice. The applicant shall pay interest @ 12% p.a. from the date of dispatch of notice, on the amount found short, if the applicant fails to pay the same within the notice period and the applicant shall be liable for disconnection in case of default:

Provided that the Licensee shall complete the finalization of accounts and present the detailed statement of expenditure to the consumer and refund the excess amount if any within a period of one month from the date of release of supply failing which the Licensee shall pay interest to the applicant @ 12% per annum from the date of completion of work, on the excess amount.

Special Provisions in case the applicant opts for execution of extension of distribution system on his own and in case of single point of supply

4.25 In case the applicant opts to carry out the work on his own, the applicant shall get the same carried out through a Licensed Electrical Contractor.

The work relating to electrification of Urban Estates/Group Housing Societies/Employer's Colonies will be executed by the concerned department /colonizer/society/employer after the Licensee approves the electrification plan and the estimates for such plans and the applicant shall pay supervision charges to

the Licensee at the rate of 15% of the estimated labor cost of such works. The Goods and Services Tax (GST) on the Supervision Charges, if any, shall be recovered from the consumer. At the time of energization of the system, the Licensee shall ensure that the system has been laid as per the approved electrification plan. The applicant applying for connection in such area shall not pay service connection charges to the Licensee as long as his load is within the parameters of the sanctioned plan:

Provided that if at the time of energization of the system, it is noted that the concerned department/colonizer/society has not executed the complete electrification work as per the electrification plan approved by the Licensee, the colonizer/developer shall be required to furnish the Bank Guarantee equivalent to 1.5 times of the estimated cost of the balance work to be executed as per the approved plan. The Licensee shall not release single point connection or individual connections to the residents of such areas without taking requisite Bank Guarantee.

Adequacy of Power Factor & Installation of Shunt Capacitors

- 4.26 Consumers having a contracted demand of 20 kW and above shall have to install a PF correction device such as Shunt Capacitor. The consumer shall ensure such devices if not already installed shall be installed as per the following timeline from the date of notification of this Supply Code, 2023:
- a) Contract demand of 50 kW and above except domestic consumers: PF correction device to be installed within a period of six months (06) months.
 - b) Contract demand of 20 kW to 50 kW and domestic consumers with contract demand above 25 kW: PF correction device to be installed within a period of twelve (12) months.
- 4.27 All LT consumers as specified in Regulation 4.26 above obtaining 3 phase supply have to maintain Power Factor (lagging) of not less than 0.85 in respect of their installation. All HT/EHT consumers should maintain a Power Factor (lagging) of 0.95 and above. The meters installed by the Licensee shall have Power Factor measuring feature and actual Power Factor shall also be indicated in the bills of the consumers.
- 4.28 If Power Factor is not maintained at 0.85 (lagging) by LT consumers except domestic consumers up to 25 kW and 0.95 (lagging) by HT/EHT consumers, a penalty shall be imposed as specified by the Commission in the Tariff Order. If Power Factor reduces below 0.80 (lagging) in case of LT consumers except domestic consumers up to 25 kW and 0.90 (lagging) in case of HT/EHT consumers, then 60 days' notice will be served by the Licensee for rectification of the Power Factor. Even after 60 days' notice period, if the Power Factor is not improved, the Licensee can serve disconnection notice mentioning that if the Power Factor is not improved within 30 days, the Licensee may disconnect the supply.
- 4.29 The Power Factor Penalty and Incentive shall be specified by the Commission in the Tariff Orders.
- 4.30 The Power Factor Penalty/Incentive as well as notice for improvement of Power Factor and disconnection of supply on account of not maintaining the minimum prescribed Power Factor shall only be applicable based on actual Power Factor measured by the Licensee and indicated in the bill of the consumer.
- 4.31 The Distribution Licensee shall not commence power supply to any applicant requiring power load exceeding the limits as specified in Regulation 4.26 unless the consumer installation is provided with a suitable and adequate Power Factor corrective equipment.
- 4.32 The consumer shall procure his own shunt capacitor of any make from the list of manufacturers empaneled by the Distribution Licensee (according to IS Standards) of adequate rating at his cost. The consumer shall install it after providing manufacturer's test certificate to the Distribution Licensee. The consumer may also alternatively request the Distribution Licensee to install the shunt capacitor for his installation subject to necessary payment and the Distribution Licensee shall install shunt capacitor of adequate rating if available with it. The Distribution Licensee shall provide, upon request from consumers, guidance for suitable rating of the shunt capacitors and name of the suppliers empaneled by the Distribution Licensee.
- 4.33 The shunt capacitor installed by the Distribution Licensee at the cost of the Applicant / Consumer shall be the property of the Applicant / Consumer by whom it shall be maintained. In case the capacitor installed is damaged or found missing, it shall be replaced by the consumer at his cost or the Distribution Licensee may replace it at the cost of the consumer if the capacitors of the adequate ratings are available with the Licensee.

Chapter 5: Procedure for release of new connections and modifications as per existing Connection Licensee's obligation to supply

- 5.1 The Licensee shall, on an application by the owner or occupier of any premises located in his area of supply, give supply of electricity to such premises within the time specified in this Supply Code Regulations 2023, provided that:
- (1) The supply of power is technically feasible. Where it is found to be not feasible, the Licensee shall endeavor to improve the feasibility at the earliest and release connection as per this Supply Code Regulations 2023.
 - (2) The applicant has observed the procedure specified in this Supply Code Regulations 2023; and
 - (3) The applicant agrees to bear the cost of supply and services as specified in this Supply Code Regulations 2023.
- 5.2 The system of supply and voltage shall depend on the category of the consumer and the load as per details given in Regulations 4.1 and 4.3, subject to Regulation 4.6 of this Supply Code Regulations 2023.
- 5.3 The Licensee shall examine the technical feasibility of the connection applied for from their distribution mains and conduct the inspection within 5 working days of the receipt of application.
- 5.4 In case the connection is not found technically feasible, the Licensee shall intimate to the applicant in writing within 10 (ten) days of receipt of application giving reason for the same and estimated time that it will take to provide the connection, which shall not exceed the timelines specified under Supply Code Regulations 2023:
- Provided that no connection up to 2 kW from the existing network can be delayed only on technical grounds for domestic and commercial consumers and for such connections, feasibility report will not be required. However, for load exceeding 2 kW Licensee shall provide connection after augmentation (if required) of the existing network as specified in Supply Code Regulations 2023.
- 5.5 If the connection is delayed beyond the timeline specified in this Supply Code Regulations 2023, the applicant can lodge complaint at the centralized call center/complaint center at the zonal/district offices of the Licensee or through telephone or on website of the Licensee or through post. The contact details of these centers shall be printed on the electricity bill, displayed at the bill collection centers and uploaded on the Licensee's website. The Licensee shall create Call center / complaint center within a period of 6 months from the date of notification of these Regulations, in case not already created.
- 5.6 The Licensee shall create necessary online infrastructure within a period of one (1) year in order to make it easy for consumers to apply online. Once the online infrastructure is created by the Licensee, the Licensee shall display the monthly updated status of application for new connections on its website.
- 5.7 Nothing contained under Chapter 4 above shall be taken as requiring a Distribution Licensee to supply electricity to any premises if it is prevented from doing so by heavy Snowfall, cyclone, floods, storm and other natural calamities beyond its control.

Licensee's obligation to extend the distribution system and consumer's share in the cost

- 5.8 The Licensee shall have obligation for ensuring that its distribution system is upgraded, extended and strengthened to meet the demand for electricity in its area of supply. Wherever the existing transformation capacity at sub-station end is loaded up to 70% of its capacity, the Licensee shall prepare a scheme for augmentation of such transformation capacity after factoring in (N-1) contingency. The Licensee shall display the monthly updated status of transformation capacity for each sub-stations on its website.
- 5.9 The Licensee shall meet the cost for strengthening/upgradation of the distribution system to meet the demand of the existing consumers as well as future growth in demand through its annual revenues or funds arranged by the Licensee and this cost shall be allowed to be recovered from the consumers through tariff by the Commission subject to prudence check.
- 5.10 In all cases of new connections, the consumer shall bear the Service Connection Charges, that is the cost-of- service connection from the Distribution Mains to the point of supply, as approved by the Commission from time to time.
- 5.11 For uniformity and simplification in calculating the actual cost of extension, the Licensee shall prepare a ready reckoner and get the same approved by the Commission to show the per-unit material cost of LT line, HT line, substation of different capacities, etc., within 6 months from the date of notification of these Regulations. The Licensee shall update the ready reckoner every year,

- under intimation to the Commission.
- 5.12 In case the connected / contracted load of any new connection as submitted in applicable forms is 100 kVA or more, a separate transformer of adequate capacity shall be installed at consumer's cost. The space/ room required for housing the transformer, substation, switch gears, meters and panels shall be provided by the consumer, free of cost, which is easily accessible to the Licensee:
Provided that for any new connection with connected /contracted load lower than100 kVA also, Licensee may install a separate transformer if requested by the consumer, at consumer`s cost.
- 5.13 The service connection / extension of distribution mains, notwithstanding that it has been paid for by the consumer shall be the property of the Licensee. The Licensee shall maintain it at its cost and shall also have the right to use the same service connection / extension for supply of energy to any other person but such extension or service connection should not adversely affect the supply to the consumer who paid for the extension of the distribution supply network and shall be subject to the concurrence of original consumer as per Regulation 4.14.
- 5.14 When the Licensee completes the work of extension of distribution mains and is ready to give supply, the Licensee shall serve a notice on the consumer to take power supply within one month in case of LT and three months in case of HT or EHT. If the consumer fails to avail supply within the notice period, the agreement shall come into force from the day following the end of the notice period, and thereafter the consumer shall be liable to pay fixed charges and all other charges as applicable, as per the agreement.
- 5.15 The applicant shall have an option to get the work of drawing of service line from Licensee's distribution mains up to his premises as per the estimates and layout approved by the Licensee through an appropriate class of licensed electrical contractor, and the work of extension of EHT and HT line, distribution or HT substation and LT line through an appropriate class of licensed electrical contractor, as per the estimates and layout approved by the Licensee. In such case, the consumer himself shall procure the materials from the list of empaneled manufacturers issued by the Licensee. The Licensee will publish on its website the list of empaneled manufacturers within 3 months from the date of notification of these Regulations. The Licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used.
- 5.16 In case the consumer is getting the work done by itself, Licensee can charge Supervision Charges only on the labour component of the work excluding of service connection charges at the rate of 15%. No service connection charges shall be paid if the Consumer has provided service cable/Distribution mains. The Goods and Services Tax (GST) on the Supervision Charges, if any shall be recovered from the consumer.
- 5.17 The consumer shall get the work done within the timeframe provided under this Supply Code Regulations 2023 and if consumer needs more time, the consumer shall represent to the Licensee with reasonable ground for extension of time and the Licensee shall communicate his approval of the same to the Consumer.

Conditions for Grant of Connection

- 5.18 The Licensee shall prominently display on its website and wherever feasible, in its offices, the updated status of applications for new connections in that area/circle, detailed procedure for grant of new connection, and the complete list of documents required to be furnished along with such applications. Normally no document, which has not been so listed, will be required for processing application forms for new connection. Security amount and cost of service line to be deposited by applicant in accordance with Annexure- XVIII to this Supply Code Regulations 2023 shall also be prominently displayed.
- 5.19 Connection to any applicant residing in unauthorized colonies/areas or disputed property shall not be granted where a restraining/prohibition order has been issued by any Indian court and/or a restraining/prohibition order has been issued by any competent authority.

Purchase of existing property

- 5.20 Where the applicant has purchased an existing property whose electricity connection has been disconnected, it shall be the applicant's duty to verify that the previous owner has paid all dues to the Licensee and obtained a "no-dues certificate" from him. In case where "no- dues certificate" has not been obtained by the previous owner before change in ownership of property, the new owner may approach the Licensee for such a certificate. The Licensee shall acknowledge receipt of such request and shall either intimate in writing the dues outstanding on the premises, if any, or issue a "no-dues certificate" within 1 month from date of receipt of such application.

- 5.21 In case the Licensee does not intimate the outstanding dues or issue a “no dues certificate” within this time, new connection to the premises shall not be denied on grounds of outstanding dues of the previous consumer. In such an event, the Licensee shall have to recover the dues if any, from previous consumer as per provisions of law.

Sub-divided property

- 5.22 Where a property has been legitimately sub-divided, outstanding dues for consumption of energy on such undivided property, if any, shall be divided on pro- rata basis based on area of such sub-divided property. A new connection to any portion of such sub-divided premises shall be given only after the share of outstanding dues attributed to such legitimately sub- divided premises is duly paid by the applicant. A Licensee shall not refuse connection to an applicant only on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portion(s) from such applicants.

Reconstruction of existing property

- 5.23 In case of demolition and reconstruction of the entire premises or building, the existing consumer installation shall be surrendered, meter and service line shall be removed and the agreement shall be terminated. The security deposit of the consumer shall be duly returned by the Licensee. A new connection shall be taken for the reconstructed building after clearing all dues on the old premises. Temporary power supply from existing connection shall not be allowed for construction purpose in such cases. For availing temporary supply, the applicant shall apply afresh as per the provisions of this Supply Code Regulations 2023.

Procedure for providing New Electricity Service Connection

- 5.24 The distribution licensee shall prominently display on its website and on the notice board in all its offices, the following; namely: -
- a) Detailed procedure for grant of new connection, temporary connection, shifting of meter or, service line, change of consumer category, enhancement of load, reduction of load or change in name, transfer of ownership and shifting of premises etc;
 - b) Address and telephone numbers of offices where filled-up application forms can be submitted;
 - c) Address of website for online submission of application form;
 - d) Complete list of copies of the documents required to be attached with the application;
 - e) all applicable charges to be deposited by the applicant.

Application Form

- 5.25 The applicant shall apply for release of new connection in the following format as given in the Annexure to this Supply Code:
1. Application form for release of new connection (Low Tension) – **Annexure- I**
 2. Application form for release of new connection (High Tension/Extra High Tension)- **Annexure –II**
 3. Format for declaration/undertaking to be signed at the time of receiving electricity supply – **Annexure-III**
- 5.26 Application forms shall be available at the local office of the Licensee free of cost. The Licensee shall also put up all application forms on its website for free download. Legible photocopies of a blank form may be made by the applicant, which shall be accepted by the Licensee. Any assistance or information required in filling up the form shall be provided to applicants at the local office of the Licensee.
- 5.27 The Licensee shall also provide new avenues for applying for new connection or modification in existing connection through website, mobile application, call centres, etc., which minimize the applicant’s interface with the utility during the process.
- 5.28 Application forms for new connection must be accompanied with a photograph of the applicant, identity proof of the applicant, proof of applicant’s ownership or occupancy over the premises for which new connection is being sought, proof of applicant’s current address, and in specific cases, certain other documents as detailed in Regulation 5.29- 5.35 of this Supply Code.
- 5.29 Non-Refundable Registration-cum-processing fees of Rs.20,000/- for HT and Rs.1,00,000/- for EHT shall be levied while applying for new connection. These charges shall be adjusted by the Licensee

while issuing the demand note.

- 5.30 Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of identity: If the applicant is an individual:
1. Electoral Identity Card
 2. Passport
 3. Driving Licence
 4. Photo Identity card issued by Government agency
 5. PAN Card
 6. Photo Certificate from village Pradhan or any village level Government functionary like Patwari/ Lekhpal/ village level worker/ village chowkidar/ Primary school teacher/ in-charge of primary health centre, etc.
 7. Aadhaar Card.
- 5.31 Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of ownership or occupancy of premises:
1. Copy of the registered sale deed or lease deed or rent agreement and in the case of agricultural connections, a copy of khasra / khatauni / khatanakal;
 2. Registered General Power of Attorney;
 3. Municipal/Panchayat tax receipt or Demand notice or any other related document;
 4. Letter of allotment;
 5. Copy of the house registration certificate issued by the Panchayat/ownership certificate issued by Revenue Authorities;
 6. Any other ownership related document issued by local Government Authority.
 7. An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall, along with any one of the documents listed at (1) to (6) above, also furnish a No Objection Certificate from owner of the premises:
 Provided that where an applicant, who is lawful occupier of the premises, is a tenant or a leaseholder and is unable to produce the No Objection Certificate from owner for obtaining a connection, a separate Indemnity Bond shall be executed in favour of the Distribution Licensee in the form prescribed by the Distribution Licensee.
 8. For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the Licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises only for the purpose of releasing electricity connection and not for any other purpose:
 Provided further that the electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or title over the premises.
- 5.32 All communications shall be sent at the address where the connection has been released. However, till release of connection, communication may be sent at the address provided by the applicant for this purpose.
- 5.33 In case of a partnership firm - The applicant shall furnish the partnership deed and an authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement.
- 5.34 In case of Public and/or Private Limited Company - The applicant shall furnish the Certificate of Incorporation, Memorandum and Articles of Association and Board Resolution for authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement.
- 5.35 Other documents applicable only for select consumer categories:
1. Industrial consumers: Valid Industrial Licensee, if applicable, along with approval of the use of land for non-agricultural purposes (Not required for industrial consumers in notified Industrial Areas).
 2. Agricultural consumers: No Objection Certificate from competent government authority;
 3. Non-Domestic Khokhas and Temporary Structure: No Objection Certificate for khokha or temporary structure from the Nagar Nigam / Nagar Palika / Nagar Panchayat / Gram Sabha / Gram Panchayat / Land Development Authority / Land Owning Agency.
 4. Where new industrial connection or addition to the load of existing connection needs

clearance from pollution or environmental angle, the applicant shall submit “no objection certificate” from the competent authority to the Distribution Licensee.

Processing Application Forms

- 5.36 For all hard copies of the application forms submitted by the applicant pertaining to release of supply of new connections, the Licensee shall verify the application form along with enclosed documents and if found Deficient, shall issue a written note on the spot regarding shortcomings in the application form. If the application form is complete, the Licensee shall acknowledge its receipt and provide the applicant with a registration number within 24 hours of receipt of application. In case the application is submitted online through web portal or mobile app, the Licensee shall issue a written note regarding shortcomings in the application within 3 working days from the date of submission of application. If the online application is found to be complete in all respects, the acknowledgement with the registration number shall be generated on submission of application.
- 5.37 The Licensee shall maintain a permanent record of all application forms received in an Application Register/Database. Each application form shall be allotted a unique registration number (for identification) serially in the order in which it was received. Separate registers/databases for different category of consumers may be maintained. The Licensee shall keep the registers/databases updated with stage-wise status of disposal of each application form. The above information should also be maintained and uploaded on the Licensee website where applicant can check the status of application.
- 5.38 The Licensee shall deal with application forms in each tariff category on the broad principle of “first come, first served” basis as per serial priority in the Application Register/Database. The Licensee shall maintain a waiting list of applicants seeking new connections, area-wise information about new connections released, and updated status of the waiting list shall be displayed on the Licensee’s website or the Notice Board at the local office of the Licensee, to be updated weekly.
- 5.39 An application form, complete in all respects and attached with all relevant documents in the prescribed format of the application form shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration number.
- 5.40 An application shall be deemed to be received on the date of receipt of all applicable charges including the security deposit in accordance with **Annexure-XVIII** of this Supply Code after receipt of the application form.
- 5.41 The Licensee shall, at the time of receipt of application form, specify a date for inspection of applicant’s premises in mutual consultation with the applicant, under written acknowledgment. The date of inspection must be scheduled within 3 working days in urban areas and 5 working days in rural areas from the date of receipt of application form. If the applicant wishes, the inspection can be scheduled on a non-working day for the Licensee (i.e., Sunday, gazetted holidays, etc.) on payment of inspection fee of Rs. 500.
- 5.42 If inspection is required to be carried out, the Licensee shall inspect and test the applicant’s consumer installation as required of him under Regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended from time to time, in the presence of the applicant or his Licensed Electrical Contractor or his authorized representative. The Licensee shall maintain a record of test results in the format given in **Annexure - IX** as required of him under Regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended from time to time.
- 5.43 During the inspection, the Licensee shall:
1. Fix the point of supply and the place where the meter and the MCB, etc., shall be installed in consultation with the consumer:
 Provided that the service line shall be laid at an accessible location and the meter shall be fixed at location in conformity with Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, in such a manner that it is protected from elements like rain, etc., and is easily accessible without getting the premises unlocked or opened for this purpose;
 In no case, the Distribution Licensee shall fix its apparatus, meter or any of its property in a place, which requires entry by its employee into private premises.
 2. Record the correct full address of the premises, if not provided in the application form, and note down landmarks near the property and the pole number from where service connection is proposed to be given; and

3. Verify all other particulars mentioned in the application form, as required;
If on inspection, the Licensee finds any defect (e.g., consumer's installation not completed, bare ends of conductor/joints not properly covered with insulating tape, wiring of such nature that it is dangerous to life/property, etc.) the Licensee shall intimate the defects to the applicant on the spot under proper receipt in the format given at **Annexure –IX**.
- 5.44 The applicant shall get all defects removed within 30 working days from receipt of intimation of defects as specified in Regulation 5.43 of this Supply Code and inform the Licensee in writing under acknowledgement. In case the applicant fails to remove such defects or fails to inform the Licensee about removal of defects, the application form shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh. The Licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same within 10 working days from receipt of intimation of defects.
- 5.45 On receipt of information from the applicant about removal of defects, the Licensee shall stipulate a date for re-inspection of applicant's premises in mutual consultation with the applicant, under written acknowledgment. The date of re-inspection must be scheduled within 3 working days in urban areas and 5 working days in rural areas from the date of receipt of such information.
- 5.46 If on re-inspection, the defects pointed out earlier are found to persist, the Licensee shall again record the same in the format given in **Annexure -IX** to this Supply Code and hand over a copy of the same to the applicant or his authorized representative available on site. The application form shall then stand lapsed and the applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement:
Provided that if the applicant feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the applicant may file a representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) for redressal of grievance:
- 5.47 If on inspection, there are no defects found, or on re-inspection the defects noticed earlier are found to have been removed, the Licensee shall sanction the load determined in accordance with **Annexure -VIII** to this Supply Code or the load applied for, whichever is higher, and issue a demand note in writing, under acknowledgment, within the timeline specified below:

Table 2: Timeline for issue of demand note:

Particulars	No. of working days from receipt of application		
	Urban Areas	Rural Areas	Remote Areas
Extension of distribution mains not required	Within 7 working days	Within 10 working days	Within 10 working days

Extension of distribution mains / system required			
1. In case of LT service connections	Within 7 working days	Within 10 working days	Within 15 working days
2. In case of HT service connections	Within 15 working days	Within 20 working days	Within 30 working days
3. In case of EHT service connections	Within 30 working days	Within 45 working days	Within 50 working days

Provided that the time taken by applicant in rectifying the defects/deficiencies found at the applicant's premises shall not be included in the timeline specified above:

Provided further that wherever the Transmission Licensee's involvement is required in the process for time and cost estimation, the time taken by the Transmission Licensee shall not be included in the timeline specified above.

- 5.48 The demand note shall contain the following details:
- (1) Details of the works (including service line) to be undertaken for providing electricity supply;

- (2) Charges for the abovementioned works to be paid by the applicant in accordance with the schedule of charges specified by the Licensee as approved by the Commission:

Provided that if the applicant wishes to carry out the works himself, the same shall be permitted under supervision by the Licensee's official. Adhering to the estimate and layout approved by the Licensee, the applicant can get the work of drawing of service line from the Licensee's distribution mains up to his premises through a 'C' or higher- class Licensed Electrical Contractor (LEC), and the work of extension of HT/EHT line, Distribution or HT substation and LT line only through an 'A' class LEC. In such case the consumer shall procure the materials. The Licensee will issue a list of empaneled manufacturers for procuring material to be used by the consumer. The consumers can purchase materials of any make from the list of empaneled manufacturers. The Licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used:

Provided further that if the applicant is getting the work done by himself, Licensee can charge Supervision Charges on the labor component of the work at the rate of 15%. The Goods and Services Tax (GST) on the Supervision Charges, if any, shall be recovered from the applicant:

Provided also that if the applicant chooses to get the extension work done on his own, the applicant shall get the work done within the timeframe specified in Regulation 5.53 of this Supply Code failing which the Licensee may, on giving 15 days' notice, treat the application form for supply as cancelled.

- (3) Amount of security deposit as specified in **Annexure -XVIII** to this Supply Code.

- 5.49 The applicant shall make the payment within 15 days of receipt of demand note, failing which the application form shall stand lapsed and the applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement. The Licensee's obligation to energize the connection shall arise only after receipt of full payment. The Licensee may grant additional time to the applicant for payment of charges in case the applicant submits a written request for the same, within the 15-day payment period.
- 5.50 The demand note shall be prepared as per the provisions of this Supply Code and on the basis of charges specified by the Licensee with the prior approval of the Commission from time to time. The Licensee shall submit a proposal to the Commission along with the Tariff Petition for approval of various charges to be charged by the Licensee in demand notes. The demand note, once made for an applicant, shall be valid for two months. After the expiry of period of two months, the application shall be deemed to have cancelled. Revival fee (one time only) for cancelled application shall be twice the demand notice extension fee as prescribed and will be done by load sanctioning authority for another two months only.
- 5.51 Any excess/deficient payment made by the consumer shall be adjusted in the subsequent two bills.
- 5.52 If as per this Supply Code provision of supply requires installation of a distribution transformer within the applicant's premises, the applicant shall make available to the Licensee a suitable room or portion of land within his premises for the period of supply for installation of the distribution transformer.
- 5.53 The overall timeline for releasing new electricity connection, from the date of receipt of application, shall be as under:

Table 3: Timeline for releasing new electricity connection (energization):

Activity	Urban area:	Rural area:	Remote Areas
New connection/additional load where supply can be provided from existing network	7 days	30 days	40 days
Enhancement work or enhancement of transformer capacity is required.	a) LT-30 days	a) LT-45 days	a) LT-55 days
	b) HT-90 days	b) HT-90 days	b) HT-120 days
	c) EHT-180 days	c) EHT-180 days	c) EHT-210 days
Erection of substation to extend supply	On case-to-case basis as per approval of the Commission		

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified above, in specific cases where extension of Distribution mains requires more time, along with details. In such cases, the Licensee shall inform the consumer about the likely time of completion of works.

- 5.54 Where extension of supply requires erection and commissioning of new substation, the Licensee shall submit to the Commission within 15 days of site inspection, a proposal for erection of such substation along with the time required for erection and commissioning of the same, and get the Commission's approval. The Licensee shall commence electricity supply to the applicant within the time period approved by the Commission:

Provided that where such substation is covered in the investment plan approved by the Commission, the Licensee shall not be required to take any further approval from the Commission and shall complete erection of such substation within the time period specified in such investment plan:

Provided further that in cases where the substation is meant to extend supply to an individual consumer, the Licensee shall commence erection of the substation only after receipt of necessary payment against demand note from the applicant.

- 5.55 The Licensee shall not be held responsible for delay, if any, in extending supply if the same is on account of problems relating to right of way, acquisition of land, or delay in consumer's obligation over which Licensee has no reasonable control.

- 5.56 In case the applicant had opted to get the extension work done himself, the applicant shall follow the procedure of self-certification or testing as per the provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time:

Provided that if the electric installation exceeds 11 kV, it will require to be inspected by the Electrical Inspector before commencement of supply.

- 5.57 The Distribution Licensee shall develop an application tracking mechanism based on the unique registration number which can be tracked through web-based application or mobile app or through SMS or by any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection, issuance of demand note, external connection, meter installation and electricity flow.

- 5.58 If a distribution licensee fails to supply electricity within the period specified in Table 3 above, it shall be liable to a penalty of Rs.500 (Rupees five hundred only) for each day of default.

Procedure for Supply to Multi-Consumer Complex

- 5.59 In case of multi-consumer complexes, such as Group Housing, Showrooms (Shop Cum Offices SCOs), etc., the new connection sought shall preferably be provided at single point with single meter on LT if load is up to 100 kVA and on HT if load exceeds 100 kVA. A new connection will not be granted until the entire electrical infrastructure is completed. The Licensee shall ensure energization of new connection only after physically verifying the entire internal electrical infrastructure and fulfilment of Regulation 5.36. However, this shall not restrict the individual owner or occupier of any premises for applying for individual connection and the Licensee shall sanction such individual connections. The choice of having single LT/HT connection or individual connections, once exercised before release of connection, cannot be revoked due to operational problem.

In case the connected/contracted load of any connection as decided by the Licensee is projected to be more than 100 kVA, a separate transformer of adequate capacity shall be installed at consumer's cost. The space/room required for housing the transformer, substation, switch gears, meters and panels shall be provided by the consumer, free of cost, which is easily accessible to the Licensee.

For any new connection with connected /contracted load lower than 100 kVA also, Licensee may install a separate transformer if requested by the consumers, at consumer's cost.

In case the consumers in multi-consumer complex have availed individual connections, separate connection shall be provided for consumption of energy for common services such as lifts, pumps for pumping water, etc., and such consumption of such connection shall be billed at highest slab of respective tariff category.

For all the connections exceeding 11 kV for multi-storied building of more than fifteen metre in height, the connection shall be released after obtaining the certificate from Electrical Inspector in accordance with the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time.

- 5.60 For such Multi Consumer complexes, the builder / developer / society/ Owners Association. shall be

liable to pay service connection charges, i.e., cost of service connection from the existing network of the Distribution/Transmission Licensee to the point of supply, as approved by the Commission from time to time.

Note: The developer/builder/society/ Owners Association includes any agency whether Government, local body or private that constructs the Multi-Consumer Complex.

- 5.61 Location for installation of meter should be decided in consultation with the consumer in accordance with the procedures detailed in Chapter-6 of this Supply Code.
- 5.62 Connections for common facilities like lift, water pumps, etc., shall be given in the name of the builder/ developer / society/ Owners Association.
- 5.63 In case the original approved plan is for a multi-consumer complex, but the builder/developer / society/ Consumer desires to avail connection for a portion of it, the connection shall be provided treating it as multi-consumer complex.
- 5.64 If a building comes under the category of multi-consumer complex and if a separate distribution transformer of sufficient capacity is necessary for giving supply to such building which was not provided earlier, it will be provided at the cost of the builder/developer/society consumer. Alternatively, the builder / developer / society/ consumer shall bear the additional cost to augment the capacity of the existing 11/0.4 kV substation, if found necessary by the Licensee.
- 5.65 On receipt of requisition from the builder/developer/society consumer for supply of electricity to multi- consumer complexes, the Licensee shall extend the supply as per this Supply Code.

Procedure for Supply for Agriculture/Irrigation Pump sets

- 5.66 The procedure laid down in Clauses 5.24 to 5.58 as applicable, shall be followed for giving supply to agriculture /irrigation pump sets where extension of distribution mains and/or augmentation of distribution transformer is not required.
- 5.67 Supply for agriculture/irrigation pump set, at one point, may also be given to a registered co-operative society or to a group of farmers recognized by the Licensee.
- 5.68 If, on inspection of the premises, it is found that extension of distribution mains or augmentation of distribution transformer capacity or providing of additional distribution transformer, etc., are required, necessary estimate as per the cost- data shall be prepared and got approved by competent authority. The Distribution Licensee shall be responsible to develop, construct, augment and maintain the entire infrastructure required for distribution system, including 33/11 kV, at its own cost. The work of electrification of pump set(s), will be taken up and completed within the period as laid down in this Supply Code after the amount as intimated is deposited by the consumer(s). New connection shall be given on the broad principle of first-comefirst serve basis. Within 7 working days of completion of work, the Licensee shall intimate the date of testing of the installation of the consumer and inspect the wiring in the premises of the consumer. In case the Licensee is satisfied, the connection shall be served within 3 working days of the inspection.
- 5.69 An agricultural consumer, if so desires, may shift the location of his connection within his premises, with the approval of the Licensee, after payment of charges, if any.

Procedure for supply to Public Street Lightings

- 5.70 Requisition for power supply to new or additional public street lights shall be submitted to the local office of the Licensee by the Municipal Corporation or Municipality or Municipal Board or Gram Panchayat or Local Body or the Government Department or any other organization responsible for maintaining public street lights (in context of public street lights herein after called 'local body').
- 5.71 The requisition for public lights shall be accompanied by resolution of the local body and the sketch indicating the number of poles, existing or new, where streetlights are required.
- 5.72 The fittings, brackets or any special fittings shall be in accordance with the relevant BIS specifications or itsequivalent, and shall maintain required clearances as per prevailing rules and regulations. The local body shall bear the full cost of arranging of power supply to public streetlights including complete fittings and brackets. In case, any special fittings are to be provided, the local body shall arrange for it.
- 5.73 The Licensee shall intimate the cost of extension in writing within 20 days from the date of application. The work shall be taken up only after deposit of the amount and execution of agreement by the local body.
- 5.74 A suitable double compartment weather proof metal box to house the energy meter and streetlight switch/MCB/ timers shall be provided by the Licensee.

- 5.75 It shall be the responsibility of the municipal body/local body to maintain and replace streetlight fittings and also switch on and switch off the streetlight. However, the Licensee may carry out the maintenance of streetlight fixtures on payment basis. Such maintenance charges shall be included in the schedule of miscellaneous charges.
- 5.76 All the new installation for Public Street Lightings, which shall be installed after 3 months from the date of notification of these Regulations shall be mandatorily energy efficient type lamps.

Procedure for Providing Temporary Supply

- 5.77 Temporary connection shall be granted for a period of maximum Three (3) months at a time, which may be further extended to 12 months, if required:

Provided that in case of construction of buildings (both residential and non-residential), where it would take longer time for completion of the same or other such projects, the temporary supply connection shall be given for a period of two years, which may be further extended, if required:

Provided further that when any part of the building / project has been effectively completed and possession offered to a prospective occupant, then the developer/occupant of such building/portion shall apply for a permanent connection to the Licensee within one month from the date of such effective completion/offer of possession. The temporary connection shall be removed within three months after the date of such effective completion / offer of possession.

- 5.78 For LT connections, temporary connection may be granted through prepaid meters wherever technically feasible.
- 5.79 The Licensee may give temporary supply within a period of 24 hours, subject to the following conditions:
- (1) If it is technically feasible;
 - (2) On payment of an additional fee as fixed by the Licensee and approved by the Commission.

- 5.80 The applicant shall apply for temporary supply in the format prescribed in **Annexure I or II** (as applicable) to this Supply Code along with the documents prescribed in Regulations 5.25 to 5.35 of this Supply Code as well as a No-Objection Certificate (NOC) from the local authority if the supply is required at a place owned by the local authority along with an advance amount as approved by the Commission as a part of Miscellaneous Charges. This advance shall be adjusted against the estimated cost of works:

Provided that in case temporary supply is required in premises/place where 100 or more persons are likely to assemble, applicant shall comply with the provisions of Section 54 of the Act:

Provided further that in case any permit / NOC is withdrawn by the competent authority after energization of connection, supply shall be disconnected forthwith and shall be reconnected only after the permit/NOC is restored.

- 5.81 The Licensee shall process the application form as per the procedure given in Regulations 5.36 to 5.58 of this Supply Code.
- 5.82 During the inspection, the Licensee shall examine the technical feasibility of the connection applied for. If the connection is not found technically feasible, the Licensee shall inform the applicant in writing within 7 working days for LT and 15 working days for HT/EHT connections after receipt of application form, giving reason(s) for the same. However, no connection up to 20 kW shall be delayed on technical grounds.
- 5.83 If on inspection/re-inspection, the connection is found feasible, the Licensee shall sanction the load applied for and issue a demand note in accordance with Regulation 5.48 of this Supply Code inclusive of an estimate of advance charges for electricity, within the timeline specified in Regulation 5.47 of this Supply Code.
- 5.84 The applicant or his authorized representative shall be present during testing along with the Licensed Electrical Contractor or his authorized representative who had undertaken the installation. If the Licensee is satisfied, the Licensee shall issue a written acknowledgment on the spot.
- 5.85 If the Licensee is not satisfied, the applicant shall be intimated on the spot in writing, under acknowledgment, of the faults/shortcoming in the consumer installation. The applicant, after rectification of the defects, shall intimate to the Licensee in writing after which the Licensee shall again follow the procedure as laid down in Regulation 5.84 of this Supply Code.
- 5.86 After re-testing of the consumer installation and payment of prescribed fee (no fee shall be charged by the Licensee for the first test but subsequent tests due to faults/shortcomings found in the initial

test shall be charged), if the consumer installation is found satisfactory by the Licensee, the Licensee shall issue a written acknowledgment on the spot.

- 5.87 After deposit of estimated cost and advance charges for temporary electricity connection by the applicant, and satisfactory testing of the consumer installation, the temporary connection shall be released by the date of requirement as indicated in the application form, or as per the timelines given below, whichever is later.

Table 4: Timeline for release of temporary connection:

Activity	Urban Areas	Rural Areas	Remote Areas
Where supply can be provided from existing network	5 days	10 days	15 days
Where supply can be provided after extension/augmentation of network	a) LT-30 Days b) HT-90 Days c) EHT-120 Days	a) LT-45 Days b) HT-120 Days c) EHT-150 Days	a) LT-60 Days b) HT-145 Days c) EHT-180 Days

- 5.88 If there are outstanding dues on the premises, temporary connection shall not be given till such dues are paid by the consumer.
- 5.89 After the period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the Licensee shall prepare the final bill on the basis of actual consumption. Consumption security, after adjusting unpaid dues, shall be refunded by the Licensee. Material security shall also be refunded after deducting any damage to material (meter, transformer, isolator, etc.) and dismantling charges, which shall not be more than 10% of the material security. Refund of these securities shall be made within 15 days from the date of disconnection, failing which the Licensee shall be liable to pay interest at a rate equivalent to the late payment surcharge as per the prevalent Tariff Order issued by the Commission.
- 5.90 For extension of the period of temporary supply, the consumer shall apply to the Licensee in writing at least 7 working days before the date of expiry of temporary supply. The Licensee may grant extension and send to the consumer a demand notes of advance electricity charges for the period of extension within 7 working days of receiving the written request. For extension of the period of temporary supply for the same load, no fresh feasibility report will be required.
- 5.91 The applicant may get the date of availing temporary supply extended to a date not later than 90 days from the date of original sanction, by applying to the Licensee at least 4 days before the originally sanctioned date of commencement of supply in Urban Areas, and at least 8 days in advance in Rural Areas. If a person, after applying for connection, withdraws his application or refuses to take supply, Application processing charges, if any, shall be forfeited.
- 5.92 The grant of temporary connection does not create a right in favour of the applicant for claiming a permanent connection, which shall be governed by provisions of the Act and this Supply Code.

Procedure for Modification in Existing Connections

Application Form

- 5.93 The applicant shall apply for modification in existing connection in the following format as given in the Annexure to this Supply Code:
- (1) Application format for change in name of registered customer due to change in ownership/occupancy - **Annexure IV**
 - (2) Application format for transfer of ownership to legal heir - **Annexure V**
 - (3) Application format for Conversion of Services / Change of Consumer Category / Shifting of Premises- **Annexure VI**
 - (4) Application format for load enhancement/reduction - **Annexure VII**
- 5.94 Application forms in English and Hindi shall be made available at the local office of the Licensee free of cost. The Licensee shall also put up all application forms on its website for free download.

Legible photocopies of a blank form may be made by the consumer and shall be accepted by the Licensee. The Licensee shall clearly display on its website the address and telephone numbers of offices where filled-up application form can be submitted. The Licensee shall also display in each office the address and telephone numbers of offices in the respective area of supply where filled-up application form pertaining to that particular area can be submitted. Any assistance or information required in filling up the form shall be provided to applicants at the local office of the Licensee.

- 5.95 The Licensee shall facilitate or provide such avenues for applying for new connection or modification in existing connection through website, call centers, etc., which minimize the applicant's interface with the utility during the process.
- 5.96 All application forms for change in existing connection must be accompanied with an identity proof of the applicant in accordance with Regulation 5.30 of this Supply Code, if the connection is registered in the name of the applicant; or a No-Objection Certificate (NOC) from the person (other than an applicant for name change by legal heir & purchaser of property) in whose name the connection is registered, if the connection is not registered in the name of the applicant.

Processing Application Forms

- 5.97 The Licensee shall verify the application form along with enclosed documents and if found deficient, shall issue a written note on the spot regarding shortcomings in the application form. If the application form is complete, the Licensee shall acknowledge its receipt on the spot.
- 5.98 The Licensee shall maintain a permanent record of all application forms received in an Application Register/Database. Each application form shall be allotted a permanent application number (for identification) serially in the order in which it was received. The Licensee shall keep the registers/databases updated with stage-wise status of disposal of each application form. The Licensee shall deal with application forms on the broad principle of "first come, first served" basis as per serial priority in the Application Register/Database.
- 5.99 An application form shall be deemed to be received on the date of receipt of consumer's requisition of supply in the prescribed format of the application form, complete in all respects and attached with all relevant documents.
- 5.100 An application shall be deemed to be received on the date of receipt of all applicable charges including the security deposit in accordance with **Annexure XVIII** of this Supply Code, after receipt of the application form.
- 5.101 The Licensee shall process application forms for change in existing connections as detailed below.

Transfer of Connection

- 5.102 The consumer shall not without prior consent in writing of the Distribution Licensee assign, transfer or part with the benefit of the Agreement executed with the Distribution Licensee nor shall part with or create any partial or separate interest thereunder in any manner.
- 5.103 A connection may be transferred in the name of another person upon death of the consumer or in case of transfer of the ownership or occupancy of the premises, upon filing an application form in the prescribed format given in either **Annexure IV** or **V** (as applicable) for change of name by the new owner or occupier:
- Provided that such change of name shall not entitle the applicant to require shifting of the connection from the present location.
- 5.104 The Licensee shall deal with applications relating to change of consumer's name due to change in ownership/occupancy of property in accordance with the procedure detailed below.
- (1) The applicant shall apply for change of consumer's name in the format prescribed in **Annexure IV** to this Supply Code, 2023, along with a copy of the latest bill duly paid. The request for transfer of connection shall not be accepted unless all dues recoverable against the concerned connection are settled. The application form shall be accepted on showing proof of ownership/occupancy of property.
 - (2) The security deposit in the name of preceding consumer shall stand transferred in the name of the applicant and no additional security deposit shall be taken if consumer continues with same load.

Provided further that in cases, if the property is being transferred in the name of multiple owners, the connection will be transferred in the name of first owner:

Provided in case if connection is requested to be transferred in name of second co-owner, then

the same shall be accepted on receipt of NOC from other co-owners:

Provided also that if other co-owner, up to two, of the property want to add their name for electricity connection, they shall apply jointly for name change.

- (3) Change of consumer's name shall be effected within two billing cycles after acceptance of application form.

5.105 The Licensee shall deal with applications relating to transfer of consumer's name to legal heir in accordance with the procedure detailed below:

- (1) The applicant shall apply for change of consumer's name in the format prescribed in **Annexure V** to this Supply Code, with a copy of the latest bill duly paid. The application form shall be accepted on showing the Registered Will/deed, Succession/Legal heir Certificate, Mutation in municipal/land records or any other proof of legal heirship. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.93 to 5.101 of this Supply Code.

Provided further that in cases, if the property has been transferred in the name of multiple owners, the connection will be transferred in the name of first owner:

Provided also that if other co-owner, up to two, of the property want to add their name for electricity connection, they shall apply jointly for name change

- (2) Security deposit lying with the Licensee in the name of original consumer shall be transferred to its legal heir to whom the connection is to be transferred and no additional security deposit shall be taken if consumer continues with same load.

Provided further that in cases, if the property has been transferred in the name of multiple owners, the connection will be transferred in the name of first owner:

Provided also that if other co-owner, up to two, of the property want to add their name for electricity connection, they shall apply jointly for name change.

- (3) The change of consumer's name shall be affected within two billing cycles after acceptance of application.

- (4) Any charge for electricity or any sum other than charge for electricity as due and payable to Licensee, which remains unpaid by a deceased consumer or the erstwhile owner/occupier of any land/premises as the case may be, shall be a charge on the premise transmitted to the legal representative/ successors-in- law or transferred to the new owner of the premise as the case may be, and same shall be recoverable by the Licensee as due from such legal representative or successor-in- law or new owner/occupier of the premises as the case may be.

Conversion of Services

5.106 The applicant shall apply for conversion of the nature of his existing connection in the format given in **Annexure VI** to this Supply Code. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.93 to 5.101 of this Supply Code. For site inspection and issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.36 to 5.58 of this Supply Code. After payment of requisite charges by the applicant, the Licensee shall give effect to applications for conversion of existing services

from Low Tension to High Tension or vice-versa, and from single-phase to three-phase or vice-versa, within the following time limits:

Table 5: Timeline for conversion of services:

	Urban Areas	Rural Areas	Remote Areas
Conversion from LT single phase to LT 3-phase or vice- versa	Within 30 working days	Within 40 working days	Within 50 working days
Conversion from LT to HT or vice- versa	Within 90 working days	Within 120 working days	Within 145 working days

Conversion from HT to EHT or vice versa	Within 120 working days	Within 150 working days	Within 180 working days
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Provided that if for conversion of services from HT to LT requires replacement of existing equipment, then the consumer shall pay the necessary charges as per this code and the difference between the security deposit required for the reduced load and that already deposited shall be adjusted in the Bills within next 3 billing cycles.

- 5.107 The Licensee shall, within the specified period, seek the Commission's approval for extension of time limit whenever the above schedule cannot be met.

Shifting of Meter / Existing Connection

- 5.108 The applicant shall apply for shifting the service connection in existing premises or for deviation of existing lines in the format prescribed in **Annexure VI** to this Supply Code. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.93 to 5.101 of this Supply Code. For site inspection and issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.36 to 5.58 of this Supply Code.
- 5.109 The following time schedule shall be observed for giving the estimated amount by the Licensee and completing the works:
- (1) Shifting of meter/service line/LT/HT lines/Transformer: within 30 days for giving the estimated amount to the consumer for shifting and within 30 days of the consumer depositing the amount;
- 5.110 Any excess/deficient payment made by the consumer shall be adjusted in the subsequent two bills.

Reclassification of Consumer Category

- 5.111 If it is found that a consumer has been wrongly classified in a particular category, or the purpose of supply as mentioned in Agreement has changed to other Tariff Category, or the consumption of power has exceeded the limit of that category as per the Commission's Order, the Licensee may consider reclassifying the consumer under appropriate category. The consumer shall be informed of the proposed reclassification through a notice and duly given a 30-day notice period to file objections, if any. The Licensee, after due consideration of the consumer's reply, if any, may alter the classification within 10 days from the date of receipt of reply. In case of any dispute, the consumer may approach the Consumer Grievance Redressal Forum.
- 5.112 If a consumer wishes to change his consumer category, the consumer shall submit an application form to the Licensee in the format given in **Annexure VI** to this Supply Code. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.93 to 5.101 of this Supply Code. For site inspection and issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.36 to 5.58 of this Supply Code. The Licensee shall also note down the meter reading at the time of inspection. If on inspection, the consumer's request for reclassification is found valid, the Licensee shall change the category within 10 days of receipt of the application.
- 5.113 If the Licensee does not find the request for reclassification valid, it shall inform the applicant in writing, giving reason(s) for the same, within 10 days from date of inspection.
- 5.114 For the period in which the consumer's application for reclassification is pending, the consumer shall not be liable for any action on grounds of unauthorized use of electricity.

Load Enhancement

- 5.115 Applicants shall apply for load enhancement to the Licensee in the format prescribed in **Annexure VII** to this Supply Code. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.93 to 5.101 of this Supply Code. For site inspection, issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.36 to 5.58 of this Supply Code. Consumer can retrieve the self-declaration Forms from the website of the Licensee or collect the same from the office of Licensee, if the consumer has to increase/decrease load at any time.
- 5.116 If on inspection, there are no defects found, or on re-inspection, the defects noticed earlier are found to have been removed, the Licensee shall sanction the additional load applied for, and issue a demand note in writing under acknowledgment, within the timeline specified below:

Table 6: Timeline for raising Demand Note for Additional Load

S. No.	Item	Time Limit (within)
1	Aggregate Loads up to 100 kVA	10 days of receipt of Application
2	Aggregate Loads above 100 kVA and up to 4000 kVA	15 days of receipt of Application
3	Aggregate Loads above 4000 kVA	30 days of receipt of Application

Provided that the time taken by applicant in removing the defects/deficiencies found at the applicant's premises shall not be included in the timeline specified above. The timeline shall not include the time taken by the Licensee to augment the infrastructure subject to ceiling limit as specified in Regulation 5.53 of this Supply Code.

5.117 The Licensee's written intimation sent along with the demand note to the consumer shall cover the following:

- (1) Whether the additional power can be supplied at existing voltage or at a higher voltage;
- (2) Addition or alterations, if any, required to be made to the system and the cost to be borne by the consumer;
- (3) Amount of additional security deposit, cost of additional infrastructure and the system strengthening charges or capacity building charges, if any, to be deposited; and
- (4) Change in classification of the consumer and applicability of tariff, if required.

5.118 The application form for enhancement of load shall not be accepted if the consumer is in arrears of payment of the Licensee's dues. However, the application form may be accepted if such payment of arrears has been stayed by a Court of law, or the Commission or an authority appointed by the Commission.

5.119 If supply of enhanced load is feasible, the consumer shall:

- (1) Pay additional security deposit, cost of addition or alteration required to be made to the system, if any, and system strengthening charges/capacity building charges, if any, within 15 working days of receipt of the demand note, and;
- (2) Execute a Supplementary Agreement.

5.120 Supply of enhanced load shall be provided in adherence to the timeline specified in Regulation 5.53 of this Supply Code.

5.121 If the consumer feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the consumer may file his representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) for redressal of his grievance.

5.122 If the application is not decided by the Licensee within the period mentioned in Table 6 above, the applicant may, by a written notice to the Licensee, draw its attention to the matter and yet if no decision is communicated to him within a further period of 15 days, the permission for enhancement of contract demand shall be deemed to have been granted.

5.123 The enhancement of load shall be effective from the date on which the enhanced load is released by the Licensee or deemed permission is granted.

Load Reduction

5.124 The Application for load reduction shall be accepted only after six months from original energization for LT connections, after 1 (one) year for HT consumers and 2 (two) year from original energization for EHT connections.

5.125 The applicant shall apply for load reduction to the Licensee in the format prescribed in **Annexure VII** to this Supply Code, along with the following documents:

- (1) Details of alteration/modification/removal of electrical installation with work completion certificate and test report from a Licensed Electrical Contractor where alteration of installation is involved;
- (2) Any other reason(s) for reduction of contract demand.

- 5.126 The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.93 to 5.101 of this Supply Code. For site inspection, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.36 to 5.58 of this Supply Code.
- 5.127 The Licensee shall consider the grounds for load reduction stated in the application, verify the same during inspection and decide the application within a period of 10 working days from inspection. If the consumer feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the consumer may file his representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF).
- 5.128 The Licensee shall issue a demand note to the consumer in writing, under acknowledgment, in accordance with the timeline specified in Regulation 5.47, and thereafter, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.48 to 5.58 of this Supply Code.
- 5.129 If the application is not decided by the Licensee within the above-mentioned period of 10 days from inspection, the applicant may, by a written notice to the Licensee, draw its attention to the matter. If no decision is communicated to the consumer within a further period of 15 days, permission for reduction of contract demand shall be deemed to have been granted.
- 5.130 Any difference in security deposit arising out of load reduction shall be adjusted in the subsequent two bills of the consumer.
- 5.131 The reduction of load shall be effective from the first day of the month following the month in which the sanction is communicated or deemed permission is granted.

Annual Review of Contract Demand

- 5.132 In case of HT and EHT connections, if the maximum demand was recorded to be in excess of contract demand by 5% or more for at least four times during the last financial year, the Licensee shall issue a 30-day notice to the consumer for submitting an application form for enhancement of load. If there is no response from the consumer by the end of the notice period, the Licensee shall start the procedure for enhancing the consumer's contract demand to the average of four recordings of maximum demand shown by the consumer's Maximum Demand Indicators (MDI) meter in the last financial year. In case of LT connections, similar review shall be carried out for connections equipped with an MDI meter.
- 5.133 Energy meters with MDI facility are to be installed by all the Distribution Licensees for all new HT and EHT connections. In case, the Maximum Demand Indicator of the meter at the consumer's installation is found to be faulty or not recording at all (unless tampered), the Demand Charges shall be calculated based on maximum demand during corresponding months'/billing cycle of previous year, when the meter was functional and recording correctly. In case the recorded maximum demand of corresponding month/billing cycle of past year is also not available, the maximum demand needs to be computed by applying the Load Factor as per **Annexure XVIII** of the Supply Code.
- 5.134 The Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines with respect to acceptance of application form, site inspection and issuance of demand note for the estimated cost of works in accordance with Regulations 5.36 to 5.58 of this Supply Code. Enhanced supply shall be released in accordance with Regulation 5.53 of this Supply Code.
- 5.135 If the consumer feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the consumer may file his representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) for redressal of his grievance.

Execution of Agreement

- 5.136 The Licensee may require the applicant to execute an Agreement for obtaining new connection, for change of name, and for enhancement or reduction of sanctioned load before commencement of supply.
- 5.137 The Agreement form shall be supplied by the Licensee along with application form and shall also be available on the Licensee's website for download.

The Agreement shall include the following:

- (1) Name and address of the consumer/applicant;
- (2) Address of the premises for which electricity supply has been requisitioned and for which the agreement is being executed;
- (3) Sanctioned load/ contract demand;
- (4) Purpose of usage of electricity;

- (5) Declaration by the applicant/consumer:
- (a) To abide by provisions of Act and this Supply Code;
 - (b) To pay for the supply of electricity based on the prevailing tariff rates;
 - (c) To pay for all other charges payable in accordance with this Supply Code and the Schedule of Miscellaneous Charges of the Licensee approved by the Commission from time to time;
 - (d) To deposit such security money as the Licensee may be entitled to recover from him under the Act and this Supply Code;
- 5.138 If there is no separate written Agreement between the Distribution Licensee and the consumer, after the supply of electricity has commenced, the consumer shall be deemed to be bound by the terms and conditions of the Supply Code. The consumer shall not refuse to tender an Agreement if so required by the Distribution Licensee within thirty days of the commencement of the supply. Upon failure of the consumer to sign the Agreement, it shall be open to the Distribution Licensee after giving due notice and opportunity of representation to disconnect the supply to such Premises. However, the Distribution Licensee shall restore the supply immediately upon execution of the Agreement by such consumer.
- 5.139 If any Consumer terminates his Agreement within six months from original energization for LT connections, after one year for HT consumers and 2 years for EHT connections of the commencement of new or additional supply (or where no formal Agreement is tendered, if the supply is not utilized for the above period, which would have been applicable if an Agreement has been tendered), the consumer shall be liable to pay the Fixed/Minimum charges for each month short of the said period.
- 5.140 A copy of the Agreement executed shall be given to the consumer/applicant.

General Conditions of Supply for determination of Connected Load

- 5.141 The method of determination of connected load shall be as per **Annexure VIII** to this Supply Code.

Point of Supply

- 5.142 Supply shall be given at a single point in the premises of the consumer. The point of supply shall be determined by the Licensee such that meters and other equipment are always accessible to the Licensee for inspection without infringing upon the consumer's privacy. All HT and EHT consumers shall provide independent entry to the meter or metering cubicle. However, in special cases, the Licensee may agree to give supply at more than one point in the consumer's installation on account of the separate physical layout and wiring of the installation and the requirements of the consumer.
- 5.143 At the point of commencement of supply, the consumer shall provide a main switch/circuit breaker. In addition, HT and EHT consumers shall also provide suitable protective devices as per the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time. The system of protection shall have to be approved by the Licensee before the commencement of supply. Meters, MCBs/CBs and associated equipment shall be installed by the Licensee at the point(s) of supply.
- 5.144 HT and EHT consumers shall install step-down transformers with a vector group with delta winding on the high voltage side and star winding on the low voltage side, with the neutral terminal brought out and solidly earthed as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended from time to time.
- 5.145 The meter, meter boards, service mains, MCB/CB, load limiters, etc., must on no account be handled or removed by anyone who is not an authorized employee/representative of the Licensee. Seals, which are fixed on the meters'/metering equipment, load limiters and the Licensee's apparatus, must on no account be tampered with, damaged or broken. It is the consumer's responsibility to keep in safe custody, the Licensee's equipment and seals on the meters'/metering equipment within the consumer's premises.
- 5.146 In the event of any damage caused to the Licensee's equipment within the consumer's premises by reason of any act, neglect or default of the consumer or his employees, the cost thereof as claimed by the Licensee shall be payable by the consumer. If the consumer fails to do so after demand, it shall be treated as a contravention of the terms and conditions of supply agreement and the electricity.

Security Deposit

- 5.147 A security deposit shall be deposited by all the consumers to cover:
- (1) The estimated amount of bill corresponding to the billing cycle period plus one month; and
 - (2) Payment due to the Licensee for any electric line or electrical plant or electric meter that is to be provided for supplying electricity to the consumer.
- The estimated security deposit amount for different categories while releasing new connections shall be calculated as per the methodology given in **Annexure XVIII** to this Supply Code. In case of enhancement of load, only additional security to cover the additional consumption shall need to be deposited, estimated as per the methodology given:
- Provided that for consumers who have opted for availing phased contract demand, revision of security deposit for the existing load shall be based on actual consumption of the previous financial year, while security deposit for additional load released during the year shall be estimated on the basis of the methodology given in **Annexure XVIII** to this Supply Code.
- 5.148 Subsequently, the security deposit shall be revised annually as per the procedure defined in Regulation 5.151 of this Supply Code. For deficient amount of Security Deposit, the Licensee shall serve the notice to consumer for Additional Security Deposit to be deposited by consumer within 30 Days. In case, the consumer does not deposit additional Security Deposit within 30 days of notice by Licensee, the additional Security Deposit shall be included in two subsequent bills of the consumer. Any excess amount of Security Deposit shall be adjusted within two subsequent bills of the consumer.
- 5.149 If the security deposit is reduced due to adjustment of outstanding dues, the same shall be adjusted within the subsequent two bills of the consumer.
- 5.150 The security deposit shall be returned to consumer upon termination of Agreement within 30 days of adjustment of all dues. In case of delay, interest equivalent to the State Bank of India Base Rate on the 1st of April of that year shall be payable to the consumer.
- 5.151 The LT consumers can provide the security deposit in the form of cash (applicable for deposits up to Rs 10,000), cheque or demand draft. The HT/EHT and industrial consumers can provide the security deposit through cash/demand draft/banker's cheque, Bank Guarantee as per the format specified in **Annexure XXI** or by providing lien against fixed deposits. If the Security Deposit is submitted in the form of Bank Guarantee or by providing lien against fixed deposits, no interest shall be payable to the consumer.

Interest on Security Deposit

- 5.152 The Licensee shall pay interest to the consumer at the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India prevailing on the 1st of April for the year, payable annually on the consumer's security deposit with effect from date of such deposit in case of new connections energized after the date of this notification, or in other cases, from the date of notification of this Supply Code. The interest accrued during the year shall be adjusted in the consumer's bill for the first billing cycle of the ensuing financial year. If the Security Deposit is submitted in the form of Bank Guarantee or by providing lien against fixed deposits, no interest shall be payable to the consumer.

Review of Security Deposit

- 5.153 At the beginning of the financial year, the Licensee shall review the consumption pattern of the consumer for the adequacy of the security deposit from April to March of the previous year. Consumer is required to maintain a sum equivalent to his average payment for the period of one billing cycle plus one month, where 'average payment' shall be equal to the average of actual bills paid in the last financial year:
- Provided that for a consumer whose electricity connection is less than 1-year-old, the security deposit shall not be revised at the beginning of the financial year.
- 5.154 The security deposit available with the Licensee in respect of each consumer shall be shown in the bill issued to the consumer. Refund of security to the consumer by the Licensee, as and when arises, shall be made through maximum of two electricity bills.

Cost of Servicing New Connection/ Enhancement of Load

- 5.155 The consumer shall pay the cost-of-service line, etc., and other applicable charges. These charges shall be either on the basis of the schedule of standard charges approved by the Commission.

General Provisions Regarding Service Line and Apparatus

- 5.156 The consumer shall provide space of requisite dimensions and at convenient location as mutually agreed between the consumer and the Licensee, free of charge, for erection / installation of that part of service line that falls within his premises, transformers, switch gear, meter and all other apparatus up to the point of commencement of supply. The whole of service line and other apparatus shall be deemed to be the property of the Licensee and shall remain under its control.
- 5.157 The Licensee may use the service line and other apparatus to give supply to other consumers provided that the supply to the consumer who has paid for these is not affected adversely. Further, even if the supply to the consumer who has paid for the line / apparatus is disconnected for whatever reason, the consumer shall permit the Licensee continued access to the service line and other apparatus if they are required to give supply to other consumers, and no payment shall be due to the consumer for such access / facility, until alternate arrangements are made. However, it is expressly provided that the Licensee shall make all possible efforts to make alternate arrangements within 6 months. For this purpose, the Licensee may explore a mutually acceptable arrangement for continuation of the installation at the existing place.

Resale of Energy

- 5.158 The consumer shall not supply any energy supplied to him by the Licensee to another person or other premises unless the consumer holds a suitable sanction or license for distribution and sale of energy granted by the Commission or has been exempted from obtaining the license or has been appointed as a franchisee of the Distribution Licensee.

Access to Consumer's Premises

- 5.159 The Distribution Licensee or any person duly authorized by Distribution Licensee shall have access to consumer's premises in accordance with the provisions of Section 163 of the Electricity Act, 2003.

Failure of Supply due to Fuse Failure

- 5.160 Should at any time the Licensee's service fuse or fuses fail, complaint should be registered at the Licensee's local office or call center or if there are sub-stations, at the nearest substation. Only authorized representatives of the Licensee are permitted to replace these fuses in the Licensee's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses and they will render themselves liable to penalty if the Licensee's fuse placed to protect the Licensee's apparatus are changed.

Chapter 6: Metering

- 6.1 No installation shall be serviced without a meter and such meter shall be the Smart Pre-payment/Post-paid/Static Meter or pre-payment meter. All meters and installation of meters shall conform to requirements as laid down in the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006 issued under Section 55 of the Act, and as amended from time to time. Notwithstanding this, the Licensee may consider installing upgraded technology meter becoming available in the market if it meets the requirements over and above the requirements of CEA. Any exception to the smart meter or prepayment meter shall have to be duly approved by the Commission. The Commission, while doing so, shall record proper justification for allowing the deviation from installation of the smart pre-paid meter or pre-payment meter.
- 6.2 For LT loads, Miniature Circuit Breakers (MCBs) and for HT/ EHT loads, Moulded Case Circuit Breakers (MCCBs) of appropriate rating and specifications shall be installed along with the meter.
- 6.3 At the time of seeking a new connection the consumer shall have the option to either:
- (1) Purchase the meter, MCB/CB and associated equipment himself as per specifications issued by the Licensee from time-to-time; or
 - (2) Require that the meter, MCB/CB and associated equipment be supplied by the Licensee, on payment of applicable charges.
- The consumer shall indicate this option in the application form and Licensee shall supply him with the meter specifications. Once the consumer has procured the meter as per the specifications, the Licensee shall test, install and seal the meter. The Licensee shall ensure that tested and sealed meters of approved meter manufacturers are available to consumers for purchase and information of the places from where the consumers can purchase them is made available on its website.
- 6.4 The Licensee is authorized to review the status of meters already installed in the context of upgraded technology becoming available and suitability of the site where meter is placed in the consumer's

premises.

- 6.5 If supply is provided by the Licensee to different categories of consumers in the same premises, separate meter(s) shall be installed for measurement of energy for each such category.
- 6.6 The Distribution Licensee shall make out a plan for introduction and adoption of new technologies such as pre- paid meters, smart meters, time of the day (TOD)/ frequency-based tariff (FBT) meters, automatic remote meter reading (AMR), Automatic Metering Infrastructure (AMI) system through appropriate communication system.
- 6.7 All the meters to be installed after notification of these Regulations including replacement of meters shall be meters with MDI facility and preferable be prepaid meters. Prepaid meters installed shall be exempted from Security Deposit while ensuring sufficient advance payment thereof.
- 6.8 If supply to an HT/EHT consumer is given on an independent feeder for his exclusive use, the metering arrangement shall be installed at the sub-station of the Licensee. Further, for all new connections availing supply through independent feeder, Stand-by meter will be installed at consumer's premises at consumer cost to carry out accounting in case of failure of main meter.
- 6.9 Temporary Connections wherever possible shall be released on pre-paid meters.

Supply and Installation of Meters and MCBs/CBs

- 6.10 LT, HT and EHT consumers, if they opt for procurement of meter and related apparatus, shall provide a locked and weatherproof enclosure of a design approved by the Licensee to house the metering equipment including CTs and PTs. In other cases, these shall be included in the estimate and provided by the Licensee.
- 6.11 If the meter is supplied by the Licensee, the Licensee shall be entitled to recover the cost of meter and associated equipment as part of the demand notice. Else, the Licensee shall charge meter rent as approved by the Commission. In case of connections where the meter has been procured by the consumer, no meter rent and meter cost shall be charged from the consumer.
- 6.12 The installation of meter shall be decided in consultation with the consumer. The consumer shall provide suitable and adequate space for installation of the meter in such a manner that it is always accessible to the Licensee or its representatives. In case of multi-storied buildings, all the meters shall be fixed preferably on the ground floor/rising mains having proper air ventilation and adequate illumination as per the standards and codes specified.
- 6.13 Initial installation or replacement of the meter shall be done by the Licensee's representative in the presence of the consumer or his authorized representative, after giving a notice of 3 days.
- 6.14 The Licensee shall evolve a format of Meter Particulars Sheet for recording the particulars of the meter at the time of initial installation or replacement. The Licensee shall retain one copy and the second copy, duly signed by the authorized representative of the Licensee, shall be given to the consumer under proper acknowledgment. The consumer or his authorized representative shall also sign the Meter Particulars sheet. Subsequently, details of any faults in the meter, repairs, replacements, etc., shall be entered into the Meter Particulars Sheet by the Licensee or his authorized representative.
- 6.15 Whenever a new meter is installed (for a new connection or as a replacement) it shall be sealed in the presence of the consumer. The seal, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on the said equipment or apparatus shall not in any way be broken, erased or altered by the consumer. Treatment of meter seals shall be in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and all subsequent amendments.
- 6.16 The consumer shall be responsible for safe custody of meter(s), MCB/CB, etc., if the same are installed within the consumer's premises. The consumer shall promptly notify the Licensee about any fault, accident or problem noticed with the meter.
- 6.17 All the unmetered connections including agricultural and streetlights must be metered by the Licensee within a period of six (6) months from the issuance of this Supply Code.
- 6.18 It shall be the responsibility of the Licensee to maintain the meter and keep it in working order at all times. The Licensee may also have a provision for such metering system where the display unit is at the consumer premises and the metering unit is outside the premises such as on a pole, etc. In such cases, the responsibility of safe custody of the metering unit shall lie with the Licensee.
- 6.19 The Licensee shall monitor the consumption pattern of the consumer and get the meter checked wherever considered necessary to ensure that the meter is in proper working condition.

- 6.20 A consumer may install a check meter of appropriate make and conforming to the technical specifications as laid down in Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations, 2006 or as amended from time to time. These check meters may be calibrated by the Licensee upon payment of prescribed fee as specified by the Licensee with the approval of the Commission. However, check meter readings shall not be used for billing purpose by the Licensee. Calibrated check meter/Stand- by meter readings shall be used for billing purposes by the Licensee only when the main meter is faulty/burnt, etc.

Reading of Meters

- 6.21 The meter shall be read once in every billing cycle in urban, rural and remote areas and the consumer shall extend all facilities to the Licensee or his authorized representatives to read the meter.
- 6.22 In case of smart meters, the meters shall be read remotely at least once in every month and in case of other pre- payment meters, the meters shall be read by an authorized representative of the distribution licensee at least once in every three months. The data regarding energy consumption shall be made available to the consumer, through website or mobile App or SMS, etc. Consumers having smart pre-payment meters may also be given the data access for checking their consumption on real time basis.
- Provided that for post payment meters, if the meter is inaccessible to the meter reader on two consecutive meter reading dates, the consumer shall have the option to send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through e-mail. In such a case, distribution licensee may not send any notice or provisional bill to the consumer.
- 6.23 The meter shall be read by an authorized representative of the Licensee. The Licensee shall issue proper photo identity cards to all meter readers and meter readers shall carry the photo identity card during the course of meter reading.
- 6.24 The meter reader may use hand held instruments, meter reading instrument (MRI) or wireless equipment for recording meter readings and for generation of bills on the spot. If bills are prepared on the basis of MRI downloads or if meter reading is taken on the basis of remote meter-reading and the consumer wishes to have a record of the reading taken, he shall be allowed so by the officer/ personnel taking the meter reading.
- 6.25 It shall be the duty of the meter reader to check the condition of LEDs (light emitting devices) on electronic meters. In case the E/L LED indicator provided on electronic meters is found to be 'ON', the meter reader shall inform the consumer that there is leakage in the premises and advise the consumer to get the wiring checked and leakage removed. The meter reader shall also inform the concerned officials of the Licensee about the leakage.
- 6.26 Status of the meter and/or its seal along with the meter reading details for last six billing cycles of each consumer shall be made available on the Licensee's website as well in each bill to be raised by the Licensee.
- 6.27 If the meter is inaccessible on two consecutive meter reading dates as per cycles, a notice shall be issued to consumer to keep the meter accessible for reading on the date (at least 7 days after the date of notice) and time specified in the notice.
- 6.28 If meter is not made accessible even on the specified date, a notice shall be served on the consumer, if available, or affixed near the main entrance of the premises, to inform the meter reading to Licensee within the next 7 days. Failing this, supply shall be disconnected.
- 6.29 The provisions of Regulations 6.27 and 6.28 of this Supply Code, 2023 shall not apply in case of a domestic consumer who has given an advance intimation to the Licensee of the inaccessibility of his meter for reading due to the consumer being out of station and has also deposited an amount in accordance with Regulation 7.26 of this Supply Code 2023.
- 6.30 When a domestic consumer gives prior information in writing about inaccessibility of the meter to the Licensee due to continued absence from residence, the Licensee shall not send any notice/provisional bill to the consumer provided that the consumer pays the fixed charges for such period in advance. Whenever the meter is made accessible by the consumer for taking the meter reading, the entire consumption shall be taken as if the consumption was for the period excluding the intimated period of inaccessibility. This facility shall be available to the consumer if the dues have been up to date.
- 6.31 If the consumer desires to have a special reading taken, the same shall be arranged by the Licensee

and the charge, as approved by the Commission shall be included in the next bill of the consumer.

Periodic Testing of Meters

- 6.32 It shall be the Licensee's responsibility to satisfy itself regarding the accuracy of the meter before it is installed and the Licensee may test them for this purpose. The Licensee shall conduct periodical inspection/testing and calibration of the meters as specified by the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006 and as amended from time to time.
- 6.33 The Licensee shall conduct periodical inspection/testing of the meters as per the following schedule:
- (1) Single phase meters: Once every 5 years
 - (2) LT 3-phase meters: Once every 3 years
 - (3) HT/EHT meters including MDI: Yearly
- Wherever applicable, CT and PT shall also be tested along with meters.
- 6.34 Test results shall be maintained as per the format given in **Annexure IX** to this Supply Code, 2023.

Testing of Accuracy of Meters

- 6.35 The Licensee shall have the right to test any meter and related apparatus if there is a reasonable doubt about accuracy of the meter. The consumer shall provide the Licensee necessary assistance in conduct of the test.
- 6.36 A consumer may request the Licensee to test the meter on his premises if the consumer doubts its accuracy, by applying to the Licensee in the format given in **Annexure X** to this Supply Code, 2023, along with the requisite testing fee. On receipt of such request, the Licensee shall follow the procedure as detailed in Regulations 6.37 to 6.40 of this Supply Code, 2023.
- 6.37 The meter may be tested for accuracy at a third-party facility, if so desired by the consumer. The list of third-party agencies, which are accredited by NABL (National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories) shall be available on the website of the Licensee:
- Provided that in case of testing on the consumer's request, the consumer shall have to pay the testing fee as per the cost specified by the Licensee with the approval of the Commission:
- Provided further that if the meter is found to be defective / burnt due to technical reasons attributable to the Licensee, viz., voltage fluctuation, transients, etc., the Licensee shall refund the test fee to the consumer by adjustment in the subsequent bill.
- 6.38 Before testing a consumer's meter, the Licensee shall give 7 days' advance notice in urban areas, 10 days' advance notice in rural areas and 15 days' advance notice in remote areas intimating the date, time and place of testing so that the consumer or his authorized representative may be present at the time of testing. The Licensee shall inspect and check the accuracy of the meter within 30 days of receiving the complaint in urban, rural and remote areas. The Licensee, after testing, if needed, shall replace the meter within 15 days thereafter.
- 6.39 The consumer/authorized representative present during testing will sign the test report as a token of witness. In case the consumer / authorized representative is not present, the Licensee's representative and the testing laboratory official shall sign on the test report.
- 6.40 The licensee shall dispatch the test report to the consumer, to be received under acknowledgement, within 7 working days of the date of testing. When the meter is found to be slow beyond permissible limits, as specified and the consumer does not dispute the accuracy of the test, the Licensee/consumer, as the case may be, shall replace/rectify the defective meter within the period as specified by the licensee. The consumer shall pay the difference due to the defect in the meter at normal rates, based on percentage error, for a maximum period of three months or from the date of last testing, whichever is later, on the basis of the test report, shall be adjusted or accounted for in the subsequent bill.
- 6.41 If a consumer disputes the results of testing, the consumer may represent to the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF).

Cost of Replacement of Defective/ Burnt/ Stolen Meters

- 6.42 If, as a result of testing, it is established that the meter became defective/burnt due to technical reasons, viz., voltage fluctuation, transients, etc., attributable to the Licensee, the cost of the meter shall be borne by the Licensee.
- 6.43 If, as a result of testing, it is established that the meter was rendered defective/burnt due to reasons attributable to the consumer such as defect in consumer installation, connection of unauthorized load by the consumer, etc., no test fee shall be charged from the consumer at the time of reporting and the

consumer shall bear the cost of the new meter and test fee shall be charged from the consumer through subsequent bills as specified below:

- (1) If the meter was owned by the consumer, the Licensee shall inform the consumer to replace the meter and associated equipment as per provisions of Regulations 6.3 to 6.4 of this Supply Code, 2023 within 7 days, after which the Licensee may be empowered to install a new meter and seek additional security deposit and start charging meter rent, if applicable;
- (2) If the meter was owned by the Licensee, the Licensee shall install a new meter at its own cost and recover the cost of the burnt meter from the consumer in proportion of the remaining useful life of the meter (useful life of the meter as per the depreciation schedule of the Commission - number of years after date of first instalment of the aforesaid meter) that was rendered defective/burnt:

Provided further that if, as a result of testing, it is established that the meter was rendered defective/burnt due to tampering or any other deliberate act by the consumer to interfere with the meter, the consumer shall be assessed as per Regulation 8.50 of this Supply Code, 2023 and action as permissible under law shall be taken against the consumer for pilferage and tampering.

6.44 The meter may be tested at a third-party facility, if so desired by the consumer. The list of third-party agencies, which are accredited by NABL (National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories) shall be available on the website of the Licensee.

Provided that in case of testing on the consumer's request, the consumer shall have to pay the testing fee as per the cost specified by the Licensee with the approval of the Commission:

6.45 The distribution licensee shall give a copy of the meter test report to the consumer duly signed by both the distribution licensee or their authorized representatives and the consumer, and retain one such copy as acknowledgment. The distribution licensee shall communicate the date and time for such test to the consumer and convey the said consumer to present at the site for testing. However, if the consumer chooses not to be present at the site for testing, the distribution licensee will carry out such testing and shall give the copy of the meter test report to the consumer for signing.

6.46 In case, during testing, the meter is found to be inaccurate, the excess or deficit charges shall be adjusted in the subsequent bills as specified by the Commission.

6.47 If a consumer disputes the results of testing, the meter shall be tested at a third-party testing facility selected by the consumer from the list of third-party testing agencies approved by the National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories. If it is successfully established that the results of this test are contrary to the results of the test performed by the distribution licensee, then the cost of undertaking such test shall be borne by the distribution licensee. However, in case it is established that the results of this test are same as the results of the test performed by the distribution licensee as per Regulation 6.36, then the cost of undertaking such test shall be borne by the Consumer. The meter test results and the meter data shall be issued to the consumer after such test has been completed and the said results are final and binding on both the consumer and the distribution licensee.

6.48 In case of loss of meter, the cost of new meter and other apparatus shall be borne by the consumer unless the meter was installed outside consumer premises. The Licensee shall recover the cost of the meter from the consumer in proportion of the remaining useful life of the meter that was lost.

The Licensee shall attend the complaint of consumers for defective / stuck meter within 15 days of receiving the complaint and after testing, if needed, shall replace the meter within 15 days thereafter.

Replacement of defective or burnt or stolen meters

6.49 In case a meter is found to be defective or burnt either on consumer's complaint or upon inspection by the Licensee, the Licensee shall restore the supply within 6 hours of receipt of the complaint or inspection by the Licensee, bypassing the burnt meter after ensuring that necessary preventive action at site is taken to avoid future damage.

Provided that complaints regarding stolen meters shall be entertained by the Licensee only if they are accompanied by a copy of the FIR lodged by the consumer with police. In all such cases, the Licensee shall also conduct an inquiry.

6.50 If the meter is prima facie found to be defective or burnt or stolen not due to causes attributable to the consumer, the licensee shall restore supply through a new meter at its own cost within the 24 hours in urban areas, 72 hours in rural areas and 120 hours in remote areas by the distribution licensee.

- 6.51 If, after investigation, it is found that the meter is burnt due to causes attributable to the consumer such as tampering, defect in consumer's installation, connecting unauthorized additional load, etc., the procedure laid down in Regulation 6.42 to 6.48 shall be followed with respect to replacement of meter. The Licensee shall serve a notice to the consumer for recovery of cost of the meter within 7 working days of detection and shall replace the meter within 24 hours in urban areas, 72 hours in rural areas and 120 hours in remote areas.

Provided that the consumer shall make the payment and take necessary corrective action to avoid future damage to the meter. In case the consumer does not replace the meter or pay within the stipulated time for replacement of meter, the consumer shall be served notice for disconnection within 7 days of expiry of the specified period. Failure to comply with the same shall lead to disconnection with immediate effect.

Consumer Meter Data Protection Standards

- 6.52 The Distribution Licensees shall ensure that protection of consumer privacy is accorded the highest levels of priority in prepaid smart metering projects and the corresponding investment plans. The same shall apply for all operations including data collection, storage and transfer.
- 6.53 The Consumer data shall be protected through appropriate levels of encryption and access controls, and shall not be shared with external agencies without explicit authorization of the Commission or unless required by statutory authorities or by courts of law. If deemed necessary for effective implementation, the Commission shall allow the Distribution Licensees to disclose consumption data to third parties with appropriate consumer consent processes as applicable. The following conditions shall apply in such circumstances:
- a) Data shall be classified as:
 - (i) **Personality Identifiable Information (PII)**: which consists of customer names, addresses, identification numbers, and other information that specifically identifies the person or entity to which it applies.
 - (ii) **Customer-Specific Energy Usage Data (CEUD)**: which at high resolutions, reveal details about consumer behaviour and therefore should be considered as personal data.
 - b) Data access by parties providing services shall only be permitted with explicit authorization of designated senior officers of the distribution licensee who are duly authorized by the Board of Directors of the distribution licensee to provide such data under required confidentiality, non-disclosure and non-unrelated use agreements. Such third parties shall be permitted access to all aggregated and anonymized CEUD. No PII data shall be disclosed to third parties.
 - c) The Commission, upon request of the distribution licensee, may also approve third party service providers to have direct access to consumers and their consumption data as part of a Smart Grid project or program approved by the Commission. The licensee shall permit such access through appropriate confidentiality arrangements with such third parties.
 - d) It is explicitly clarified that neither the concerned distribution licensee nor the third parties permitted data access would be permitted to sell or disseminate the consumer data to any other party or use for any other purpose.
 - e) Consumers shall have access to all of their own consumption data, which may be appropriately displayed on the meter display of the consumer and on authorized websites, with suitable levels of access control and security.
- 6.54 Disputes on consumer privacy and data protection shall be resolved through the Consumer Grievance Redressal Forum & Electricity Ombudsman.
- 6.55 The distribution licensee shall appoint a data officer as the nodal officer for handling complaints regarding data privacy, and shall act as the single point of contact (SPOC) for the Commission, consumers, third-parties and other stakeholders for all data privacy and security related matters.
- 6.56 The Commission may at its discretion specify rules for customer privacy and data protection that the licensee shall be obliged to follow. In addition, the Commission may amend the rules to make them consistent with prevailing personal data protection legislations.

Chapter 7: Billing**General**

- 7.1 Tariff and charges for supply of electricity shall be determined by the Commission from time to time. The tariff for each category of consumers shall be displayed on distribution licensee's website and consumers shall be notified of change in tariff including fuel surcharge and other charges, a full billing cycle ahead of time, through distribution licensee's website as well as through energy bills. The Licensee shall also intimate the consumer, the following:
- (1) Billing cycle, which shall be monthly for all categories of consumers except agricultural consumers, i.e., pump set connections, in which case, depending upon the local conditions, the Licensee shall specify the billing cycle separately with the approval of the Commission.
In case of consumers with LT single phase supply, if the Licensee experiences difficulty in monthly billing of such a large number of consumers, it may carry out the billing on bi-monthly basis (i.e., once in two months) with the approval of the Commission. The Commission may consider the difficulties of the Licensee and may approve the billing on bi-monthly basis for a limited time period beyond which the billing cycle shall be on monthly basis.
 - (2) Probable week in which bill shall be issued by the Licensee in every billing cycle;
 - (3) Probable due dates for payment of bill; and
 - (4) Rebates applicable to consumers, if any.
- 7.2 Provided that the due date for bill payment through cheques shall be 3 working days in advance of the normal due date for cash payment. The Licensee shall also intimate the consumer of bill dispatch through SMS and/or email, if the consumer has furnished requisite details. The billing details of last twelve (12) bills (including the latest bill) for all consumers shall also be made available on the Licensee's website along with payment receipt details.
- 7.3 The distribution licensee shall prepare the bill for every billing cycle based on actual meter reading, except where pre-payment meters are installed, and the bill shall be delivered to the consumer by hand or post or courier or e-mail or any other electronic mode at least ten days prior to the due date of payment.
- 7.4 The distribution licensee shall also upload the bill on its website on the day of bill generation.
Provided that the billing details of last one year for all consumers shall also be made available on the licensee's website.
- 7.5 In case of pre-payment metering, the distribution licensee shall issue the bill, to the consumer, on his or her request.
- 7.6 The distribution licensee shall intimate the consumer about dispatch of bill through SMS or email, or by both, SMS and e-mail, immediately and the intimation shall consist of the details of bill amount and the due date for payment.
- 7.7 The Licensee may explore an option of introducing Spot Billing to domestic and commercial consumers in its area of supply.
- 7.8 The Licensee shall issue the first bill within two billing cycles of energizing a new connection where post payment meters are installed. In case the consumer does not receive the first bill within two billing cycles from the date of energization of the connection, the consumer shall complain, in writing, to the Licensee's office and the Licensee shall issue the bill within the next seven (7) working days.
- 7.9 The bill will be delivered to the consumer immediately in case of spot billing under acknowledgment by the consumer. In all other cases, the Licensee shall ensure that the bill is delivered to the consumer by hand/post/courier as specified in Regulation 7.3.
- 7.10 If a consumer does not receive the bill within 7 days of the probable bill issue date, the consumer may obtain a duplicate bill from the concerned billing office of the Licensee or download it from the website of the Licensee. However, the responsibility of delivering the bill to the consumer lies with the Licensee only. The Licensee shall issue a duplicate bill immediately if the consumer contacts the Licensee's office in person/ telephonically, or on the date of acknowledgement if received by post.

Provided that in case of delay in serving a bill by more than 60 days, the consumer should be given the option to pay the bill in monthly instalments without any Late Payment Surcharge, fine or penalty with a rebate of 2 percent as specified by the Commission.

7.11 The following information shall be included in the bill:

- (1) Address and telephone number of the billing office / distribution centre;
- (2) Service Connection Number;
- (3) Bill Number and Period of Bill;
- (4) Consumer Number, Name and Address;
- (5) Pole Number from which connection is served / Name of sub-division or centre;
- (6) Date of issue of Bill;
- (7) Tariff category of consumer (i.e., domestic, commercial, etc.);
- (8) Tariff, rate of electricity duty and cess applicable;
- (9) Status of meter (OK/defective/not available);
- (10) Billing Status (Regular/ Assessed/ Provisional Bill with reason)
- (11) Supply details:
 - a. Type of supply (i.e., single phase, three-phase LT or HT)
 - b. Contracted load/ Connected load
- (12) Meter number and identification details of meter (in case the meter was replaced during the billing period, the bill must indicate the meter numbers of new as well as old meter, date of replacement, final reading of old meter and initial reading of new meter at the time of replacement of meter);
- (13) Initial meter reading with date;
- (14) Final meter reading with date;
- (15) Multiplying Factor of the meter, if any;
- (16) Units consumed;
- (17) Maximum Demand;
- (18) Power Factor, if applicable;
- (19) Due date of payment (separately specified for payment by cash, cheque, Credit/Debit Card, etc., if necessary) and date of payment with prompt rebate;
- (20) Security Deposit deposited by consumer;
- (21) Billing details: Item-wise details for the current month as well as past arrears shall be furnished in the bill. A representative list is given below:
 - a) Energy Charges;
 - b) Fixed Charges;
 - c) Meter rent, if any;
 - d) Capacitor surcharges;
 - e) Other Charges, if any;
 - f) Electricity Duty;
 - g) Fuel price purchase adjustment charges;
 - h) Power factor adjustment charges, if any;
 - i) Reactive Energy Charges, if any;
 - j) Surcharge for delay, if any;
 - k) Interest on instalments due;
 - l) Total current month demand;
 - m) Arrears (with details);
 - n) Details of Subsidy, if any, under Section 65 of the Act;
 - o) Others (with details);

- p) Total amount due;
 - q) Adjustment;
 - r) Net amount to be paid;
 - s) Modes of payment accepted;
 - t) In case of cheques and bank drafts, the receiving authority in whose favour the amount should be drawn;
 - u) Amount of Security Deposit held and required;
 - v) Consumption details of last six readings.
- 7.12 The following information shall be provided on the reverse of the bill, if not provided on the front or stamped on the bill or be sent in an annexure accompanying the bill at least twice a year:
- (1) Address(es) of collection centre(s) and working hours for collection of bill payments, including the date and time of presence of the mobile van, if any, at different venues for collection of bill payments;
 - (2) Designation and address of the authority with whom grievance/complaints pertaining to bills can be lodged;
 - (3) Complete address(es) with telephone number(s) of the complaint centres, if any;
 - (4) Addresses and telephone numbers of CGRFs as well as that of the Ombudsman constituted under Section 42 sub- clause 6 of the Act;
 - (5) Tariff Schedule applicable to the consumer; and
 - (6) Information relating to safety, Energy conservation, prevention of theft, etc.
- 7.13 The bill may contain additional information, if any, as desired by the Licensee.
- 7.14 The Licensee shall ensure adequate publicity of the addresses/locations and working hours of the collection centres including those of banks wherein consumers can make payments.

Procedure for Billing under Special Circumstances / Billing when Meter Not Accessible

- 7.15 In all cases not covered by the Spot Billing system, if the Licensee is not able to read the meter, a provisional bill may be issued on the basis of the consumption for the corresponding period of the previous year wherein the meter was functional. However, the Licensee shall ensure that such provisional billing does not extend to more than two billing cycles at a stretch, and there are not more than two provisional bills generated for a consumer during one financial year. In that case, if the provisional billing continues for more than two billing cycles except under extraordinary situation due to force majeure, the consumer may refuse to pay the dues until bill is raised by the distribution licensee as per actual meter reading. If the premise of the consumer is inaccessible for more than two billing cycle continuously, a notice is to be affixed in the premises of the Consumer for temporary disconnection. If within 30 days from the affixation of such notice, if the consumer fails to make arrangement for meter reading, the supply shall be temporarily disconnected after giving one- month notice. The provisional bills shall be adjusted on the basis of the subsequent actual meter reading.

Notwithstanding the above, if the meter is inaccessible to the meter reader on two consecutive meter reading dates, the consumer shall have the option to send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through email. In such a case, distribution licensee may not send any notice or provisional bill to the consumer.

In case of new connection for which one-year data is not available, the consumption for the purpose of provisional billing shall be computed by considering the load factor as specified for that category in **Annexure XVIII** of these Regulations.

Billing in case of defective/stuck/stopped/burnt meter

- 7.16 In case of defective/stuck/stopped/burnt meter, the consumer shall be billed on the basis of higher of monthly consumption of corresponding month of the previous year and average monthly consumption of immediately preceding three months. However, if neither the consumption of corresponding period of previous year nor for the last three billing cycles is available then average of the consumption for the period the meter worked correctly during the last 6 months shall be taken for overhauling the account of the consumer. These charges shall be liable for a maximum period of three billing cycles only during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter and no bills can be raised beyond the period of three months.

7.17 In case, the Maximum Demand Indicator of the meter at the consumer's installation is found to be faulty or not recording at all (unless tampered), the Demand Charges shall be calculated based on maximum demand during corresponding months'/billing cycle of previous year, when the meter was functional and recording correctly

In case, the recorded maximum demand of corresponding month/billing cycle of past year is also not available, the maximum demand shall be calculated based on the load factor as per the mechanism specified in **Annexure XIX** of the Supply Code, 2023.

Billing in case of Stolen Meters

7.18 In case of meters reported as stolen, electricity charges for the period for which the meter was not available shall be assessed as below:

- (1) As per Regulation 8.50 of this Supply Code, 2023, if it is established in the Licensee's enquiry that the loss of meter was due to a deliberate act of the consumer and/or with his connivance;
- (2) As per Regulations 7.16 and 7.17 of this Supply Code, 2023, in other cases.

Special Reading and Billing of Meters in cases of Change of Occupancy or Vacancy of Premises for Domestic Consumers

7.19 It shall be the responsibility of the consumer to get a special reading done by the Licensee at the time of change of occupancy or on the premises falling vacant and obtain a No-Dues certificate from the Licensee.

7.20 The consumer shall request in writing to the Licensee for special reading to be taken at least 15 days in advance of the said vacancy of premises or change of the occupancy, as the case may be. However, the Licensee may accept a notice of shorter period.

7.21 The Licensee shall arrange to take a special reading of the meter within 5 days of receiving the consumer's written request and issue a final bill including all arrears till the date of billing, at least 5 days before change of occupancy / vacancy of premises. The final bill thus raised shall mention that no other dues are pending on the premises and the bill is final. The final bill shall also include charges for the period between the date of special reading and date of vacancy of premises on a pro-rata basis.

7.22 Once the final bill is raised, the Licensee shall not have any right to recover any charge(s) other than those in the final bill, for any period prior to the date of such bill. The Licensee shall disconnect supply to the premises on its vacancy. It shall be the responsibility of the consumer to make the final payment on vacating the premises and the Licensee shall accordingly issue a No-Dues Certificate on receiving such payment. However, in case of change of occupancy, the connection shall not be disconnected and after completing the commercial formalities for change of name, the same shall be affected.

Payment on Self-Assessment by the Consumer

7.23 In case of non-receipt of bill, the consumer may deposit self-assessed bill in the format prescribed in **Annexure XII** to this Supply Code, 2023 for the period for which bill has not been received, provided that it is not less than the average consumption during the billing cycle over the last six months. The excess/deficient payment so made by the consumer shall be adjusted in the next bill or bills, as the case may be.

7.24 In case of dispute regarding levy of surcharges, the Licensee shall settle the dispute within one billing cycle from the date of protest by the consumer after giving him an opportunity of being heard.

Advance Payment of Bills

7.25 In case a consumer with post payment meters in the premises, remains vacant for some duration and the consumer intends to make advance lump sum payments from which the billed amount may be deducted

periodically, the consumer can apply to the Licensee in the format prescribed at **Annexure XIII** to this Supply Code, 2023.

7.26 In such cases, the consumer shall deposit an amount that covers the fixed charges for the duration of the proposed absence. Such provisional payment shall be adjusted when subsequent bill is issued on the basis of actual meter reading.

7.27 Bills of the consumers opting for this arrangement shall be showing the amount deposited by the

consumer, amount adjusted against the electricity dues after each billing cycle and the balance left. On the amount remaining outstanding from such advance deposits, interest shall be paid at the State Bank of India's prevailing interest rate for Savings Bank account. This interest computation will be done quarterly.

Billing in case of Disputed Bills

- 7.28 On receipt of the complaint in case of disputed bills in person, the Licensee shall issue a written/electronic acknowledgment on the spot or within three days of receipt, if received by post and give a complaint number for reference.
- 7.29 If no additional information is required from the consumer, the Licensee shall resolve the consumer's complaint and intimate the result to the consumer within 7 days of receipt of the complaint. In case, any additional information is required, the same shall be obtained, the issue resolved and result intimated to the consumer within 7 days of receipt of the additional information. However, if the consumer does not provide information on time, the Licensee shall not be held liable for the consequent delay. Till the complaint on the bill is resolved, the consumer shall pay the amount based on average consumption of corresponding period of the previous year when the meter was functional. Amount so recovered shall be subject to final adjustment on resolution of the complaint.
- 7.30 If the complaint is found to be correct by the Licensee, a revised bill shall be issued within 5 working days of intimation of the same to the consumer. The consumer shall make the payment within 15 days after receipt of the revised bill. The consumer shall not be charged any late payment surcharge, if the payment is made by the revised due date.
- 7.31 If the complaint was found to be incorrect the consumer shall be notified and directed to make the payment as per the original bill immediately and the consumer shall be liable to pay late payment surcharge if the payment is made after the due date of the original bill.
- 7.32 Consumers, who intend to get the special meter reading conducted, shall pay the requisite fee for the same as approved by the National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories from time to time.

Billing in case of Excess Load

- 7.33 The billing for excess load shall be made as approved by the Commission.

Payment of Bills

- 7.34 Consumer may pay the bill by cash (up to Rs. 5,000), Cheque, Demand Draft or Debit / Credit Card, banker's cheque, Electronic Clearing System, net banking, drop boxes, etc. Cheques and Demand Drafts shall be payable at any branch of a scheduled commercial bank that is a member of the clearing house for the area where the concerned Sub Divisional Office is located. The date of depositing of the cheque by the consumer, shall be deemed to be the date on which the payment is received in the Licensee's account.
- 7.35 The payment can be made online or offline:
- (1) In person at the designated collection offices of the Licensee during specified times; or
 - (2) By post or courier; or
 - (3) By deposit in the drop-boxes maintained by the Licensee at designated locations; or
 - (4) By bank transfer through the internet, mobile app; or
 - (5) By any other scheme accepted by the Licensee for acceptance of bill payment.
- 7.36 The Licensee shall establish sufficient number of collections centres at suitable locations with necessary facilities where consumer can deposit the bill amount with ease and without undue congestion. Wherever necessary, separate collection counter should be provided for senior citizens, physically challenged person and women, preferably at the ground floor.
- 7.37 The Licensee may issue a disconnection notice in writing, as per Section 56 of the Act, to any consumer who defaults on his payment of dues, after giving him a notice period of 15 clear days to pay the dues.

In case a cheque is dishonored, the Licensee shall inform the consumer and require him to pay the bill within 7 days in cash. The consumer shall be liable to pay the late payment surcharge, as applicable, as well as a charge on account of the dishonor of the cheque/non-realization of the draft. If there are two instances of dishonor of cheques/draft of a consumer in a financial year, the consumer shall be required to make all payments through net banking till the end of the following

financial year. In addition, the Licensee may have the option to initiate action against the consumer as per the legal provisions of the Negotiable Instruments Act.

7.38 In addition to the mode of payments specified in Regulation 7.34 of this Supply Code, 2023, the Licensee may notify schemes for acceptance of bill payment through Electronic Clearing System or at designated counters of a bank or through credit/debit cards or through any other means in a specified area and/or for a specified category of consumers, after due notice is given to consumers. However, any change in the mode of payment shall be consumer friendly.

7.39 Where the due date indicated for payment on the bill falls on a Sunday or a public holiday, the payment shall become due on the next working day.

Receipt of bill payment

7.40 Receipt shall be given to the consumer for payment of bills made in person. In all cases, payments shall be acknowledged in the next bill.

Utilization of the Amount Received

7.41 All payments made by the consumer will be adjusted in the following order of priority:

- (1) Late payment surcharge;
- (2) Arrears of electricity charges and corresponding arrears of electricity duty/ tax;
- (3) Current electricity charges and corresponding current electricity duty/tax;
- (4) Miscellaneous charges.

Late Payment Surcharge

7.42 Surcharge for delayed payment shall be levied as per the prevailing Tariff Order.

Instalment Facility

7.43 The Licensee may frame a scheme for providing facility of payment of bills in instalments for consumers who are for the time being under financial distress to continue the supply of electricity. Late payment surcharge shall however, be levied on the amount paid after the due date.

Recovery of Arrears

7.44 No sum due from any consumer, on account of default in payment shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied.

Further, dues of any consumer (if any) pending for a period more than 6 months can be transferred to another installation of the same consumer after thorough verification by the Licensee, i.e., proof that the both consumers are same.

Further, Supplementary demand shall be shown separately in the bill.

Chapter 8: Restrictions-Theft and Unauthorized use of Electricity

Theft of Electricity

8.1 Whenever a case of theft of energy is detected, the Authorized Officer shall carry out assessment, in accordance with the procedure as laid down in the clauses below:

Procedure for booking a case of theft of electricity

8.2 The Licensee or supplier shall publish the list of the Authorized Officers prominently in all the Offices and its website and the Photo Identity Card issued to such officers shall indicate so for inspection of any place or premise, as per Section 135(2) of the Act.

8.3 An Authorized Officer, suo-moto or on receipt of reliable information regarding theft of electricity, shall promptly conduct inspection of such premises after prior intimation to Junior Engineer(JE)/ Sub-Divisional Officer of that area:

Provided that in cases where JE is not appointed; prior intimation shall be provided to the concerned Executive Engineer:

Provided further that no inspection, search and seizure of any residential premises shall be carried out between sunset and sunrise, except in the presence of an adult male member occupying such premises.

8.4 The inspection team of the Licensee or supplier, headed by such Authorized Officer shall carry along with them their Photo Identity Cards. Photo Identity Card should be shown to the consumer/consumer representative before entering the premises. Photo Identity Card of the

- Authorized Officer shall clearly indicate that he has been nominated as Authorized Officer as per provisions of Section 135 of the Act.
- 8.5 While conducting inspection, the Authorized Officer and his team shall follow the provisions of sub-sections 2, 3 and 4 of Section 135 of the Act.
- 8.6 As far as possible, the events of inspection shall be photographed / video graphed. In cases, where significant law and order problem is anticipated, the Authorized Officer inspecting the premises shall immediately seek assistance from his senior officer(s) and also call for police help. In such cases all events shall be recorded through video camera.
- 8.7 If such entry or inspection reveals nothing to indicate the commission of or engagement in any act of theft of electricity by the person / consumer, the Authorized Officer, the employees accompanying him and the Licensee shall not be liable for any alleged loss or inconvenience caused to the person/consumer on account of such entry, inspection and search.
- 8.8 The Authorized Officer shall prepare a report giving details such as connected load, condition of meter seals, working of meter and mention any irregularity noticed (such as tampered meter, artificial means adopted for theft of energy).
- 8.9 The report shall clearly indicate whether sufficient evidence substantiating the theft of energy was found or not. The details of such evidence should be recorded in the report.
- 8.10 No case for theft shall be booked only on account of seals on the meter missing or tampered or breakage of glass window, unless corroborated by consumption pattern of consumer and such other evidence as may be available.
- 8.11 In case sufficient evidence is found to establish direct theft of electricity, Licensee or Supplier as per Section 135 sub-clause (1A) of the Act shall disconnect the supply and seize all material evidence including wires/cables, meter, service line, etc., from the premises and shall lodge a complaint in writing relating to the commission of such offence in police station having jurisdiction within 24 hours from the time of such disconnection.
- 8.12 In case of suspected theft, the Authorized Officer shall remove the old meter under a seizure memo and seal it in the presence of the consumer or his authorized representative and the Authorized Officer and the consumer have to sign on the seal borne on the meter.
- 8.13 The Licensee or supplier shall continue the supply to the consumer with a new meter. The old meter shall be tested in the presence of the consumer or his authorized representative and the Authorized Officer at the Licensee's testing lab, which shall give a test report, in writing, which along with photographs / videos shall constitute evidence thereof. The Authorized Officer shall record reasons to suspect theft in the premises in his report:
- Provided that if consumer requests, the testing of the meter will be carried out at a NABL (National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories) accredited third-party testing facility at the cost of consumers.
- 8.14 The report shall be signed by the Authorized Officer and each member of the inspection team and the same must be handed over to the consumer or his/her representative at site immediately under proper receipt. In case of refusal by the consumer or his Authorized representative to either accept or give a receipt, a copy of the inspection report must be pasted at a conspicuous place in/outside the premises and photographed. Simultaneously, the report shall be sent to the consumer through Registered Post/Speed Post on the day or the next day of the inspection:
- Provided that in case of suspected theft, if the consumption pattern for last one year is reasonably uniform and is not less than 75% of the assessed consumption, no further proceedings shall be taken and the decision shall be communicated to the consumer under proper receipt within three days.
- 8.15 After detailed examination of the evidence and the consumption pattern of the consumer, if the Licensee or supplier is convinced that a prima-facie case is made out for the abstraction, consumption or use of electricity dishonestly against the consumer, the Licensee or supplier shall, within 7 days of inspection, serve a provisional assessment order assessed as per Regulation 8.25 of this Supply Code, 2023 along with show cause notice to the consumer, giving reasons, as to why a case of theft should not be booked against such consumer giving full details for arriving at such decision and points on which reply has to be submitted. The notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.
- 8.16 In case a show-cause notice is not served even after 30 days from date of inspection by the

Licensee or supplier, the case of suspected theft shall be considered as dropped and no further action can be initiated against the consumer.

- 8.17 Theft shall not be limited to physical interference with the meter found during physical inspection. It shall also include theft committed by resorting to external methods such as remote control, high voltage injection, etc., which interfere with the accurate recording of energy consumed. Theft of electricity may be established by analysis of metering data down-loaded by the Licensee. In case the consumer requests for the testing of meter or analysis of metering data down-loaded by a third-party facility accredited by the NABL, the cost of such testing/analysis by third party shall be borne by the consumer. In case theft of energy is determined by way of meter down load, the provisional assessment order assessed as per Regulation 8.25 of this Supply Code, 2023 along with show-cause notice will be sent to the consumer/user. The notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.
- 8.18 The person, on whom an order has been served under Regulations 8.15 and 8.17 of this Supply Code, 2023, shall be entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the Assessing Officer, who shall, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass a final order of assessment.

Submission of consumer's reply

- 8.19 The consumer shall submit his/her reply within 15 days of receipt of show cause notice to the concerned officer mentioned in Regulations 8.15 of this Supply Code, 2023.
- 8.20 In such cases where the consumer files objections against the provisional assessment order, the process of hearing shall be as per Regulations 8.21 and 8.22 of this Supply Code, 2023.

Hearing in case of suspected theft

- 8.21 Within 5 working days from the date of submission of consumer's reply, the Licensee or Supplier shall arrange a hearing with the consumer. The consumer may be given another opportunity in case the consumer fails to appear for the hearing. In case, the consumer fails to appear for the second time, the Licensee may proceed against the consumer.
- 8.22 During the hearing, the Assessing Officer shall give due consideration to the facts submitted by the consumer and pass, within 5 working days, an order as to whether the case of theft is established or not. The order shall contain the brief of inspection report, submissions made by consumer in his written reply and oral submissions during hearing and reasons for acceptance or rejections of the same.
- 8.23 In all cases where theft of electricity has been detected, the Licensee or Supplier shall file the case with Special Courts established under Section 153 of the Act.
- 8.24 In case of the decision based on the consumer's reply/hearing wherein the case of theft is not established, no further proceedings shall be required.

Assessment

- 8.25 The Assessing Officer of the Licensee or the Supplier as defined under Section 126 of the Act, notwithstanding the criminal action taken under Section 135 of the Act for theft of electricity, shall assess the energy consumption as per the assessment formula given in **Annexure XIX** to this Supply Code, 2023, for the entire period during which such theft of electricity has taken place and if, however, the period during which such theft of electricity has taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to 12 months immediately preceding the date of inspection and prepare an assessment order on applicable tariff. After assessing the energy consumption as per the assessment formula given in **Annexure – XIX** to these Regulations, the Licensee shall prepare a final assessment bill equal to two times of the tariff applicable and serve upon the consumer notices containing the following information:
- (1) The details relating to the inspection carried out by the Authorized Officer including the dates and timings, list of material seized and any other relevant fact;
 - (2) Details of the energy consumption assessed on account of theft of electricity, the period for which assessment has been made and the amount to be deposited by the consumer/person (amount calculated formula given in **Annexure – XIX** to these Regulations).
- 8.26 In case of a regular metered connection, where a case of theft of electricity is detected, units recorded in the meter for which bills have been raised by the Licensee to the person during the period, for which the assessment is made, shall be duly credited to the consumer.

- 8.27 The consumer shall be required to make the payment within 7 days of its receipt.
- 8.28 The Licensee or Supplier, as the case may be, on deposit or payment of the assessed amount or electricity charges in accordance with the provisions of these Regulations, shall, without prejudice to the obligation to lodge the complaint as referred to in the second proviso to the clause (1A) of Section 135 of the Act, restore the supply line of electricity within forty-eight hours of such deposit or payment.
- 8.29 If the person does not make payment within the stipulated time, the Licensee or supplier shall proceed to recover its dues against the assessment order.
- 8.30 In case of default by the person in payment of assessed amount, the person, in addition to the assessed amount, shall be liable to pay, on expiry of thirty days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of 16% per annum compounded every 6 months pending adjudication by Appropriate Court.

Default in payment of assessed amount or instalments thereof

- 8.31 In case of default in payment of the assessed amount, the Licensee will, after giving 15 days' notice, in writing, file a case against the consumer in the designated Special Court as per the provisions of Section 135 of the Act.

Voluntary Declaration of Tampered Meters

- 8.32 In case a consumer comes forward and voluntarily declares tampering of meter and/or seals:
- (1) The tampered meter shall be replaced with a new meter by the Licensee at the consumer's cost or by the consumer, as the case may be, immediately and the Licensee shall raise the assessment bill at two times the normal tariff for the period of last six months reckoned from date of declaration;
 - (2) The energy bill, for the period the meter is not replaced, shall be sent as per the procedure for defective meters;
 - (3) The Licensee shall not move the Special Court in case a consumer voluntarily declares the tampered meter and pays the requisite charges in time;
 - (4) In case of default in payment, the procedure for booking the theft case may be followed.

Unauthorized Use of Electricity (UUE)

Cases to be treated as Unauthorized Use of Electricity

- 8.33 The following acts on the part of consumer are to be considered as unauthorized use of electricity for the purpose of assessment under the provisions of Section 126 of the Act;
- (1) By any artificial means; or
 - (2) By a means not authorized by the concerned person or authority or Licensee; or
 - (3) Through a tampered meter; or
 - (4) For the purpose other than for which the usage of electricity was authorized; or
 - (5) For the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorized.
- 8.34 Cases not to be treated as unauthorized use of electricity:
- (1) If connected load of any consumer (including domestic consumer) is found to be at variance from the sanctioned/contracted load as a result of increase of load or due to any replacement of lamps, fans, fuses, switches, low voltage domestic appliances, fittings, etc., it shall neither fall under unauthorized use of electricity (Section 126 of Act 2003) nor under theft of electricity (Section 135 of Act 2003);
 - (2) Supply to activities incidental to main activity, for example supply to chemist shop in nursing homes and hospitals, tea shops, canteens, employee cooperative stores, dispensaries, puncture shops in petrolpumps, etc., provided that the connected load for such activities remains within 5% of the sanctioned load or 5 kW, whichever is less;
 - (3) In case of domestic/non-domestic connection(s), extension of supply from the connection to other portion of the building/plot including for servant quarters, own parking garages or for social requirements relating to personal religious functions, sports, etc., in residential areas so long as the supply is not extended to any portion for which the connection has been disconnected due to non- payment of dues and there is no change in the category of use;
 - (4) Professionals such as Doctors, Engineers, Lawyers, CAs, Journalists and Consultants

practicing from their residence irrespective of location provided that such use shall not exceed 25% of the area of the premises or as specified in the rules/regulations of their respective State or Union Territory;

- (5) For cottage and commercial activities operating in residences such as repair of shoes by cobbler, dhobi, ironing of clothes, stitching/knitting, paan-shop and bakery products, small shops, tea shops, etc., with total load (maximum demand) of 5 kW, domestic tariff shall be applicable, subject to the installation of MDI Meters. In cases where total load is more than 5 kW, separate metering shall be done for commercial and domestic use, and consumption shall be charged according to the applicable tariff;
- (6) In industrial or commercial premises where the supply is used by one or more persons where partition in business takes place or division in the family occurs or where user of the connection changes due to succession.

Procedure for booking a case for Unauthorized Use of Electricity

- 8.35 The Licensee or Supplier shall publish the list of Assessing Officers, prominently in all the Offices and its website and issue Photo Identity Card to such officers.
- 8.36 An Assessing Officer, Suo-moto or on receipt of reliable information regarding unauthorized use of electricity, shall promptly conduct inspection of such premises and shall be present at the time of conducting inspection of such premises.
- 8.37 The inspection team of the Licensee, headed by such Assessing Officer shall carry along with them their Visiting Cards and Photo Identity Cards. Photo Identity Card should be shown and Visiting Card handed over to the consumer before entering the premises.
- 8.38 The Assessing Officer shall prepare a report giving details such as connected load, condition of seals, working of meter and mention any irregularity noticed (such as, artificial means adopted for unauthorized use of electricity).
- 8.39 The report shall clearly indicate whether sufficient evidence substantiating unauthorized use of electricity was found or not. The details of such evidence should be recorded in the report and the material utilized for the purpose shall be kept as evidence.
- 8.40 The report shall be signed by the Assessing Officer, each member of the inspection team and by the consumer, if the consumer fails to sign the report, then the same has to be recorded in the inspection report and the report must be handed over to the consumer or his/her representative at site immediately under proper receipt. In case of refusal by the consumer or his/her representative to either accept or give a receipt, a copy of inspection report shall be pasted at a conspicuous place in/outside the premises and photographed. Simultaneously, the report shall be sent to the consumer under Registered Post/Speed post on the day or the next day of the inspection.
- 8.41 Within three working days of the date of inspection, the Assessing Officer shall analyze the case after carefully considering all the evidence including the consumption pattern, wherever available and prepare the report of inspection. If it is concluded that no unauthorized use of electricity has taken place, no further action will be taken.

Notice to consumer

- 8.42 If the Assessing Officer suspects that the unauthorized use of electricity has taken place, he shall serve a provisional assessment order assessed as per Regulations 8.49 and 8.50 of Supply Code, 2023 along with show cause notice to the consumer, giving reasons as to why a case of unauthorized use of electricity should not be booked against such consumer.
The show-cause notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.
- 8.43 The person, on whom an order has been served under Regulation 8.42 of this Supply Code, 2023, shall be entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the Assessing Officer, who shall, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass a final order of assessment.
- 8.44 If the provisional assessment amount is deposited within 7 days of serving such provisional assessment order on the consumer, reply to the notice shall not be necessary.

Submission of Consumer's Reply

- 8.45 The consumer shall submit his reply within 15 days of receipt of show cause notice to the concerned officer mentioned in Regulation 8.42 of this Supply Code, 2023.

- 8.46 In such cases where the consumer files objections against the provisional assessment order, the process of hearing shall be as per Regulations 8.47 and 8.48 of this Supply Code, 2023.

Hearing in case of suspected unauthorized use of electricity

- 8.47 Within 5 days from the date of submission of consumer's reply, the Licensee shall arrange a hearing with the consumer.
- 8.48 During the hearing, the Assessing Officer shall give due consideration to the facts submitted by the consumer and pass, within ten (10) working days, an order as to whether the case of unauthorized use of electricity is established or not. The order shall contain the brief of inspection report, submissions made by consumer in his written reply and oral submissions during hearing and reasons for acceptance or rejections of the same.

Assessment

- 8.49 Where it is established that there is a case of unauthorized use of electricity based on consumer's reply submission/hearing, the Assessing Officer shall assess the energy consumption taking into consideration the following:
- (1) **Period of assessment:** If the Assessing Officer reaches to the conclusion that unauthorized use of electricity has taken place, the assessment shall be made for the entire period during which such unauthorized use of electricity has taken place and if, however, the period during which such unauthorized use of electricity has taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to a period of 12 months immediately preceding the date of inspection;
 - (2) **Assessment charge:** The assessment shall be limited to twice the financial loss caused to the Licensee for the period during which the unauthorized use has taken place, i.e., two times the difference of the electricity charges required to be paid by the consumer as per the relevant category of tariff and electricity charges actually paid during the period, subject to a maximum period of 12 months;
 - (3) If a consumer is found indulging in more than one act of unauthorized use of electricity, the charges payable by the consumer in respect of each such unauthorized use shall be separately assessed and billed accordingly.
 - (4) If a consumer is found indulging in extension of supply to premises for which the supply of electricity was not authorized, then the consumer shall be liable for proportion of load extended at twice the tariff of that category till it continues.
- 8.50 The Assessing Officer of the Licensee or the Supplier as defined under Section 126 of the Act, notwithstanding the criminal action taken under Section 135 of the Act for theft of electricity, shall assess the energy consumption as per the assessment formula given in **Annexure XIX** to this Supply Code, 2023.
- 8.51 The final assessment order shall be served on the consumer under proper receipt. The consumer shall be required to make the payment within 7 days of its proper receipt. A copy of the order shall also be handed over to the consumer under proper receipt.
- 8.52 The order of final assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as prescribed by the State Government under Section 126(2) of the Act.
- 8.53 Any person served with the order of final assessment, may, accept such assessment and deposit the assessed amount with the Licensee within 7 days of service of assessment order upon him.
- 8.54 In case of non-payment of bill amount within 7 days of serving the final assessment order, the connection will be disconnected by serving a 15 days' notice, which will not be reconnected until the assessed amount is deposited. In case of non-payment, the amount will be shown as arrear in the regular bill.
- 8.55 When a consumer defaults in making payment of assessed amount, the consumer in addition to the assessed amount, shall be liable to pay, on the expiry of 30 days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of 16% per annum compounded every 6 months.

Appeal to Appellate Authority

- 8.56 Any person aggrieved by the final order served by the Assessing Officer may, within 30 days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as specified by the Commission, to an Appellate Authority.
- 8.57 No appeal against an order of assessment under Regulation 8.56 above shall be entertained unless an

- amount equal to half of the assessed amount is deposited with the Licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal.
- 8.58 The Appellate Authority will dispose of the appeal after hearing the parties and pass appropriate order after hearing the parties and send copy of the order to the Assessing Officer and the appellant. The order of the Appellate Authority shall be final.
- 8.59 The consumer will be served with a revised bill as per final order of the Appellate Authority to be paid in 7 days.
- 8.60 If a consumer defaults in making the payment within 7 days of serving the final order of the Appellate Authority, the connection will be disconnected after serving a 15 days' notice, which will not be reconnected until the bill amount is cleared. In case of non-payment, the amount will be indicated as arrears in regular bill and action will be taken for recovery.
- 8.61 An interest of 16% per annum will be charged on the amount as per final order of the Appellate Authority after thirty days from the date of final order, compounded every 6 months as per Section 127(6) of the Act.
- 8.62 In case the Appellate Authority holds that no case of unauthorized use of electricity is established, no further proceedings will be initiated by the Licensee and the amount deposited by the appellant shall be refunded along with interest at the rate of 16 percent per annum compounded every six months for the period from the date of deposit till the amount recovered is adjusted through adjustment in the electricity bills of the immediately succeeding months. The appellant may also opt for cash refund of the amount deposited by the appellant along with prevalent saving bank rate interest of State Bank of India, till payment of such amount is made by the Licensee.
- 8.63 In case the amount payable as determined by the appellate authority is less than the amount already deposited by the person, the excess amount will be refunded by adjustment in the bills of the immediately succeeding months along with prevalent saving bank rate interest of State Bank of India from the date of such excess deposit till the date of actual adjustment.
- 8.64 In case person does not prefer to appeal under Section 127 of the Act and also defaults in the making payment of assessed amount, the connection will be disconnected by serving a 15 days' notice, which will not be reconnected until the assessed amount is deposited. In case of non-payment, the amount will be shown as arrear in the regular bill.
- 8.65 When a person defaults in making payment of assessed amount, he, in addition to the assessed amount shall be liable to pay, on the expiry of 30 days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of 16% per annum compounded every 6 months.

Chapter 9: Disconnection and Reconnection

- 9.1 The supply may be disconnected temporarily or on a permanent basis as per the procedure described below. The Licensee shall remove service line, meter, etc., after permanent disconnection. However, the Licensee may not remove service line, meter, etc., in case of temporary disconnection
- 9.2 The charges for connection, reconnection and disconnection shall be in accordance with the Schedule of Charges approved by the Commission.
- 9.3 Pre-payment meters will be designed to automatically cut off supply when the amount credited is exhausted. This shall however not be treated as a disconnection and the supply will be resumed whenever the meter is recharged.

Temporary Disconnection

- 9.4 The supply may be disconnected temporarily in following cases:
- (1) **On non-payment of the Licensee's dues:** The Licensee may issue a disconnection notice in writing, as per Section 56 of the Act, to any consumer who defaults on his payment of dues, after giving him a notice period of minimum 15 working days to pay the dues. Thereafter, the Licensee may disconnect the consumer's installation on expiry of the said notice period by removing the service line/meter as the Licensee may deem fit;
 - (2) If the conduct/continuance of any business/industry/activity being carried out in any premises becomes unlawful due to lack of necessary permission or withdrawal of permission from the competent authority;
 - (3) If the wiring, apparatus, equipment or installation at the consumer's premises is found to be defective or there is leakage of electricity or if the consumer is found to have altered the position of the meter and related apparatus or if the consumer uses any apparatus or appliance or uses the energy in such manner as to endanger the service lines, equipment, electric supply

- mains and other works of the Licensee, or is found to be using it in any manner which unduly or improperly interferes with the efficient supply of energy to any other consumer;
- (4) If at any time, the consumer is found to be using energy for a purpose other than for which it was intended / provided or tampers with the meter and/or other apparatus of the Licensee on his premises or extends/allows supply of energy to any other premises from his connection;
- (5) If the consumer remains unavailable for meter reading for two or more billing cycle after factoring in advance payment for the period of absence, if any as per the provisions of this Supply Code, 2023.
- 9.5 The supply shall be disconnected after giving a notice period of minimum 15 days. The supply shall be disconnected only if the cause of the disconnection is not removed within the notice period.
- 9.6 The Licensee shall, after the connection is temporarily disconnected as per Regulations 9.4(2), 9.4(3) and 9.4(4), issue a notice to the consumer to remove the cause of disconnection within 45 days for domestic consumer and 15 days for consumer of other categories, respectively, failing which the supply shall be disconnected permanently.
- 9.7 The Licensee may take steps to prevent unauthorized reconnection of consumers disconnected in the manner as described above. Wherever the Licensee discovers that connection has been re- connected in an unauthorized manner, Licensee may initiate action as per provisions of Section 138 of the Act. Further, in case the Licensee discovers that supply to such premises has been restored through another live connection, the same shall also be disconnected.

Permanent Disconnection

- 9.8 The supply shall be disconnected permanently in following cases:
- (1) On the termination of the Agreement;
- (2) If the cause for which the supply was temporarily disconnected is not removed within the notice period:

Provided that if the service of the consumer remains continuously disconnected for 180 days, not being a temporary disconnection upon request of the consumer, the Agreement shall be deemed to be terminated on the expiry of 15 days or after expiry of the initial period of agreement, whichever is later without prejudice to the rights of the Licensee or of the consumer under the Act for recovery of any amount due under the Agreement.

Disconnection on Consumer's Request

- 9.9 In case a consumer desires his meter to be permanently disconnected, the consumer shall apply for the same in the format prescribed in **Annexure XV** to this Supply Code, 2023. The Licensee shall give a written acknowledgment of receipt of such request, on the spot.
- 9.10 The Licensee shall carry out a special reading and prepare a final bill including all arrears up to the date of such billing within 5 days from receipt of the request. Upon payment, the Licensee shall issue a receipt with '**Final Bill**' stamped on it. This receipt shall be treated as a No Dues Certificate. The disconnection shall be done immediately after payment of the final bill. The balance amount due to any consumption between the final reading and the permanent disconnection, if any, may be adjusted against the security amount with the distribution licensee. The remaining security deposit shall be refunded to the consumer within 7 (seven) days.
- Provided that whenever an agreement is terminated on notice given by the consumer, the Licensee shall give a written intimation within 2 working days after termination in the format given in **Annexure XVI** to this Supply Code, 2023, failing which such intimation shall be deemed to have been given to the consumer.
- 9.11 In case of consumers who were sanctioned contract demand in a phased manner and supply was released for initial or intermediary phased demands, the consumer may seek deferment or cancellation of such of the phased demands, which are scheduled beyond minimum period of Agreement, by giving 3 months' notice in advance or in lieu thereof pay 3 months' charges towards such deferment or cancellation of such phased demands.
- 9.12 HT/EHT consumers opting for disconnection shall also bear the estimated expenditure on removal of the apparatus and service line. The Licensee shall issue a demand note to the consumer in writing, under acknowledgment, within 10 working days of receipt of request.

Reconnection

- 9.13 In case the consumer request for reconnection within a period of 6 months after disconnection, the

Licensee shall reconnect the consumer's installation within 5 days of payment of past dues and reconnection charges.

Provided that in case the disconnection has been done on account of non-payment of past dues, the licensee shall reconnect the consumer's installation within 6 (six) hours of receipt of past dues and other charges as applicable.

- 9.14 In case the consumer requests for reconnection after 6 months of disconnection, the connection shall be reconnected only after all the formalities as required in the case of a new connection are complied with by the consumer including payment of pending dues, services line charges, security deposit, etc., as applicable for that category of consumer.

Chapter 10: General Provisions

General

- 10.1 The Licensee shall monitor the progress of new connections, billing, metering, disconnection, reconnection and theft on monthly basis and send MIS reports to the Commission every quarter, mentioning the performance standards achieved, violation of Supply Code, 2023 in each category, penalty leviable, penalty adjusted, etc.
- 10.2 The distribution licensee shall provide access to various services such as application submission, monitoring status of application, payment of bills, status of complaints raised, etc., to consumers through its website, web portal, mobile app and its various designated offices area wise.
Provided that the distribution licensee shall provide all services such as application submission, payment of bills, etc., to senior citizens at their door-steps.
- 10.3 The Licensee shall keep uploading the area-wise list and current status of new connection, billing, metering, disconnection, feeder wise outage data, efforts made for minimizing outages, reconnection, prevention of theft or unauthorized use of electricity or tampering, number of theft cases, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter and results obtained during the year on its website. The Licensee shall also upload on its website all the reports sent to the Commission in accordance with this Supply Code, 2023.
- 10.4 Whenever the existing meters are to be replaced by any new technology meters, the distribution licensee shall take adequate measures to create consumer awareness regarding the advantages of such replacement. Distribution licensee shall issue a public notice in at least four daily newspapers. Such information shall also be displayed in conspicuous manner on the distribution licensee's website and the distribution licensee shall indicate the area wise schedule of dates for replacement of such meter.

Provision for Load shedding

- 10.5 Notwithstanding anything contained in any agreement or undertaking executed by a consumer with Licensee or in the tariff applicable to him, the consumer shall restrict the use of electricity in terms of his maximum demand and/or stagger energy consumption in the manner and for the period as maybe specified in any order that may be made by the State Load Dispatch Centre or the State Government or the Licensee to maintain orderly grid operation. The Licensee shall inform bulk/ HT consumers in advance about such restrictions as early as possible by any convenient communication mode for arranging alternate means.

Complaints Management System

- 10.6 Any aggrieved person, electricity consumer, consumer association or legal heirs or authorized representatives (in case of death of a consumer) may lodge a complaint at the centralized call centre/complaint centre/website or through telephone or post to the Licensee. In case the grievances of the consumer are not addressed by the Licensee, the consumer may approach the Consumer Grievances Redressal Forums (CGRF) established by the Licensee as per the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J&K and UT of Ladakh (Consumer Grievances Redressal Forums, Electricity Ombudsman and Consumer Advocacy) Regulations, 2023 framed by the Commission.

Service of Notice

- 10.7 Any order/ notice on the consumer by the Licensee, including the notice under Section 56 of the Act shall be deemed to be duly served if it is sent by registered/speed post at the correct postal address of the addressee or delivered by hand to the person residing at the address notified to the Licensee by the consumer:

Provided that in the case of an individual, service of notice to the consumer's spouse or his authorized representative, and in the case of a firm, company or corporation, service of notice on the

Managing Director, Director or Principal Officer or an authorized person of such a concern, shall be taken as proper and complete service for the purpose of this Supply Code, 2023.

- 10.8 If a consumer refuses or avoids receiving the notice, the service may be affected by:
- (1) Affixing the notice at a conspicuous place on the consumer's premises in the presence of two witness and photographing the notice; or
 - (2) Publication of the notice in daily newspaper(s) commonly read in the concerned locality to be kept on record by the Licensee.

Either of the above shall be deemed as proper and complete service of notice.

Power Quality Audit

- 10.9 All HT/EHT consumers shall submit power quality audit report to the respective Licensee at least once in a year for improvement in quality of power.

Supply Safety Guidelines

- 10.10 The Licensee and the consumer shall, in every respect, comply with the provisions of the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

Demand Side Management

- 10.11 It shall be the duty of every consumer to stop wastage and inefficient use of electricity and to extend necessary cooperation to the Licensee in implementation of the programs for Demand Side Management that may be launched by the Licensee.

Term and Conditions of Supply

- 10.12 Every Licensee, shall, modify and update the terms and conditions of supply and all circulars, orders and any other document or communication relating to the supply of electricity to consumers to make them consistent with these Regulations under intimation to the Commission.

Exemption

- 10.13 The timelines and procedures specified in these Regulations shall remain suspended during Force Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, flood, cyclone, lightning, earthquake, lockout, fire, lockdown, etc., affecting the Licensee's installations and activities.

Repeal and Savings

- 10.14 Save as otherwise provided in this Supply Code, JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2023 together with amendments made from time to time, are hereby repealed.
- 10.15 Notwith-standing such repeal, anything done or action taken or purported to have been taken, or proceedings initiated under such repealed Regulations, shall be deemed to have been taken under this Supply Code, 2023 to the extent that same were not inconsistent with the Act.

Inconsistency

- 10.16 In case of any inconsistency in the provisions of Supply Code, 2023 and the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulations, 2023 framed by the Commission, the timelines and other conditions as specified in this Supply Code, 2023 shall prevail and such timelines and other conditions shall be deemed to have been replaced in the existing Standards of Performance Regulations.

Power to Remove Difficulties

- 10.17 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Supply Code, 2023, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the Licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission are necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

Powers to Amend

- 10.18 The Commission may, at any time and on such times as it may think fit, amend, alter or modify any provisions of the Supply Code, 2023 or remove any error or defect in this Supply Code, 2023.

By Order of the Commission

V. K. DHAR, (JKAS), Secy.
[ADV.T.-III/4/Exty./695/2022-23]

Annexures

Annexure -I: Application form - New Connection (Low Tension Service):

1	Name of the Applicant/Organization:	
2	Name of father / husband / Director / Partner / Trustee	
3	Address:	
(a)	For communication	House/Plot/Premise no.
		Street
		Area/Colony
		District
		Telephone No.:
(b)	Where the new connection is applied for existing connection is required to be shifted	House/Plot/Premise no.
		Street
		Area/Colony
		District
	(Indicate landmarks to identify the location)	
4	Plot size: sq. feet (Optional)	Covered area:sq. feet (Optional)
5	Category of Supply: (list of categories attached)	
6	Purpose of Supply:	
7	Total Load applied for (in kW):	
8	Type of Supply (Permanent / Temporary):	
(a)	If Temporary supply, specify period of requirement:	From (date):
		To (date):
9	Please indicate whether you want to carry out the works of laying service line and/or dedicated distribution facility for the electricity supply requisitioned (Yes/No)	
10	Please indicate whether you want to install your ownCEA approved meter (Yes/No)	
11	List of documents attached:	
(a)	Photograph affixed on application form (Yes / No)	
(b)	Identity Proof submitted along with this application form:	
	If Applicant is a person (Tick any one)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electoral identity card; 2. Passport; 3. Driving license; 4. Photo identity card issued by Government agency; 5. PAN card; 6. Certificate from village Pradhan / Patwari / Lekhpal / village level worker/ village chowkidar/ Primary school teacher/ in-

		charge of primary health center etc. 7. Aadhar Card
	If Applicant is an organization (Tick any one)	Undertaking by competent authority (e.g.Branch
		Manager, Principal, Executive Engineer etc.) alongwith relevant resolution/authority letter of the institution concerned
		1.
(c)	Proof of ownership or occupancy of premises for whichelectricity connection is required (Tick any one)	<p>1. Copy of sale deed or lease deed or in the case of agricultural connections a copy of khasra/ khatauni / khatanakal</p> <p>2. Registered General Power of Attorney;</p> <p>3. Municipal tax receipt or Demand notice or any other related document;</p> <p>4. Letter of allotment;</p> <p>5. Copy of the house registration certificate issued by the Panchayat/ownership certificate issued by Revenue Authorities</p> <p>6. Any other ownership related document issued by local Government Authority</p> <p>7. An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall along with any one of the documents listed at (1) to (6) above also furnish a no objection certificate from owner of the premises;</p> <p>Provided that where an applicant, who is lawful occupier of the premises, is a tenant or a leaseholder and is unable to produce the No Objection Certificate from owner for obtaining a connection, a separate Indemnity Bond shall be executed in favour of the distribution Licensee in the form prescribed by the distribution Licensee.</p> <p>8. For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the Licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises only for the purpose of releasing electricity connection;</p> <p>Provided that if the Applicant is an individual, the Applicant has to be Indian Citizen for availing new electrical service connection</p> <p>9. Aadhar Card/Passport.</p>
(d)	Proof of current address (Tick any one)	<p>1. Electoral identity card;</p> <p>2. Passport;</p> <p>3. Driving license;</p> <p>4. Ration card;</p> <p>5. Photo identity card issued by any</p>

		Governmentagency; 6. Statement of running Bank Account; 7. Water / Telephone / Electricity / Gas connection Bill; 8. Income Tax assessment order / Aadhar Card
(e)	Any other document as applicable (Please Specify)	
12	Any electricity dues outstanding in Licensee's area of operation in consumer's name: (Yes/ No)	
13	Any electricity dues outstanding for the premises for	
	which connection applied for: (Yes/ No)	
14	Any electricity dues outstanding with the Licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director: (Yes/ No)	
<i>(For questions 12, 13 & 14 if the answer is 'Yes' in any case please provide details on a separate sheet)</i>		

I / We hereby declare that

- a) The information provided in this application is true to my knowledge.
- b) I / We have read the Supply Code Regulations 2023 and agree to abide by the conditions mentioned therein
- c) I / We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricitytariff and other charges.
- d) I / We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and theinstallation thereafter.
- e) I / We further agree that the connection given to me/us is only for availing electricityduring my occupancy and shall not be used in any way to show ownership of premises.

Date:

Place:

Name:

Contact No.

Signature of the consumer/ Authorized Signatory

E Mail-Id:

Note: Apart from documents for identity proof, proof of ownership/occupancy of premises and proof of current address, the following documents shall be attached with the application form:

- (1) **In case of a partnership firm** -The applicant shall furnish the partnership deed and an authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement;
- (2) **In case of Public and/or Private Limited Company**-The applicant shall furnish a Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation along with Board Resolution for authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement;
- (3) Other documents applicable only for select consumer categories:
 - (a) **Industrial consumers:** Valid Industrial License, if applicable
 - (b) **Agricultural consumers:** No Objection Certificate from competent government authority for tube wells, if required
 - (c) **Non-Domestic Khokhas and Temporary Structure:** No Objection Certificate for khokha or temporary structure from the nagarnigam / nagarpalika / nagarpanchayat / gram sabha / gram panchayat / land development authority / land owning agency

Acknowledgement

Application of..... (name of applicant).....for.....(purpose) is hereby received on(date).

In this regard, the applicant is given a reference no.....to be used for all future correspondence.

Signature/Seal of Licensee's
Representative Name and
Designation

Annexure -II: Application form - New Connection (High Tension/Extra High-Tension Service):

1	Name of the Applicant/Organization:				
2	Name of father/husband/Director/Partner/Trustee:				
3	Address for communication				
4	Address where the new connection is applied for existing connection is required to be shifted				
	<i>(Indicate landmarks to identify the location)</i>				
5	Voltage at which supply is required (kV) <i>(Please tick the category applicable)</i>	11kV	33kV	132kV	220kV
6	Type of Supply (Permanent / Temporary):				
6(a)	If Temporary supply, specify period of requirement:	From (date):			
		To (date):			
7	Total Contract Demand applied for (in kW / kVA):				
8	Basis for projection of Contract Demand				
9	Phasing of Contract Demand required (Yes/No):				
	If 'Yes', then provide the following details in the given format:				
	<i>CD required (kVA) along with remarks, if any</i>	<i>Tentative Date from which required</i>			
	(a)				
	(b)				
	(c)				
10	Purpose of Installation:				
11	Category of Tariff opted for:				
12	Category of Tariff provided (To be filled by Licensee):				
13	Production capacity:				
14	Category of Industry: <i>(Tick the applicable one)</i>	SSI	MSI	LSI	
	Type of unit: <i>(viz. Ownership/Partnership/Private Ltd./PublicLtd./Society/ Govt Dept./Govt undertaking)</i>				
15	Name of Institution developing Premises:				
16	Possession Letter or No-Objection Certificate	Number:Date:			
17	Whether supply is needed through an independent feeder				

18	Whether the above unit ever operated at some other place or applied for connection? <i>(If 'Yes', please provide details)</i>	(a) Sanctioned Load:
		(b) Service Connection No.:
		(c) Arrears of payment (if any):
19.	If electricity connection for the premises was requested in past (if Yes, please provide details)	(a) Name of Unit
		(b) Service connection No.
		(c) Arrears of payment (if any):
20	Status of land acquisition:	
21	Expected date by which finance will be available:	
22	Whether the requisite consent / NOC (if applicable as per the list of Pollution Control Board) has been obtained as per statutory requirements <i>(If yes, attach a copy):</i>	
23	Any electricity dues outstanding in Licensee's area in consumer's name: Yes/ No	
24	Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for: Yes/ No	
25	Any electricity dues outstanding with the Licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director: Yes/ No	
<i>(For questions 22, 23 & 24 if the answer is 'Yes' in any case please provide details on a separate sheet)</i>		

I / We hereby declare that

- a) The information provided in this application is true to my knowledge.
- b) I / We have read the Supply Code Regulations 2023 and agree to abide by the conditions mentioned therein
- c) I / We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
- d) I / We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.

Date:

Place:

Name:

Contact No:

Signature of the consumer/ Authorized Signatory

E mail-Id:

Note: The following documents shall be attached with the application form:

- (1) Proof of ownership of the premises
- (2) A map indicating the proposed location of the plant/office and the point where supply is required. The map should normally be of the scale of 1 cm representing 1200 cm.
- (3) Licensee / NOC from statutory authority, if required or a declaration by the applicant that his connection does not fall under the requirement of NOC under any statute.
- (4) In case of a proprietary firm, an affidavit to be submitted stating that the applicant is the sole proprietor of the firm.
- (5) In case of partnership firm, partnership deed.
- (6) In case of Limited Company, Memorandum and Articles of Association and Certificate of

Incorporation.

- (7) Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the Licensee immediately.
- (8) Letter of intent for production/ enhancement in production may be furnished.
- (9) List of equipment's proposed to be installed along with the expected load.
- (10) Board Resolution for authorized signatory.
- (11) Registration from Industries Department.
- (12) Extract of project report relevant to power and process requirements (in case of industries).
- (13) Copy of the relevant section of the current tariff order that provides details of the tariff category opted by the consumer and duly signed by him. This will be appended with the agreement after completion of formalities.

.....

...

Acknowledgement

Application of..... (name of applicant).....for.....(purpose) is hereby received on (date).

In this regard, the applicant is given a reference no.....to be used for all future correspondence.

Signature/Seal of Licensee's Representative

Name and Designation

Annexure -III: Declaration/Undertaking

I, _____ Son / Daughter of..... Resident of (hereinafter referred to as "Applicant", which term

shall mean and include executors, administrators, successors and assigns), do hereby swear and declare as under: Or

The company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956/2013 having its

registered office at..... (hereinafter referred to as "Applicant", which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

THAT the Applicant is a lawful occupant of the premises at..... in support of which

the Applicant has enclosed a proof of occupancy.

THAT the Applicant has requested the Licensee to provide a service connection at the above-mentioned premises in the Applicants name for the purpose mentioned in the application form.

THAT in furnishing the Declaration, the Applicant has clearly understood that should the above statements prove to be false or incorrect at any later stage, the Licensee shall have every right to disconnect supply to the Applicant without any notice and above right to adjust dues against Consumer Security Deposit.

THAT the Applicant hereby agrees and undertakes:

- (1) To indemnify the Licensee against all proceedings, claims, demands, costs, damages, expenses that the Licensee may incur by reason of a fresh service connection given to the Applicant.
- (2) That all Electrical Works done within the premises are as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 to the best of our knowledge and have been carried out by a licensed electrical contractor (in case the Applicant is an owner and wiring in the premises is new)

Or

That all Electrical Work done within the premises are as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 to the best of our knowledge (where application is for reconnection or Applicant is occupier of the premises)

- (3) The Licensee is indemnified against any loss accrued to the applicant on this account. Further, Applicant

agrees that if there is any harm/loss to the property of the Licensee due to the fault in Electrical work within the premises of Applicant, all the liabilities shall be borne by the Applicant.

- (4) To pay the electricity consumption bills and all other charges at the rates set out in the Licensee's Tariff Schedule and miscellaneous charges for supply as may be in force from time to time, regularly as and when the same becomes due for payment.
- (5) To deposit the additional consumption deposit as revised by the Licensee from time to time based on the consumption of the Applicant in preceding year.
- (6) To abide by the provisions of the Electricity Act, 2003, Electricity Supply Code, 2023, tariff orders and any other rules or regulations notified by the Commission, as applicable from time to time.
- (7) That Licensee shall be at liberty to adjust the electricity consumption charges along with any other charges against the Consumer Security Deposit paid by the Applicant, in the event of termination of the agreement prior to expiry of the contracted period or in case of any contractual default.
- (8) To be responsible for safe custody of Meters, CTs, Cables etc. provided by the Licensee and in case, there is any damage to equipment due to the reasons attributable to Applicant the same shall be chargeable to the Applicant. Further, all repercussions on account of breakage of seals of meters etc. or Direct/Dishonest Abstraction of energy shall be to the account of Applicant, as per the existing laws.
- (9) To allow clear and un-encumbered access to the meters for the purpose of meter reading and it's checking etc.
- (10) That the Applicant would let the Licensee disconnect the Service connection under reference, in the event of any default, non-compliance of statutory provisions and in the event of a legally binding directive by Statutory Authority(ies) to effect such an order. This shall be without prejudice to any other rights of the Licensee including that of getting its payment as on the date of disconnection.
- (11) That the Licensee shall not be held responsible for any interruption or diminution of supply of electricity.
- (12) All the above declaration given by the Applicant shall be construed to an Agreement between the Licensee and the Applicant.
- (13) The electric connection availed for any installation shall not be construed as property right of such installation and shall not be used as a legal tool for acquiring any rights in court of law.

Signature of the Applicant

Name of the applicant

Contact No. of Applicant

SIGNED AND DELIVERED

In presence of witness

Name of Witness

Annexure -IV: Application form: Change in name of Registered Consumer

1	Service Connection No	
2	Name of Registered Consumer (at present)	
3	Consumer category	
4	Contracted load	
5	Address:	Telephone: Mobile: e-mail ID:
6	Name of the person in whose name connection to be changed (in <i>CAPITAL LETTERS</i>)	

Note: The following documents are attached with the application form:

(Tick whichever applicable)

1. Copy of latest bill duly paid

2. Latest Proof of ownership / legal occupancy of premises
3. No Objection Certificate from the existing consumer if available/possible.
4. Registered deed/ Succession certificate/(if any other document, please specify)

Date: _____ Signature of the Consumer
 Place: _____ Name:
 Contact No. _____ Email-Id:

Acknowledgement

Application form of Service Connection No..... at present in the name of.....(name of

applicant) has been received on..... (date) for changing the name of Consumer to

In this regard, the consumer is given a reference noto be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative
 Name and Designation:

Annexure -V: Application form: Transfer of Ownership to Legal Heir

1	Service Connection No	
2	Name of Registered Consumer (at present)	
3	Consumer category	
4	Contracted load	
5	Address:	Telephone: Mobile: e-mail ID:
6	Name of the person in whose name connection to be changed (in <i>CAPITAL LETTERS</i>)	

Note: The following documents are attached with the application form:

(Tick whichever applicable)

1. Copy of latest bill duly paid
2. Proof of ownership / legal occupancy of premises
3. Registered will / Succession or Legal Heir certificate / Mutation deed / (if any other document, please specify)
4. NOC from other legal heir(s) in case connection is to be changed in the name of one of the legal heirs in absence of 3 above.

Date: _____ Signature of the Consumer:
 Place: _____ Name:
 Contact No.: _____ Email-Id:

Acknowledgement

Application form of Service Connection No..... at present in the name of.....(nam of applicant) has been received on..... (date) for changing the name of Consumer to

In this regard, the consumer is given a reference noto be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's
 representative Name and Designation:

Annexure -VI: Conversion of Services / Change of Consumer Category/ Shifting of Connection to new Premises

(Tick the applicable purpose)

1	Service Connection No.	
2	Name of Consumer	
3	Consumer category	
4	Contracted load	
5	Address	
6	Telephone No.	
7	Request for change in service:	
(i)	If request is for conversion of service: (Tick whichever applicable)	Conversion from LT single phase to LT 3-phase Conversion from LT 3-phase to LT single phase Conversion from LT to HT Conversion from HT to LT Conversion from HT to EHT Conversion from EHT to HT Other (Please specify)
(ii)	If request is for change in consumer category, mention the tariff category to which Consumer wants to shift:	(See list of all tariff categories attached with this form)
(iii)	If request is for change of connection to new premises:	(a) New address to which existing service connection is to be shifted: (b) Details of equipment to be shifted (Meter/service line, LT/HT line, transformer, etc.):
8	Reason for change in service	

Note: The following documents are attached with the application form: (Tick whichever applicable)

1. Installation inspection report
2. Proof of ownership / legal occupancy of premises if request is for shifting of premises
3. Any other document (please specify)

Date:

Signature of the Consumer:

Place:

Name:

Contact No.:

Email-Id:

--

Acknowledgement

Application form of Service Connection No..... at present in the name of.....(name of applicant) has been received on..... (date) for in this regard, the consumer is given a reference note to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure -VII: Application form: Load Enhancement /LoadReduction

(Tick the applicable purpose)

1	Name of the Applicant/Organization:	
2	Service Connection Number	
3	Address of premises to which electricity is being Supplied	
4	Telephone No.:	
5	In case of Load Enhancement:	
	Existing sanctioned load (in kW/kVA):	Enhanced load requested (in kW/kVA):
6	In case of Load Reduction:	
	Existing sanctioned load (in kW/kVA):	Reduced load requested (in kW/kVA):
7	Reason(s) for Load Enhancement / Reduction:	
8	Details of load added/ disconnected from supply, if applicable. (Please attach list of equipment category-wise) <ol style="list-style-type: none"> Lighting Motive Power Agricultural Other (please specify) 	

Note: The following documents are attached with the application form: (if applicable)

1. A work completion certificate & test report from Licensed Electrical Contractor, if the consumer's installation has been altered.
2. Resolution for authorized signatory

Date:

Signature of the Consumer

Place:

Name:

Contact No.:

Email-Id:

Acknowledgement

Application of for load enhancement/load reduction.....Against S ervice Connection

No. is hereby received on(date)

In this regard, the consumer is given a reference noto be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure -VIII: Procedure for Determination of Connected Load

Name of applicant:

.....

Service Connection No. (For existing connections):

Address of applicant:

.....

Contact No. of applicant:

.....

Email-Id of the applicant:

.....

Electrical equipment proposed to be put to use:

.....

(Please fill-up the following table to enable determination of the connected load. Normally the actual load of each item will be considered to determine the connected load at the premises. In case of non-availability of the rated capacity of any item, the load shown below shall be considered. However, for domestic connections the higher of the Cooling Load (Air conditioners, coolers etc.) or Heating load; excluding equipment used for cooking (Geysers, Heating rod etc.) only shall be taken for determination of Total load)

Item	Load per item (Watts) (indicative)	No.	Total load (Watts)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 2x3</i>
CFL/LED	15		
Bulb	60		
Tube light	50		
Fan	60		
Music system	100		
Television	90		
Mixer	375		
Electric iron	750		
Fridge	150		
Cooler	250		
Heater (for cooking and water heating)	1000		
Washing machine	750		
Geyser	2000		
Microwave oven	2000		
Air Conditioner (1 ton)	1500		
Air Conditioner (1.5 Ton)	2250		
Computer	100		
Printer	150		
Pump-set	375		
Others (to be specified)			
Total			

Annexure -IX: Test Result Report of Applicant's Installation

(Regulation 31 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010)

(To be filled by Licensee's representative)

Reference No.....

Date.....

1. Name and address of the Consumer:

.....

2. Contact No of applicant:

3. Email-Id of the applicant:

4. Details of the installation:
5. Short circuit fault level of the installation:
6. Date of Commissioning of installation (In case of additional supply or reconnection):
.....
7. Results of the tests conducted

S.No.	Equipment	Test Conducted	Test Results	Remarks
1	Linked with Switch Fuse(s)	i) Mechanical Operation ii) Rating of Fuse iii) Contact of Blades	Smooth/Troublesome Amp Full/Partial	
1 a	Isolator	i) Mechanical operation ii) Remote operation iii) Local operation iv) Measurement of Contact resistance v) Interlocking with earth switch vi) Interlocking with CB vii) IR Values Open Condition Closed Condition	i) OK/Not OK ii) OK/Not OK iii) OK/Not OK iv) _____micro-Ohm v) OK/Not OK vi) OK/Not OK vii) _____M Ohm Ph-Ph Ph-E	
2	Circuit Breaker (S No)	1. Rating of the Circuit Breaker (i) Type (ii) Voltage (iii) Normal current (iv) Rupturing capacity 2. IR Values Open Condition Closed Condition Contact Resistance 3. Mechanical Operation 4. Remote Operation 5. Local Operation 6. Interlocking with Isolator 7. Interlocking with Earth switch 8. Alarm and Trip for OTI / WTI / Buchholz / PRV 9. Earth Fault Relay 10. Over Current Relay 11. Under Voltage Relay 12. SF6 Pressure Alarm and 13. Trip Operation Test kV Amp kA Ph-Ph Ph-E micro-Ohm Instant Smooth Time Gap (sec) Ok/Not Ok Ok/Not Ok Ok/Not Ok Ok/Not Ok Ok/Not Ok Ok/Not Ok Ok/Not Ok	
3	Transformer (S	a) Insulation resistance values		

	No)	<ol style="list-style-type: none"> 1. HT to LT 2. HT to earth 3. LT to Earth b) Break down Voltage Test <ol style="list-style-type: none"> 1. Oil Sample- I (Top) 2. Oil Sample-II (Bottom) c) Vector Group Test d) Polarity Test e) Magnetizing Balance f) Tan Delta Test (as per capacity) g) Oil level in conservator tank h) Oil level in breather cup i) OTI/WTI settings j) OTI / WTI Alarm and Trip operation k) Operation of Buchholz relay l) Operation of PRV m) Oil leakage n) Interlock of door switch for drytransformer o) Clearance for side clearance: Between two Transformers: (P) Body Earth resistance p) Neutral Earth resistance 	<p>..... M Ohm</p> <p>..... M Ohm</p> <p>..... M Ohm</p> <p>..... kV</p> <p>..... kV</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>A/T°C A/T°C</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>Ok/Not</p> <p>Ok</p> <p>..... Cms</p> <p>..... Meters</p> <p>N1:..... Ohm</p> <p>N2:..... Ohm</p>	
4	DG Sets SI No for Alternator Engine	<ol style="list-style-type: none"> a) Interlocking with other Supply Sources b) Body Earth resistance c) Neutral Earth resistance 	<p>OK/Not OK</p> <p>N1..... Ohm</p> <p>N2..... Ohm</p>	
5	Cable Size: Sq mm	<p>A) Insulation Resistance Values</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ph-Ph 2. PH -Earth 3. Ph-Earth + Other Ph <p>B) Bending Radius</p>	<p>..... M Ohm</p> <p>..... M Ohm</p> <p>..... M Ohm</p> <p>OK/Not OK</p>	
6	Earthing	<p>A) Metal and Size of Earth Strips</p> <p>B) Type of Earthing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plate Earthing 2. Pipe Earthing <p>3) Counter Poise Earthing</p> <p>C) Value of Earth Resistance of earth electrodes for</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reactor Neutral: 	<p>Cu/Al/GI..... Sq mm</p> <p>Yes/No</p> <p>Yes/No</p> <p>Yes/No</p> <p>.....N1 Ohm ...N2 Ohm (R)</p> <p>..... Ohm</p>	

		2) LA's 3) Structure: 4) Frames/bodies of equipment 5) Motors	(Y) ... Ohm (B)..... OhmOhmOhmOhm	
7	Potential Transformer	(i) Ratio Test (ii) Polarity Test (iii) BDV of Oil (iv) IR Test	OK/ Not OK OK/ Not OK kV (R) P-E.... M Ohm (Y)P-EM Ohm (B) P-E ...M Ohm	
8	Current Transformer	(i) Ratio Test (ii) Polarity Test (iii) BDV of Oil (iv) IR Test	OK/ Not OK OK/ Not OK kV (R) P-E.... M Ohm (Y)P-EM Ohm (B) P-E ...M Ohm	
9	Transmission Line	(i) Physical condition of conductor / tower (ii) Check of tower accessories (iii) Tower footing resistance (iv) Conductor continuity test (v) Check of ground clearance (vi) Check of electrical clearance along the route	Ok/Not OK Ok/Not OK Ohm Ok/Not OK Ok/Not OK Ok/Not OK	

General Observations

S. No	Item	Observation
1	Check of required phase to phase, phase to ground and sectional clearance	
2	Check for equipment layout and overall installation details	
3	Test of resistance of earth mat or earth electrodes as applicable	
4	Check of consumer's pre-commissioning test reports of individual equipment	
5	Check of manufacturer's routine /type test reports of individual equipment	
6	Whether Inspector's approval if applicable is obtained	
7	Whether owner's self-certification about compliance with the Regulations is obtained?	

8	General observations and views (specific deviation from the requirements of the Regulations shall be clearly brought out)	
---	---	--

Name Signature and Seal of Authority

Annexure -X: Meter Related Complaints / Request for Testing of Meter

(Tick the applicable purpose)

- Complaint reference No. (to be given by Licensee)
1. Service Connection No.....
 2. Name of the consumer.....
 3. Address and Contact No. of the consumer.....
 4. Email id of the Consumer
 5. Brief description of the complaint - Burnt out / completely stopped / fast meter / Seal broken / Testing of Meter.....
 6. Initial cost of meter was borne by (*tick one*):
Consumer Licensee
.....
 7. Complainant desires to provide/has provided a new meter for replacement (Yes/No):.....
 8. Any other information:
.....

Date: (Signature of Consumer)

(For Office Use)

1. Site verification report
Signature (concerned official)
2. Comments of concerned official
Signature (concerned official)

Acknowledgement

Complaint reference no _____ (to be given by Licensee) Complaint received by _____ (name and designation) Date of receiving complaint _____

Signature / Seal of Licensee’s representative Name and Designation:

Annexure -XI: Meter Testing Result Report

1. Consumer Particulars

Service Connection No.....	Name of Consumer.....
Consumer Category.....	Contracted
Load.....	
Address of Consumer.....	
Contact No of Consumer.....	
Email-Id of Consumer.....	

2. Meter Particulars

Meter No.....	Size.....
Type.....	C. T. Ratio.....
E / L-LED Status Rev LED Status	

3. Revolution / Pulse Test

Meter Constant.....	Load.....
---------------------	-----------

Reading before test..... Reading after test.....
 No. of Revolution / Pulse taken..... Actual Time Taken for the test.....
 Energy Recorded by meter.....
 Energy Recorded by a standardized Meter
 Error.....

RESULT

Consumer Meter recorded.....% LESS / MORE Consumption.....
 Needs replacement **OR** Results are within

Certificate

This is to certify that testing has been carried out as per the procedure. An external load of kW was used for testing for 1 kWh and total time taken was minutes

. The testing was carried out by using optical scanner for counting the pulses/revolutions.

Signature of
 Consumer
 Name:

Signature of Company Official:
 Name and Designation

Note: Approximate time taken for test for different external loads is as under:

<i>Load in kW</i>	<i>Approximate time in minutes</i>
1kW	60
2kW	30
4kW	15
5kW	12

Annexure -XII: Application for Self-Assessed Bill

1	Name of Registered Consumer	
2	Service Connection No	
3	Address:	Telephone: Mobile: e-mail ID:
4	Average consumption of last 6 months	
5	Amount paid by Consumer based on reading (Self-assessed) <i>(Must not be less than average consumption last 6 months)</i>	Previous Reading
		Current Reading
		Net Consumption
6	Mode of Payment	Cheque
		DD/Money Order
		Cash
		Online Transfer

Signature of Consumer
 Contact No of Consumer:
 Name of Consumer:
 Email-Id of Consumer:

Annexure -XIII: Format for Application of Advance Payment

Service Connection
 No.....
 Name of
 Consumer.....
 Consumer
 Category.....
 Contracted
 Load.....
 Address of Consumer.....
 Contact No. of Consumer.....
 Email-Id of Consumer

Dear Sir,

I wish to make advance payment for the period from..... to.....against the above referred connection.

You are requested to kindly send me a provisional advance bill for my electricity consumption of above period, so that I can make payment.

Thank you.

Signature of Consumer
 Name of Consumer:

Annexure -XIV: Format for Inspection Report in case of UUE/Theft

Date of Inspection: S. No.:

Inspecting Agency:

Service Connection No		
Name of Consumer		
Consumercategory		
Address		
Loaddetails		
a) Sanctioned/Contracted Load		
b) Maximum demand in kW or kVA or sanctioned contract demand, whichever is higher		
c) Total Connected Load with details of each equipment in case of Theft		
Type of Irregularity: (Tick whichever applicable)		
Unauthorized Use of Electricity	Theft	Other (Specify in detail)
INSPECTION RESULT:		
Meter No. (Painted):	CT Box Seal No.:	Found:
Meter No. (Dial):	Meter Box Seal No.:	Found:
Reading (kWh):	Meter Terminal Seal No.:	Found:
Reading (kVAh):	Half Seal No.:	Found:
Reading (kVARh):	Working Meter:	
MDI:	Cable Status:	
Power Factor:	CT Ratio:	
Size:	Type:	
Shunt Capacitor (Tick one)	Shunt Capacitor	No. of rating and make found installed in

	working order to maintain the power factor; OR No shunt capacity or found installed. Powerfactor measuredlagging
--	--

Generator: kVA found installed with / without permission Details of Seals

.....Other observations by Inspection Team:.....

Note to Consumer: You are requested to please appear before on the time and date mentioned in the Show-Cause Notice issued by inspection team member/police officer.

Signature of Consumer:

Name of Consumer:

Contact No. of Consumer:

Email-Id of Consumer:

Signature of Assessing/Authorized Officer(s):

Signature: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Name: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Designation: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Employee No.: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Annexure -XV: Request for Permanent Disconnection & Termination of Agreement

Service Connection

No.....

Name of Consumer.....

Consumer Category.....

Contracted Load.....

Address of Consumer.....

Contact No of Consumer.....

Email-Id of Consumer.....

It is requested that the above connection may be permanently disconnected and the relevant Agreement with the Licensee be terminated forthwith.

Note: The following documents are attached with the application form:

1. Copy of last bill
2. Copy of payment receipt of last bill

Thank you

Date:Signature of the Consumer Place:

Acknowledgement

Application of (Name of applicant) complete in all respects for disconnection and termination of

Agreement has hereby been received at this office on(date)

In this regard, the applicant is given a reference noto be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure -XVI: Format for Intimation to Consumer after Termination of Agreement

Licensee's Office Address

Date:

Service Connection No.....

..... (Name of consumer)

..... (Address of consumer)

..... (Contact No. of consumer)

..... (Email-Id of Consumer)

This is to inform you that an agreement dated against Service Connection No..... between yourself and (name of Licensee) regarding supply of.....kW/MW (Contracted load) in the consumer category has been terminated w.e.f.(date) on account of

..... (reason)

Your supply has been disconnected permanently.

After final adjustment of all charges and energy bills an amount of:

1. Rs.....is payable to you for which Cheque No.is enclosed.
2. Rs.....is due from you. You are requested to pay the amount within a week of receipt of this letter, failing which, action as prescribed under the law shall be initiated for recovery of the amount.

Thank you.

Sincerely,

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure -XVII: Format for Intimation to Consumer after Temporary Disconnection of Supply

Licensee's Office

Date.....

Service Connection

No.....

Name of

Consumer.....

Consumer

Category.....

Contracted

Load.....

Address of

Consumer.....

Contact No of

Consumer.....

Email-Id of

Consumer.....

This is to inform you that your supply has been temporarily disconnected with effect from (date) due to

the following reason(s):

.....

You are requested to remove the cause of disconnection and intimate this office at the earliest. You are also requested to pay a sum of Rs..... towards disconnection & reconnection charges and (Mention if any other dues are to be deposited, with a detailed break-up).

If the cause of disconnection is not removed to the satisfaction of this office and above amount is not paid, within 45 days of this notice your supply shall be disconnected permanently without any further notice

Thank you.

Sincerely,

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure -XVIII: Delimitation of Security Deposit amount

Security deposit amount for a consumer = Load (as calculated as per Annexure VIII) x Load Factor of the category in which the consumer falls x (30 days (except agricultural consumers) + 30 days) x H Hours x Energy charges of the relevant Tariff category as per Tariff Order

S. No.	Particulars	Load factor	Hours (H)
1.	Domestic	30%	12
2	Commercial	50%	12
3	LT Industrial	50%	10
4	HT/EHT Industrial:		
	Single shift industries	50%	10
	Double shift industries	75%	18
	Continuous industries	100%	24
5	Agriculture / Water Supply	33%	4
6	Street lights	40%	8
7	Signals & blinkers	75%	12
8	Railway Traction	50%	24

Note: For agricultural consumers the time period shall be 60 days.

Annexure -XIX: Assessment of Energy in cases of Theft

1. The assessment formula for calculation of the consumption due to theft of electricity shall be as under:

$$\text{Units assessed} = L \times D \times H \times F$$

Where,

L = Load (Connected load found in the consumer's premises during the course of inspection) in kW;

D = Period of assessment in days, during which unauthorized use/theft is suspected and shall be taken for different categories of use as specified below:

- | | |
|---|---------|
| a) Continuous Industry | 30 days |
| b) Non-continuous Industry | 25 days |
| c) Domestic use | 30 days |
| d) Agriculture | 30 days |
| e) Non-Residential(continuous)viz. hospital, hotels | |

restaurants, guest houses, nursing homes, petrol pumps and	
Tele-communication towers	30 days
f) Non-Residential (general) i.e., other than (e)	25 days
g) Water works & Street lights	30 days
h) Other Categories (including temporary supply)	30 days

H = Average number of hours per day of power supply made available in the distribution mains feeding the consumer which shall be taken for different categories as specified below:

a) Single shift Industry (day/night only)	08 hrs.
b) Non continuous process industry (day & night)	20 hrs.
c) Continuous process industry	24 hrs.
d) (i) Non-Residential(general)including restaurants	20 hrs.
(ii) Hotels, hospitals, nursing homes, guest houses, Petrol pumps and Tele communication towers	20 hrs.
e) Domestic	08 hrs.
f) Agriculture	04 hrs.
g) Water Works	08 hrs.
h) Street Lights	08 hrs.
i) Other Categories (including temporary Supply)	12 hrs.

F = Load factor, which shall be taken for different categories of use as given below:

S. No.	Particulars	Load factor
1.	HT (including load above 75 kW for non-domestic and above 107 HP or 100 kVA for	100%
2.	LT Industrial (107 HP or 100 kVA)	75%
3.	Non- domestic (up to 75kW)	50%
4.	Domestic (up to 75 kW)	40%
5.	Agriculture	50%
6.	Water supply	50%
7.	Street light	50%
8.	Direct theft - All categories	100%

2. Assessment of energy in case of temporary connection

In the case of temporary connection, the assessment of units consumed for theft of electricity shall be done as under:

$$\text{Units assessed} = L \times D \times H$$

Where,

L = Load (found connected at the time of inspection) in kW;

D = Period of assessment in days; and

H = 6 hours for agriculture connections and 12 hours for others

Annexure -XX: General Conditions of Supply Wiring on Consumer's Premises

1. The work of wiring at the premises of the consumer shall be carried out by a Licensed Electrical

Contractor and conform to the standards specified in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010. The material used for wiring shall comply with or be superior to the standards laid down by the Bureau of Indian Standards. All high-rise buildings, having a height of more than 15 meters from ground level, shall also comply with Rule 50-A of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010. Wiring shall be tested as per provisions of regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010

Installation of AC Motors

2. No AC motor shall be connected to the low or medium voltage system of the Licensee unless the motor and the installation thereof has a suitable device to limit the starting current in accordance with the requirement indicated below.
 - (1) Power supply shall not be given to any applicant at low or medium voltage for utilizing induction motors of 3 HP capacity or above or welding transformers of 1 kVA capacity or above, unless shunt capacitors of appropriate rating are installed by the consumer across the terminal of such motors and welding transformers to achieve an average monthly power factor that is specified in this Supply Code, 2023.
 - (2) Motors of low or medium voltage shall be provided with control gear to satisfactorily prevent the maximum current demand from the consumer's installation exceeding the limits given in the following schedule under all possible conditions

Nature of Supply	Size of Installation	Max. Current Demand
Single phase/ Three phase	(a) Up to and including 1 BHP.	Six times full load current
	(b) Above 1 BHP and up to and including 10 BHP	Three times full load current
	(c) Above 10 BHP and up to and including 15 BHP	Two times the full load current
	(d) Above 15 BHP	One and a half times the full load current

Failure to comply with these requirements shall render the consumer liable to be disconnected. The Licensee may, depending on the location and condition of working, relax the starting current limit.

- (3) A triple pole linked switch protected by a no-volt release shall control the motor circuit and triple pole fuses (or overload release). It is important that the release shall be maintained in good working order. Wiring for motors shall be run with all three-phase wire bunches in a metallic conduit, which shall be effectively earthed throughout and shall be connected to the frame of the motor from which two separate earth wires shall run. The minimum permissible size of the earth wire permitted shall be No. 14 SWG. Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, shall be complied with in every respect.
- (4) Total harmonic voltage distortion shall not exceed the limits mentioned below: EHT = 4%
HT = 10%
LT = 15%
- (5) In addition, synchronous motors shall also be provided with an apparatus to control wattless current

Installation of Irrigation/Agriculture Pump Set

All new pumping set connection/reconnections shall have the following:

- (1) Friction less foot valve
- (2) HDPE piping suction and delivery
- (3) ISI marked energy efficient monobloc pump set.
- (4) Capacitor of adequate rating for the pump set.

Parallel Operation with the Supply System of Licensee

3. The consumer shall arrange the plant, machinery and apparatus of his generating units, including an extension of or addition to the same, to operate in an isolated mode, with the consent of the Distribution Licensee, for capacity above 50 kW. Where consent has been given for parallel operation, the consumer shall arrange his installation to protect it from disturbances in the Licensees system. The Licensee shall not be liable for any damage caused to the consumer's plant, machinery and apparatus on account of such parallel operation, or any adverse consequence arising thereof. For parallel operation with the grid, the consumer shall have to follow the provisions of the applicable Grid Code Regulations as amended from time to time and other relevant regulations and shall pay synchronizing charges as approved by the Commission. The actual operations shall be carried out in coordination with the STU and the Licensee.
4. If it is brought to the notice of the SLDC/Licensee that a particular consumer is using electricity during emergency rostering by unauthorized or irregular means, the feeder feeding such a consumer shall be opened to dis energize it from the source grid substation, on instructions from the SLDC, for which the consumer shall be solely responsible.

Annexure -XXI: FORM OF PERFORMANCE GUARANTEE/BANK GUARANTEE BOND

In consideration of the Name of Licensee (Herein called "name of distribution Licensee ...") which expression shall unless repugnant to the subject or contract include his successor and assigns) having agreed to exempt M/s situated at Plot No. Survey No _____ having its registered office at (herein after called "the Consumer(s)") from the payment of Security Deposit under Electricity Supply Code Regulations 2023 (hereinafter called Supply Code, 2023 for supply of _____.kVA High Tension power on production of Bank Guarantee for Rs (Rupees _____ only).

1. We _____ (hereinafter referred to as "the Bank") at the request of M/s _____ do hereby undertake to pay the Name of Licensee an amount not exceeding Rs _____ (Rupees only) against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Name of Licensee by any reason of any breach by the said consumer(s) of any of the terms and conditions contained in the said Supply Code Regulations, 2023 and other agreement /rules for supply of electrical energy prevailed in Name of place from time to time.
2. We do hereby undertake to pay amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Name of Licensee stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Name of Licensee by reasons of the breach by the said consumer(s) of any of the terms and conditions of the said Supply Code Regulations 2023, or any other rules/agreements for supply of electrical energy. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs (Rupees only).
3. We, the said bank further undertakes to pay the Name of Licensee any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the consumer(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
4. We (Name of the Bank) further agree that the Guarantee herein contain shall remain in full force and effect during the entire period of power supply or any other period covered under the said Supply Code Regulations 2023, or any other rules/agreements applicable to the supply of Electrical Energy but not beyond Date (D) and it shall continue to be enforceable till all the dues of the Name of the Licensee have been fully paid unless a claim or demand under this Guarantee is made on us in writing on before D+6 months shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
5. We _____ further agree with the (Name of Licensee) that the Name of

Licensee shall have the fullest liberty without our consent and without effecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Supply

Code Regulations 2023, or any other rules/agreement for the supply of electrical energy and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the consumer(s).

7. We, (indicate the name of the bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Name of the Licensee in writing.

8. This guarantee shall not be valid up to.....unless extended on demand by the

Name of Licensee. Notwithstanding anything mentioned above, our liabilityagainst this guarantee is restricted to Rs (Rupees) and unless

a claim in writing is lodged with us within six months of the date of expiry or the extended date of expiry of this guarantee all our liabilities under guarantee shall stand discharged.

Dated the.....day of..... for.....

.....(Name of Bank)